VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

मई 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। ऑफलाइन कक्षाएं सरकारी नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन उपलब्ध होंगी।

DELHI: 15 July | 5 PM | 23 March | 1:30 PM

JAIPUR 28 June | 4 PM

अभ्यास

प्रीलिम्स 2021

ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज (ऑनलाइन)

GS TESTS - 25 Apr | 9 May | 4 July | 8 Aug | 5 Sept

CSAT TESTS - 13 June | 22 Aug

- हिंदी / अंग्रेजी में उपलब्ध
- ऑल इंडिया रैंकिग एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ विस्तृत तुलनात्मक विवरण
- सुधारात्मक उपायों एवं प्रदर्शन में सतत सुधार हेतु Vision IAS द्वारा टेस्ट उपरांत विश्लेषण™

पंजीकरण करें

www.visionias.in/abhyaas

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 6

1.1. अधिकरण (Tribunals) 6

1.2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) 8

1.3. द्वीपसमूह में विकासात्मक रणनीति (Island Developmental Strategy)......10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 14

2.1. ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy)......14

2.2. भारत की तिब्बत नीति (India's Tibet Policy)......17

2.3. भारत की फिलिस्तीन नीति (India's Palestine Policy) 21

2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations) 23

2.5. फरजाद-बी गैस क्षेत्र (Farzad-B Gas Field) 26

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 29

3.1. राज्य वित्त (State Finances)......29

3.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer)......32

3.3. भारत में बेरोजगारी (Unemployment in India)......34

3.4. भूमि बैंक (Land Banks)......37

3.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE) 39

3.6. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (Covid-19 Vaccine and IP Waiver)......42

3.7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry: FPI) 44

3.8. उर्वरक सब्सिडी (Fertiliser Subsidy)......46

3.9. दलहन (Pulses) 49

4. सुरक्षा (Security) 53

4.1. भारत में साइबर सुरक्षा (Cyber Security In India)......53

5. पर्यावरण (Environment) 56

5.1. क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Climate-Smart Public Private Partnerships)......56

5.2. संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2020 (Protected Planet Report 2020) 58

5.3. वैश्विक मीथेन आकलन (Global Methane Assessment) 59

5.4. कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करने से संबंधित नए नियम (New Fly Ash Utilization Rules For Coal And Lignite Based Thermal Power Plants) 62

5.5. हिम तेंदुआ (Snow Leopard) 64

5.6. प्रयुक्त खाद्य तेल आधारित बायोडीजल (Used Cooking Oil Based Biodiesel)..65

5.7. भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones in India) 67

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 71

6.1. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers) 71

6.2. मध्याह्न भोजन योजना {Mid-Day Meal (MDM) Scheme}..74

6.3. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises)...76

6.4. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs) 77

6.5. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)..80

6.6. भारत में तंबाकू का सेवन (Tobacco Use in India) 83

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 86

7.1. अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Nuclear Technology in Space Missions) 86

7.2. आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords)..88

7.3. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs) 90

7.4. म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis)..92

8. संस्कृति (Culture) 95

8.1. यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची (Tentative List of UNESCO World Heritage Sites) 95

8.2. शयनावस्था में बुद्ध (Reclining Buddha)...97

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 99

9.1. अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता (International Ethics)..99

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News) 103

10.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN).......103

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)...104

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 106

11.1. पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्य में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Proposal for Creation of Legislative Council in West Bengal)..106

11.2. नए जिलों का गठन (Formation of New Districts) 106

11.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख का चयन (Selection of CBI Chief) 106

11.4. नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत जिले (Districts Empowered to Grant Citizenship) 107

11.5. प्रदर्शनी केंद्रों और सभागारों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया गया (Infrastructure Status for Exhibition and Convention Centres)......107

11.6. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के उपायों की घोषणा की (RBI Governor Announces Measures to Tackle 2nd COVID Wave)......107

11.7. उच्चतम न्यायालय के अनुसार व्यक्तिगत गारंटीकर्ता कॉर्पोरेट ऋण के लिए उत्तरदायी हैं (SC: Personal Guarantors Liable for Corporate Debt)......108

11.8. वित्त मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के तहत कोविड-19 राहत उपायों की घोषणा की है {MoF and Ministry of Labour & Employment (MoLE) Announced COVID-19 Relief Measures Under Various Schemes}......108

11.9. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (Network for Greening the Financial System)......109

11.10. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 प्रभावी हो गए हैं {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 come into effect}......109

11.11. भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया (India Participates in the 3rd Arctic Science Ministerial: ASM3)......110

11.12. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) परिदृश्य {Global Electric Vehicles (EV) Outlook}......110

11.13. अंटार्कटिका में विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का विखंडन हुआ (World's Largest Iceberg Breaks Off in Antarctica)......111

11.14. फाइव डीप्स एक्सपीडिशन (Five Deeps Expedition)......112

11.15. ए.आई.एम.-आई.सी.डी.के. वाटर इनोवेशन चैलेंज (AIM-ICDK Water Innovation Challenge)......112

11.16. बन्नी ग्रासलैंड रिज़र्व (Banni Grassland Reserve)......113

11.17. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां (Tribes in News)......113

11.18. घोलवड सपोटा (चीकू) {Gholvad Sapota (chikoo)}......113

11.19. स्वामी कोष (SWAMIH Fund)......114

11.20. माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (Migration and Development Brief)......114

11.21. फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के साथ ई-वे बिल प्रणाली का एकीकरण (E-Way Bill Integrated with FASTag, RFID)......115

11.22. सूर्य प्रभामंडल (Sun Halo)......116

11.23. पृथ्वी की अक्षीय स्थिति में परिवर्तन (Shifting of Earth Axis)......116

11.24. नासा के ओसिरिस-रेक्स ने पृथ्वी पर वापसी की यात्रा प्रारंभ की (NASA's OSIRIS-REx Begins Journey Back to Earth)......116

11.25. चीन ने मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग पूर्ण की (China Completes Historic Mars Spacecraft Landing)......117

11.26. विश्व का सबसे बड़ा सैटेलाइट इमेज डेटाबेस (World's Largest Satellite Image Database) 117

11.27. सार्स-सीओवी-2 के वेरिएंट और स्ट्रेन (Variants and Strains of SARS-CoV-2)..117

11.28. राइबोन्यूक्लिक एसिड हस्तक्षेप (Ribonucleic Acid Interference: RNAi) 118

11.29. डोपिंग के लिए ड्राइड ब्लड स्पॉट परीक्षण (Dried Blood Spot Testing for Doping) 119

11.30. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए वैश्विक सोडियम मानदंड जारी किए (World Health Organization Global Sodium Benchmarks for Different Food Categories) 119

11.31. WHO बायोहब पहल (WHO BioHub Initiative) 120

11.32. ग्लोबल हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस (Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence) 120

11.33. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी (Monoclonal Antibody Therapy) 120

11.34. 2-डी ऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-deoxy-D-glucose: 2-DG)..121

11.35. स्पॉट (स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग) (SPOT: Scalable and Portable Testing) 121

11.36. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम (Sick-building syndrome: SBS) 121

11.37. मेफ्लावर 400 (Mayflower 400) 121

11.38. जलवायु परिवर्तन विश्व की प्राचीनतम गुफा कला को प्रभावित कर रही है (Climate Change Affecting World's Oldest Cave Art) 122

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

VISIONIAS

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने **"अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021" {Tribunals Reforms (Rationalization and Conditions of Service) Ordinance, 2021}** प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश के कारण अब **अनेक अपीलीय अधिकरणों और प्राधिकारणों को उत्सादित या समाप्त कर** उनकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में स्थानांतरित कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

इस अध्यादेश के माध्यम से **वित्त अधिनियम, 2017** में भी **संशोधन** किया गया है। इस संशोधन द्वारा खोज-सह-चयन समितियों (search-cum-selection committees) की संरचना और उनके सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। **वर्तमान में, इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।**

- **खोज-सह-चयन समिति:** अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, **जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।** इस **समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:**
    - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव।
    - आसीन या पदावरोहि (sitting or outgoing) अध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
    - संबंधित मंत्रालय, जिसके अधीन अधिकरण का गठन किया गया है, का सचिव (मताधिकार के बिना)।
- **कार्यकाल की अवधि:** यह अध्यादेश निर्दिष्ट करता है कि किसी **अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्षों की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु** (इनमें से जो भी पहले हो) तक होगा।
    - अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
    - इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति **जिसकी आयु पचास वर्ष से कम है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।**

इस अध्यादेश से जुड़े मुद्दे (या समास्याएं)

- **हितधारकों के साथ परामर्श नहीं:** फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण (Film Certification Appellate Tribunal: FCAT) जैसे अनेक अधिकरणों का उत्सादन करने का निर्णय, हितधारकों के साथ किसी भी प्रकार के परामर्श के बिना लिया गया है।
- **प्रभाव आकलन: रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक वाद (2019)** में उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए इस अध्यादेश के माध्यम से अनेक अधिकरणों का उत्सादन करने से पूर्व किसी भी प्रकार का **न्यायिक प्रभाव आकलन नहीं किया गया है अथवा न्यायिक परामर्श प्राप्त नहीं किया गया है,** जबकि यह अध्यादेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
- **कार्यकाल की अवधि: मद्रास बार एसोसिएशन वाद (2020)** में उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए **पांच वर्ष का कार्यकाल** निर्धारित किया था। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का उल्लंघन करते हुए इस अध्यादेश द्वारा **चार वर्ष का कार्यकाल** निर्धारित किया गया है।

भारत में अधिकरणों की आवश्यकता

- **लंबित मामले:** विगत वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए, विभिन्न विधानों के अंतर्गत अधिकरणों का गठन किया गया है।
- **त्वरित न्याय का वितरण:** अधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया को अपनाकर, संबंधित क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त कर तथा त्वरित निर्णय प्रदान कर न्याय के वितरण को सुव्यवस्थित करते हैं।

* **कुछ क्षेत्रों में लागत प्रभावी और अधिक प्रभावशाली:** कुछ क्षेत्रों जैसे कि तकनीकी मामलों, पर्यावरण से संबंधित विवादों, सशस्त्र बलों, कर और प्रशासनिक मुद्दों की प्रभावी सुनवाई के संबंध में न्यायालय की तुलना में अधिकरणों से प्राप्त समाधान अधिक वहनीय और उपयुक्त होते हैं।

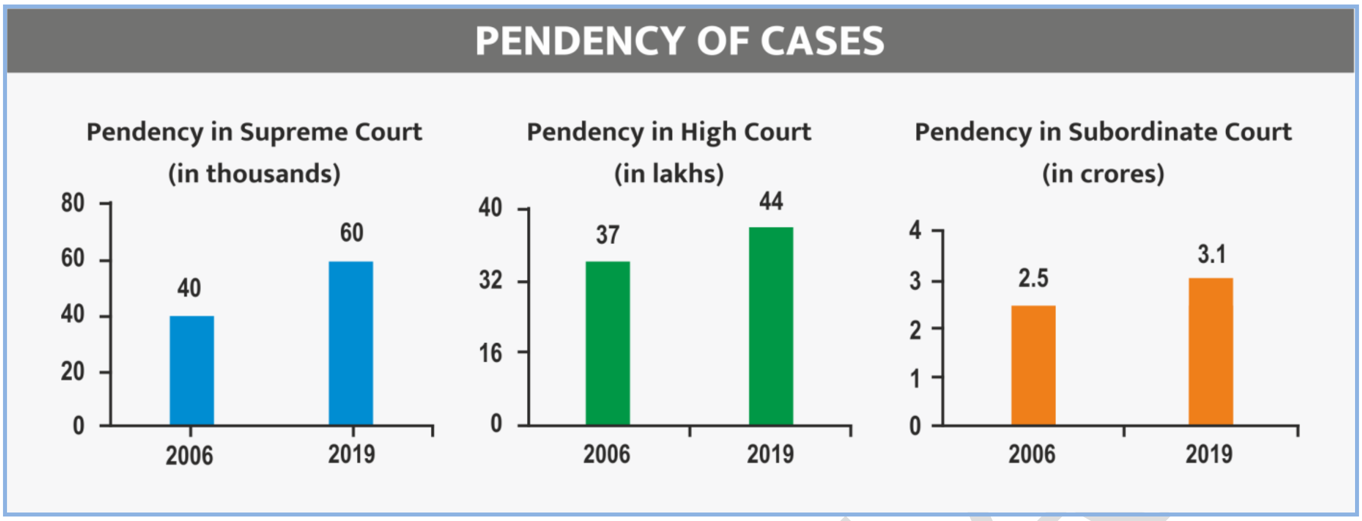

अधिकरणों के समक्ष समस्याएं

* **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की उपेक्षा:** प्रायः अधिकरणों के कार्यसंचालन, जैसे- अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने, वित्त संबंधी प्रावधान, अवसंरचना आदि मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जाता है। यह प्रवृत्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है।
  * उदाहरण के लिए, कार्यपालिका देश में सबसे बड़ी वादी (litigant) (अधिकांश वादों में एक पक्ष के रूप में) है अर्थात् देश में अधिकांश न्यायिक वादों में कार्यपालिका स्वयं एक पक्षकार है। यह **हितों के टकराव की स्थिति** उत्पन्न करती है।
* **स्वतंत्रता का अभाव: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अधिकरणों के समक्ष स्वतंत्रता का अभाव उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है। **चयन समितियों के माध्यम से अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति** संबंधी व्यवस्था, अधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
  * चयन समितियां, अधिकरणों में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार को नामों की अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये समितियां, **न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्यों को शामिल कर गठित की जाती हैं।**
* **कार्यबल की कमी और रिक्त पड़े पद:** सेवा संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए गठित अधिकरणों को कर्मचारियों की अत्यधिक कमी अक्षम बना देती हैं।
  * उदाहरण के लिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal: CAT) में **64 में से 27 पद रिक्त** हैं। इसलिए कुछ पीठें (Benches) आवश्यक कार्यबल के अभाव के कारण संबंधित वादों की सुनवाई और निराकरण करने में अक्षम हो गई हैं।
* **लंबित मामलों की अधिकता:** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा देश में 37 अधिकरणों के विश्लेषण में, यह पाया गया कि वादों के निराकरण की दर में वृद्धि के होने के बावजूद भी परिहार्य स्थगन, पीठासीन अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार के साथ-साथ वित्त संबंधी आवश्यकता के लिए मूल मंत्रालय पर निर्भरता जैसे कारणों से वादों के लंबित होने की दर भी उच्च है।

आगे की राह

* **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunal Commission: NTC) की स्थापना:** सभी अधिकरणों को एकल नोडल एजेंसी NTC, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाए, के नियंत्रणाधिन लाने की आवश्यकता है। NTC का दायित्व वस्तुतः अधिकरणों के कार्यों की निगरानी करना और नियुक्ति प्रणाली में समरूपता सुनिश्चित करना होगा।
  * ऐसे में NTC विभिन्न अधिकरणों द्वारा किए गए **प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के पृथक्करण** का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
  * NTC का विचार सर्वप्रथम **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद (1997)** में **उच्चतम न्यायालय** द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
* **समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र:** विदित है कि अधिकरणों को स्थापित करने का उद्देश्य न्यायालयों पर वादों के दबाव को कम करना और त्वरित न्याय प्रदान करना था। अधिकरणों से संबंधित सभी कानूनों/संविधियों में समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए कठोर प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
* **अधिकरण की पीठ:** देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकरणों की पीठें स्थापित की जानी चाहिए। इन पीठों को वहीं स्थापित किया जाना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय अवस्थित हैं।

- **सदस्यों का चयन:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 272वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सदस्यों के चयन में **सरकारी संस्थाओं की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए,** क्योंकि सरकार स्वयं कई वादों में वादी के रूप में शामिल होती है।
- **न्यायालयों पर से दबाव कम करना:** अधिकरणों की प्रभावी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय पर दबाव को कम किया जाए और अधिकरणों द्वारा पारित आदेश की सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय ही अंतिम और निर्धारक न्यायालय हो।
    - उच्चतम न्यायालय को केवल सामान्य लोक महत्व की विधि के संवैधानिक पक्षों, केंद्र-राज्य / अंतर-राज्यीय विवादों या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मध्य संघर्ष जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **योग्य कार्यबल:** अधिकरणों में विधि में अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिनके पास न्यायिक प्रशिक्षण और सिद्ध क्षमता एवं कर्तव्य-निष्ठा सहित पर्याप्त अनुभव हो। साथ ही, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए, जब तकनीकी या विशेष पहलू पर किसी विशेषज्ञ की सेवा/सलाह की आवश्यकता हो।

1.2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) को दो वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है, ताकि कोविड-19 से निपटने के लिए अधिक निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

MPLAD योजना के बारे में:

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएँ</th></tr>
<tr>
<td>यह योजना संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों (पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क इत्यादि) के सृजन पर ज़ोर देते हुए, विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु सक्षम बनाती है।</td>
<td>

MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्रक की और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए MPLADS के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की जाती है।
कार्यों की अनुशंसाएं:
<table>
<tr><th>कौन</th><th>क्षेत्र, जहाँ कार्यों की संस्तुति की जा सकती है</th></tr>
<tr><td>लोक सभा सदस्य</td><td>अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर</td></tr>
<tr><td>राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य</td><td>संबंधित चुनावी राज्य के भीतर</td></tr>
<tr><td>लोक सभा और राज्य सभा दोनों के नामनिर्दिष्ट सदस्य</td><td>देश में कहीं भी</td></tr>
</table>

कोई निर्वाचित संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर या दोनों के लिए MPLADS निधि का अंशदान कर सकता है।
इस तरह के आवंटन की सीमा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 लाख रूपये तक है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों का विकास:

संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष MPLADS निधियों में से अनुसूचित जातियों के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कुल प्राप्त निधि का कम से कम 15% और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 7.5% की अनुशंसा करनी होती है।
यदि लोक सभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है, तो वे इस निधि की अनुशंसा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, किंतु अपने निर्वाचन-राज्य के भीतर स्थित जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कर सकते हैं।
यदि, किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों का निवास क्षेत्र नहीं है तो यह राशि अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है और किसी राज्य में अनुसूचित जातियों का निवास क्षेत्र नहीं है तो यह राशि अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के दौरान भी कार्यशील:

आपदा प्रवण अथवा उनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी MPLADS कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है।
देश के किसी भी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा (Calamity of severe nature)" की स्थिति में, एक सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपदा गंभीर प्रकृति की है अथवा नहीं।

</td>
</tr>
</table>

	• **कार्यान्वयन प्राधिकारी:** ○ इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation: MoSPI)** उत्तरदायी है। ○ सामान्य तौर पर, जिले में MPLADS कार्यों के कार्यान्वयन के लिए **जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त** जिला प्राधिकारी (District Authority) के रूप में होते हैं। ○ यदि **जिला आयोजना समिति** (District Planning Committee) को राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है तो जिला आयोजना समिति का **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। ○ **नगर निगमों** के संबंध में, जिला प्राधिकारी के रूप में **आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी** कार्य कर सकते हैं। ○ जिला प्राधिकारी, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य को निष्पादित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** का चयन करता है। • **ग़ैर-व्यपगत निधि (Non-Lapsable Funds):** ○ भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकारी को जारी की गई निधियां **ग़ैर-व्यपगत** प्रकृति की होती हैं। ○ जिलों के पास शेष निधियों और भारत सरकार द्वारा जारी न की गई निधियों को आगे आने वाले वर्षों में **उपयोग (carried forward) किया जा सकता है।**

MPLAD योजना से संबंधित समस्याएँ

- **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध: राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution: NCRWC)** एवं **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग,** दोनों ने इस योजना को समाप्त करने की अनुशंसा की है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि यह **कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य "उत्तरदायित्वों का विभाजन" (demarcation of responsibilities) के सिद्धांत के विरुद्ध** है।
- **आवंटित निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाना:** 16वीं लोक सभा में, केंद्र सरकार ने प्रथम वर्ष में इस योजना के लिए 1,757 करोड़ रूपये जारी किए, जिसमें से **केवल 16% का ही व्यय किया गया। 543 लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से 278 में इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया।**
- **स्थानीय सरकारों की भूमिका की उपेक्षा करना:** स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए स्थानीय सरकारें सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं और इसलिए केंद्र या राज्य सरकारों की तुलना में, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। किंतु MPLADS, सांसदों को अपने प्राधिकार को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने और स्थानीय निकायों की अधिकारिता का अतिक्रमण करने में सक्षम बनाती है। दूसरी ओर, विडंबना यह है कि स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त निधि नहीं होती है।
- **परिसंपत्तियों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता:** लगभग 46.4% कार्य ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के लिए आवंटित राशि 50 हज़ार रूपये से भी कम है। इसके विपरीत, 5 लाख रूपये या उससे अधिक राशि के आवंटन वाले कार्य केवल 3.6% थे। इन लघु-स्तरीय कार्यों में बहुत से कार्य अत्यंत साधारण प्रकृति के हैं। इस प्रकार, यह स्थिति स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।
- **भ्रष्टाचार की अधिक संभावना:** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General: CAG) ने इस निधि से संबंधित भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के मामलों को उजागर किया है। निजी ठेकेदार (जिन्हें इसके तहत अनुमति नहीं है) कार्यों के निष्पादन में लिप्त पाए गए हैं और कई ऐसे कार्यों पर व्यय कर रहे हैं जो इस योजना के अंतर्गत निषिद्ध हैं।
- **जागरूकता की कमी एवं सांसदों में पर्याप्त जानकारी का अभाव:** राज्य सभा एवं लोक सभा दोनों के संसद सदस्यों द्वारा एक ही जिले में, समान प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा की गई। इसके परिणामस्वरूप एक ही जिले में अविवेकी रूप से अत्यधिक निधि का प्रवाह हो रहा है।
- **अपर्याप्त निगरानी:** निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी पक्ष इस योजना का सबसे कमज़ोर पक्ष है। यह स्थिति उत्तरदायी निकाय के रूप में जिला प्राधिकरण के पास उपलब्ध अपर्याप्त अवसंरचना के कारण है।

आगे की राह

- **संसद सदस्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय:** अनुशंसित कार्यों के लिए उपयुक्त जिले के चयन हेतु, एक ओर राज्य के संसद सदस्यों के मध्य और दूसरी ओर संसद सदस्यों और नोडल एजेंसियों के मध्य अधिक समन्वय की आवश्यकता है।
- **स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन:** सृजित की जाने वाली परिसंपत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए, ताकि इसकी लागत का निहितार्थ स्पष्ट हो सके। यह संसद सदस्यों को स्थायी परिसंपत्ति के सृजन के लिए कार्य पूर्ण करने हेतु पर्याप्त धन आवंटित करने में सक्षम बनाएगा।

- **निधियों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना:** इस निधि के तहत वर्षों से संचित और वृद्धिशील अव्ययित शेष की समस्या से निपटने के लिए, इस निधि को व्यपगत बनाया जा सकता है। इस तरह से वह राशि जिसका उपयोग नहीं हुआ है, अन्य कार्यों में उपयोग की जा सकती है।
- **निजी ठेकेदारों को शामिल करना:** निजी ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने की अनुमति देने के लिए संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी विभागों में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी हो सकती है। इससे कार्यों को तेजी से पूर्ण करना सुनिश्चित हो पाएगा।
- **प्रभाव आकलन:** इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक रूप से संपन्न किए गए कार्यों से समुदाय को प्राप्त लाभों का आकलन करने के लिए, वार्षिक रूप से निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर एक प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाना चाहिए।
- **पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institution: PRIs) की भूमिका: कोट्टायम (Kottayam)** के अनुभव से यह पता चलता है कि MPLADS के साथ भागीदारी योजना (Participatory planning) ने उत्तम परिणाम दिए हैं। एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पंचायती राज संस्थाओं ने भी कार्यान्वयन के कौशल प्राप्त कर लिए हैं, जिससे उनकी भूमिका में काफी सुधार हुआ है।

1.3. द्वीपसमूह में विकासात्मक रणनीति (Island Developmental Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में कुछ विकासात्मक परिवर्तनों का विरोध देखने को मिला।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा निम्नलिखित तीन विधान प्रस्तुत किए गए हैं:

विनियमन	प्रमुख उपबंध
लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Animal Preservation Regulation, 2021)	• इस विनियमन में प्रावधान किया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के बिना कोई व्यक्ति, न तो किसी पशु का वध करेगा या न ही किसी अन्य व्यक्ति से पशु का वध करवाएगा। • इस विनियमन में यह उल्लिखित है कि यह दुधारू, प्रजनन या कृषि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त पशुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है। इस उद्देश्य के लिए द्वीप में गाय, बछड़े, सांड या वृषभ (बैल) का वध करने का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा।
लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Panchayat Regulation, 2021)	• इसके तहत एक नवीन पंचायत विनियमन प्रस्तावित किया गया, जो दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में या पंचायत सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह घोषित करता है।
लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021 (The Lakshadweep Development Authority Regulation, 2021)	• यह विनियमन सरकार को विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए द्वीप में किसी भी आम व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी भी भूमि से उसे निष्काषित करने, उसके स्वामित्व में परिवर्तन करने और/या अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
लक्षद्वीप असामाजिक क्रियाकलाप निवारण विनियमन (The Lakshadweep Prevention of Anti-Social Activities Regulation)	• इस विनियमन में यह उपबंध है कि यदि किसी दोषी व्यक्ति के कृत्यों से लोक व्यवस्था को बनाए रखना प्रतिकूल रूप प्रभावित होती है, तो प्रशासक द्वारा उक्त व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है।

  - स्थानीय स्तर पर इन विधानों का अत्यधिक विरोध हो रहा है। यह विरोध मुख्यतः दो-बच्चों नीति को अनावश्यक वरीयता देने तथा कम अपराधों के बावजूद असामाजिक क्रियाकलापों के निवारण जैसे कठोर विधान को लाने के साथ-साथ व्यापक स्तर पर संबंधित विधानों में संधारणीयता की कमी और द्वीप के लोगों के सामान्य जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप संबंधी प्रावधानों के आधार पर किया जा रहा है।

 ©Vision IAS

- इसी प्रकार, **कछुओं पर शोध करने वाले कुछ भारतीय शोधकर्ताओं ने लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए नीति आयोग की विकास संबंधी योजनाओं का विरोध किया है।** उनका कहना है कि यदि ये विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, तो इस द्वीपसमूह की समृद्ध जैव विविधता अत्यधिक प्रभावित होगी।
- इन घटनाक्रमों ने द्वीप विकास से संबंधित वर्तमान नीतियों में निहित कमियों को रेखांकित किया है।

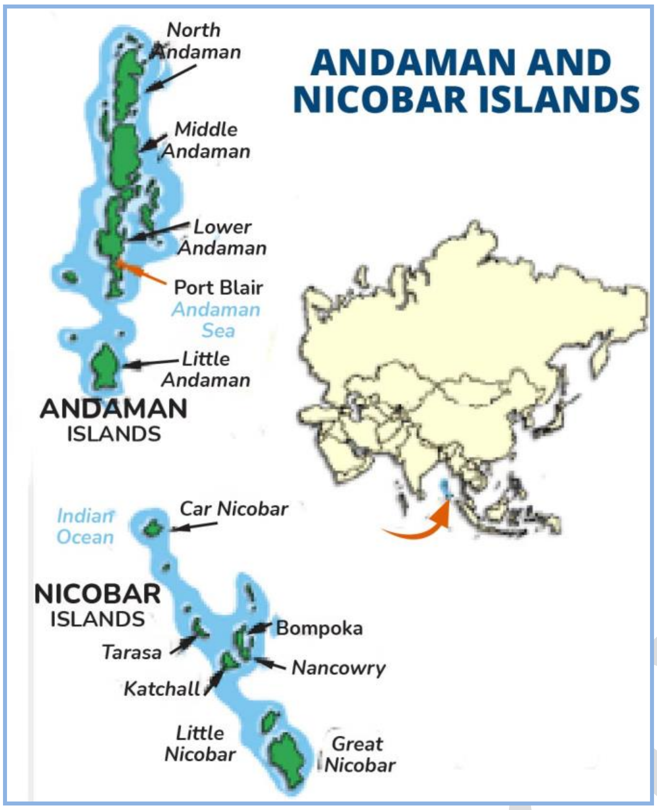

विकासात्मक रणनीतियों के इस वर्तमान प्रतिमान से संबंधित मुद्दे कौन-से हैं?

- **सांस्कृतिक हस्तक्षेप:** इस अध्यादेश के माध्यम से खाद्य संस्कृति (या भोजन करने में चयन की स्वतंत्रता), जनन संबंधी स्वतंत्रता और लोगों की आत्मनिर्भरता में हस्तक्षेप कर नृजातीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को उपेक्षित करने का प्रयास किया गया है।
  - उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि लक्षद्वीप की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या मुस्लिम है, यह विनियमन गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस संबंधी उत्पाद (जिसका व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है) के विक्रय, परिवहन अथवा भंडारण को प्रतिबंधित करता है।
- **असंधारणीय दृष्टिकोण:** संबंधित समुदाय द्वारा अपनाए गए भूमि उपयोग, महासागरीय संसाधनों का उपयोग और/या आजीविका संबंधी विकल्पों के सफलतापूर्वक प्रचलित तरीकों को सीमित महत्व दिया गया है।
- **मानव-प्रकृति संबंधों को अव्यवस्थित करने से लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियां या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आच्छादित करने वाले मैंग्रोव अस्थिर हो सकते हैं।** ये मैंग्रोव द्वीपों पर रहने वाले सजातीय समुदाय की संस्कृति एवं जीवन द्वारा पोषित और अनुरक्षित किए जाते हैं।
- **आपदा संबंधी सुभेद्यता को सीमित महत्व:** ये द्वीपसमूह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक प्रवण हैं तथा बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के आलोक में यह जोखिम और भी अधिक बढ़ गया है। इस वास्तविकता को विकास संबंधी रणनीतियों में यथोचित महत्व नहीं दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय जोन में अवस्थित हैं। नीति आयोग की द्वीप विकास संबंधी रणनीति इस सुभेद्यता का दक्षतापूर्वक समाधान नहीं करती है।
- **विकास में समावेशिता का अभाव:** इन द्वीपों पर निवास करने वाले लोगों की अपनी प्राथमिकताएं, जीवन शैली और आवश्यकताएं हैं। इसके अनुसार इन लोगों ने द्वीपों पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के संबंध में पारंपरिक ज्ञान को विकसित किया है। वर्तमान विकास रणनीतियाँ इस पारंपरिक ज्ञान को अपनी समग्र रणनीति में शामिल नहीं करती हैं।
- ये मुद्दे इन द्वीपों के राष्ट्रीय महत्व और स्थानीय आबादी की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के मध्य एक अंतर्निहित दुविधा को रेखांकित करते हैं।

द्वीपसमूहों का राष्ट्रीय महत्व

- **सामरिक महत्व:**
  - लक्षद्वीप द्वीप समूह के समीप स्थित **9 डिग्री चैनल** तथा **अंडमान सागर में 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल** समुद्री परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण मार्ग हैं।
  - भारत हिंद महासागर में विशेष रूप से लक्षद्वीप के पास 9 डिग्री चैनल से मालवाहक जहाजों की आवाजाही को अवरुद्ध कर चीन की भारत विरोधी समुद्री रणनीति को प्रतिसंतुलित कर सकता है।
  - सामरिक विश्लेषक **रॉबर्ट कापलान** के अनुसार, भारत हिंद महासागर में अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पूर्वी एशिया में बढ़ते मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं के संकेंद्रण के लिए पश्चिम एशिया से हाइड्रोकार्बन के विशाल मालवाहक जहाजों को परिवहन हेतु लिंक प्रदान कर **पश्चिम एशिया की भू-राजनीति** को **पूर्वी एशिया की भू-राजनीति** के साथ जोड़ता है।

द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency: IDA)

- **द्वीपों के समग्र विकास** के लिए जून 2017 में **IDA** का गठन किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय गृह मंत्री** द्वारा की जाती है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव सम्मिलित होते हैं।

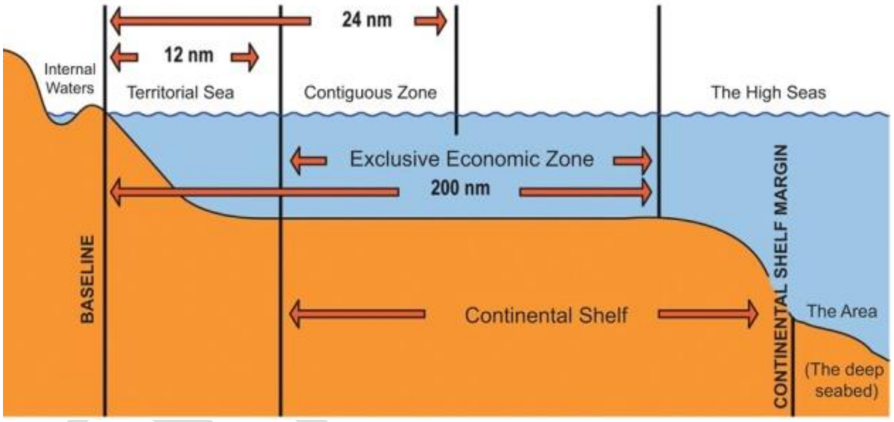

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)

- समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) द्वारा EEZ को सामान्य तौर पर **तटरेखा से 200 नॉटीकल मील की दूरी तक विस्तृत क्षेत्र** के रूप में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में संबंधित तटीय देश के पास **प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण एवं प्रबंधन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे कि पवन या ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने से संबंधित अधिकार होता है।**

- **आर्थिक महत्व:**
  - पर्यावरणीय संधारणीयता और तटीय अर्थव्यवस्था **(SDG 14: महासागरों और समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग)** को शामिल करने वाली **नीली अर्थव्यवस्था आधारित हमारे दृष्टिकोण** के लिए द्वीपों का विकास करना महत्वपूर्ण हो सकता है।
  - लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास के लैगून और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बहुमूल्य मत्स्यन एवं खनिज संसाधन हैं।
    - लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत को 20,000 वर्ग कि.मी. प्रादेशिक जलीय क्षेत्र और 4,00,000 वर्ग कि.मी. EEZ प्रदान करता है।

द्वीपसमूहों में विकासात्मक रणनीति से हितधारकों की क्या अपेक्षाएं हैं?

विभिन्न हितधारक	विकास नीति से अपेक्षाएं
द्वीप समुदाय	• आर्थिक अवसर • अत्याधुनिक अवसंरचना • पर्याप्त वायु, समुद्र और वेब कनेक्टिविटी
भारत सरकार	• द्वीपों की सुरक्षा • संधारणीय विकास • वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघ राज्यक्षेत्रों को आर्थिक विकास का मॉडल बनाना • चार वर्गों नामतः संचालक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस के तहत विभिन्न क्षेत्रकों के लिए परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करना,

 ©Vision IAS

पर्यटक (घरेलू और विदेशी)	• उच्च गुणवत्ता वाली पर्यटक सेवाओं की सुनिश्चित आपूर्ति • पर्यटकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली अवसंरचना • डिजिटल कनेक्टिविटी • आपदा संबंधी तत्परता और बचाव सेवाएं
नागरिक समाज	• पर्यावरणीय संधारणीयता • संतोषजनक मानव विकास सूचकांक

सभी हितधारकों को संतुष्ट करने के लिए कौन-सी विकासात्मक रणनीति अपनाई जा सकती है?

सभी हितधारकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए **नीति आयोग** द्वारा सुझाए गए '**संधारणीय विकास के पंचतंत्र सिद्धांतों (Panchatantra Principles of Sustainable Development)**' को अपनाया जा सकता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

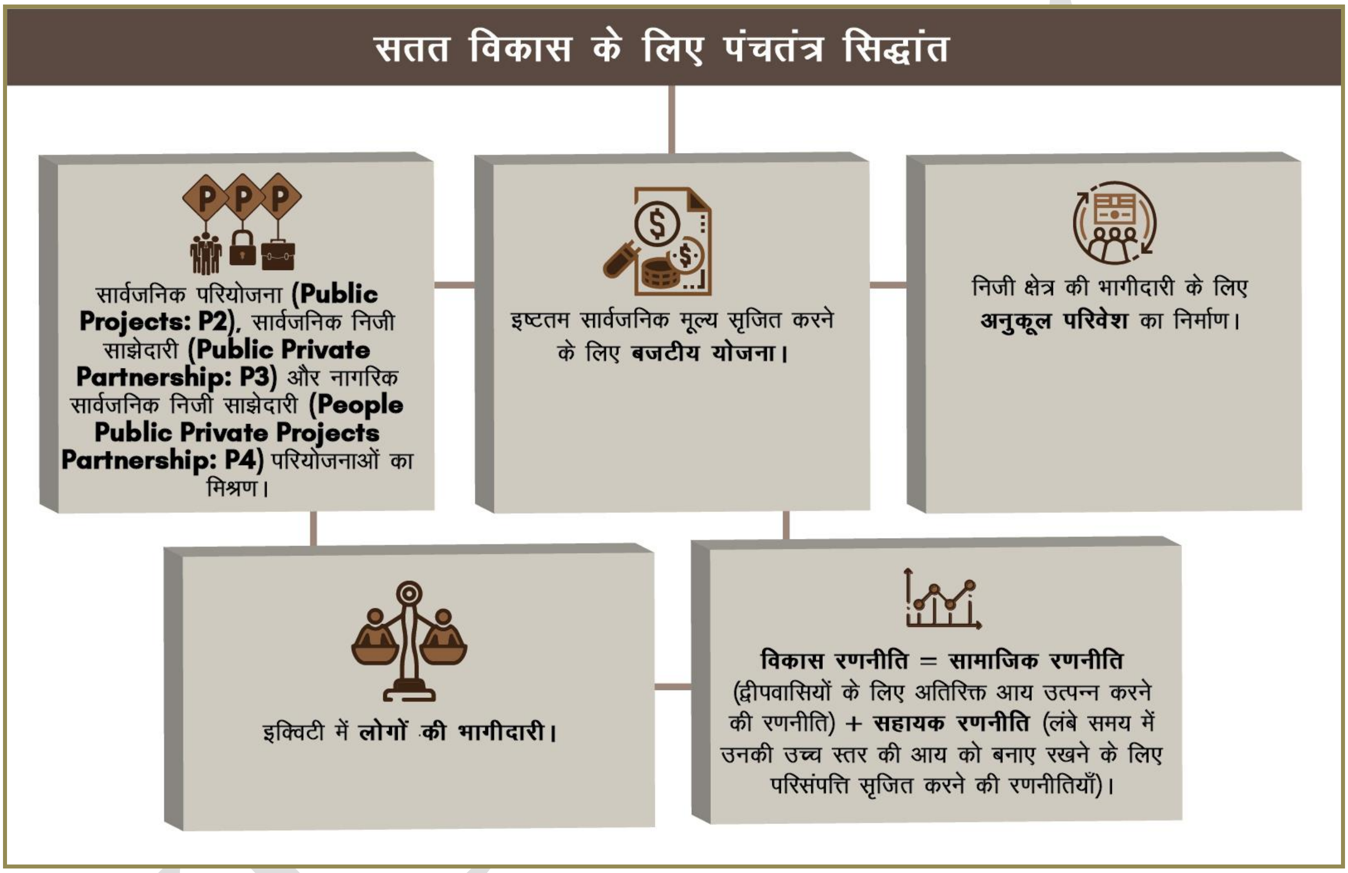

एक आदर्श द्वीप विकास रणनीति में अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ द्वीप की भू-रणनीतिक भूमिका को भी शामिल किया जाना चाहिए। **लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार दोनों द्वीप समूह,** देश के शक्ति प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं और **हिंद महासागर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र तथा भारत के विस्तारित पड़ोस** में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं। किंतु साथ ही, इन द्वीपों पर निवास करने वाले लोगों की स्थानीय प्राथमिकताओं को भी यथोचित महत्व प्रदान करना चाहिए।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश **मोंटेनेग्रो** राजमार्ग परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से चीन से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु संघर्षरत है तथा इस ऋण भुगतान के संघर्ष ने देश में एक गंभीर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मोंटेनेग्रो ने वर्ष 2014 में एक द्रुतमार्ग (motorway) (बार पत्तन को सर्बिया की सीमा से जोड़ने हेतु) के निर्माण के प्रयोजनार्थ चीन के एक्ज़िम बैंक से 944 मिलियन डॉलर ऋण प्राप्त करने हेतु चीन के साथ एक समझौता किया था।
    - वर्तमान में, यह ऋण मोंटेनेग्रो के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 65.9% हो गया है। आकंड़ों के अनुसार, **मोंटेनेग्रो के सार्वजनिक ऋण में चीन के कर्ज का हिस्सा 25% है।**
- वर्तमान में कई अन्य देश जैसे कि लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव आदि अत्यधिक चीनी ऋणग्रस्तता के कारण ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। इसने **ऋण जाल कूटनीति (अर्थात् अनिर्देशित विकास सहायता कूटनीति)** के उपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- वर्ष 2018 में, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में उन आठ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भागीदार देशों को रेखांकित किया गया है, जो BRI ऋण के कारण ऋण संकट के उच्च जोखिम से ग्रसित हैं। इन देशों में **जिबूती, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान** शामिल हैं।
    - ये देश 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धिमान ऋण-GDP अनुपात की ओर अग्रसर हैं तथा उनके विदेशी ऋण में चीन की लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) के बारे में

- वर्ष 2017 में इस पद को भारतीय भू-रणनीतिकार **ब्रह्म चेलानी** द्वारा परिकल्पित किया गया था। यह कूटनीति वस्तुतः उन शर्तों पर आवंटित की गई परियोजनाओं/किए गए ऋणों को संदर्भित करती है, जिनके आधार पर देशों के लिए पुनर्भुगतान करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अंततः ऋण प्राप्तकर्ता देश को राजनीतिक या आर्थिक रियायतों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है।
    - सामान्यतः यह देखा गया है कि विकासशील देशों को प्रायः चीन द्वारा उन सभी **परिवर्तनकारी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए वहनीय ऋणों** के प्रस्ताव का प्रलोभन दिया जाता रहा है, जिनके लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

©Vision IAS

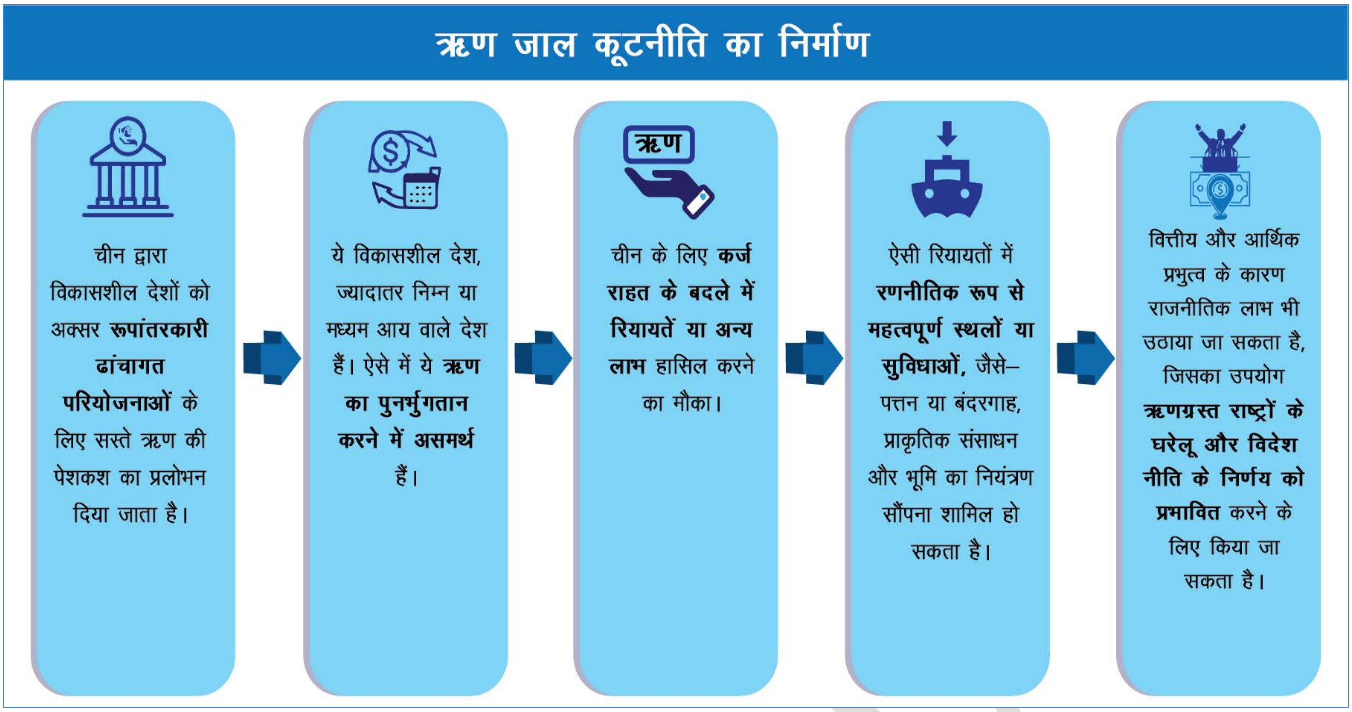

चीन द्वारा किए गए नित्य प्रयोग (Practices) जो ऋण जाल कूटनीति में उसकी भागीदारी की ओर संकेत करते हैं

- **गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्तपोषण:** यह अभिकथित है कि चीन द्वारा उचित जोखिम मूल्यांकन के बिना प्रायः गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता रहा है।
  - उदाहरणार्थ, वर्ष 2014 में, मोंटेनेग्रो द्वारा एक राजमार्ग परियोजना के वित्तपोषण के लिए चीनी भागीदारों के साथ मिलकर उस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ज्ञातव्य है कि यह इस तथ्य के बावजूद था कि उस परियोजना को दो व्यवहार्यता अध्ययनों के निष्कर्षों में आर्थिक रूप से अव्यवहार्य माना गया था।
- **जानबूझकर ऋण देना और ऋण जाल में फंसाना अर्थात् हानिप्रद ऋण प्रदायगी और ऋण संकट (Predatory Lending and Debt Distress):** चीन द्वारा उन सभी मध्यम और निम्न-आय वाले विकासशील देशों में अत्यधिक निवेश को बढ़ावा दिया गया है, जो ऋण संधारणीयता संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। साथ ही, उनके पास अवसंरचना को प्रत्यक्षतः वित्तपोषित करने हेतु आवश्यक राजकोषीय क्षमता का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त, वे निवेश आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक रूप से भी असमर्थ रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, चीन ने अफ्रीकी देशों जैसे कि इथियोपिया, नाइजीरिया आदि में अनेक अवसंरचनागत परियोजनाओं में निवेश किया है।
- **अपारदर्शी ऋण प्रथाएं:** चीनी सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों/उधारियों पर आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं करवाती है। साथ ही, यह इस संदर्भ में भी स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं करती है कि आवंटित ऋण राशि अथवा ऋण की शर्तें क्या होंगी तथा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहने वाले ऋणग्रस्त देशों के संबंध में कैसे निर्णय किए जाएंगे।
- **उधार लेने वाले देशों के लिए ऋण समाधान सहायता जैसे विकल्पों की अनुपलब्धता:** चीन ऋण संधारणीयता संबंधी समस्याओं के प्रति ऋणग्रस्त देशों हेतु अपने दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी मार्गदर्शक बहुपक्षीय ढांचे के अनुपालन पर बल नहीं देता है। इसके स्थान पर वह मामलों के आधार पर देशों की ऋण निपटान प्रक्रिया को वरीयता प्रदान करता है।
  - प्रायः चीन उधारकर्ता देशों के राजकोषीय कुप्रबंधन का लाभ उठाता रहा है और कर्ज/ऋण उन्मूलन के अन्य उपायों की बजाय इक्विटी स्वैप आधारित ऋण वार्ताओं को अधिमान्यता देता रहा है।
- **सामरिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना:** चीन के साथ अवसंरचनात्मक समझौते प्रायः चीनी फर्मों को संपार्श्विक के रूप में बंधक भूमि और परिसंपत्तियों तक पहुँच एवं उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार, इन विधियों का उपयोग कर चीन ने अनेक देशों में परिसंपत्तियों को अधिग्रहित किया है **(इन्फोग्राफिक देखें)।** इन देशों में ऋण पुनर्वार्ता (Renegotiation) प्रक्रिया के एक भाग के रूप में BRI परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित देश भी शामिल हैं।
  - ये अधिग्रहित परियोजनाएं अपने आर्थिक उपयोग से कहीं अधिक सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, **श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह** का उपयोग हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
- **परियोजनाओं में चीनी हितों का प्रभुत्व:** चीन के लगभग सभी विदेशी ऋण चीन सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किए गए हैं और इन ऋणों के प्राप्तकर्ता भी राज्य स्वामित्व वाले उद्यम हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में अवसंरचनागत परियोजनाओं में चीनी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा श्रम बल में संलग्न है।

- **विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए गैर-सहायिकीकृत और महंगे ऋण का उपयोग:** अधिकतर मामलों में चीन द्वारा प्रदान किए गए ऋण गैर-रियायती और महंगे होते हैं।
    - यह उन्नत औद्योगिक देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसंरचनात्मक ऋण/उधारी के विपरीत है। औद्योगिक देश अविकसित अर्थव्यवस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए सहायिकीकृत एवं रियायती ऋण प्रदान करते हैं।

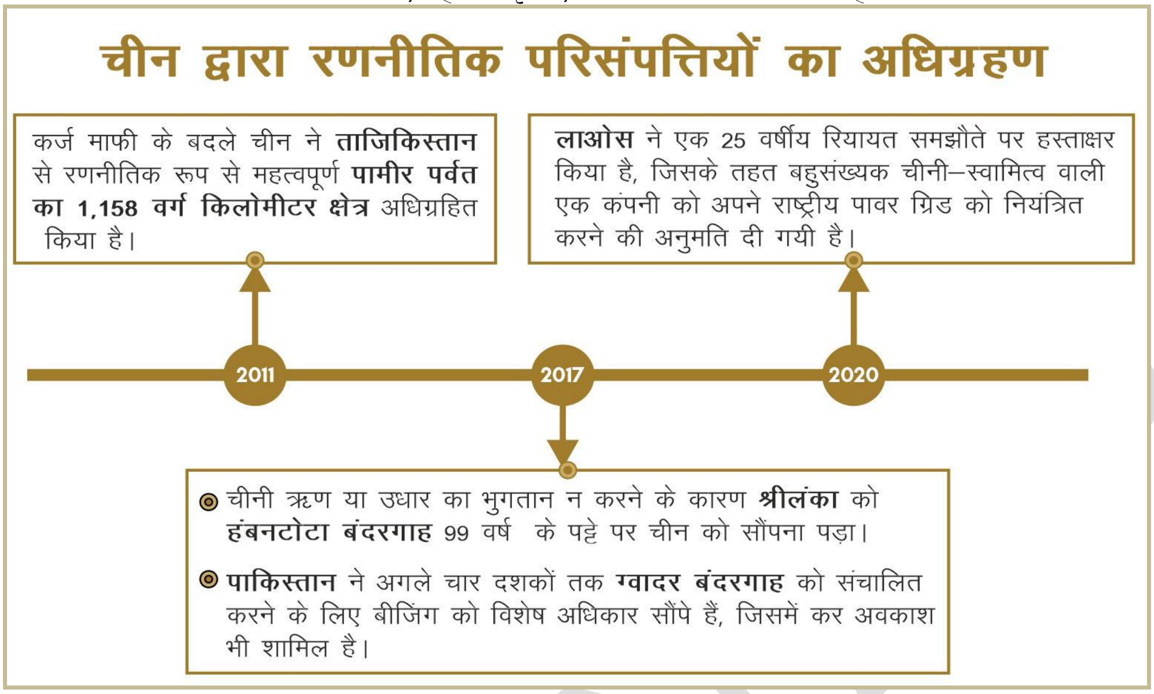

वे कारण जो देशों को ऋण जाल हेतु सुभेद्य बनाते हैं

- **मध्यम और निम्न आय वाले देशों की अवसंरचनात्मक वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताएं:** अवसंरचनागत निवेश को व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हालांकि, राजकोषीय क्षमता के अभाव के कारण मध्यम और निम्न-आय वाले विकासशील देश अवसंरचनागत परियोजनाओं को घरेलू रूप से वित्त पोषित करने में अक्षम होते हैं।
    - BRI में भाग लेने वाले देशों को सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण और विकास के वादे का प्रलोभन दिया जाता रहा है।

- **सुलभ वित्त पोषण का अभाव:** बहुपक्षीय ऋण प्रदाता एजेंसियों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रस्तावित विकास सहायता तक पहुँच प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा उनकी शर्तों को पूरा करना प्रायः कठिन प्रतीत होता है। ऐसे शर्तों के अंतर्गत संरचनात्मक और शासन संबंधी सुधार, समष्टि आर्थिक संकेतकों के लक्ष्य, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण प्रणाली आदि शामिल किए जाते हैं।
    - रक्षोपायों और सुधारों हेतु आवश्यक अनुपालन आवश्यकताओं के संदर्भ में चीनी ऋण उतने कठोर नहीं हैं।
- **अभिशासन से संबंधित मुद्दे:** उदाहरणार्थ, परियोजना के परिचालन से पूर्व पर्याप्त व्यवहार्यता विश्लेषण का अभाव, भ्रष्टाचार, उधार लेने की लापरवाह प्रवृत्ति, राजकोषीय कुप्रबंधन आदि की मौजूदगी ने अव्यवहार्य परियोजनाओं के लिए भी ऋण आवंटन प्रक्रिया को सरल (चीन के लिए) बना दिया है।
    - उदाहरण के लिए, किर्गिस्तान में पूर्व प्रधान मंत्री सपर इसाकोव और जंतोरो सात्यबाल्डीव ने चीनी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर BRI परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधि के गबन हेतु प्रयास किए थे।

आगे की राह

- **पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन:** समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व देशों को उचित जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए।
- **संधारणीय ऋण समाधान और बहुपक्षीय सहयोग:** BRI में शामिल देशों के ऋणग्रस्तता स्तर का अनुमान लगाने के लिए चीन को बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए।
    - इसके साथ ही, इसे संधारणीय ऋण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रथाओं का अनुपालन भी करना चाहिए।
    - चीन **पेरिस क्लब की सदस्यता** ग्रहण कर सकता है, ताकि देशों को ऋण वृद्धि में संधारणीय समाधान प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
        - पेरिस क्लब **आधिकारिक लेनदारों का एक अनौपचारिक समूह है।** यह कर्जदार/ऋणग्रस्त देशों के समक्ष आने वाली भुगतान संबंधी कठिनाइयों के समन्वित और संधारणीय समाधान खोजने में उनकी मदद करता है।
        - चूंकि देनदार देशों को अपनी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखने तथा पुनःस्थापित करने के लिए आर्थिक सुधार करना पड़ता है, इस संबंध में पेरिस क्लब के देनदार ऋणग्रस्त देश को उचित ऋण उपचार सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
        - **भारत** पेरिस क्लब का एक **तदर्थ भागीदार** (स्थायी सदस्य नहीं) है।
- **अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अन्य विकल्प:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी कमियों के निवारण के लिए **चीन समर्थित अवसंरचनात्मक वित्तपोषण के समान अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराना चाहिए।**

अवसंरचना वित्तपोषण के लिए अन्य वैश्विक पहलें

- **ब्लू डॉट नेटवर्क:** यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन), जापान (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) और ऑस्ट्रेलिया (डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड) के वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए आरंभ की गई है। **यह नेटवर्क एक प्रमाणन निकाय के रूप** में कार्य करेगा। साथ ही, यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।**
- **आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र तथा ज्ञान संस्थानों की संयुक्त भागीदारी में संचालित एक साझेदारी है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बनाए रखने के क्रम में जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध नई एवं मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
- **एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor: AAGC):** यह गलियारा **भारत और जापान** के मध्य संपन्न एक आर्थिक साझेदारी समझौता है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में भारत-जापान सहयोग से अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी (संपर्क) में सुधार करना है।
- **यूरोपीय संघ की नई कनेक्टिविटी रणनीति:** सितंबर 2018 में, **यूरोपीय संघ** ने 'कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया - बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एन ई.यू. स्ट्रेटेजी' पर एक संयुक्त पत्र व्यवहार को अंगीकृत किया था। यह रणनीति एक संधारणीय, व्यापक और नियम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मौजूदा एवं नियोजित यूरोपीय संघ नेटवर्क के उपयोग पर बल देती है, ताकि यूरोपीय संघ अपने एशियाई भागीदारों के साथ संपर्क को सुनिश्चित कर सके।
- **ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क (Trans-European Transport Network: TEN-T) नीति:** इस नीति के तहत रेलवे लाइनों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, समुद्री नौवहन मार्गों, बंदरगाहों, विमान पत्तनों और रेलमार्ग टर्मिनलों के **यूरोप-व्यापी नेटवर्क** के कार्यान्वयन एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **वैश्विक अवसंरचना सुविधा (Global Infrastructure Facility: GIF):** यह G20 देशों द्वारा संचालित एक पहल है। यह विकासशील देशों और उभरते बाजारों की संधारणीय व गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक सहयोग मंच है।
- **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पार्टनरशिप:** इसे हाल ही में G7 द्वारा आरंभ किया गया है। यह विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेतृत्व में संचालित एक नई वैश्विक अवसंरचना साझेदारी है। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी ने इस अवसंरचना आवश्यकता को और बढ़ा दिया है।

2.2. भारत की तिब्बत नीति (India's Tibet Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने तिब्बत में **सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया है।** इस राजमार्ग के निर्माण से अब चीन अधिक सुगमतापूर्वक भारतीय राज्य **अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक (अर्थात् दोनों राष्ट्रों के मध्य विवादित क्षेत्रों तक) पहुंच प्राप्त कर सकता है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- ब्रह्मपुत्र नदी के साथ-साथ **विश्व की सबसे गहरी घाटी** से होकर गुजरने वाला यह राजमार्ग, चीन के **न्यिंगची (Nyingchi)** प्रान्त को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मेडोग (Medog) प्रांत से जोड़ने में मदद करेगा। इस राजमार्ग के निर्माण के कारण दोनों प्रान्तों के **बीच की दूरी 346 कि.मी. से घटकर अब 180 कि.मी. हो जाएगी तथा यात्रा में लगने वाले समय में भी आठ घंटे की कमी आएगी।**
- चीन तिब्बत के लिए **सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लिंक** पर भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उपग्रहों द्वारा प्राप्त छवियों में यह देखा गया है कि चीन द्वारा उन क्षेत्रों में भी **गांव बसाये जा रहे हैं,** जिन्हें अरुणाचल के एक हिस्से के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- असैन्य बस्तियों के साथ-साथ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण को **सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीनी नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से देखा जाता है।**

तिब्बत का संक्षिप्त इतिहास

1. **7वीं शताब्दी ईस्वी** – पहली बार देश के रूप में संगठित।
2. **822 ईस्वी** – चीन के साथ शांति संधि के द्वारा सीमा का निर्धारण।
3. **1244 ईस्वी** – मंगोलों द्वारा विजित होने के बाद तिब्बत ने युआन वंश के अधीन पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त की।
4. **1630 के दशक से 1717 ईस्वी तक** – तिब्बत चीन में मंगोल व मांचू वंशों के मध्य सत्ता के संघर्ष में शामिल रहा।
5. **1724 ईस्वी** – मांचू (किंग/Qing) राजवंश ने तिब्बत पर शासन के लिए रेजिडेंट आयुक्त नियुक्त किया।
6. **1850 का दशक** – रूसी व ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा ने तिब्बत को सभी विदेशियों को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर किया।
7. **वर्ष 1903** – ब्रिटिश भारत द्वारा अल्पकाल के लिए तिब्बत पर किए गए आक्रमण के बाद रूस, चीन तथा ब्रिटिश भारत के मध्य यह बफर स्टेट बन गया।
8. **वर्ष 1913** – कई दशकों से ब्रिटेन व चीन द्वारा नियंत्रण करने के प्रयासों का प्रतिकार करने के बाद अपनी आजादी की मांग को पुनः दृढतापूर्वक सामने रखा।
9. **वर्ष 1914** – शिमला सम्मेलन ने मैकमोहन रेखा का निर्माण किया, जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से पृथक किया।
10. **वर्ष 1950** – चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया।

तिब्बत का महत्व

तिब्बत विश्व का **सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार** है, जो लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तारित है। इसकी समुद्र तल से **औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक** है। तिब्बत से दूर स्थित किसी भी राष्ट्र के या किसी सैन्य संचालन के विरुद्ध यह भूभाग प्राकृतिक रूप से **एक विशाल बफर या अवरोध के रूप में कार्य** करता है। हालांकि, चीन और भारत के लिए इसका विशेष महत्व है:

चीन के लिए महत्व

- **भू-रणनीतिक और भू-राजनीतिक:** दक्षिण एशिया में अपनी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्तार करने के लिए चीन तिब्बत को एक **रणनीतिक मार्ग** के रूप में देखता है। हालांकि, माओ ने कहा था कि **तिब्बत चीन की हथेली है** और **लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश** उसकी **उंगलियां** हैं। साथ ही, चीन इसे अपने पश्चिमी छोर पर स्थित देशों तक पहुँचने के एक साधन के रूप में भी चिन्हित करता है तथा यह चीन एवं दक्षिण व मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region:TAR)

- 1950 के दशक में तिब्बत पर आधिपत्य के तुरंत पश्चात्, चीन ने तिब्बत को कई भू-खंडों में विभाजित कर दिया था। जिस भाग को चीन द्वारा **तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR)** के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह तिब्बत के पठार का लगभग आधा हिस्सा ही है।
- TAR, प्रांतीय स्तर पर चीन के पाँच स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है, जिसे **क्षेत्रीय नृजातीय स्वायत्तता के आधार पर संचालित** किया जाता है।
- विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा चीन पर तिब्बत में राजनीतिक और धार्मिक दमन तथा मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हालांकि, चीन इस प्रकार के किसी भी दुर्व्यवहार से इनकार करता रहा है।

- **जल स्रोत:** प्रायः इसे **'एशिया का जल स्तंभ'** कहा जाता है। तिब्बत के ग्लेशियर एशिया की विशाल नदियों (ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांग्त्ज़ी, सिंधु, येलो और साल्विन) के लिए एक विशाल जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पठार का **खनिज युक्त जल,** क्षेत्र के प्रथम व्यावसायिक रूप से उपयोगी संसाधनों में से एक बन गया है।
- **आंतरिक स्थिरता: चीन के पश्चिमी विकास अभियान** (China's Western Development Campaign) के एक हिस्से के रूप में चीन के निर्धन पश्चिमी भीतरी क्षेत्रों और समृद्ध पूर्वी समुद्री तटों के मध्य संसाधन अंतराल को कम करने के लिए, चीन ने तिब्बत के विकास हेतु अरबों का निवेश किया है।
- **खनिज संसाधन:** चीन का **सबसे बड़ा तांबे का निक्षेप** तिब्बत की तांबे की खदान यूलोंग में स्थित है। तिब्बत में बड़ी मात्रा में **लौह, सीसा, जस्ता और कैडमियम** भी पाए जाते हैं। ये खनिज चीन की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि तिब्बत में महत्वपूर्ण **कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार** भी मौजूद हैं।
- **पर्यटन क्षमता:** शांगरी ला सर्कल के अंतर्गत **तिब्बत, सिचुआन और युन्नान के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र** शामिल हैं। इसे पहले से ही **एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन विकास क्षेत्र** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है।

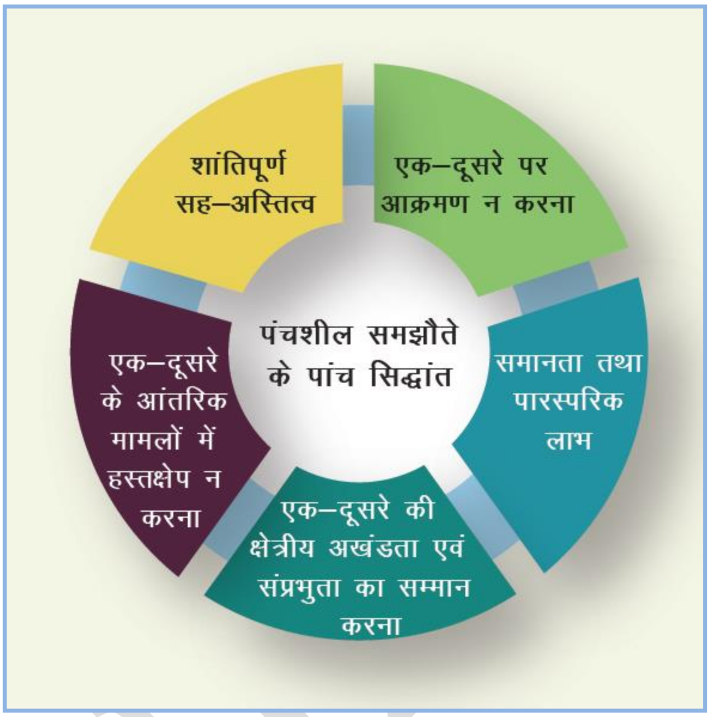

भारत के लिए महत्व

- **भू-रणनीतिक:** रणनीतिक रूप से, तिब्बती भारत के लिए **प्रथम रक्षा पंक्ति** रहे हैं। भारत और चीन के मध्य एक **पारंपरिक बफर राज्य** के रूप में तिब्बत की अनुपस्थिति ने **भारत-तिब्बत सीमा को चीन-भारतीय सीमा में रूपांतरित** कर दिया है। शिमला कन्वेंशन (वर्ष 1914) को लेकर चीन द्वारा विरोध प्रकट किया जाता रहा है तथा चीन के अनुसार तिब्बत को पृथक रूप से संधियों को समाप्त करने का 'कोई अधिकार प्राप्त नहीं' था।
- **भारत-चीन संबंधों में एक कारक के रूप में तिब्बत:** तिब्बत में निर्माणकारी गतिविधियों और चीनी सरकार एवं तिब्बतियों के बीच संबंधों ने चीन-भारतीय संबंधों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तिब्बत में सापेक्षिक शांति की स्थिति, भारत और चीन के मध्य **संबंधों को बेहतर बनाने में सहयोग करती है।** जब चीन-तिब्बत तनाव बढ़ता है, तो चीन के साथ भारत के संबंध भी विकृत होने लगते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम (Tibet Policy and Support Act: TPSA)

- TSPA को मुख्य रूप से **तिब्बत के मुख्य शहर ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना** करने, **दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर** तिब्बतियों को पूर्ण अधिकार प्रदान करने और तिब्बत के सांस्कृतिक **पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए** अधिनियमित किया गया था।
- यह **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA)** को औपचारिक रूप से विश्व भर में तिब्बती प्रवासियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली वैध संस्था के रूप में स्वीकार करता है।

- **पारिस्थितिक महत्व:** तिब्बती पठार, एशियाई मानसून को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और **दोनों ध्रुवों के इतर हिमनदों का यह सबसे बड़ा संकेंद्रण है।**
- **संस्कृति और धर्म:** बौद्ध धर्म को तिब्बत में भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तिब्बत को **दलाई लामा** का अधिवास स्थल माना जाता है, जो भारतीय बौद्धों के लिए एक सम्मानित एवं धार्मिक नेता हैं।

तिब्बत और वर्तमान नीति पर भारत का पक्ष

- तिब्बत पर चीनी आक्रमण के उपरांत, तिब्बती सरकार द्वारा **संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप** की मांग की गई थी किंतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बल देते हुए यह कहा था कि संबंधित पक्षों के द्वारा **एक शांतिपूर्ण समाधान** निकाला जा सकता है। भारत ने वर्ष 1952 में **ल्हासा में एक अपने एक पूर्ण मिशन को केवल महावाणिज्य दूतावास (Consulate General) के रूप में पदावनत कर दिया था।**
- **पंचशील समझौता** या **"भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के मध्य व्यापार और परस्पर अंतःक्रिया हेतु समझौते (1954)"** के पश्चात्, भारत ने तिब्बत में सैन्य सुरक्षा, डाकघर, टेलीग्राफ आदि जैसे **राज्यक्षेत्रातीत अधिकार त्याग दिए थे।** अंततः भारत ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि **तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है।**

- वर्ष 1959 में ल्हासा के **तिब्बती गृह विद्रोह** के कारण दलाई लामा और लगभग 80,000 तिब्बतियों को निर्वासित होना पड़ा था, जिन्होंने **भारत, नेपाल और भूटान में शरण ली** थी। तिब्बत के निर्वासित प्रशासन या **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration: CTA)** को आरंभ में मसूरी में स्थापित किया गया था, परन्तु बाद में इसे धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया।
- भारत में दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित प्रशासन की उपस्थिति को **वर्ष 1962 के युद्ध को उत्पन्न करने वाले कारकों में से एक के रूप में** संदर्भित किया गया है। साथ ही, तिब्बत भारत-चीन संबंधों में **तनाव का एक शाश्वत स्रोत भी** बन गया है।
- तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में चिन्हित करने वाले भारत के मत को **वर्ष 1988 में दोहराया** गया था। हालांकि, वर्ष 2003 में भारत ने **तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र** को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक राज्यक्षेत्रीय हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की थी।
- वर्तमान में, भारत में निवास करने वाले तिब्बतियों पर **एक कार्यकारी नीति (न कि कानून) लागू की गई** है, जिसे **तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014** के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह नीति मुख्य रूप से भारत में निवास करने वाले **तिब्बतियों के कल्याण पर** केंद्रित है और तिब्बत के मूल मुद्दों से रहित है, अर्थात् तिब्बत में विनाशकारी चीनी नीतियां एवं तिब्बतियों की तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग से रहित है।
- **भारत ने एक चीन सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है** और तिब्बत कार्ड अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रणनीतिक लाभ हेतु तिब्बत का उपयोग करने से दूर ही रहा है। "एक-चीन" सिद्धांत के तहत चीन, **तिब्बत, ताइवान और शिनजियांग** को चीन के एक अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित करता है।

नीति परिवर्तन में बाधाएं

- तिब्बत के भू-दृश्य में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा चीनी संस्कृति को मुख्यधारा में लाने के अतिरिक्त इसे **और अधिक आत्मनिर्भर बनाने एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक नौकरियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जा रहा है।**
- भारत के तिब्बती शरणार्थी अपनी मातृभूमि के **विकास से वंचित हैं।** नीति में किसी भी परिवर्तन के दौरान इस बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-18 की अवधि में भारत के अनुभव से ज्ञात होता है कि "तिब्बत कार्ड" लाभ प्रदान करने की बजाए **उकसाने वाला** ही रहा है। उदाहरण के लिए, दलाई लामा के भारत में शरण ने **चीन को वैश्विक मंचों पर भारत के विरुद्ध अपनी शत्रुतापूर्ण स्थिति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया है।**
- तिब्बत चीन के लिए एक **"मुख्य मुद्दा"** है और इस मामले में भारत की नीति में किसी भी बदलाव को चीन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला माना जाएगा।
- यह चीन को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में **विद्रोहियों को पुन: समर्थन** प्रदान करने के लिए भी उकसा सकता है।

नीति में परिवर्तन की आवश्यकता

- **विकृत होते चीन-भारत संबंध:** हाल के दिनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) के आस-पास बढ़ती घुसपैठ तथा **वर्ष 2018 में वुहान सम्मेलन** और **वर्ष 2019 में चेन्नई कनेक्ट** के दौरान निर्मित विश्वास के समाप्त होने के कारण, विगत कुछ महीनों में भारत व चीन के मध्य **द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक क्षति** पहुंची है।
- **चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति:** शक्ति संतुलन मुख्यतः वृहद पैमाने पर **चीन के पक्ष में स्थानांतरित होता जा रहा है।** हालांकि, विश्व में भारत रक्षा पर व्यय करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, तथापि भारत की तुलना में चीन लगभग चार गुना अधिक व्यय करता है। **इसकी वायु और नौसैनिक शक्ति भारत की तुलना में बेहतर है। सैन्य बलों और सैन्य शस्त्रागार की संख्या** के मामले में भी चीन भारत से आगे है।
- **भारत की वैश्विक आकांक्षाएं:** अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अधिक प्रमुख भूमिका के लिए तिब्बत की नीति सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण के लिए यह नीति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में, **चीन की आक्रामकता को तीव्र करती है।**
- **आर्थिक क्षति:** वर्ष 1954-2019 के बीच, तिब्बत पर चीन के लगातार आधिपत्य से भारतीय करदाताओं को 462.8 अरब अमेरिकी डॉलर (मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के समायोजन के बिना) अर्थात् प्रत्येक वर्ष लगभग 7.16 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई है।
- **राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना:** जिस सीमा तक बीजिंग अपने नीतिगत अभिशासन के अंतर्गत नृजातीय तिब्बतियों की निष्ठा के प्रति और इसकी विलय संबंधी बाह्य वैधता को लेकर संशयग्रस्त है, तो इस स्थिति में चीन के लिए हिमालय में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा पाना कठिन होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना भारत के हित में होगा कि चीन तिब्बत पर अपने आधिपत्य को सुदृढ़ न कर पाए।

आगे की राह

- वर्तमान समय की मांग यह है कि अपने हितों और सीमाओं पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, न केवल तिब्बत और तिब्बती शरणार्थियों के बारे में, बल्कि **संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र** के विषय में भी **विचार किया जाना चाहिए।** इस दिशा में कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है:
    - चीन के एक भाग के रूप में तिब्बत की मान्यता **तिब्बत की स्वायत्तता के आलोक** में और वास्तविक रूप से उसकी अखंडता पर निर्भर होनी चाहिए। भारत को **तिब्बत की स्वायत्तता** की बहाली के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।
    - प्रधान मंत्री कार्यालय के तहत उत्तरी सीमांत और तिब्बती मामलों के कार्यालय के गठन हेतु प्रयास करने चाहिए।
- **इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है। साथ ही, **CTA को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने** तथा **तिब्बतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय** (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका का तिब्बत नीति एवं समर्थन अधिनियम) का समर्थन प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय कूटनीति को सक्रिय करने की आवश्यकता है।
- तिब्बत में **स्वायत्तता और सामान्य स्थिति की बहाली** के लिए **दलाई लामा की पांच सूत्री शांति योजना** (जिसमें तिब्बत को शांति के क्षेत्र में परिवर्तित करना और मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करना शामिल है) का संदर्भ लिया जा सकता है।·

2.3. भारत की फिलिस्तीन नीति (India's Palestine Policy)

सुर्ख़ियों मे क्यों?

हाल ही में, गाज़ा पट्टी में **इज़रायल और फिलिस्तीनी गुटों** के मध्य हिंसक संघर्ष हुआ था। यह **इज़रायल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम पर सहमत होने के साथ समाप्त हुआ है।**

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि

- **विवाद का मूल:** अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इज़रायल और फिलिस्तीन के मध्य सहमति नहीं बन पाई है, जैसे-
    - फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए?
    - क्या अधिकृत वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बने रहने देना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए?
    - क्या दोनों पक्षों के मध्य यरूशलम को साझा किया जाना चाहिए?
    - क्या इज़रायल के साथ एक फिलीस्तीनी राज्य का भी निर्माण किया जाना चाहिए?
- **इज़रायल** का अभी भी **वेस्ट बैंक** पर अधिकार है और यह **गाज़ा पट्टी** से हट गया है, लेकिन, संयुक्त राष्ट्र अभी भी इसे अधिकृत क्षेत्र के रूप में ही मानता है।
    - **हमास** अनेक फिलीस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूहों में सबसे बड़ा है, जिसका गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण है।
- **इज़रायल संपूर्ण यरुशलम पर अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है,** जबकि फिलिस्तीन **पूर्वी यरुशलम** पर भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में दावा करता है।

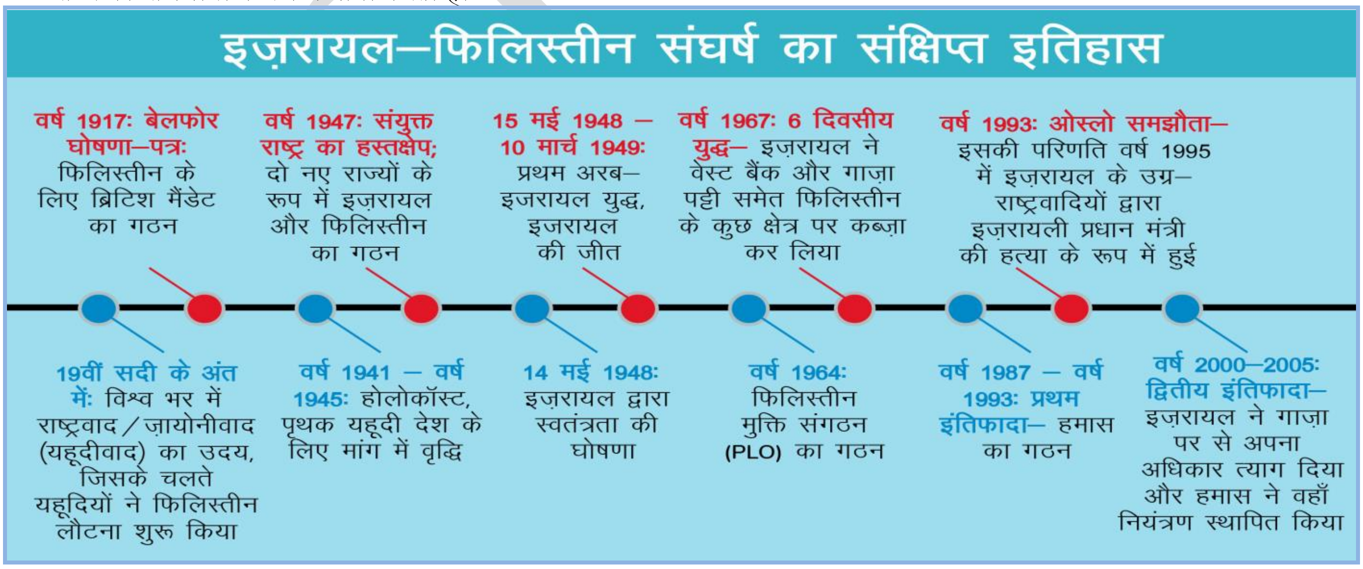

भारत की इज़रायल-फिलिस्तीन नीति क्या रही है?

- **प्रारंभिक चरण:**
    - **भारत ने वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इज़रायल के निर्माण के विरुद्ध मतदान किया था** और फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया था।

- **शीत युद्ध का चरण:**
    - शीत युद्ध की अवधि के दौरान, इज़रायली अधिग्रहण के विरुद्ध भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप फिलिस्तीन को अपना नैतिक एवं कानूनी समर्थन प्रदान किया था। साथ ही, फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का एक दृढ़ समर्थक बना रहा था।
    - **वर्ष 1967 के छह दिवसीय के युद्ध** के दौरान जब इज़रायल ने **फिलिस्तीन के 78% क्षेत्रों पर अधिकार** कर लिया था, तो भारत ने वर्ष 1967 की सीमा पर आधारित एक **स्वतंत्र व संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का समर्थन** किया था तथा भारत ने पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी के रूप में स्वीकार किया, जिसकी सीमा इज़रायल के साथ लगती है। इस प्रकार भारत **दो राज्य समाधान नीति** का समर्थनकर्ता रहा है।
- **मैड्रिड शांति सम्मेलन:**
    - **वर्ष 1991 के मैड्रिड सम्मेलन** (जहां **दो राज्य समाधान** पर सहमति हुई थी) और सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन के उपरांत **भारत ने वर्ष 1992 में इज़रायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे,** परन्तु वह फिलिस्तीनियों का सदैव समर्थक बना रहा है।
- **समसामयिक चरण:**
    - हालांकि, वर्ष 2017 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भारत यात्रा के दौरान भारत की नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस दौरान भारत ने **पूर्वी यरुशलम और वर्ष 1967 की सीमा** (पूर्व में और शीत युद्ध के दौरान भारत इसी सीमांकन को आधार मानता था) का संदर्भ देना त्याग दिया।
    - वर्ष 2018 में, भारत ने **डी-हाइफ़नेशन की नीति** अपनाई, जिसका सीधा सा अर्थ है कि **इज़रायल के साथ भारत के स्वतंत्र संबंध हैं। साथ ही, भारत को अपने हितों के आधार पर इन संबंधों को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है तथा यह फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से भिन्न होंगे।**
    - इज़रायल और फिलिस्तीन (हमास) के बीच हालिया हिंसा के उपरांत, संयुक्त राष्ट्र में **भारत ने 'न्यायपूर्ण फिलिस्तीनी हित' और द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता एवं अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है।**

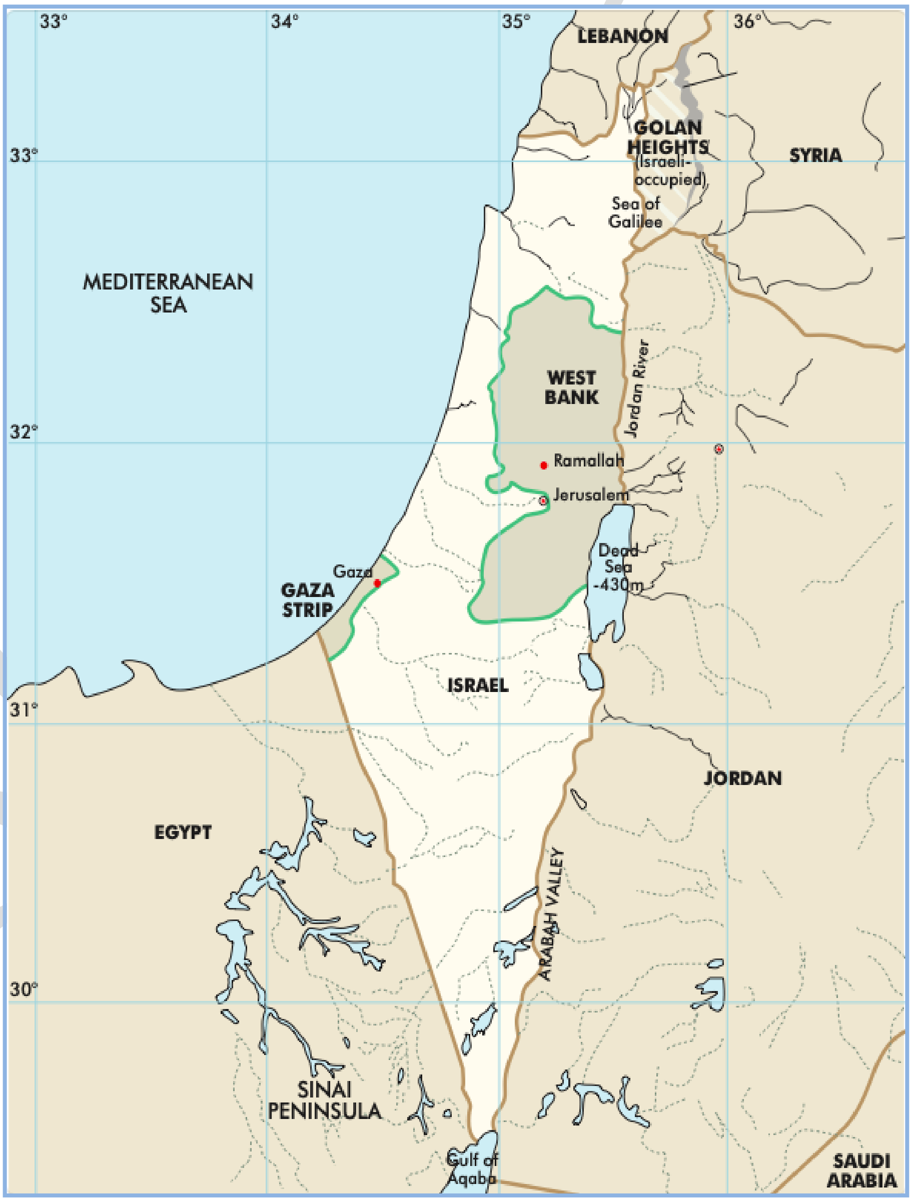

भारत की नीति के पीछे तर्क

फ़िलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन निम्नलिखित कारणों से प्रेरित है:

- **भारतीय मूल्यों के अनुरूप:** फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति सदैव भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप रही है, अर्थात् साम्राज्यवाद विरोधी, नस्लवाद विरोधी, विश्व भर में स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन आदि।
- **मध्य-पूर्व सहयोग:** भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है और इसके लिए मध्य-पूर्व के इस्लामी देशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है।
    - फिलिस्तीन का विरोध करने से, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **कश्मीर मुद्दे** को उठाने के लिए तुर्की, मलेशिया आदि देशों को शामिल कर एक अखिल-इस्लामिक गठबंधन के निर्माण का प्रयास कर सकता है।

* **वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता हेतु आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने के लिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्यों में से **इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation: OIC)** के 57 सदस्य देशों के समर्थन की भी आवश्यकता है।

फ़िलिस्तीन को दिए गए समर्थन का आधार डी-हाइफ़नेशन नीति रही (आर्थिक, सामाजिक और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्तर पर इज़रायल के साथ बढ़ते संबंधों के कारण इस नीति का आश्रय लिया गया था) है। उदाहरण के लिए, इज़रायल भारत के साथ बराक 8 मिसाइल जैसी कई संयुक्त रक्षा परियोजनाओं के विकास में संलग्न है।

यरूशलम का धार्मिक महत्व

* यरूशलम वस्तुतः यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्मों के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है:
    * **अल अक्सा मस्जिद**, इस्लाम समुदाय हेतु विश्व का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
    * **वेस्टर्न वाल,** यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल है।
    * **चर्च ऑफ द होली सेपल्कर,** यह यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने और उनके समाधि स्थल पर निर्मित एक चर्च है, जिसे ईसाई धर्म एक पवित्र स्थल मानता है।

द्विराष्ट्र समाधान (Two-State Solution) क्या है?

* यह एक स्वतंत्र एवं संप्रभु **फिलिस्तीन राज्य** (अर्थात् देश) और एक स्वतंत्र व संप्रभु **इज़रायली राज्य** के शांतिपूर्ण अस्तित्व को संदर्भित करता है।
* **वर्ष 1937 के पील आयोग की रिपोर्ट** में फिलिस्तीन के ब्रिटिश मैंडेट में यहूदी और अरब राज्यों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया था। इसके तहत फिलिस्तीन को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना था, यथा- **एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और पवित्र स्थानों वाले एक तटस्थ क्षेत्र के रूप में।**
* वर्ष 1947 के **फिलिस्तीन संबंधी संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना** में भी यही उपबंध दोहराया गया था, परन्तु उस समय **अरबों द्वारा अस्वीकार** कर दिया गया था।
* हालांकि, वर्ष 1991 में **अमेरिकी मध्यस्थता वाले मैड्रिड शांति सम्मेलन** के दौरान **द्विराष्ट्र समाधान** पर सहमति प्रदान कर दी गई थी।
* भारत फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं और इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए **द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है।**

भारत की इज़रायल नीति से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

* **भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक मुद्दों पर निष्क्रिय बने रहने की अनुमति नहीं देती हैं:** भारत का इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच संतुलनकारी कार्य जारी है। परन्तु, जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति बेहतर होगी, वैसे-वैसे इन मुद्दों पर तटस्थ पक्ष अपनाना इज़रायल के लिए कठिन होता जाएगा।
* **भारत द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन एवं भारत का आतंकवाद के प्रति रुख, दोनो में विरोध है:** अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच अंतर करने के विचार के खिलाफ भारत का वैश्विक रुख उसे फिलिस्तीनी शासन में आतंकवादी गतिविधियों (हमास द्वारा) का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है।

निष्कर्ष

भारत की नीति की सफलता इस क्षेत्र में **इसके संतुलनकारी कार्यों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।** इसे मजबूत करने का सबसे उचित/बेहतर तरीका एक पूर्वानुमेय, सैद्धांतिक और निष्पक्ष पक्ष अपनाना हो सकता है। इस प्रकार का पक्ष भारत को स्थिति के अनुसार **अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए लचीलापन प्रदान करेगा**, साथ ही साथ इसे भू-राजनीतिक रूप से सैद्धांतिक पक्ष अपनाने में सक्षम भी बनाएगा।

2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-यूनाइटेड किंगडम के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

* इस शिखर सम्मेलन के दौरान **द्विपक्षीय संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" (Comprehensive Strategic Partnership)** तक बढ़ाने के लिए "रोडमैप 2030" अपनाया गया है।

- यह रोडमैप आगामी दस वर्षों में **लोगों से लोगों तक संपर्क, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई व स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में गहन तथा सुदृढ़ भागीदारी** को बनाए रखने में मदद करेगा।
- इससे पूर्व, वर्ष 2004 में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने संबंधों को द्विपक्षीय स्तर से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी तक पंहुचा दिया था।

रोडमैप 2030				
देशों और लोगों को जोड़ना	**व्यापार और समृद्धि**	**रक्षा और सुरक्षा**	**जलवायु**	**स्वास्थ्य**
• G-20, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर **सहयोग और समन्वय को मजबूत करना।** • **व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी को लागू करना।** • **भावी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए साझेदारी हेतु प्रयास** करना। • भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए **"भारत-यू.के. टुगेदर"** ('साथ-साथ') पहल को समर्थन प्रदान करना।	• **उन्नत व्यापार भागीदारी (Enhanced Trade Partnership: ETP) आरंभ करना,** जो एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को शामिल करती हो। • आई.टी. और डिजिटल तकनीक, **स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे सेवा क्षेत्र में विनिमय एवं सहयोग बढ़ाना।** • उत्पादन-से संबद्ध प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर **यू.के. की कंपनियों को भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।**	• वर्ष 2015 में स्वीकृत **रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी (Defence and International Security Partnership: DISP) के तहत सहयोग का विस्तार करना।** • पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक साझेदारी के माध्यम से **नौवहन और सार्वभौमिक पहुंच की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना तथा समुद्री सहयोग में सुधार करना।** • महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और टीकों आदि पर द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से **साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।**	• COP26 में एक **वैश्विक हरित ग्रिड पहल** आरंभ करना, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं की राजनीतिक उद्घोषणा तथा भारत के **'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' (One Sun One World One Grid- OSOWOG)** के विज़न को पूरा करने में मदद करने के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग शामिल है।	• **टीके, चिकित्साविधान और निदान पर भारत-यू.के. साझेदारी विकसित करना** तथा **अप्रैल 2022 तक समान वैश्विक आपूर्ति की गारंटी में** सहायता करते हुए, कोविड-19 से संबंधित वितरण नीति, नैदानिक परीक्षण, विनियमन, अनुसंधान और नवाचार विकसित करने के लिए यू.के.-भारत वैक्सीन हब का विस्तार करना।

भारत के लिए यू.के. का महत्व

- **आर्थिक:**
  - **व्यापार:** वर्तमान में भारत और यू.के. के बीच व्यापार बढ़कर **15.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें 2 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में रहा है।** ब्रेक्जिट के पश्चातवर्ती दौर में व्यापार के अधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि यू.के. (ब्रिटेन) यूरोपीय संघ (ई.यू.) बाजार के लोप के विकल्प के रूप में विश्व भर के उभरते बाजारों के साथ व्यापार संबंध विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है।
    - यू.के. से भारत में मुख्य रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में परिधान और वस्त्र उपस्कर, विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीनरी और उपकरण, पेट्रोलियम, सूती धागे, कपड़े, जूते आदि शामिल हैं।
    - यू.के. से भारत में मुख्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं में विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीनरी और उपकरण, अलौह धातु, सामान्य औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण व मशीनें, परिवहन उपकरण, पेय पदार्थ आदि शामिल हैं।

भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement: FTA) की संभावना

- वर्चुअल समिट के दौरान एक **उन्नत व्यापार साझेदारी (Enhanced Trade Partnership: ETP)** की घोषणा करते हुए, **यू.के. सरकार ने वक्तव्य जारी किया है कि ब्रिटेन और भारत के मध्य इस वर्ष के अंत में औपचारिक FTA पर वार्ता को प्रारंभ किया जाएगा।**
  - ETP के एक हिस्से के रूप में भारत और ब्रिटेन ने एक व्यापक एवं संतुलित FTA पर बातचीत करने के लिए एक रोडमैप पर सहमति जताई है, जिसमें जल्द-से-जल्द लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए एक 'अंतरिम व्यापार समझौते' पर विचार करना भी शामिल है। भारत और ब्रिटेन के बीच उन्नत व्यापार साझेदारी से दोनों देशों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- पूर्व में भारत द्वारा यू.के. के साथ (ब्रेक्ज़िट के पूर्व यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में) एक **व्यापक-आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते (Broad-based Trade and Investment Agreement: BTIA) पर वार्ता करने हेतु प्रयास किए गए थे।**
  - हालांकि भारत-यूरोपीय संघ के मध्य BTIA पर वार्ता को वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था, परन्तु व्यापारिक निर्यात तथा अधिक से अधिक बाजार पहुंच से संबंधित बढ़ते मतभेदों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जा सके हैं।

- **निवेश:** भारत, यू.के. में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है और ब्रिटेन में 1,10,000 से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाली भारतीय कंपनियों के साथ यह दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उभरा है। जबकि **यू.के. भारत में चौथा सबसे बड़ा आंतरिक निवेशक है** (मॉरीशस, सिंगापुर और जापान के उपरांत) तथा भारत में सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लगभग 7% का प्रतिनिधित्व करता (अप्रैल 2000-जून 2018 के मध्य) है।
- **सामरिक:** अमेरिका और चीन के बीच प्रतिकूल संबंधों को देखते हुए **भारत ने ऑस्ट्रेलिया व जापान जैसी लोकतांत्रिक मध्यवर्ती शक्तियों के साथ अपनी भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किए हैं।** ऐसा ही ध्यान अब यू.के. जैसे देशों पर केंद्रित किया जा रहा है, जो हिंद-प्रशांत में एक सुनम्य व्यवस्था को स्थापित करने के सामूहिक प्रयास में योगदान कर सकते हैं।
  - यू.के. भी फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य भागीदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, एशिया में क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल हो कर तथा रॉयल नेवी की उपस्थिति को बढ़ाकर एक सार्थक भूमिका निभा सकता है।
  - **वैश्विक रक्षा बिक्री में यू.के. की हिस्सेदारी लगभग 16% है,** परन्तु भारतीय रक्षा बाजार में इसकी हिस्सेदारी दशकों से गिरकर लगभग 2% हो गई है।
- **चीन पर निर्भरता को कम करना:** दोनों देश सक्रिय रूप से चीन के आर्थिक जोखिम को कम करने और अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में, चीनी भागीदारी को रोकने हेतु प्रयासरत हैं। (अभी हाल में यू.के. ने अपने 5 जी नेटवर्क के लिए हुवावे उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।)
  - इस संदर्भ में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा प्रस्तावित आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) यू.के. को विशेष लाभ प्रदान कर सकती है।
- **आतंकवाद विरोधी एजेंडे के लिए समर्थन:** यू.के. ने संयुक्त राष्ट्र में चरमपंथी समूह जैश-ए-मोहम्मद के नेता को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में नामित करने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में विफल रहने पर पाकिस्तान की सार्वजनिक निंदा करने जैसे प्रयास किए हैं।
- **ब्रिटेन की वृद्ध जनसंख्या:** ब्रिटेन के कार्यबल का बढ़ता अनुपात सेवानिवृत्ति के निकट है, यह स्थिति भारत के लिए श्रम बल के अंतर को कम करने की दिशा में एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकती है।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यू.के. में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोग अधिवासित हैं। ये लगभग 1.8 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान करते हैं। जैसे-जैसे भारतीयों का आकार, प्रसार और प्रभाव बढ़ेगा, वैसे-वैसे प्रवासियों का भारत में योगदान करने की क्षमता में भी अत्यधिक वृद्धि होगी।

भारत-यू.के. संबंधों से जुड़े मुद्दे

- **औपनिवेशिक दृष्टिकोण:** भारतीय राजनीतिक और नौकरशाही वर्गों के बीच यू.के. के विरुद्ध उपनिवेशवाद-विरोधी आक्रोश सदैव उत्पन्न होता रहा है।
- **भारत का जटिल कारोबारी परिवेश:** कर, आयात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जटिल कानून तथा भारत के राज्यों के मध्य परिवर्तित कारोबारी परिवेश व्यापार व निवेश में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **यू.के. की आप्रवास नीतियां:** लोगों की आवाजाही पर सीमाएं यू.के.-भारत संबंधों में एक प्रमुख बाधा है। कुशल श्रमिकों, छात्रों और पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था अप्रिय, महंगी तथा जटिल बनी हुई है।
- **रक्षा सहयोग:** यू.के. के पास भारत को हथियारों की बिक्री के लिए अंतर्सरकारी ढांचा मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी बजाय यह वाणिज्यिक-आधारित लेनदेन पर निर्भर है।
  - भारत के अधिकांश बड़े हथियारों की खरीद, अब विदेशी सैन्य बिक्री/अंतर्सरकारी लेनदेन के रूप में होती है।

- **पाकिस्तान और चीन के साथ निकटता:** इन मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग करने के बावजूद, यू.के. के प्रयास (पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर यू.के. की कथित नरमी और चीन को ब्रेक्जिट के बाद की आर्थिक नीति के विकल्प के रूप में प्रयोग करने के कारण) भारत की सामरिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं रहे हैं।
- **लेबर पार्टी का हालिया व्यवहार:** हाल ही में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का कश्मीर और हाल ही के किसान आंदोलन सहित भारत की घरेलू राजनीति में अधिक हस्तक्षेप परिलक्षित हुआ है।

आगे की राह

- **नई वैश्विक आर्थिक भागीदारी का निर्माण:** भारत और यू.के. दोनों अपने-अपने क्षेत्रीय गुटों को सुदृढ़ करने हेतु तैयार हैं। इसका कारण यह है कि यू.के. ने यूरोपीय संघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया है तथा वहीं भारत ने भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
- **हिन्द-प्रशांत का प्रबंधन:** यू.के. द्वारा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, तथा वहीं भारत इसमें एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में शामिल है। क्षेत्रीय संतुलन को बहाल करने के लिए भारत को यथासंभव व्यापक गठबंधन की भी आवश्यकता अनुभव हो सकती है।
- **कोविड-19 महामारी का प्रबंधन:** भारत और यू.के. को स्वास्थ्य क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग एवं वायरस के विरुद्ध वैश्विक युद्ध में योगदान प्राप्ति की दिशा में उपलब्ध अपार संभावनाओं का दोहन करना चाहिए।
- भारत में टीके के उत्पादन में तेजी लाने से लेकर एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना तक की संभावनाएं मौजूद हैं।
- **पोस्ट ब्रेक्जिट साझेदारी:** भारत के लिए, यह अत्यधिक वांछनीय परिदृश्यों की एक श्रृंखला को शामिल करता है जैसे यू.के. के साथ मुक्त व्यापार समझौते का शीघ्र क्रियान्वयन, सेवा क्षेत्र के लिए बेहतर परिवेश, कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर आदि।
- **व्यापक सहयोग:** यू.के. और भारत शहरीकरण, डिजिटलीकरण तथा कौशल विकास जैसी भारतीय महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा, विज्ञान और रचनात्मक उद्योगों आदि के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

2.5. फरजाद-बी गैस क्षेत्र (Farzad-B Gas Field)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में फरजाद-बी गैस क्षेत्र को घरेलू स्तर पर ही विकसित करने के ईरान के निर्णय ने भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की विदेशी निवेश शाखा **'ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड' (OVL)** के एक लाभकारी अनुबंध में शामिल होने की संभावना को समाप्त कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- फरजाद-बी गैस भंडार के अन्वेषण को लेकर सहमति न बन पाना भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान में यह हालिया दूसरा भारतीय निवेश प्रस्ताव है जो असफल रहा है।
- इससे पूर्व वर्ष 2020 में, ईरान ने भारत के सहयोग के बिना ही अफगानिस्तान की सीमा के साथ, **चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक** रेल लाइन निर्माण का निर्णय लिया था।

फरजाद-बी गैस क्षेत्र में भारत की गैर-संलिप्तता हेतु उत्तरदायी कारण

- **मूल्य निर्धारण पर असहमति:** फरजाद-बी गैस रिज़र्व में मुख्य रूप से **निम्न गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस (जिसमें मीथेन गैस की उच्च सांद्रता पाई जाती है)** के भंडार वाला एक क्षेत्र है। इसे सल्फर की अधिक सांद्रता के कारण सोर ग्रेड (sour grade) के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर **उर्वरक फीडस्टॉक** के रूप में किया जाता है। हालांकि, इस गैस के मूल्य निर्धारण को लेकर ईरान द्वारा भारत पर अतिरिक्त दबाव (क़तर से आयातित बेहतर गुणवत्ता वाली गैस की कीमतों के समान ही कीमतें बनाये रखने हेतु) बनाया जा रहा था।
- **नौकरशाही संबंधी विलंब:** नौकरशाही की शिथिल कार्यप्रणाली के कारण सरकार से सरकार के स्तर पर पारस्परिक रूप से संतोषजनक प्रक्रिया में वार्ता करने में, भारत की ओर से अधिक विलंब हुआ है।
- **ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव:** ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों के कारण, ईरान में आधारभूत अवसंरचना की विकास संबंधी परियोजनाओं में आर्थिक प्रतिबंधों के भय से वैश्विक कंपनियों की भागीदारी बाधित हुई है।
  - शुरूआती दौर में वर्ष 2010 के दौरान प्रथम अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण फरजाद बी परियोजना में भारत की भागीदारी बाधित हुई थी। वर्ष 2015 में, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) के तहत अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। तत्पश्चात भारत ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए ईरान के साथ एक संशोधित समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। हालांकि, वर्ष 2018 में अमेरिका JCPOA से बाहर हो गया था तथा ईरान पर नए प्रतिबंध आरोपित कर दिए थे। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी विकास की प्रक्रिया पुन: अवरुद्ध हो गई।
- **चीनी प्रभाव:** चीन और ईरान ने हाल ही में 25 वर्षों की अवधि वाले एक सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कथित तौर पर इसके तहत चीन ईरान में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा संसाधनों के निर्माण के लिए 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

ईरान में भारत के निवेश का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपने उपभोग हेतु आवश्यक प्राकृतिक गैस का लगभग 45 प्रतिशत आयात करता है। फरजाद-बी में निष्कर्षण (Recoverable) योग्य गैस भंडार भारत के कुल भंडार का लगभग आधा है। इससे गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में पर्याप्त मदद मिल सकती थी, क्योंकि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना था।
- **अफगानिस्तान तक पहुँच:** चाबहार बंदरगाह और **चाबहार-जाहेदान रेल परियोजना** सहित अन्य संबंधित परिवहन नेटवर्क, अफगानिस्तान के साथ व्यापार को विकसित करने और सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु आवश्यक हैं। साथ ही, ये आवागमन के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता को भी कम करते हैं।

फरजाद-बी गैस क्षेत्र के बारे में

- फरजाद-बी फारस की खाड़ी (ईरान) में अवस्थित एक **अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है।**
- यह **ईरान और सऊदी अरब की सीमा** पर फ़ारस के खाड़ी में अवस्थित है।
- फरजाद-बी गैस फील्ड' में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिज़र्व है। इसमें से 60 प्रतिशत तक गैस निकाली जा सकती है।
- गैस फील्ड में गैस कंडेंनसेट्स मौजूद हैं। इनमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है।
- इस क्षेत्र की खोज वर्ष 2008 में भारत के सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की विदेशी निवेश शाखा OVL द्वारा की गई थी।

ईरान में अन्य भारतीय निवेश: चाबहार बंदरगाह

- यह ऊर्जा संपन्न ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- इसे **भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से** वस्तुओं एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए बहुविध परिवहन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- गुजरात के कांडला बंदरगाह से चाबहार की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और चाबहार से मुंबई की दूरी लगभग 1450 किलोमीटर है। इस प्रकार यह बंदरगाह **भारत से भौगोलिक रूप से निकट भी है।**
- इस बंदरगाह पर दो टर्मिनल निर्मित किए गए हैं- **शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती।**
- शाहिद बेहिश्ती को भारत, अफगानिस्तान और ईरान द्वारा **वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित, त्रिपक्षीय पारगमन समझौते** के तहत संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- भारत को चाबहार में शहीद बेहिश्ती बंदरगाह पर दो टर्मिनल और पांच बर्थ (Berths) विकसित करने तथा संचालित करने के लिए 10 वर्षों का पट्टा प्रदान किया गया है।

- **मध्य एशिया से संपर्क:** ईरान की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से मध्य एशिया में प्राकृतिक संसाधनों के एक समृद्ध भंडार तक भारत की भू-राजनीतिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
- **हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति के प्रतिसंतुलन हेतु किए जाने वाले प्रयास के संबंध में:** भारत के लिए चाबहार का सामरिक महत्व किए गए प्रतिसंतुलन संबंधी प्रयासों (चीन-पाकिस्तान बंदरगाह परियोजनाओं, उदाहरणार्थ चाबहार से 100 समुद्री मील से कम दूरी पर स्थित ग्वादर बंदरगाह का प्रतिसंतुलन) में निहित है।
- **क्षेत्रीय संपर्क में भारत का नेतृत्व:** निकट भविष्य में, चाबहार बंदरगाह और रेल परियोजना को प्रस्तावित **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor: INSTC)** से जोड़ने हेतु परिकल्पित किया गया था। इसके तहत मुंबई एवं मास्को को भी जल तथा स्थल मार्ग से जोड़ा जा सकता है।
- **ईरान-भारत संबंधों का सुदृढ़ीकरण:** परियोजना विकास में सहयोग के माध्यम से, ईरान के साथ निर्मित घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। ईरान के साथ घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं-
    - **मध्य एशिया में स्थिरता बनाए रखने** और इस क्षेत्र में आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए **हितों के अभिसरण को प्रोत्साहित करने हेतु।**
    - **अफगान शांति वार्ता में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु:** भारत सक्रिय रूप से "अफगान-स्वामित्वाधीन, अफगान-नेतृत्वाधीन और अफगान-नियंत्रित" शांति प्रक्रिया का पक्षकार रहा है। ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध, शांति वार्ता में भारत को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ईरान ने अफगानिस्तान में शांति के पक्ष में और वर्तमान परिस्थितियों के विकास में एक प्रमुख भूमिका

निभाई है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में तालिबान को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया है।

- **तेल आयात:** ईरान वर्ष 2017-18 में इराक और सऊदी अरब के उपरांत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है और यह कुल आवश्यकताओं का लगभग 10% आपूर्ति करता था। हालांकि वर्ष 2019 के मध्य में, भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया गया था। वर्तमान में भारत, प्रतिबंधों के हटते ही पुन: आयात प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है।

निष्कर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन में परिवर्तन के उपरांत राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में, ईरान पर कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। साथ ही, यू.एस.ए. संयुक्त व्यापक कार्य योजना में पुन: शामिल हो सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भावी एकीकरण से, ईरान की भू-राजनीति में नाटकीय रूप से परिवर्तन हो सकते हैं। संभवतः ईरान-भारत संबंधों में स्थिरता आएगी। साथ ही, विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि ईरान आगामी चरण में फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास में भारत को शामिल करने का इच्छुक है। इस प्रकार, भारत को परियोजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक नौकरशाही और कूटनीतिक माध्यम स्थापित करने के अवसर का उपयोग करना चाहिए।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

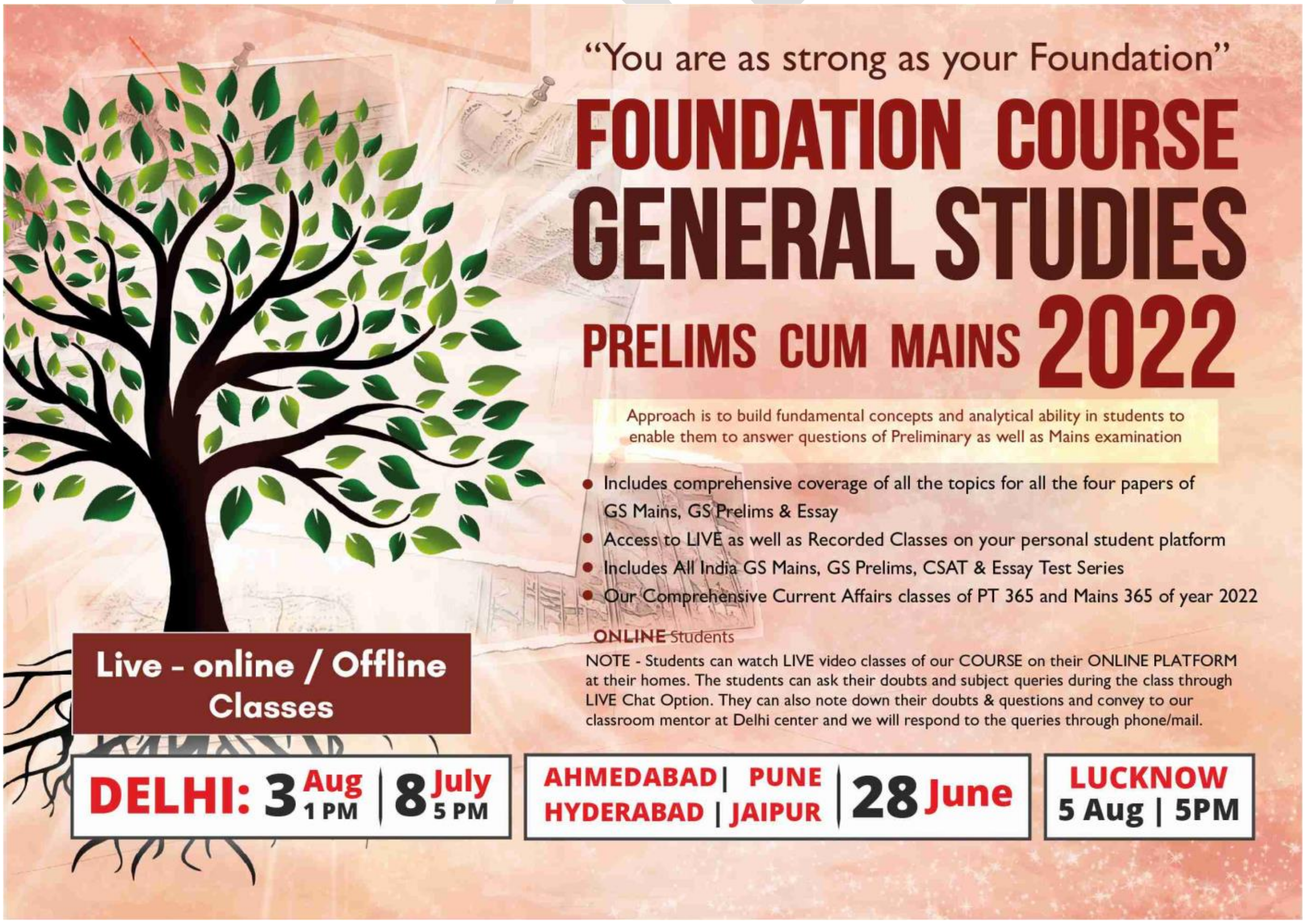

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु **'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' (Scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure)** के विषय में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का फैसला लिया गया है अर्थात् राज्यों को अगले 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम 12,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।
    - इसने वैश्विक महामारी के वर्ष के दौरान **राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में** सहायता प्रदान की थी।
    - ज्ञातव्य है कि **पूंजीगत व्यय से** विशेष रूप से निर्धनों और अकुशल लोगों के लिए **रोजगार सृजित होता** है। इसका अर्थव्यवस्था और समाज पर **अत्यधिक गुणात्मक प्रभाव होता** है। साथ ही, यह अर्थव्यवस्था की भविष्य संबंधी उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणामस्वरूप **आर्थिक संवृद्धि की उच्चतर दर बनी रहती है।**
- वर्तमान में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

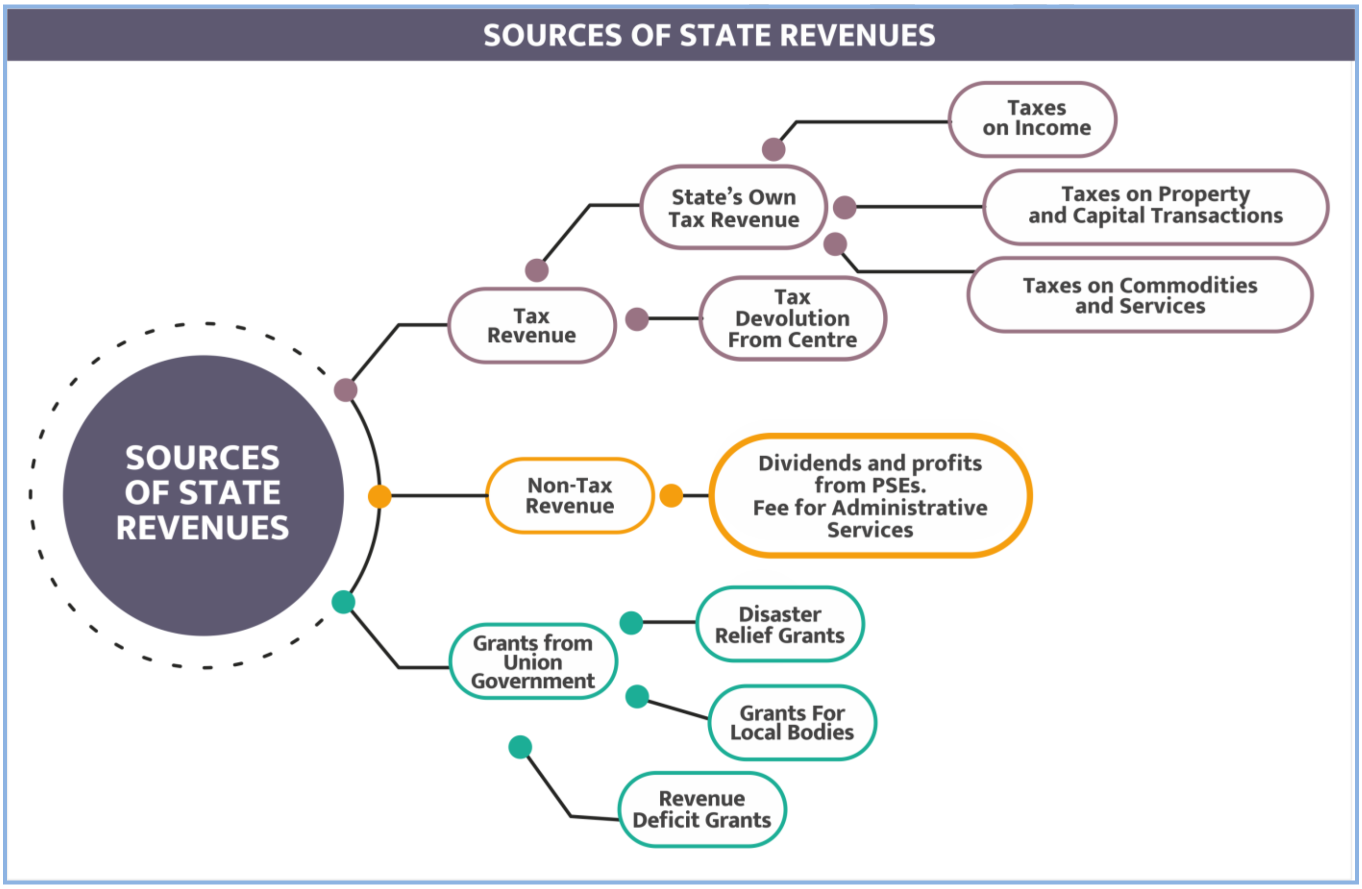

राज्य वित्त का महत्व

- **रोजगार:** राज्य अब केंद्र सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक व्यय करते हैं और केंद्र की तुलना में **पांच गुना अधिक लोगों को नियोजित** करते हैं। न केवल भारत के सकल घरेलू उत्पाद को निर्धारित करने में राज्यों की भूमिका केंद्र की तुलना में वृहत्तर है, बल्कि **वे वृहद रोजगार सृजनकर्ता** भी हैं।
- **समष्टि आर्थिक स्थिरता:** वैश्विक महामारी के दौरान, राज्यों द्वारा बाजार से अत्यधिक मात्रा में ऋण लिया गया। राज्यों द्वारा **अत्यधिक मात्रा में ऋण लेने की प्रवृत्ति** का अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों, व्यवसायों के लिए नए कारखानों में निवेश करने हेतु धन की उपलब्धता और नए श्रमिकों को रोजगार देने की निजी क्षेत्रक की क्षमता के संबंध में **गंभीर निहितार्थ** होता है।

- **ऋण संबंधी संधारणीयता:** वैश्विक महामारी के दौरान **ऋण-GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के उच्च अनुपात के आलोक में** राजस्व जुटाने में राज्यों की अक्षमता से एक दुष्चक्र (vicious cycle) आरंभ हो सकता है। इसमें राज्यों को अपने निवासियों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु नई परिसंपत्तियों का सृजन करने के बजाय अपने राजस्व के अधिकांश भाग का उपयोग ब्याज का भुगतान करने हेतु करना पड़ सकता है।

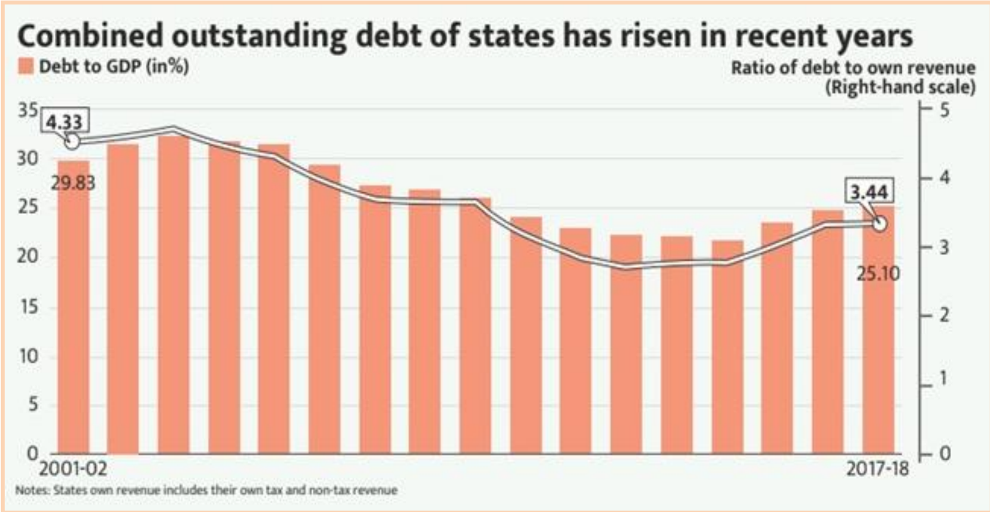

राज्य वित्त से संबंधित मुद्दे

- **कर संग्रह में गिरावट:** आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केंद्र सरकार के **सकल कर संग्रह** में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% के समतुल्य गिरावट आई है। इसके अंतर्गत, राज्यों के लिए **कर राजस्व में गिरावट** ने राज्यों को अत्यधिक प्रभावित किया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए कर राजस्व के मुख्य स्रोत **वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax: GST)** के राजस्व संग्रह में 15-25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

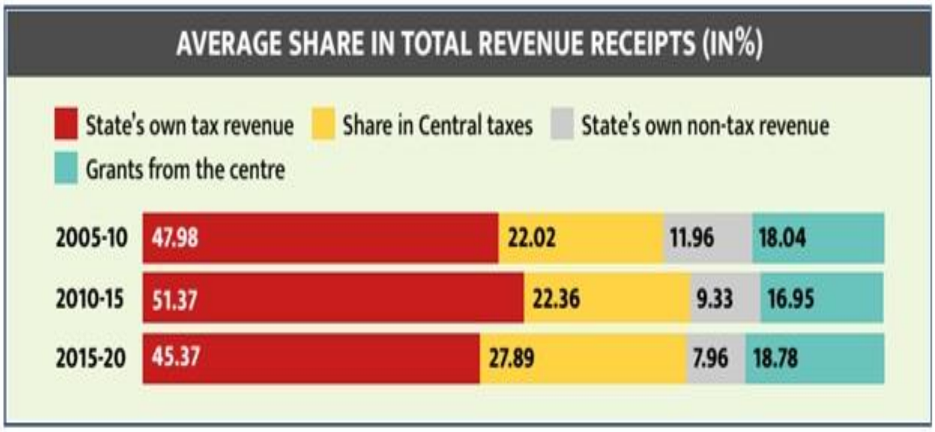

- **विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को कम करना:** उपकर (Cess) और **अधिभार** (Surcharges) पर केंद्र की अत्यधिक निर्भरता के कारण, **केंद्र के सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue: GTR**) में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 के 36.6% से कम होकर वित्त वर्ष 2020 में 32.4% हो गई।

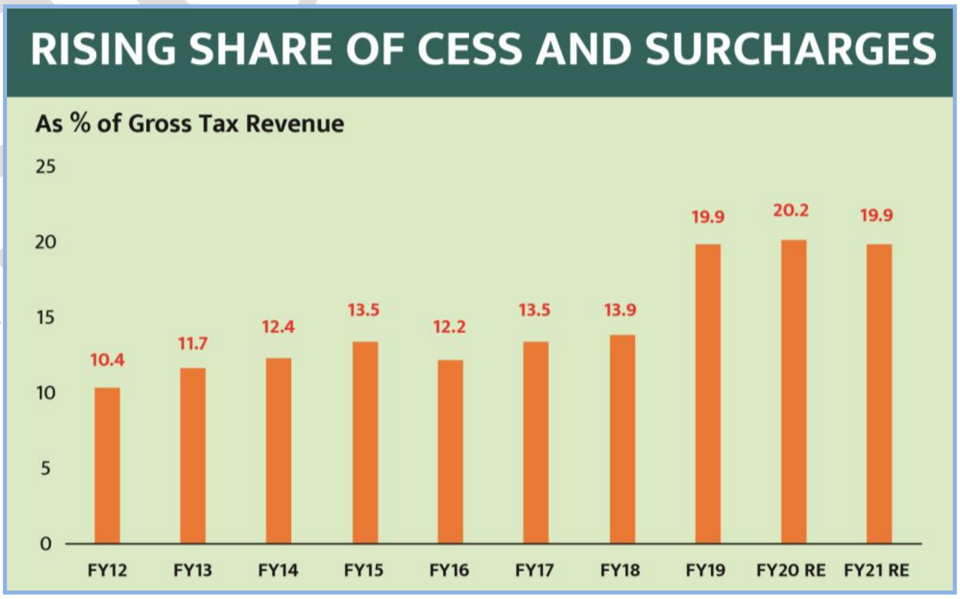

- **ऋण पर बढ़ती निर्भरता:** वर्ष 2015-21 की अवधि के दौरान, **राज्यों द्वारा अपने कुल व्यय के 20% की पूर्ति को ऋण** के माध्यम की गई है, जिसमें से पंजाब (45%), हरियाणा (30%) और पश्चिम बंगाल (30%) जैसे कुछ राज्य अपने व्ययों को पूरा करने के लिए ऋण पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
    - हाल ही में, **भारतीय रिज़र्व बैंक** ने राज्य स्तर पर बढ़ते लोक ऋण (Public debt) के बारे में आगाह किया है। **वर्ष 2014 से राज्यों के स्वयं के राजस्व के अंश के रूप में लोक ऋण में वृद्धि हुई है।**

- **लोकलुभावनवाद:** राजनीतिक वर्ग में विस्तारवादी राजकोषीय नीति की प्रवृत्ति रही है, जो भविष्य में गठित होने वाली सरकारों पर आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है और इस प्रकार, इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किसानों की ऋण माफी संबंधी घोषणाएं इसका एक उदाहरण है।
- **विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति:** राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई कुल बकाया गारंटी का 60% से अधिक **विद्युत क्षेत्रक की कंपनियों** के लिए प्रदान किया गया है। भविष्य में डिस्कॉम से संबंधित बकाया गारंटी में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार डिस्कॉम्स की निरंतर घाटे में रहने के स्थिति और बकाया ऋण में वृद्धि **राज्यों की वित्त व्यवस्था के लिए प्रणालीगत जोखिम** उत्पन्न करती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति में गिरावट:** किसी राज्य के GST संग्रह में गिरावट की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उपकर (Cess) के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है। **कम उपकर संग्रह और उच्च क्षतिपूर्ति की आवश्यकता** के परिणामस्वरूप राज्यों को प्रदान की जाने वाली GST क्षतिपूर्ति में गिरावट हुई है। **(इन्फोग्राफिक्स देखें)**

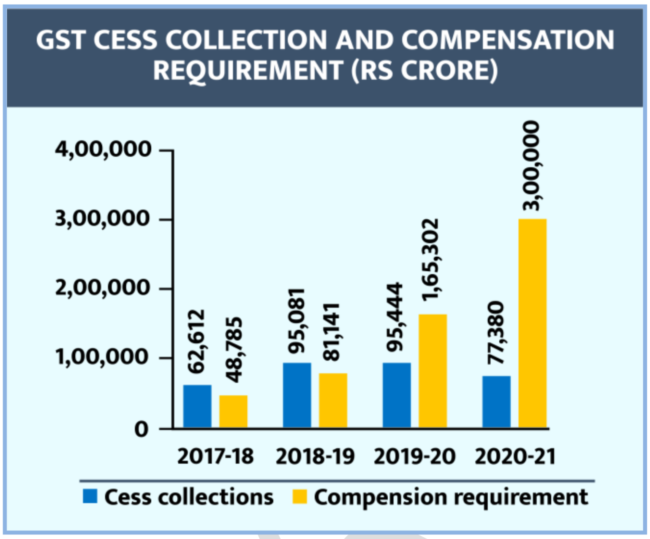

वैश्विक महामारी के प्रकोप और इससे संबद्ध आर्थिक मंदी के कारण ये मुद्दे और जटिल हो गए थे।

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राज्य वित्त में सुधार करने हेतु उठाए गए कदम

- **ऋण लेने की सीमा में वृद्धि करना:** केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों हेतु ऋण लेने की सीमा को **वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से बढ़ाकर 5%** कर दिया गया है। यह राज्यों द्वारा विशिष्ट सुधारों को पूरा करने की दशा में उन्हें लगभग 4 ट्रिलियन रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के उपाय:** राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों और बाजार से ऋण लेने के मामले में अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए, **ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधाओं की उपलब्धता** के संबंध में कुछ छूटों की अनुमति दी गई है।
  - तदनुसार, **एक तिमाही में OD के दिनों की अधिकतम संख्या को 36 से बढ़ाकर 50 दिन** और **OD** के क्रमागत दिनों (लगातार OD की सुविधा वाले दिन) की संख्या को 14 से बढ़ाकर 21 दिन किया गया है।
  - राज्यों की **अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance: WMA) सीमाओं** में वृद्धि की गई है।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक:** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) के तहत अनुदानों के रूप में राज्यों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

दीर्घावधि में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु आगे की राह

- **15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं:**
  - इसने अनुशंसा की है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को **ऋण समेकन (debt consolidation)** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपने संबंधित **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियमों के अनुसार** राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों को कम करना चाहिए।
  - इसने अनुशंसा की है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को **अतिरिक्त बजटीय ऋण को पूर्ण रूप से प्रकट** करना चाहिए तथा इन देनदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर समयबद्ध रूप से चुकाया जाना चाहिए।
  - आयोग ने **कर आधार का विस्तार करने, कर की दरों को सुव्यवस्थित करने** तथा सरकार के सभी स्तरों में **कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाने** की अनुशंसा की है।
- **राज्यों द्वारा वैश्विक महामारी के बाद की वित्तीय प्रतिक्रिया:** राज्यों द्वारा मुख्य रूप से अधिक उत्पादक उच्च गुणात्मक प्रभाव वाली पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यय को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - जनसांख्यिकीय और सह-रुग्णता क्षेत्रों के अनुरूप **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में निवेश करना** तथा **शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना** राज्यों की राजकोषीय रणनीति का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- **ऋण प्रबंधन:** केंद्र की तरह, राज्य द्वारा भी वांछित प्रति-चक्रीयता को अपनाकर और ऋण को मध्यम अवधि वाले साधन के रूप में शामिल करके **अपने वित्तीय विधानों को संशोधित करने** पर विचार किया जाना चाहिए।

- **उपकरों और अधिभारों पर कम निर्भरता: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** के अनुसार, दीर्घावधि से लागू सभी उपकरों, जहां इनसे प्राप्त निधियां अप्रयुक्त हों और उनका निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के प्रमाण हों, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
    - भविष्य में, उपकर को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के लिए और उस राशि के स्पष्ट अनुमान, जिसे केंद्र सरकार उपकरों के माध्यम से जुटाने का लक्ष्य रखती है, के साथ आरोपित करना चाहिए।
- **वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति:** क्षतिपूर्ति के मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान आर्थिक संवृद्धि को और अधिक बढ़ावा देने में निहित है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद् को अपने द्वारा प्रस्तावित कर संबंधी परिवर्तनों पर नियमित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए और राजस्व पर प्रभाव के बजाय आर्थिक संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका परीक्षण करना चाहिए।

3.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने भंडार से केंद्र सरकार को अधिशेष (व्यय से अधिक आय) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के अंतरण को मंज़ूरी दी।

RBI अधिशेष कैसे उत्पन्न करता है?

RBI की आय	RBI का व्यय

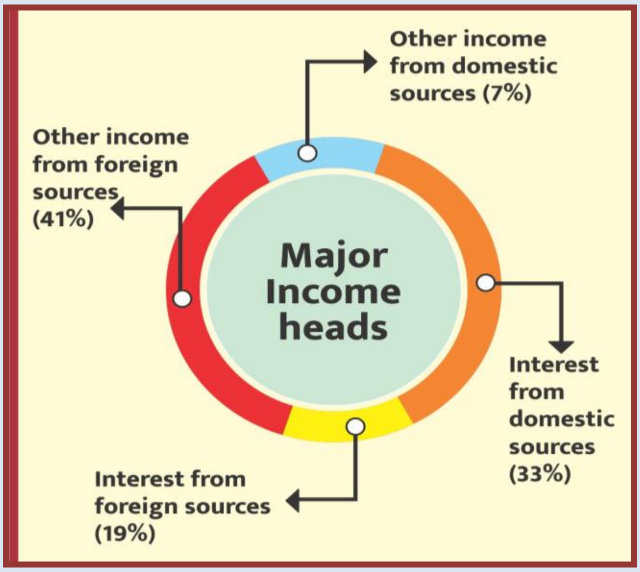
 	
RBI की आय मुख्य रूप से आती है:
• **घरेलू स्रोतों से प्रतिफल:** इसमें ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज, चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) संचालनों आदि पर ब्याज शामिल हैं।
• **घरेलू स्रोतों से अन्य आय:** इसमें रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि, कमीशन इत्यादि शामिल हैं।
• **विदेशी स्रोतों से प्रतिफल:** इसमें विदेशी मुद्रा जमाराशियों से ब्याज, रेपो/रिवर्स रेपो से संबंधित लेनदेन पर ब्याज आदि शामिल हैं।
• **विदेशी स्रोतों से अन्य आय:** इसमें विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/ हानि, विदेशी मुद्रा लेन-देन से लाभ/हानि इत्यादि शामिल हैं।
	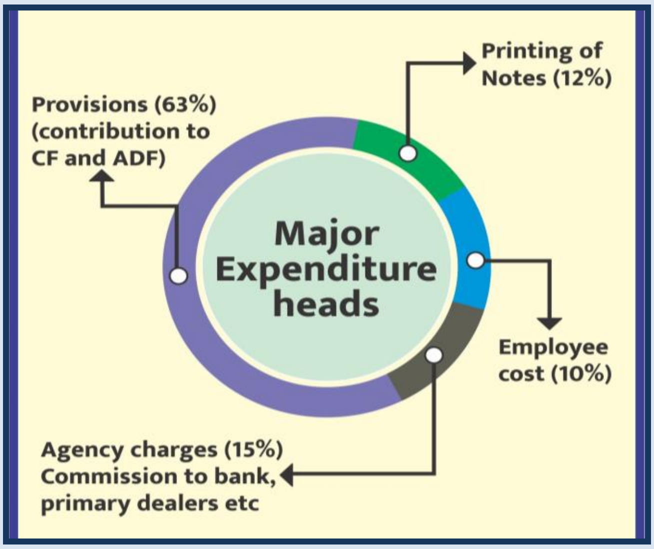
	
	RBI का व्यय मुख्य रूप से होता है:
	• **RBI के भंडार में जोखिमों के लिए व्यवस्था करना:** आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF) और परिसंपत्ति विकास निधि (Asset Development Fund: ADF) के रूप में।
	  ○ **आकस्मिकता निधि (CF):** यह दूसरा सबसे बड़ा कोष है जिसे विनिमय दर संचालनों और मौद्रिक नीति निर्णयों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित (डिज़ाइन) किया गया है।
	    ▪ इसका निधि का अत्यधिक भाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित लाभ से वित्त पोषित होता है।
	  ○ **परिसंपत्ति विकास निधि (ADF):** यह सहायक कंपनियों और संबद्ध संस्थानों में निवेश तथा आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
	• **नोटों का मुद्रण।**
	• **एजेंसी प्रभार:** इसमें बैंकों, प्राथमिक डीलरों आदि को दिया जाने वाला कमीशन शामिल है।
	• **कर्मचारी लागत।**

समग्र रूप से,

- **भारतीय रिज़र्व बैंक का कुल व्यय उसकी कुल निवल ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है,** जिससे अधिशेष सृजित होता है।

RBI सरकार को अधिशेष कैसे अंतरित करता है?

- **RBI को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है** और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचे हुए अधिशेष को सरकार को अंतरित करना पड़ता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47** (अधिशेष लाभों का आवंटन) **के अनुसार,** भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष को अंतरित करता है।
- अतीत में, केंद्र सरकार को **अंतरित की** जाने वाली **अधिशेष की आदर्श राशि निर्धारित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।** इन समितियों की अध्यक्षता वर्ष 1997 में वी. सुब्रह्मण्यम, वर्ष 2004 में उषा थोराट और वर्ष 2013 में वाई. एच. मालेगाम तथा वर्ष 2018 में बिमल जालान ने की थी।
- इससे पूर्व, RBI **इस अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा अपनी आकस्मिकता निधि (CF) और परिसंपत्ति विकास निधि (ADF) के लिए रखता था।** हालांकि, **मालेगाम समिति (वर्ष 2013) की अनुशंसाओं के बाद सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष की मात्रा बढ़ गई।**
- बाद में, बिमल जालान समिति ने एक संशोधित **आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework: ECF)** प्रदान किया। **ECF** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत जोखिम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने हेतु एक पद्धति प्रदान करता है।
  - इस संशोधित ECF के अनुसार, **RBI द्वारा केंद्र को अनिवार्य रूप से अंतरित की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नलिखित दो कारकों के आधार पर किया जाता है:**
    - **वसूल की गई इक्विटी (Realized equity)** (वास्तव में CF में अनिवार्य रूप से मौजूदा राशि): CF को भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की 6.5% से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए और अधिशेष राशि सरकार को अंतरित की जानी होती है।
    - **आर्थिक पूंजी** {अनिवार्य रूप से मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA)}: इसे तुलन-पत्र के **20-24.5%** सीमा में रखा जाना चाहिए और शेष को सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए।

इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष तेजी से क्यों बढ़ा है?

- **प्रावधान राशि (Provisioning amount) में कमी के कारण कम व्यय होना** उच्चतर अधिशेष के प्रमुख कारणों में से एक है।
  - इस बार, RBI ने घोषणा करते हुए **CF को 5.5% के न्यूनतम आवश्यक बफर स्तर** को बनाए रखने का निर्णय लिया है और सरकार को अधिकतम संभव अधिशेष प्रदान किया है।
- RBI के अधिशेष में वृद्धि को इसके **खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations) से उच्चतर आय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि** से भी संबंधित माना जा सकता है।
- एक अन्य कारण **लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operations: TLTROs) भी हो सकता है।**
  - **TLTROs का संदर्भ** लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन से होता है जो विशिष्ट क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए **बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।**

सरकार को अधिशेष अंतरित करने के पक्ष में तर्क

- **राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को बनाए रखना:** अतिरिक्त अधिशेष का अंतरण सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और यहां तक कि कम करने का बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- **ब्याज दरों को कम रखना:** इस व्यापक अधिशेष के अंतरण से सरकार को अपने योजनाबद्ध ऋण में कटौती करने और ब्याज दरों को अपेक्षाकृत कम रखने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा, यह निजी कंपनियों को बाजार से धन जुटाने के लिए संभावनाएं भी प्रदान करेगा।

- **अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना:** इस कदम से सरकार को ऐसे समय में सहायता मिलने की उम्मीद है जब भारत वस्तुतः मंद उपभोग मांग और अपर्याप्त निवेश के कारण आरंभ हुई आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है।
- **राजस्व संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना:** यह सरकार को **राजस्व और कर संग्रह** में आई गिरावट को प्रतिसंतुलित करने में सहायता करेगा।
- **वैश्विक मानदंड:** RBI का भंडार RBI के तुलन-पत्र का लगभग 26% है। इस संबंध में वैश्विक औसत 16% ही है।

सरकार को अधिशेष अंतरित करने के विरुद्ध तर्क

- **RBI के पास पर्याप्त आकस्मिक निधि की आवश्यकता:** वित्तीय आघातों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से निपटने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और बाजारों को विश्वास प्रदान करने के लिए RBI के पास पर्याप्त आकस्मिक निधि उपलब्ध होनी चाहिए।
    - इसके विपरीत, वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में अधिशेष के अंतरण ने यह चिंता उत्पन्न कर दी है कि सरकार अपने तात्कालिक व्ययों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए RBI का सहारा ले सकती है, जिससे केंद्रीय बैंक प्रभावी ढंग से सरकार के लिए कार्य करने वाले बैंकर के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
- **स्वायत्तता बनाए रखना:** कम पूंजी की स्थिति RBI को पूंजी संबंधी आवश्यकता के समय सरकार की ओर रुख करने के लिए विवश करेगी। इससे केंद्रीय बैंक के परिचालन पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा।
- **RBI की विश्वसनीयता पर प्रभाव:** इसके कारण रुपये के मूल्य को बनाए रखने की RBI की क्षमता में निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।

निष्कर्ष

- **कोविड-19 संकट** ने विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में **ऋण संधारणीयता के समक्ष व्यापक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की** है। साथ ही, **बढ़ते राजकोषीय घाटे, विनिवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में संभावित गिरावट** आदि से सरकार के राजकोषीय संबंधी संसाधनों पर दबाव बना रहेगा।
- **वर्तमान में RBI द्वारा किए गए अधिशेष के अंतरण से आघातों को सहन करने में कुछ सहायता प्राप्त होगी।** हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन अधिशेष निधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। हालिया वर्षों के दौरान वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की भागीदारी में गिरावट होती रही है। इस बार, **केंद्र को RBI के अधिशेष धन** को अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर संधारणीय गुणात्मक प्रभाव डालने वाले **उत्पादक उपयोग में नियोजित करने की आवश्यकता होगी।**

3.3. भारत में बेरोजगारी (Unemployment in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर वर्ष 2020 में बढ़कर 7.11% (तीन दशकों में उच्चतम) हो गई।

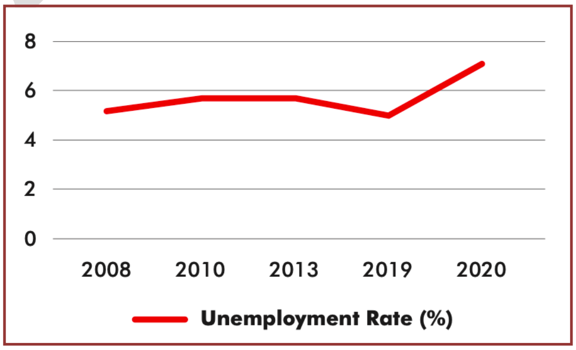

पृष्ठभूमि

कोविड-19 संकट से पहले ही भारत मंद आर्थिक संवृद्धि तथा बढ़ती बेरोजगारी का सामना कर रहा था। ये समस्याएं वैश्विक महामारी तथा उससे संबद्ध लॉकडाउन के पश्चात् नाटकीय रूप से बढ़ती चली गईं।

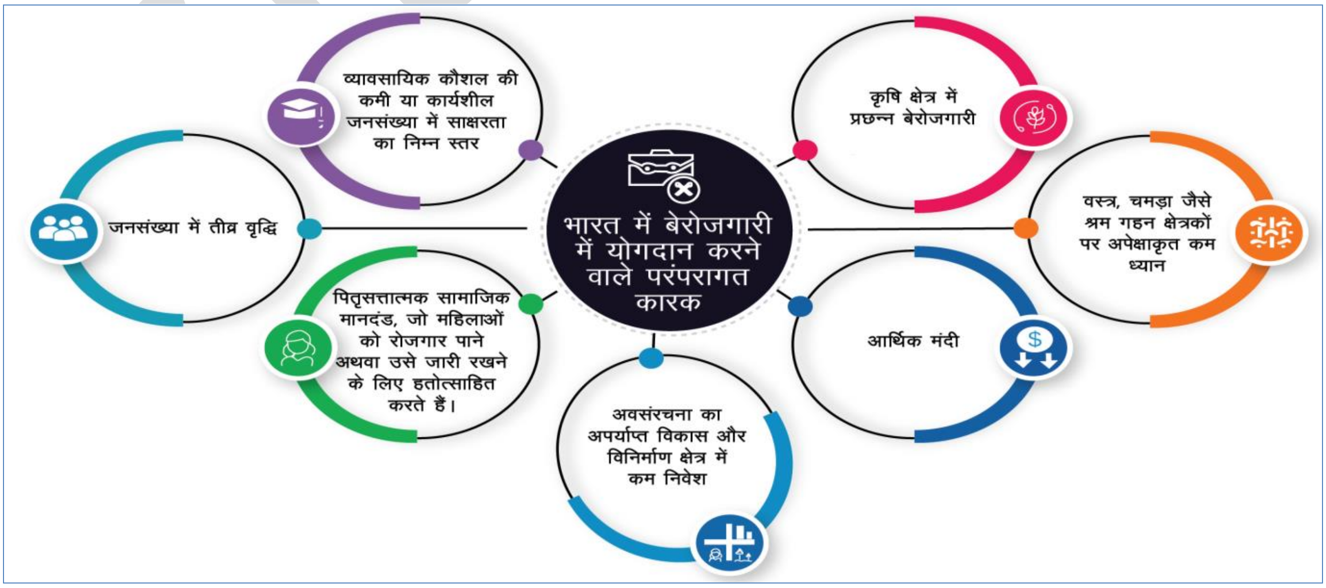

कैसे कोविड-19 जनित वैश्विक महामारी ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया?

- **अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रवृत्ति:** भारत में कुल श्रम बल का 90 प्रतिशत से अधिक भाग अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत है। इनके पास उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपायों का अभाव है तथा हानि/क्षति को सहन करने की कम क्षमता होती है। कोविड-19 ने अनौपचारिक क्षेत्रक के लिए आधुनिकीकरण करने तथा अपनी संवृद्धि संबंधी संभावनाओं में सुधार को और अधिक कठिन बना दिया जिसके परिणामस्वरूप, अनौपचारिक क्षेत्रक में **80 प्रतिशत से अधिक कामगारों का रोजगार छिन गया।**
- **प्रौद्योगिकीय अनुकूलन का अभाव:** इस वैश्विक महामारी ने समाजों को उस संक्रमण बिंदु की तरफ धकेला है जहां प्रौद्योगिकी को अपनाना कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। डिजिटल रूप से पृथक बहुत से व्यवसाय स्थायी रूप से बंद हो गए और इससे संबंधित लोगों की नौकरियां छिन गईं। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रकों में स्वचालन का प्रसार कोविड से पहले की अवधि की तुलना में अधिक तेजी से हो रहा है, जिससे आने वाले समय के दौरान नौकरियों में और कटौती होने की संभावना है।
- **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं:** अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रक, जैसे कि औषध, मोटर-वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन के संबंध में अगले वर्ष की संभावना को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, जिससे भर्ती (रोजगार देने) की गतिविधियां बाधित हुई हैं।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) में कर्मचारियों की छंटनी:** MSMEs सहित अन्य छोटे व्यवसायों द्वारा अधिक संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, क्योंकि स्थानीय लॉकडाउन के कारण मांग तथा बिक्री में अचानक से गिरावट आई है।
- **महिलाओं की रोजगार पर वापसी करने संबंधी विकल्पों का अभाव:** कई छोटे व्यवसायों के बंद हो जाने तथा महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण, 47 प्रतिशत महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान स्थायी रूप से नौकरी को गंवाना पड़ा। वर्ष 2020 के अंत तक कई कामकाजी महिलाएं अपने काम पर नहीं लौट पाई हैं।
- **कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी:** कामगारों का उनके गांवों की तरफ पलायन तथा स्वयं को कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न करने से कृषि श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना है।
- **भारतीय प्रवासियों के रोजगार की क्षति:** वैश्विक महामारी के दौरान तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के कमजोर हो जाने के परिणामस्वरूप कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, क़तर तथा बहरीन जैसे मध्य-पूर्व के देशों से पांच लाख भारतीय प्रवासी अपनी नौकरी गंवाकर स्वदेश लौट आए।

बढ़ती बेरोजगारी के निहितार्थ

- **आर्थिक मांग में कमी:** आजीविका और आय संबंधी हानि स्वाभाविक रूप से उपभोक्ताओं की उपभोग क्षमता को हतोत्साहित तथा आर्थिक मांग को कम करती है। इससे आर्थिक गतिविधि में नकारात्मक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। हालिया सरकारी अनुमानों में दर्शाया गया है कि **वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.3 प्रतिशत तक का संकुचन हुआ है।**
- **निर्धनता के स्तर में वृद्धि:** अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 और संबद्ध लॉकडाउन ने लगभग 2.3 करोड़ भारतीयों को निर्धनता की ओर धकेल दिया है। साथ ही सर्वाधिक निर्धन 20 प्रतिशत परिवारों को पिछले एक वर्ष से अपनी आय से संबंधित संपूर्ण स्रोतों को भी गंवाना पड़ा है।
    - बढ़ी हुई निर्धनता के साथ-साथ बचत और उत्पादक संसाधनों की हानि आगे चलकर **निर्धनता के जाल** (सर्पिल तंत्र जो लोगों को निर्धन बने रहने के लिए विवश करता है) **को उत्पन्न कर सकती है।**
- **आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होना:**
    - **सामाजिक अपराध:** नौकरियों के अभाव ने अनेक लोगों को आपराधिक गतिविधियों जैसे कि घरेलू हिंसा, बाल उत्पीड़न, **LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर), बुजुर्गों, तथा अत्यधिक निर्धन लोगों के खिलाफ हिंसा** की ओर धकेल दिया है। भारत में दर्ज किए गए घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या, कुल मामलों का 14.3 प्रतिशत है जो कि 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है।
    - **वित्तीय धोखाधड़ी** में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिसका कारण डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर बढ़ी हुई निर्भरता है।
    - लॉकडाउन के उपायों के कारण **न्याय प्रणाली के सीमित परिचालन** ने इस स्थिति को और बदतर कर दिया है।
- **जनसांख्यिकीय क्षमता की क्षति:** जब कम नौकरियां उपलब्ध होती हैं, तो रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए युवा हतोत्साहित होते हैं। इससे अंततः भागीदारी की दर कम हो जाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि **श्रम-बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR)** (अर्थव्यवस्था में 16-64 आयु वर्ग की कामकाजी आबादी के समूह के रूप में परिभाषित, जो वर्तमान में कार्यरत है या कार्य की तलाश कर रहे हैं) **जनवरी 2020 के 43 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 40 प्रतिशत हो गई है।**
- **पोषण संबंधी कमी:** विभिन्न सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है कि निर्धन परिवारों ने अपने आहार की मात्रा को कम करके बेरोजगारी का सामना किया है। इसका कारण खाद्यान्न को संचित करने एवं भंडारण करने की अक्षमता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी कल्याणकारी योजनाओं में नामांकन और पहुंच का निम्न स्तर है। लॉकडाउन के छह महीने के बाद भी इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
- **लैंगिक अंतराल:** महिलाओं की श्रम बाजार में कम हो रही भागीदारी के कारण पहले से व्याप्त व्यापक लैंगिक अंतराल में दीर्घकालिक वृद्धि हो सकती है।

- **बढ़ती असमानता:** ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि व्यापक बेरोजगारी के साथ, अरबपतियों की संपत्ति लॉकडाउन के दौरान 35 प्रतिशत तथा वर्ष 2009 से 90 प्रतिशत बढ़ गई है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राजस्व तथा आय संबंधी सहायता:**
  - **आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज** की घोषणा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी। इसके पश्चात्, 20 ट्रिलियन रुपये (GDP का लगभग 10 प्रतिशत) के आत्मनिर्भर भारत पैकेज (आत्मनिर्भर अभियान) की घोषणा की गई थी। **इसमें आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उपाय शामिल थें।**
  - आय संबंधी सहायता करने के लिए, **महिला जनधन खाता धारकों को तीन महीने तक, प्रति महीने 500 रुपये प्रदान किए गए** तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (Building & Other Construction Workers' Welfare Cess) के अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग राज्यों ने निर्माण/सन्निर्माण कामगारों के नकद लाभ के लिए किया गया।
  - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: MGNREGS) हेतु आबंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये** कर दिया गया। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाले पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है।
  - प्रवासियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, अधिक केंद्रित **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान** को चयनित राज्यों के 116 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में आरंभ किया गया।
  - अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत **बेरोजगारी भत्ते को औसत वेतन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत** कर दिया गया है।
- **पेंशन निधि, कर समर्थन और ऋण:** औपचारिक क्षेत्रक के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund: EPF) के तहत **नियोक्ताओं और कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले योगदान में प्रत्येक के लिए 12 प्रतिशत की सहायता** भी प्रदान की गई थी।
- **राज्यों द्वारा घोषित राहत उपाय:** उदाहरण के लिए, बिहार ने घोषणा की है कि यह केंद्र के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नि:शुल्क वितरण में राज्य के संसाधनों से समतुल्य योगदान देगा। तमिलनाडु ने प्रति राशन कार्ड 4,000 रुपये वितरित करने की घोषणा की है। केरल ने नि:शुल्क फूड किट की घोषणा की है ताकि राज्य में कोई भी परिवार भूखा न रहे।
- **ऑनलाइन सार्वजनिक रोजगार सेवाएं:** रोजगार तलाश रहे तथा पुनः प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कामगारों के लिए विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन संचालित किया गया है। उदाहरण के लिए-
  - भारत की सार्वजनिक नियोजन एजेंसी, **नेशनल करियर सर्विस** द्वारा घर से कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है तथा विभिन्न ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - **सभी रोजगार संबंधी मेलों तथा कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन कर दिया गया है** ताकि रोजगार की तलाश करने वालों के साथ-साथ नियोक्ताओं के मध्य की दूरी को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पाटा जा सके।
  - अन्य नि:शुल्क सेवाओं में रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, वीडियो प्रोफाइल बनाना (वीडियो CV) तथा ऑनलाइन करियर परामर्श शामिल हिं।

आगे की राह

कोविड-19 से मिली सीख का उपयोग भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति को तैयार करने में किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित अल्पकालीन तथा दीर्घकालिक उपायों को अपनाया जाना चाहिए:

अल्पकालिक उपाय:

- **बेरोजगारी द्वारा उत्पन्न संकट का उन्मूलन:** बेरोजगारी बीमा वस्तुतः बेरोजगारों तथा निर्धनों को पुनः लाभप्रद रूप से नियोजित होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक तरीका है। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को निराश्रयता तथा खानाबदोशी में फंसने से रोका जा सकता है।
- **शहरी रोजगार प्रायोगिक कार्यक्रम:** सर्वाधिक प्रभावित जिलों में एक शहरी रोजगार प्रायोगिक कार्यक्रम की आरंभ करना, जो संभवतः महिला कामगारों पर केंद्रित हो।
- **बड़े उद्यमों का संरक्षण करना:** यद्यपि छोटे उद्यम अधिक सुभेद्य होते हैं, तथापि बड़े उद्यमों को भी दिवालिया होने तथा व्यापक पैमाने पर छंटनी (यह श्रम बाजार को प्रभावित करेगा तथा साथ ही, अनौपचारिक रोजगार सृजित कर संबंधित जोखिम में वृद्धि करेगा) करने के संबंध में संरक्षण प्रदान करने वाले प्रयासों की आवश्यकता होती है।

दीर्घकालिक रणनीतियां:

- **घटती मांग पर ध्यान देना तथा सुधार में तेजी लाना:** इसके तहत एक समग्र रोजगार रणनीति का निर्माण करना चाहिए, जिसमे मुख्य क्षेत्रकों में नौकरियों तथा उत्पादकता को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रंखला को पुन:स्थापित करना तथा श्रमिकों व उनके परिवारों के स्वास्थ्य, अधिकारों व आय संबंधी संरक्षण के लिए सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा के उपायों के साथ-साथ पुनः मांग का निर्माण करने संबंधी उपाय शामिल हों।
    - एक **राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता** है, जिसमें सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी निवेश को सहूलियत प्रदान करना शामिल हो।
- **व्यापक रोजगार संबंधी डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता का दोहन करना:** बढ़ते डिजिटल क्षेत्रक में लक्षित तथा एक समान रोजगार सृजन के साथ अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक सामाजिक संरक्षण व्यवस्था में एकीकृत करना।
- **कामगारों की पुनःकौशल और वर्धित कौशल:** विभिन्न क्षेत्रकों तथा व्यवसायों में श्रम मांग में बदलावों को देखते हुए श्रमिकों को **पुन:कौशल प्रदान करना (reskilling) तथा उनके कौशल में वृद्धि करना (upskilling)** आवश्यक हो सकता है।

भारत में बेरोजगारी बीमा योजनाओं के समक्ष समस्याएं

- सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए **बेरोजगारी बीमा से संबंधित कोई समान या केंद्रीकृत योजना उपलब्ध नहीं है।**
- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948** दो बेरोजगारी के दौरान लाभ प्रदान करने संबंधी दो योजनाएं प्रदान करता है-
    - राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY), तथा
    - अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)।
- **RGSKY तथा ABVKY निम्नलिखित दो मुख्य कारणों से दोषपूर्ण हैं:**
    1. ये केवल उन **कारखानों के कामगारों पर लागू होते हैं, जिनके कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो।** यह बीमा संबंधी लाभ से कार्यबल के एक बड़े हिस्से को वंचित करता है जो कारखानों में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रकों (जहाँ पास पर्याप्त नौकरी संबंधी संरक्षण नहीं है या जो काम बंद होने के प्रति सुभेद्य हैं) में काम करते हैं।
    2. इसके अतिरिक्त, **RGSKY के अंतर्गत लाभ बीमा की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल 12 महीनों के लिए ही लागू रहते हैं।** यह लंबी अवधि तक (जैसे कि वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान) बेरोजगार रहने वाले लोगों के लिए अलाभ की स्थिति उत्पन्न करता है।

3.4. भूमि बैंक (Land Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM) ने **भूमि बैंक कंपनी** की संरचना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इसे सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के स्वामित्व वाले **भूखंडों का विक्रय करने** का कार्यभार सौंपा जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** के समक्ष रखा जाएगा।
- कनाडा के मॉडल के अनुरूप, **लैंड SPV (भूमि विशेष प्रयोजन साधन / Special Purpose Vehicle: SPV)** की एक कंपनी के रूप में स्थापना की जाएगी।
- इस कंपनी से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की परिसंपत्तियों को **राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं** में विकसित करने की अपेक्षा की जाएगी।
- ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री में बाधा उत्पन्न करने वाले **विवादों का समाधान करने के लिए** SPV में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

भूमि बैंक क्या है?

- भूमि बैंक एक सरकारी निकाय या गैर-लाभकारी निगम होते हैं जो खाली अप्रयुक्त परिसंपत्तियों, अप्रयुक्त भूमि, या विलंबी कर-दाता (tax-delinquent) परिसंपत्तियों (अर्थात् कर न चुकाने के आधार पर जब्त की गई परिसंपत्तियों) के प्रबंधन और निपटान में सहायता करता है ताकि अधिक उत्पादक उपयोग के लिए इन परिसंपत्तियों का पुनर्विकास किया जा सके।
- राज्य सरकारों ने 1990 के दशक में, विशेष रूप से उदारीकरण के पश्चात् की अवधि में, "भूमि बैंक" की स्थापना को आरंभ किया था। वर्ष 2017 तक, **अधिकांश भारतीय राज्यों** में या तो पहले से ही बड़े भूमि बैंक थे या इनके सृजन की प्रक्रिया जारी थी।
- **नव भारत @ 75** की नीति आयोग की रणनीति ने विनिर्माण सुविधाओं के लिए **पूर्व-स्वीकृत भूमि बैंक** सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS) आधारित मानचित्रों का उपयोग करने की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया।

 ©Vision IAS

भूमि बैंक की दिशा में कदम

- अगस्त 2020 में, **प्रथम चरण में छह राज्यों की GIS प्रणाली के साथ** औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System: IIS) के एकीकरण द्वारा **राष्ट्रीय GIS-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली** आरंभ की गई थी। दूसरे चरण में इसमें आठ और राज्य शामिल हुए।
- वर्तमान में, **इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल (IIS पोर्टल)** में संपूर्ण देश के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों का GIS आधारित डेटाबेस शामिल है। इस डेटाबेस में 31 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की लगभग **4,75,000 हेक्टेयर भूमि** पर स्थापित **3,350 से अधिक पार्कों/क्लस्टरों** को शामिल किया गया है।
- IIS का लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है: (इन्फोग्राफिक देखें)

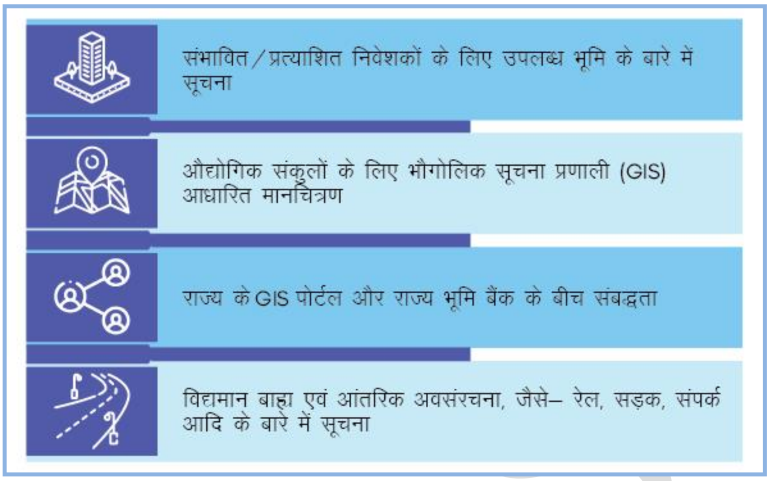

भूमि बैंक के लाभ

- **भूमि उपयोग दक्षता:** विश्व के **कुल भू-क्षेत्र के 2.4%** के साथ भारत **विश्व की 18% आबादी** का आश्रय स्थल है, जो कि भूमि को एक दुर्लभ संसाधन बनाता है। भूमि बैंक वस्तुतः **अप्रयुक्त सरकारी भूमि के बेहतर उपयोग** को सुगम बनाते हैं। इसमें अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) भी शामिल है, जिसमें लगभग 52% भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है।
- **सरकारी भूमि के निपटान में अत्यधिक देरी को संबोधित करना:** यह पर्याप्त भूमि अभिलेखों के अभाव और एक व्यापक भूमि डेटाबेस की अनुपस्थिति, ट्रेड यूनियनों के विरोध, अवैध अतिक्रमण तथा विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी के कारण होता है। एक समर्पित भूमि बैंक अप्रयुक्त भूमि का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करेगा।
- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा:** चीन के साक्ष्य से पता चलता है कि वर्ष 2001-2009 {इसकी अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक विस्तार की अवधि (GDP वृद्धि के संदर्भ में)} के दौरान इसकी **आर्थिक संवृद्धि में भूमि का योगदान आश्चर्यजनक रूप से 26.07 प्रतिशत** था।
- **निवेश को बढ़ावा:** नीति अनुसंधान केंद्र (Centre for Policy Research: CPR) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में अनुमानित 7.7 मिलियन लोग **25 लाख हेक्टेयर भूमि पर जारी संघर्ष** से प्रभावित हैं, जिस कारण **200 अरब डॉलर का निवेश जोखिम** की स्थिति में है। भूमि बैंक **सभी संबंधित औद्योगिक सूचनाओं की निःशुल्क और आसान पहुंच हेतु वन-स्टॉप समाधान** उपलब्ध करा सकते हैं, जो निवेशकों द्वारा दक्षतापूर्ण निर्णय लेने में सहायता के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा भी प्रदान करेंगे।
- **व्यापार करने में सुगमता:** LARR अधिनियम, 2013 (बॉक्स देखें) को प्रायः भूमि अधिग्रहण के संबध में बाधा के रूप में देखा जाता है। अक्सर बड़ी परियोजनाएं, जैसे- ओडिशा के नियमगिरि में **वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना** का प्रस्ताव और **सिंगूर (पश्चिम बंगाल) में टाटा मोटर्स की परियोजना,** भूमि संबंधी मुद्दों के कारण रद्द हो गईं। सभी संबद्ध परमिटों की उपलब्धता और भूमि संबंधी मुकदमेबाजी की लगभग नगण्य स्थिति से परियोजना संबंधी लागत में वृद्धि को कम करने में सहायता मिलेगी, जो कॉर्पोरेट दिवालियापन को कम करने में सहायक होगा।
    - मध्यस्थता के सुदृढ़ीकरण पर नीति आयोग के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि **भूमि या अचल संपत्ति पर विवादों को सुलझाने में न्यायालयों में औसतन 20 वर्षों** का समय लगता है।
- **अन्य लाभ:** इसमें भूमि संबंधी बाजार लेन-देन में पारदर्शिता, समेकित भूमि की उपलब्धता, न्यायतंत्र पर बोझ का कम होना और विभिन्न हितधारकों द्वारा सूचित निर्णय लेना शामिल हैं।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 {Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Act, 2013}

- इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लिया।
- यह अधिनियम **सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment: SIA) अध्ययन** का प्रावधान करता है ताकि अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों की लागत और लाभ का निर्धारण एवं अनुमान लगाया जा सके। **अविलंबनीय या सिंचाई संबंधी परियोजनाओं,** जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य होता है, को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए SIA अनिवार्य होता है।
- सभी भू-अधिग्रहणों के तहत अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (Rehabilitation and Resettlement)** करना अनिवार्य है।

- अधिग्रहित **भूमि के स्वामियों के लिए मुआवजा की राशि** ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्र के मामले में दोगुना होगी।
- यह अधिनियम, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (Public-Private-Partnership: PPP) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम-से-कम **70 प्रतिशत** भूमि स्वामियों और निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम-से-कम **80 प्रतिशत** भूमि स्वामियों की **अनिवार्य सहमति** निर्धारित करता है।

भूमि बैंकों से संबद्ध चिंताएं

- **भूमि बैंक स्वामित्व और अधिकारों से संबंधित प्रश्न उठाते हैं:** भूमि बैंक रणनीतिक रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी वैध प्रक्रियाओं का अनुसरण करने वाली विधिक बाधाओं से बचते हैं। राज्य सरकारें आम लोगों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए निजी और साझा भूमि दोनों का उपयोग करके भूमि बैंक का सृजन करने में जल्दबाजी कर रही हैं।
- **विधिक खामियां: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के अनुसार, सरकार को वनेत्तर प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग करने के लिए **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन मंजूरी** प्राप्त करना अनिवार्य होता है। हालांकि, इस अधिनियम के तहत **'भूमि बैंक' के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं** है।
- **न्याय के आदर्शों की अनदेखी:** वर्ष 2011 में **योजना आयोग** को सौंपी गई एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कृषि योग्य अप्रयुक्त भूमि को राज्य भूमि बैंक में रखा जा सकता है और बाद में इसे **भूमिहीन समुदायों के मध्य वितरित** किया जा सकता है। हालांकि, इस तीव्र औद्योगिक विस्तार की लालसा में **वितरणात्मक न्याय** के विचार को महत्व नहीं दिया जा रहा है।
    - इसी प्रकार, यदि किसी परियोजना के तहत एक बार अधिग्रहित की गई भूमि पांच वर्षों तक अप्रयुक्त रहती है, तो LARR अधिनियम के तहत इसे या तो मूल स्वामी/स्वामियों को वापस किया जा सकता है या राज्यों के भूमि बैंकों में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर मामलों में इसे राज्यों द्वारा भूमि बैंकों में शामिल किया जाता है।
- **भविष्य के संघर्षों की संभावना:** कई रिपोर्टों ने सचेत किया है कि भूमि बैंक में शामिल वे भूखंड जिन पर पहले भी विरोध कर नियोजित परियोजनाओं को रोका गया था, उन पर भविष्य में निवेश करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भूमि उपयोग के संबंध में विधिवत् अभिलेख और बैंक पर स्वामित्व तथा भूमि के वास्तविक उपयोग के संबंध में **विधिक रिकॉर्ड** सुमेलित नहीं होते हैं।
- **एकमुश्त समाधान:** ऐसे भूमि बैंक एकमुश्त समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि लगातार नई खाली भूमि खोजना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं के लिए विशेष क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके अनुपलब्ध होने पर फिर से भूमि अधिग्रहण की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- भूमि बैंकों को एक सुदृढ़ रणनीति बनाने के लिए **संबंधित मुद्दों** पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसके तहत अनिवार्य सुधारों में स्वामित्व (SVAMITVA) जैसी योजनाओं के माध्यम से **भूमि अभिलेख भंडार** का निर्माण करना, स्वामित्व से संबंधित सभी अभिलेखों का **डिजिटलीकरण और एकीकरण करना,** संपत्ति विवादों का **समय पर समाधान** करने के लिए एक व्यवस्थित समय-सीमा को परिभाषित करना तथा स्वामित्व **भूमि विवाद डेटा आदि को सार्वजनिक करना** इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए।
- साथ ही, **लैंड पूलिंग (भूमि के बदले भूमि) को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।** आंध्र प्रदेश में अमरावती के विकास के लिए सरकार ने **25,000 किसानों से 13,000 हेक्टेयर भूमि को विकसित भूमि के एक छोटे हिस्से के बदले में खरीदा,** जिसका मूल्य कम से कम उतना ही होगा जितना उनकी अधिग्रहित की गई भूमि का था।
    - इस विचार को व्यापक पैमाने पर दोहराया जा सकता है। भूमि के बदले में भू-स्वामियों को **स्वामित्व में हिस्सा (अर्थात् इक्विटी के रूप में) प्रदान करने का वादा** किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, भू स्वामी अपनी भूमि को बेच नहीं रहे होंगे, बल्कि उसे निवेश कर रहे होंगे। इस प्रकार वे **उद्यम में भागीदार** बन जाएंगे।

3.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/SEBI) द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर तकनीकी समूह (Technical Group: TG) की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया।

तकनीकी समूह की प्रमुख सिफारिशें

- **निगमित प्रतिष्ठानों, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों** को SSE तंत्र का उपयोग करके निधि जुटाने के लिए **पात्र न माना जाए।**
- **लाभकारी सामाजिक उद्यमों (For Profit Enterprise: FPEs)** (FPEs का आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से बने उद्यम से है) और **गैर-लाभकारी संगठनों (Not for Profit Organisations: NPOs)** दोनों को SSE प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते वे सामाजिक कल्याण और प्रभाव को प्रदर्शित करने में सक्षम हों।

- संगठन के प्रकार के आधार पर, **NPOs और FPEs के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण साधनों की SSE द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए।**
  - **NPOs के लिए निधि जुटाने हेतु उपलब्ध साधनों** में इक्विटी, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉण्ड (ZCZP), डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉण्ड (DIBs), सोशल इम्पैक्ट फंड {जिसे वर्तमान में सोशल वेंचर फंड (SVP) के रूप में जाना जाता है, इसमें 100% दान लेने और दान देने का प्रावधान शामिल है} और म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेशकों द्वारा दान शामिल हैं।
  - इक्विटी, ऋण, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉण्ड और सोशल वेंचर फंड के माध्यम से **FPEs धन जुटा सकेंगे।**
- **SSE के लिए क्षमता निर्माण कोष (Capacity building fund)** में 100 करोड़ रुपये की धनराशि होनी चाहिए।
- सतत विकास लक्ष्यों के तहत नीति आयोग द्वारा निर्धारित की गई **व्यापक गतिविधियों पर आधारित एक सूची** तैयार की गई, जिनमें **SSEs संलग्न हो सकते हैं।**
  - इनमें **भूख, निर्धनता, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन; महिलाओं तथा लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, इन्टर्सेक्स, एसेक्शूअल+ (LGBTQIA+)** समुदायों के सशक्तीकरण द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना; ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण; और मलिन बस्तियों का विकास, किफायती आवास आदि शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- SSEs को स्थापित करने का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 2019 में केंद्रीय बजट के दौरान पेश किया गया था।
- सितंबर 2019 में, सेबी ने SSE के निर्माण के तौर-तरीकों को निर्धारित करने हेतु एक कार्य समूह (Working Group: WG) का गठन किया था। इस कार्य समूह जून 2020 में ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- सितंबर 2020 में, सेबी ने WG द्वारा की गई सिफारिशों पर आगे की अनुशंसा और स्पष्टता के लिए TG (तकनीकी समूह) का गठन किया था।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- SSE वस्तुतः **एक विनियमित निधीयन प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है, जो लाभकारी सामाजिक उद्यमों (For-Profit Social Enterprises: FPEs) और गैर-लाभकारी संगठनों (Not-for-Profit Organisations: NPOs) को सामाजिक प्रयोजन हेतु निधि जुटाने में सक्षम बनाता है।
  - वर्तमान में, जिन माध्यमों से सामाजिक क्षेत्रक (FPEs और NPO) वित्त-पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporat Social Responsibility: CSR), सामाजिक/पर्यावरणीय प्रभाव सृजित करने वाले निवेश (impact investing), परोपकारी/सरकारी अनुदान आदि शामिल हैं।
- यह **सामाजिक संगठनों (FPEs और NPOs) और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स,** विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों को एकजुट करता है, जहाँ **इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स या संस्थागत निवेशक** सूचीबद्ध संगठनों से बॉण्ड के रूप में हिस्सेदारी (stake) खरीद सकते हैं।
- यह **संगठनों के सामाजिक और पर्यावरणीय मिशन को संरक्षित** करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को निवेश के माध्यम से **सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का शमन करने का अवसर** मिलता है। साथ ही, इस निवेश में वित्तीय प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता भी होती है।

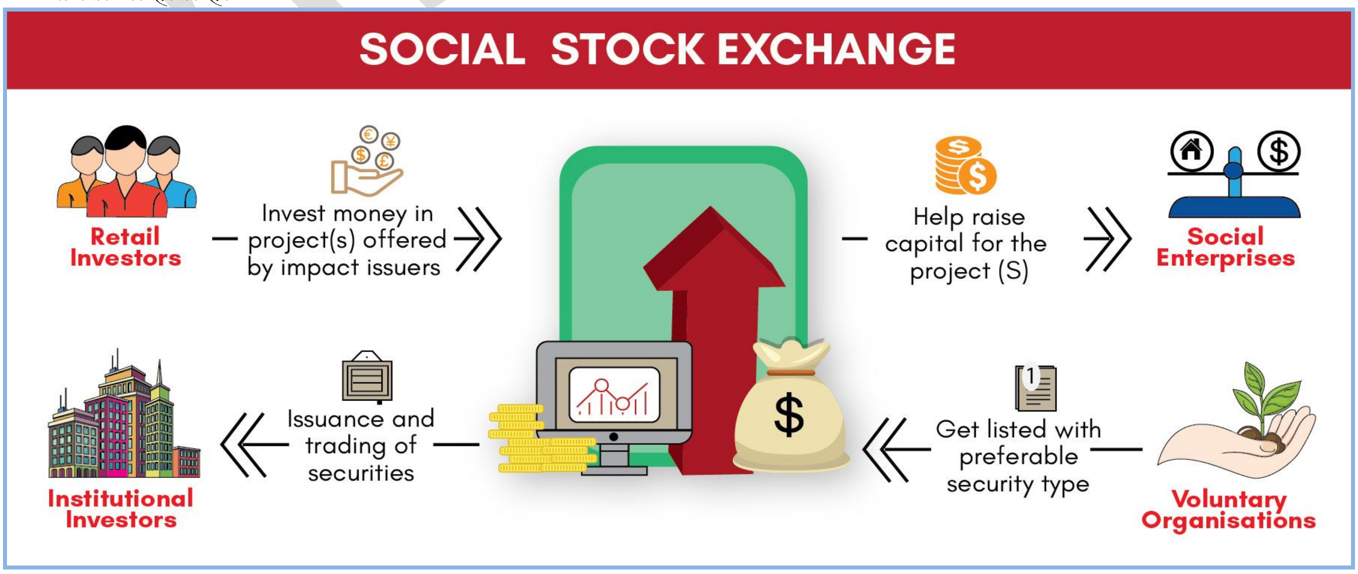

- **कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित SSEs हैं:** यूनाइटेड किंगडम (सोशल स्टॉक एक्सचेंज), कनाडा (सोशल वेंचर कनेक्शन), साउथ अफ्रीका (साउथ अफ्रीकन सोशल इनवेस्टमेंट एक्सचेंज), सिंगापुर (इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज) आदि।

हमें SSE की आवश्यकता क्यों है?

- **बेहतर बाजार पहुंच:** SSE अपने अंतर्निहित विनियमन के साथ सामाजिक क्षेत्रक (FPEs और NPOs) और निवेशकों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, यह निवेशकों और निवेश प्राप्तकर्ताओं की दूरदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।
- **सामाजिक उद्देश्यों में निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ताओं के मध्य तालमेल:** यह प्लेटफार्म चयन हेतु व्यापक विकल्प प्रदान करेगा, जिसके तहत समान दृष्टिकोण और मिशन वाले निवेशक तथा निवेश प्राप्तकर्ता आसानी से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकेंगे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** SSE द्वारा कठोर यथोचित परिश्रम और निष्पादन संबंधी मेट्रिक्स स्थापित किया जाएगा, जो निवेशकों की पृष्ठभूमि की जांच करेगा।
- **प्रदर्शन आधारित परोपकार:** SSE में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की सूक्ष्मता से निगरानी की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
- **सरकार पर कम बोझ:** SSE कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से लाभान्वित होगा, जिससे विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण उत्पन्न होगा।
- **कोविड-19 के लिए SSE:** लोकोपकारी फाउंडेशन, CSR व्यय करने वाले और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के साथ पे-फॉर-सक्सेस बॉण्ड जैसे समाधानों को सक्रिय करने के लिए कोविड-19 सहायता कोष स्थापित किया जा सकता है।

SSE को भारत में बढ़ने और विकसित होने में सक्षम बनाने वाले पारितंत्र के निर्माण के लिए आगे की राह

- **सामाजिक प्रभाव रिपोर्टिंग:** सूचना संबंधी विषमता को कम करने के लिए दोनों वर्गीकरणों (FPEs और NPOs) के लिए सामाजिक प्रभाव पर रिपोर्टिंग के लिए सामान्य न्यूनतम मानक स्थापित करना।
- **कर लाभ:** निवेशकों के विभिन्न वर्गों के मध्य इन वित्तपोषण मॉडल की स्वीकृति को बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रक से संबंधित कर कानूनों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **एक स्व-विनियामक संगठन और सूचना भंडार स्थापित करना:** ये NPOs की प्रगणना, उनकी गतिविधियों और परिचालन संबंधी क्षेत्रों के साथ-साथ NPOs के बारे में विश्वसनीय तथा मानकीकृत जानकारी प्रदान करने का कार्य करेंगे।
- **कठोर विनियामक संवीक्षा:** SSE के साथ केवल प्रमाणिक FPEs/NPOs की ही संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सेबी को ऐसे संगठनों द्वारा स्व-घोषित सामाजिक प्रभाव आयामों की साख का आकलन करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए।

- **जागरूकता अभियान:** सामाजिक उद्यमों को SSE पर सूचीबद्ध करने के लिए तथा निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ता समूहों, दोनों के मध्य इसकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए **जागरूकता अभियान** का आयोजन करना चाहिए।

3.6. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (Covid-19 Vaccine and IP Waiver)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोविड-19 के टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (Intellectual Property: IP) संरक्षण का अधित्याग करने हेतु समर्थन की घोषणा की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अभियान **भारत और दक्षिण अफ्रीका** द्वारा आरंभ किया गया था। इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) और यू.एन.एड्स (UNAIDS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित, 100 से अधिक देशों द्वारा समर्थन किया जा रहा है।
  - UNAIDS (यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच.आई.वी./एड्स) वस्तुतः सतत विकास लक्ष्यों के भाग के रूप में **वर्ष 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे के रूप में समाप्त करने** वाले वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।
- इनके द्वारा विश्व व्यापार संगठन (World Trade organization: WTO) से **"ट्रिप्स" या बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)** पर हुए समझौते की कुछ शर्तों, जो कोविड-19 का सामना करने के लिए वहनीय चिकित्सीय उत्पादों तक समय पर पहुँच को बाधित कर सकते हैं, का अधित्याग करने का आग्रह किया गया था।
- इसका लक्ष्य **अपना स्वयं का टीका बनाने वाले देशों,** विशेष रूप से निम्नतम आय वाले देशों के लिए **बाधाओं को कम करना है।**

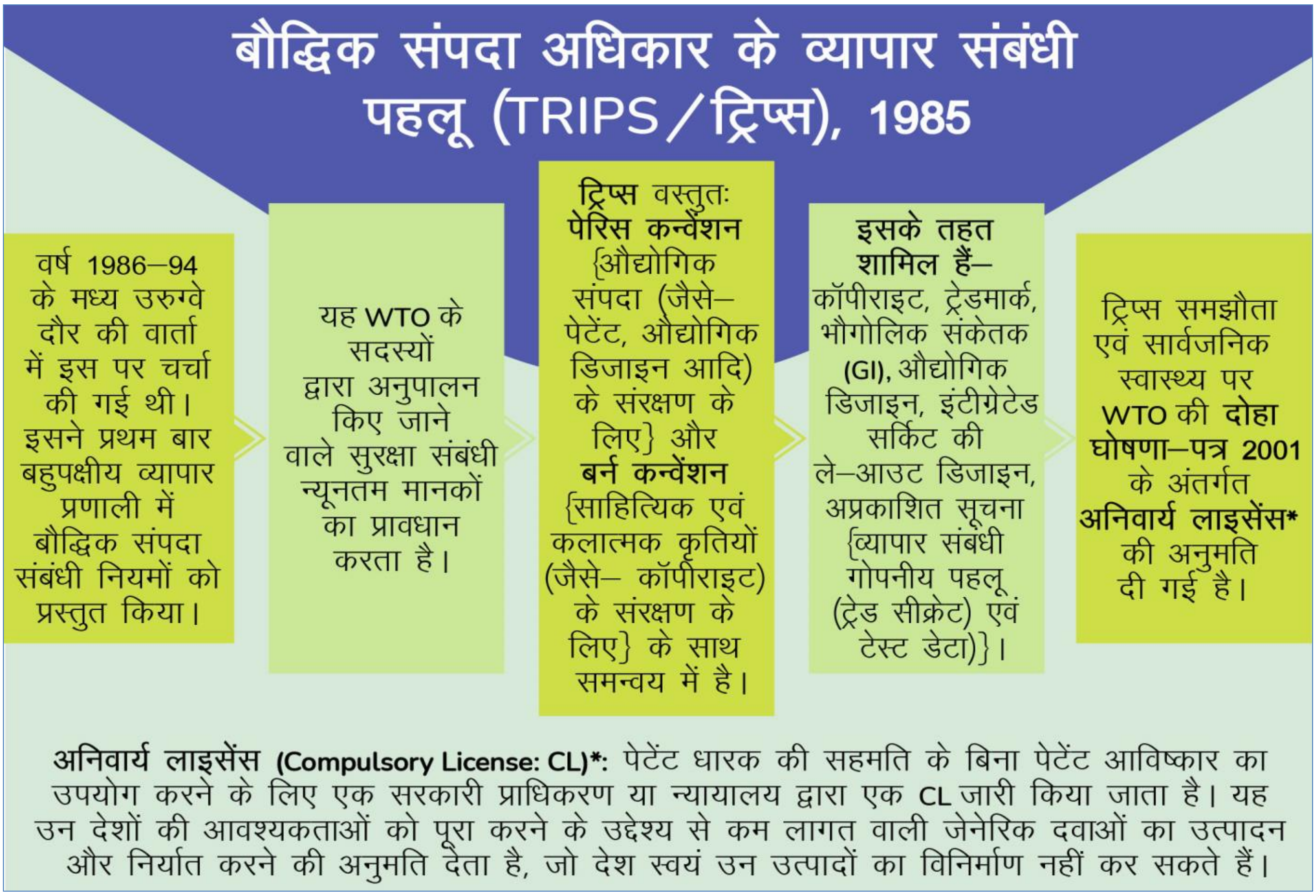

बौद्धिक संपदा अधित्याग की मांग को संचालित करने वाले कारक

- **अभूतपूर्व मांग को पूरा करना:** वैश्विक महामारी से पहले, सभी टीकों की वैश्विक मांग प्रति वर्ष लगभग 5.5 अरब खुराक थी। वर्तमान में अकेले कोविड-19 के लिए टीकों की आवश्यकता इस संख्या का कम से कम तीन गुना बढ़ गई है।
  - टीका उत्पादन में इतनी तीव्र वृद्धि अभूतपूर्व है तथा अपेक्षित बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

- **संसाधनों का संकेंद्रण:** इससे संबंधित मुख्य समस्या यह है कि टीका विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास **उच्च और मध्यम आय वाले देशों के एक छोटे समूह** में अत्यधिक संकेंद्रित है।
    - अभी तक 8.6 अरब पुष्टिकृत खरीद में से 6 अरब खुराकों का उच्च और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों द्वारा अग्रिम-आदेश दिया गया है। टीकों तक समान पहुंच के लिए इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है।
- **नैतिक परिप्रेक्ष्य:** पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा टीका उत्पादन को सीमित किया जा रहा है, अतः इनका अधित्याग किया जाना चाहिए। इसलिए मानवीय, नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सभी देशों को एकजुट होकर संपूर्ण विश्व में इन टीकों की निष्पक्ष तथा त्वरित पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसा कि राजनीतिक और स्वास्थ्य नेताओं द्वारा अक्सर इस बात पर बल दिया जाता हैं कि जब तक हम सभी सुरक्षित न होंगे, तब तक कोई भी सुरक्षित न होगा।

बौद्धिक संपदा अधित्याग के विरोध में कारक

- **बौद्धिक संपदा, टीकों की उपलब्धता के समक्ष मुख्य बाधा नहीं है:** वर्तमान में तकनीकी और लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं टीका उत्पादन और उसके प्रसार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वर्तमान में टीकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए इन बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना बेहतर होगा।
- **उत्पादन क्षमता का विस्तार तत्काल नहीं हो सकता:** विनिर्माण प्रक्रिया को एक सुविधा से दूसरी सुविधा में स्थानांतरित करने में हमेशा महत्त्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नए स्थल पर कर्मचारियों को उत्पादन और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन के प्रत्येक पहलू में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नैदानिक, विधिक, वाणिज्यिक और विनियामक संबंधी पहलुओं में भी कौशल की आवश्यकता होती है।
- **बौद्धिक संपदा अधित्याग का विकल्प पहले से ही उपलब्ध है:** इसके तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के विकल्प पर ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही, पहले से ही प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो रहा है। विभिन्न कोविड-19 टीका विनिर्माता द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उप-ठेकेदारों को अपनी तकनीक का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका टीके का लाइसेंस प्रदान करना** है।
- **वर्तमान आपात स्थिति से निपटने के लिए बौद्धिक संपदा उपयोगी है:** वर्तमान आपात स्थिति को देखते हुए, पहले जो कंपनियां परस्पर प्रतिस्पर्धी थीं अब टीके का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। इस आपात की स्थिति में, IP परस्पर सहयोग को सुविधा प्रदान कर सकता है; यह स्पष्ट करता है कि कौन-सा संगठन किस तकनीक का स्वामी है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियों को परस्पर सहयोग के दौरान अपने विचार/ज्ञान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह

असाधारण परिस्थितियां असाधारण समाधान की माँग करती हैं। ऐसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि इसके कारण विश्व के अत्यधिक समृद्ध देश भी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए, निम्नलिखित पहलों के साथ बौद्धिक संपदा का अस्थायी अधित्याग इस वैश्विक चुनौती को दूर करने में अधिक सफल हो सकता है:

- **कच्चे माल की आपूर्ति:** टीकों का उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा इन टीकों को बनाने और उसके प्रसार के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति है।
    - इन टीकों को बनाने के लिए आवश्यक विशेषीकृत सामग्रियों की मांग में एकाएक तिगुनी वृद्धि होने से विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।
    - इस स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, न केवल अधिकृत कोविड-19 टीकों के उत्पादन में सहायता करने के लिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि हम अभी विकास की प्रक्रिया से गुज़र रहे टीकों के परीक्षण और अनुमोदन में देरी न करें।
- **क्षमता निर्माण करना:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सफल बनाने के लिए, देशों के पास विशिष्ट सुविधाएं और टीके बनाने में सक्षम कुशल कार्यबल होना चाहिए।
    - उत्पादित किए गए टीकों की सुरक्षा का ऑडिट करने और उन्हें अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ विनियामकीय प्राधिकरणों की भी आवश्यकता है।
    - विश्व भर में संबंधित कौशलों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने से दीर्घावधि में टीकों का विनिर्माण करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यह, बौद्धिक संपदा अधिकारों का अधित्याग करने की तुलना में एक अधिक सफल तरीका हो सकता है।
- **अन्य मुद्दों का समाधान करना:** उदाहरण के लिए, मूल्य निर्धारण और साथ ही आवंटन और प्रसार व्यवस्था, जैसे कि कोवैक्स (COVID-19 Vaccines Global Access: COVAX), को समतापूर्ण टीका प्रसार को संभव बनने हेतु अनुकूलित किया जाना चाहिए।
    - कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (COVAX) वस्तुतः **गावी (वैक्सीन अलायंस), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा निर्देशित एक विश्वव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

- COVAX वस्तुतः **एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (ACT) एक्सेलेरेटर** तक पहुंच के तीन स्तंभों में से एक है, जिसे इस वैश्विक महामारी की अनुक्रिया में WHO, यूरोपीय आयोग और फ्रांस द्वारा आरंभ किया गया था।

3.7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry: FPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry: PLISFPI)'** हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है।

PLISFPI के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत की प्राकृतिक संसाधन अक्षयनिधि के अनुरूप **वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों** को सृजित करने का समर्थन करना और **अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों** का सहयोग करना।
- यह **10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
- यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक **छह वर्ष की अवधि के लिए** लागू की जाएगी।
- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं:
  - प्रथम घटक के तहत चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों, यथा- मोटा अनाज आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद व मोजरेला चीज के **विनिर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।**
  - द्वितीय घटक, विदेशों में **ब्रांडिंग और विपणन** हेतु समर्थन से संबंधित है।
- इन खंडों में विभिन्न खाद्य पदार्थों, यथा- अंडे, कुक्कुट मांस, अंडा आधारित उत्पाद सहित लघु एवं माध्यम उद्यमों (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) के अभिनव/जैविक उत्पाद शामिल हैं।
- **यह योजना निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:**
  - स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) या भारत में पंजीकृत कंपनी।
  - सहकारी समितियां।
  - SME और इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले।

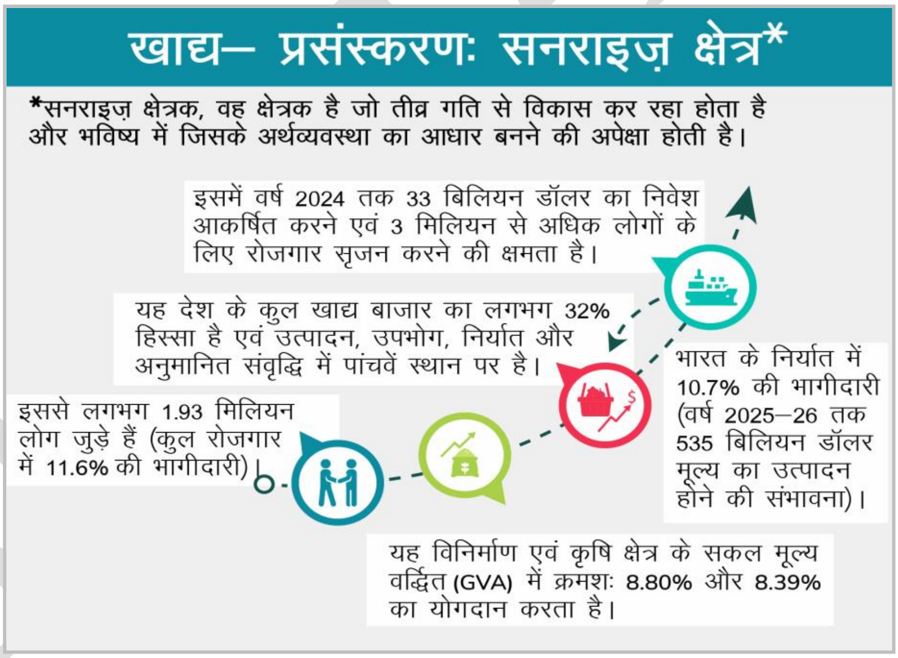

- इस उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत कवरेज से **किसी अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता प्रभावित नहीं होगी तथा किसी अन्य योजना के अंतर्गत कवरेज से इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्रभावित नहीं होगी।**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) के बारे में

- MoFPI के अनुसार, यदि **कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन के किसी भी कच्चे उत्पाद को इस तरह से रूपांतरित किया जाता है** कि-
  - उसके **मूल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है;**
  - **रूपांतरित उत्पाद खाद्य योग्य है;** और
  - उसका **वाणिज्यिक मूल्य** है; तो वह **FPI के क्षेत्र के अंतर्गत** आता है।
- यदि **महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन** (बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ, आवरण युक्त और उपभोग के लिए तैयार आदि) भी होता है तो ऐसे उत्पाद भी **खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं,** भले ही वे विनिर्माण प्रक्रियाओं से नहीं गुजरते हों।
- भारत में FPI के प्रमुख **उप-खंडों** में डेयरी, फल एवं सब्जियां, कुक्कुट और मांस प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, खुदरा खाद्य आदि शामिल हैं।

FPI को यह प्रोत्साहन क्यों?

- **कृषि से संबद्ध उपज/उत्पाद का प्रमुख केंद्र:** भारत **दूध, दालों, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम का शीर्ष उत्पादक** है। इसके अतिरिक्त, भारत **चावल, गेहूं और विभिन्न अन्य फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान** पर है।
- **बढ़ती मांग:** एकल परिवारों की उभरती प्रवृत्ति और कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि के कारण प्रसंस्कृत भोजन की अत्यधिक मांग है। त्वरित शहरीकरण और बदलती जीवन-शैली भी **कार्यात्मक खाद्य पदार्थों/न्यूट्रास्यूटिकल्स भोजन की बढ़ती मांग** में योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, **प्रयोज्य आय (disposable income) में वृद्धि** से खाद्य उत्पादों पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ रहा है।
    - वर्ष 2030 तक भारत का वार्षिक घरेलू उपभोग तीन गुना हो जाएगा, जिससे भारत 5वाँ सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा।
- **निम्न प्रसंस्करण स्तर:** संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 65 प्रतिशत और चीन के लगभग 23 प्रतिशत की तुलना में भारत का FPI क्षेत्रक वर्तमान में **देश के 10 प्रतिशत से कम कृषि-उत्पाद** का प्रसंस्करण कर रहा है। भारत में लगभग **2% फलों और सब्जियों, 8% समुद्री खाद्य, 35% दूध, 6% कुक्कुट उत्पाद** का प्रसंस्करण होता है।
- **अत्यधिक अपव्यय:** भारत में खाद्य उत्पादों के अत्यधिक उत्पादन के बावजूद, फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान चिंता का प्रमुख विषय है। अनुमानों के अनुसार, **खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों** और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण भारत को **प्रतिवर्ष फसल कटाई के बाद 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान** होता है।
- **सहायक नीतियां:** भारत में विनिर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों** (स्वचालित मार्ग के अंतर्गत) और **खुदरा व्यापार** (सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से) में **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** जैसी सरकारी नीतियां FPI को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाती हैं।

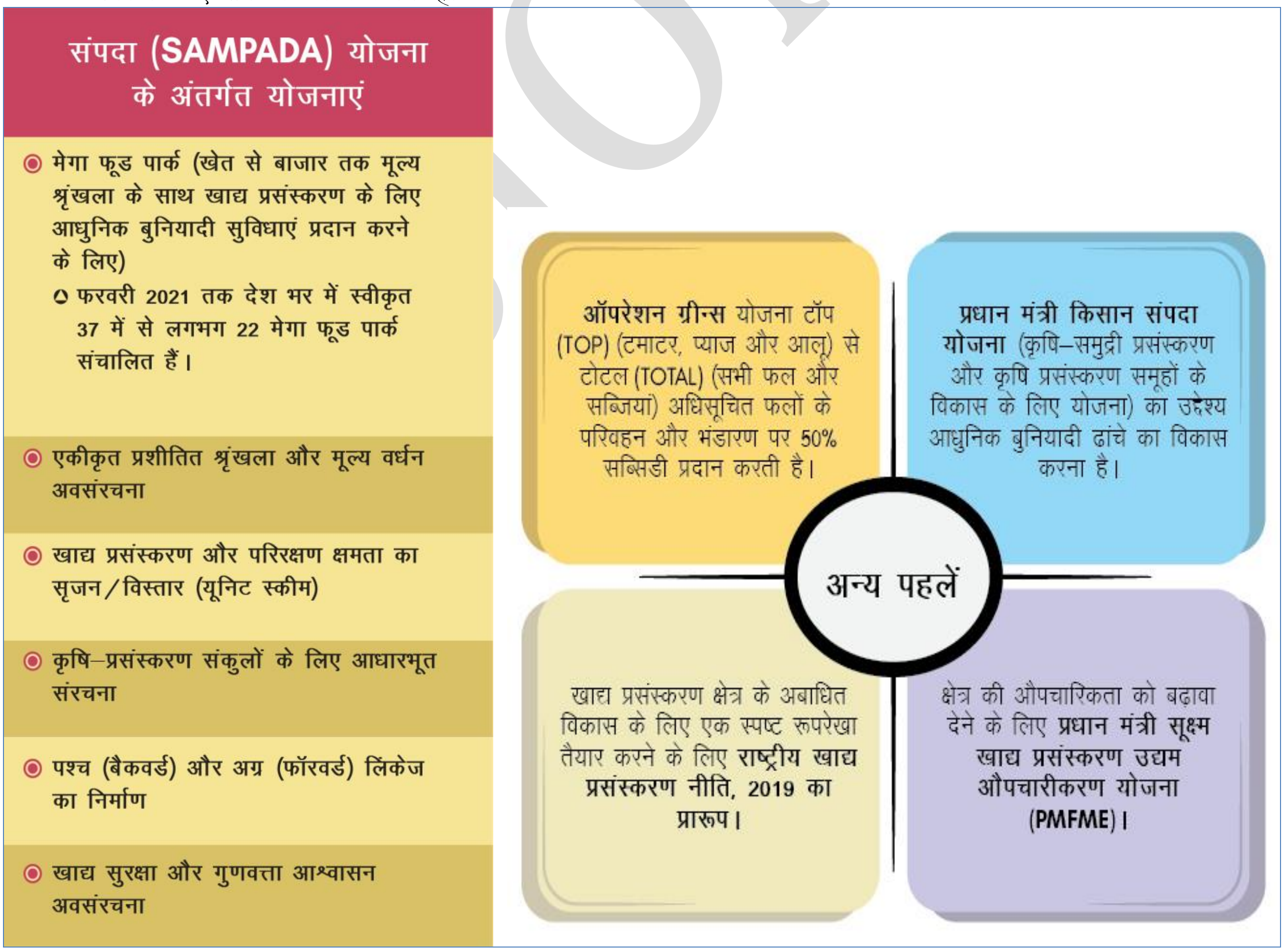

FPI के विकास में बाधाएं

औपचारीकरण का अभाव	• असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में लगभग 25 लाख इकाइयां शामिल हैं जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में 74 प्रतिशत रोजगार में योगदान देती हैं। **इनमें से लगभग 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और इनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं।** ○ आधुनिक तकनीक और उपकरणों, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण तक पहुँच का अभाव, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में आधारभूत जागरूकता की कमी; तथा ब्रांडिंग एवं विपणन संबंधी कौशल आदि के अभाव के कारण इनका निष्पादन और विकास सीमित है।
पर्याप्त प्रसंस्करण योग्य किस्मों का अभाव	• उत्पादन संबंधी उतार-चढ़ाव तथा उपयुक्त किस्मों के विकास और विस्तार संबंधी गतिविधियों को अपर्याप्त महत्व देने के कारण इस उद्योग को **कच्चे माल तक पहुँच प्राप्त करने में बाधाओं** का सामना करना पड़ता है। • किसानों के साथ प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और थोक खरीदारों के अपर्याप्त संपर्क के परिणामस्वरूप इस **उद्योग की आवश्यकताओं** तथा किसानों द्वारा कृषि-उपज की **आपूर्ति के मध्य असंतुलन** की स्थिति बनी हुई है।
गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान	• इसके लिए खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए **सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन करने हेतु निम्नस्तरीय गुणवत्ता मानक और नियंत्रण विधियाँ** उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए, सब्जियों को ठीक से धोये बिना ही खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ में प्रसंस्कृत कर दिया जाता है।
अवसंरचना संबंधी बाधाएं	• निर्बाध ढंग से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को प्रभावी तरीकों से एकीकृत करने वाली एक **कुशल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली की अनुपस्थिति** इस उद्योग के परिचालन में बाधा उत्पन्न करती है। प्राथमिक प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज तथा संबंधित अवसंरचना और वितरण सुविधाओं की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में अंतराल विद्यमान है। ○ कोल्ड चेन अवसंरचना स्थापित करने के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है और इस निवेश का प्रतिफल दीर्घावधि में प्राप्त होता है। इसलिए एकल खाद्य प्रसंस्करणकर्ता/प्रसंस्करणकर्ताओं में इस प्रकार के निवेश को वहन करने की क्षमता नहीं होती है।
अन्य बाधाएं	• इस उद्योग के संबंध में कार्यशील पूँजी की अत्यधिक आवश्यकता, नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों तथा औजारों की अल्प उपलब्धता, सूचना प्रबंधन के संबंध में अपर्याप्त स्वचालन, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के मध्य अपर्याप्त लिंकेज कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाधाएं हैं।

निष्कर्ष

- सुविकसित FPIs वस्तुतः **अपव्यय कम करने, मूल्यवर्धन में सुधार लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय को दोगुना करने, रोजगार में वृद्धि करने के साथ-साथ निर्यात संबंधी आय बढ़ाने** में सहायता कर सकते हैं। ये खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और जनता को स्वास्थ्यकर, **पौष्टिक खाद्य पदार्थ** उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- इसलिए, **अवसंरचना का निर्माण कर, गुणवत्ता मानकों में सुधार लाकर,** विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए **औपचारिक ऋण की आपूर्ति में वृद्धि कर और अर्थव्यवस्था में कुशल श्रम पूल का विस्तार कर आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने पर** ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। **कृषि निर्यात नीति (वर्ष 2018)** से खाद्य प्रसंस्करण/विनिर्माण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त होने की उम्मीद है।

3.8. उर्वरक सब्सिडी (Fertiliser Subsidy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक के लिए सब्सिडी संबंधी अनुदान को 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है (140% की वृद्धि)।

भारत में उर्वरकों की स्थिति

- पोषक तत्वों के संघटन के आधार पर भारतीय उर्वरक उद्योग को मोटे तौर पर **दो श्रेणियों** में विभाजित किया जा सकता है: **(i) नाइट्रोजन युक्त उर्वरक;** तथा **(ii) फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक।**
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय उर्वरक उद्योग **उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा और उपभोग के मामले में दूसरा सबसे बड़ा** उर्वरक उद्योग है।

Categories of Fertilizers	
Nitrogenous Fertilizers	Urea Calcium Ammonium Nitrate (CAN) Ammonium Nitrate Ammonium Sulfate Anhydrous Ammonia Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers	Mono-Ammonium Phosphate (MAP) Di-Ammonium Phosphate (DAP) Triple Superphosphate (TSP)
Potash Fertilizers	Muriate of Potash (MOP) Other Potash Fertilizers

* पूर्वानुमान अवधि (वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2026 तक) के दौरान भारतीय उर्वरक बाजार की **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR)** में **11.9%** की वृद्धि होने की संभावना है।

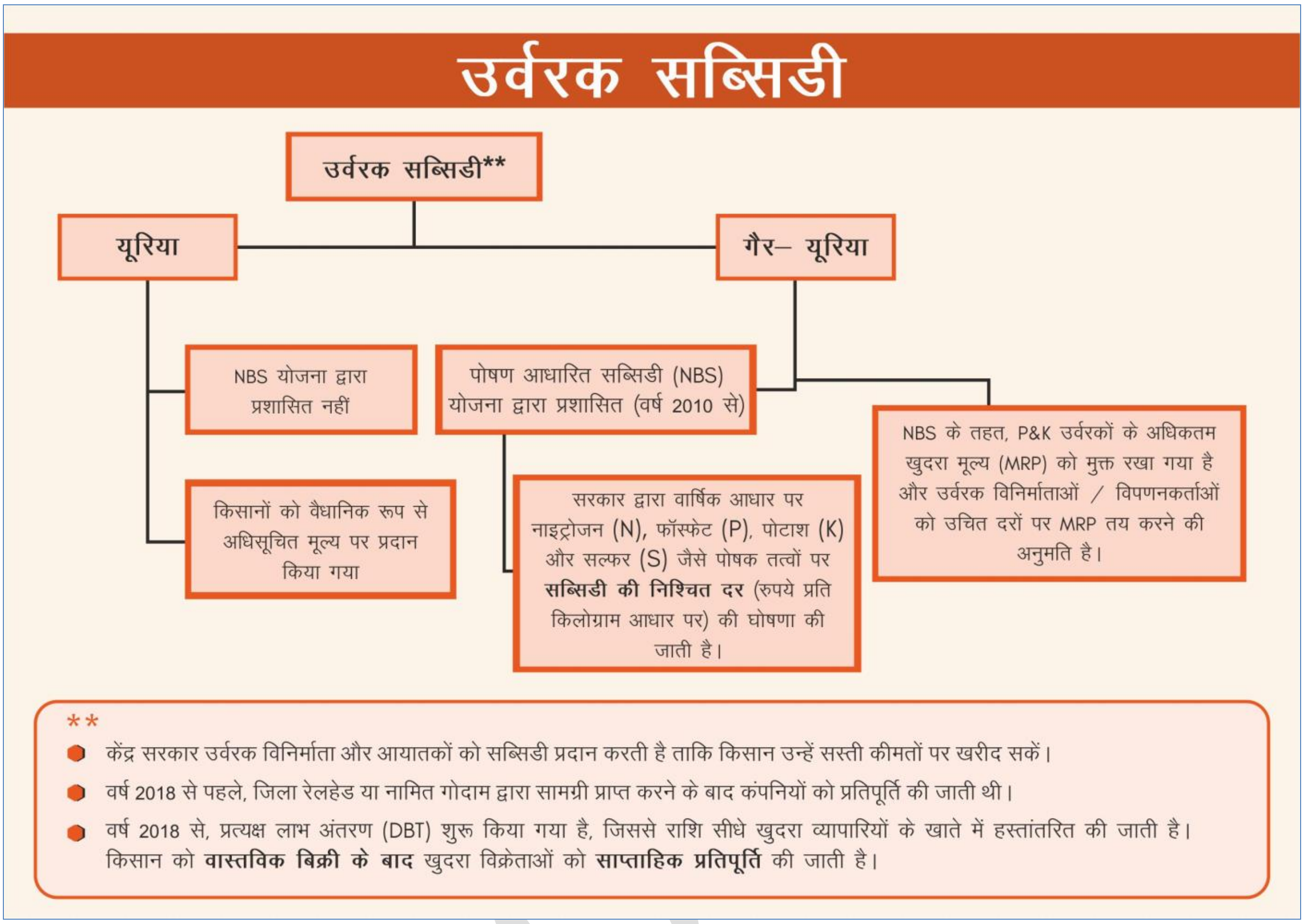

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित चिंताएं

* **उच्च राजकोषीय बोझ:** खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरकों की राजकोषीय सब्सिडी में हिस्सेदारी **(लगभग 0.73 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत)** अत्यधिक (दूसरे स्थान पर) है।
    * DAP की सब्सिडी में वृद्धि होने से, भारत सरकार को खरीफ के मौसम में **अतिरिक्त** व्यय (सब्सिडी के रूप में 14,775 करोड़ रुपये) करना पड़ेगा।
    * **व्यापक बकाया सब्सिडी संबंधी बैकलॉग, वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था की संधारणीयता** पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। वित्त वर्ष 2021 के अंत तक सब्सिडी संबंधी बैकलॉग बढ़कर **लगभग. 570 अरब रुपये** हो सकता है।

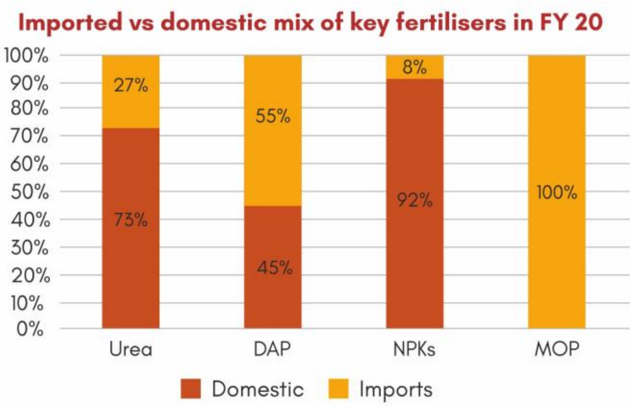

* **उर्वरक क्षेत्रक की आयात पर बढ़ती निर्भरता:** भारत में वार्षिक आधार पर लगभग 55 मिलियन मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत होती है, इसमें से घरेलू स्तर पर 72% का उत्पादन किया जाता है, जबकि शेष भाग का आयात (वित्त वर्ष 2020 में प्रमुख उर्वरकों के आयात तथा घरेलू उत्पादन अनुपात के संबंध में जानकारी हेतु ग्राफ का संदर्भ ले सकते हैं) किया जाता है।
* **सब्सिडी व्यवस्था के कारण उर्वरकों के असंतुलित उपयोग में वृद्धि:** जहाँ, आदर्श **NPK अनुपात 4:2:1** है, वहीं पंजाब और हरियाणा में वर्तमान में **25:5:1** के अनुपात में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के असंतुलित उपयोग के परिणामस्वरूप फसल की पैदावार भी प्रभावित होती है। साथ ही, यह मृदा स्वास्थ्य में गिरावट करने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित करता है।
    * नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना कभी-कभी कीटों से जुड़ी समस्याओं जैसे कि **कुछ कृषि संबंधी कीटों की जन्म दर, आयु और उनकी सुदृढ़ता में वृद्धि** को बढ़ावा दे सकता है।

- **अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करने से फर्टिलाईजर बर्न (Fertilizer burn)** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **पत्तियाँ सूख जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है या वे नष्ट भी हो सकते हैं।**

- **अत्यधिक उर्वरक उपयोग का पारिस्थितिकीय प्रभाव:** उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कई औद्योगिकीकृत देशों में, उर्वरकों के अति उपयोग से सतही जल और भूजल का संदूषण हुआ है।
    - पोषक तत्वों से युक्त उर्वरक अपवाह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता को उत्प्रेरित कर सकता है**,** जिससे **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो **मछलियों की मृत्यु** का कारण बन सकती है।

आगे की राह

- **किसानों को सब्सिडी की जगह प्रत्यक्ष नकद अंतरण करना:** विशेषज्ञों के अनुसार कंपनियों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने के बजाए धीरे-धीरे प्रत्यक्ष नकद अंतरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए अपनी रबी फसल से संबंधित रिपोर्ट में प्रति वर्ष 5,000 रुपये की नकद उर्वरक सब्सिडी की अनुशंसा की है।
- **सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना:** प्रत्येक फसली मौसम में पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से प्रत्येक किसान द्वारा खरीदी जाने वाली उर्वरक की बोरियों की संख्या को सीमित करके उर्वरकों के अधिक तर्कसंगत उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
    - **आयात समता मूल्य** के संबंध में किसानों द्वारा वहन किए जाने वाले **यूरिया के मूल्य में** सार्थक स्तर तक **वृद्धि करना पोषक तत्व संबंधी विकृतियों और सब्सिडी संबंधी चिंताओं** को दूर करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- **किसानों के मध्य जागरूकता का प्रसार:** किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही, फसलों और मृदा की बेहतर वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कृषि-जलवायविक क्षेत्रों के अनुसार आदर्श उर्वरक अनुपात को निर्धारित करना आवश्यक है।
- **रासायनिक उर्वरकों के हरित विकल्पों को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए, जैव उर्वरक (शैवाल, कवक और जीवाणु संबंधी) एक लागत प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प हो सकते हैं और फसल की पैदावार में 15-25% तक वृद्धि कर सकते हैं। एक अन्य पर्यावरण अनुकूल उर्वरक विकल्प यथा मंद गति से निर्मुक्त होने वाले प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि मिलोर्गेनाइट का उपयोग किया जा सकता है, जो पौधों के लिए मंद गति से पोषक तत्वों को निर्मुक्त करता है और मृदा पोषण को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता है।

यूरिया उपयोग से संबंधित विशिष्ट मुद्दे

- **यूरिया** को **परिव्यय के संदर्भ** में (कुल उर्वरक सब्सिडी में लगभग 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी) और **उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुपात** में (DAP और MOP के लिए लगभग 35 प्रतिशत की तुलना में 75 प्रतिशत प्रति किलोग्राम) **सर्वाधिक सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- यूरिया **भौतिक रूप से भी सर्वाधिक नियंत्रित** उर्वरक है। सरकार यूरिया क्षेत्रक को पाँच तरह से नियंत्रित करती है: (इन्फोग्राफिक देखें)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में इंगित किया गया था, कि **24% यूरिया सब्सिडी अकुशल उत्पादकों पर व्यय की जाती है, 41% का गैर-कृषिगत उपयोग कर लिया जाता है,** जिसमें पड़ोसी देशों तक तस्करी भी शामिल है और **24% का बड़े, संभवतः संपन्न किसानों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है।**
- **इसके प्रबंधन में "एक उत्पाद-एक मूल्य सिद्धांत"** (यह धारणा कि जो उत्पाद अनिवार्य रूप से समान हैं, उन पर अनिवार्य रूप से समान मूल्य प्रभारित करना चाहिए) के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि यूरिया पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी से उसका मूल्य काफी कम हो जाता है जिससे यूरिया की काला बाजारी/ब्लैक मार्केट के विकास को बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मार्केट में यूरिया का मूल्य औसतन निर्धारित मूल्यों से लगभग 61 प्रतिशत अधिक होता है।

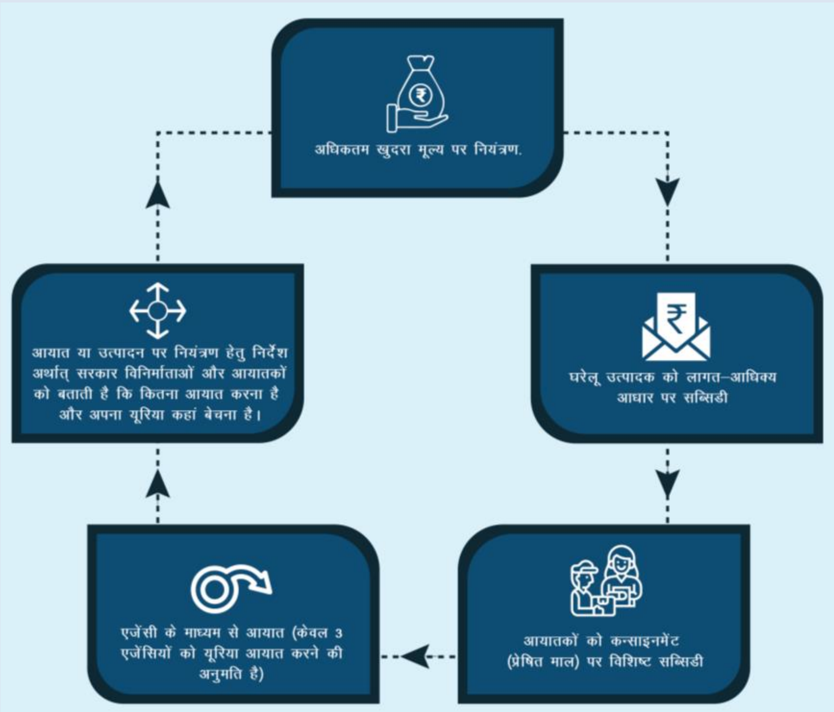

किए गए उपाय

- **स्वदेशी स्तर पर यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करने,** यूरिया उत्पादन में **ऊर्जा दक्षता** को बढ़ावा देने और सरकार पर **सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत करने** के उद्देश्य से **नई यूरिया नीति, 2015 {New Urea Policy (NUP), 2015}** को लागू किया गया है।
- **नीम लेपित यूरिया (Neem Coated Urea: NCU):** संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सभी घरेलू यूरिया उत्पादकों के लिए 100% NCU के उत्पादन को अनिवार्य कर दिया गया है।
- **गैस पूलिंग:** सभी प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को एक समान मूल्य पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए घरेलू गैस के साथ पुन: गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस की पूलिंग को प्रोत्साहित किया गया है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card: SHC):** इस कार्ड में 12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की स्थिति को संबोधित किया गया है, अर्थात् N, P, K (वृहद-पोषक तत्व); S (द्वितियक-पोषक तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (सूक्ष्म-पोषक तत्व); और pH, विद्युत चालकता (Electrical Conductivity: EC), जैविक कार्बन (Organic Carbon: OC) (भौतिक मापदंड)। यह दीर्घावधि तक मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक **उर्वरकों की मात्रा और अन्य मृदा संबंधी संशोधनों को इंगित करता है।**

3.9. दलहन (Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संघ सरकार ने **खरीफ ऋतु - 2021** के लिए एक रणनीति तैयार की है।

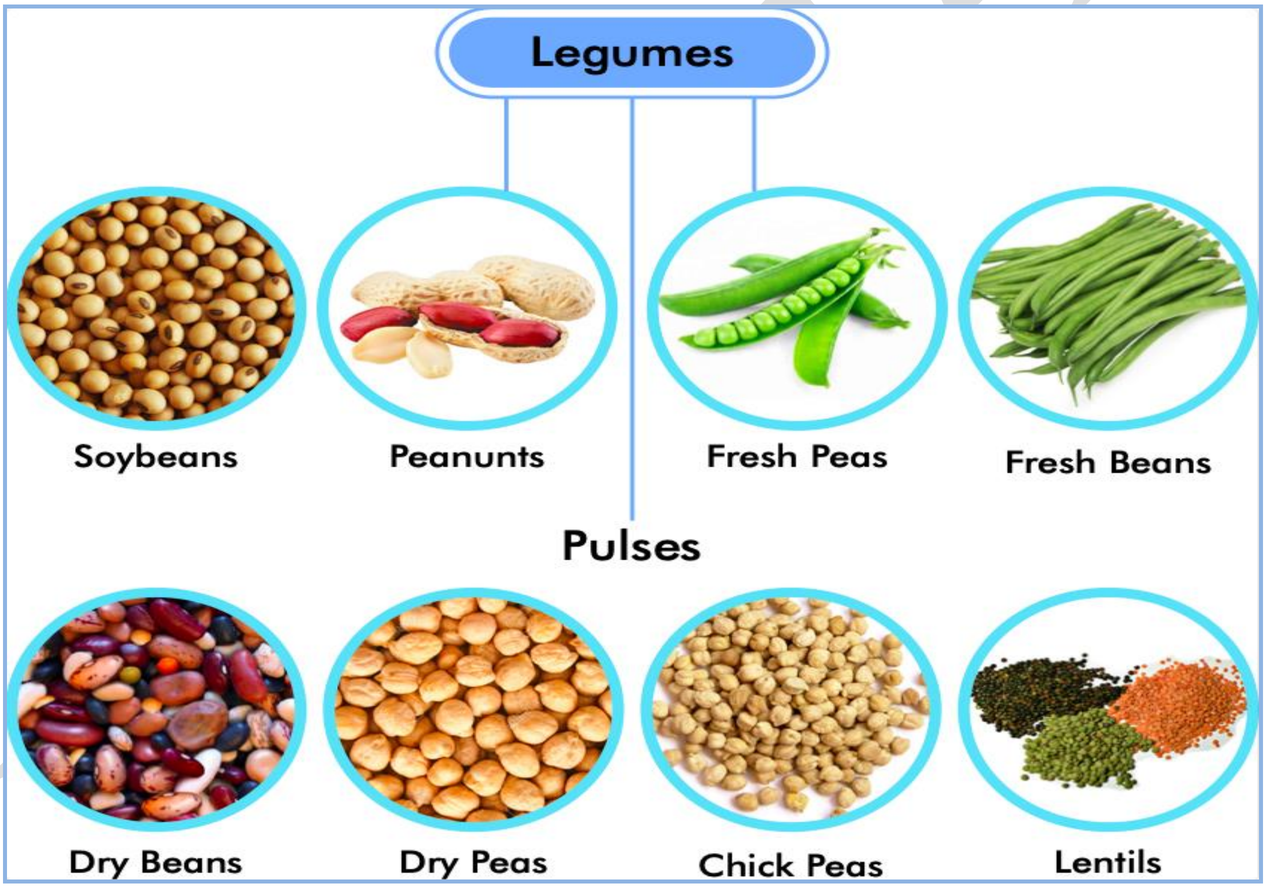

अन्य संबंधित तथ्य

- **तूअर, मूंग और उड़द दाल** के अंतर्गत फसली **क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि दोनों** के लिए भी एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
- साथ ही, अंतर फसली और एकल फसली माध्यम से इनके बुवाई क्षेत्र के विस्तार करने हेतु उच्च उपज वाली किस्मों (High Yielding Varieties: HYV) के **प्रमाणित बीजों** को **नि:शुल्क** वितरित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त 82.01 करोड़ रुपये की लागत के **20 लाख** से अधिक बीजों के **मिनी-किट** (विगत वर्ष की तुलना में दस गुना अधिक) वितरित किए जाएंगे।

भारत में दलहन

- दलहन वस्तुतः **फलीदार/लेग्युम समूह (legume family)** के पौधों के खाद्य योग्य सूखे बीज होते हैं जिन्हें सुपरफूड (उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें चना, मसूर, सूखी मटर, बीन्स आदि शामिल हैं।
- **भारत:**
    - दलहन का **सबसे बड़ा उत्पादक** (वैश्विक उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत) देश है।
    - **सबसे बड़ा उपभोक्ता** (वैश्विक उपभोग का लगभग 27 प्रतिशत) देश है।
    - दलहन के मामले में विश्व का **सबसे बड़ा आयातक** (लगभग 14 प्रतिशत) देश है।
- देश में **खाद्यान्न संबंधी फसली क्षेत्र** के अंतर्गत दलहन की हिस्सेदारी **लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र पर** है तथा **कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह लगभग 7-10 प्रतिशत** का योगदानकर्ता रहा है।
- दलहन वस्तुतः **रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं** में उगाई जाने वाली फसल है। हालांकि, **दलहनों की कुल उत्पादन में रबी ऋतु में उत्पादित दलहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक (60 प्रतिशत से अधिक) है।**

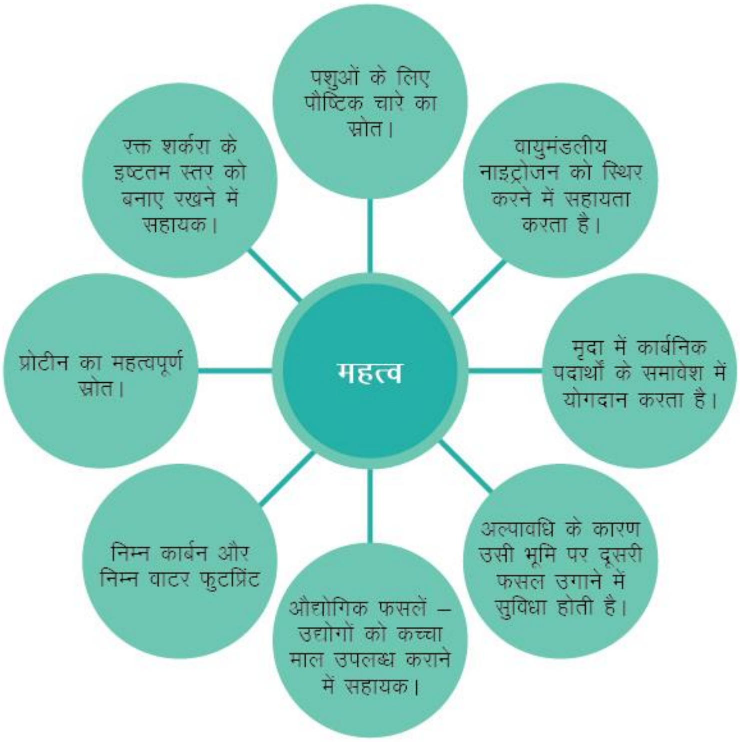

- **चना एक सबसे मुख्य दलहनी फसल है** और यह कुल दलहन उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी करता है। इसके बाद तूअर/अरहर और उड़द/काली उड़द का स्थान आता है। **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक** शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य हैं।

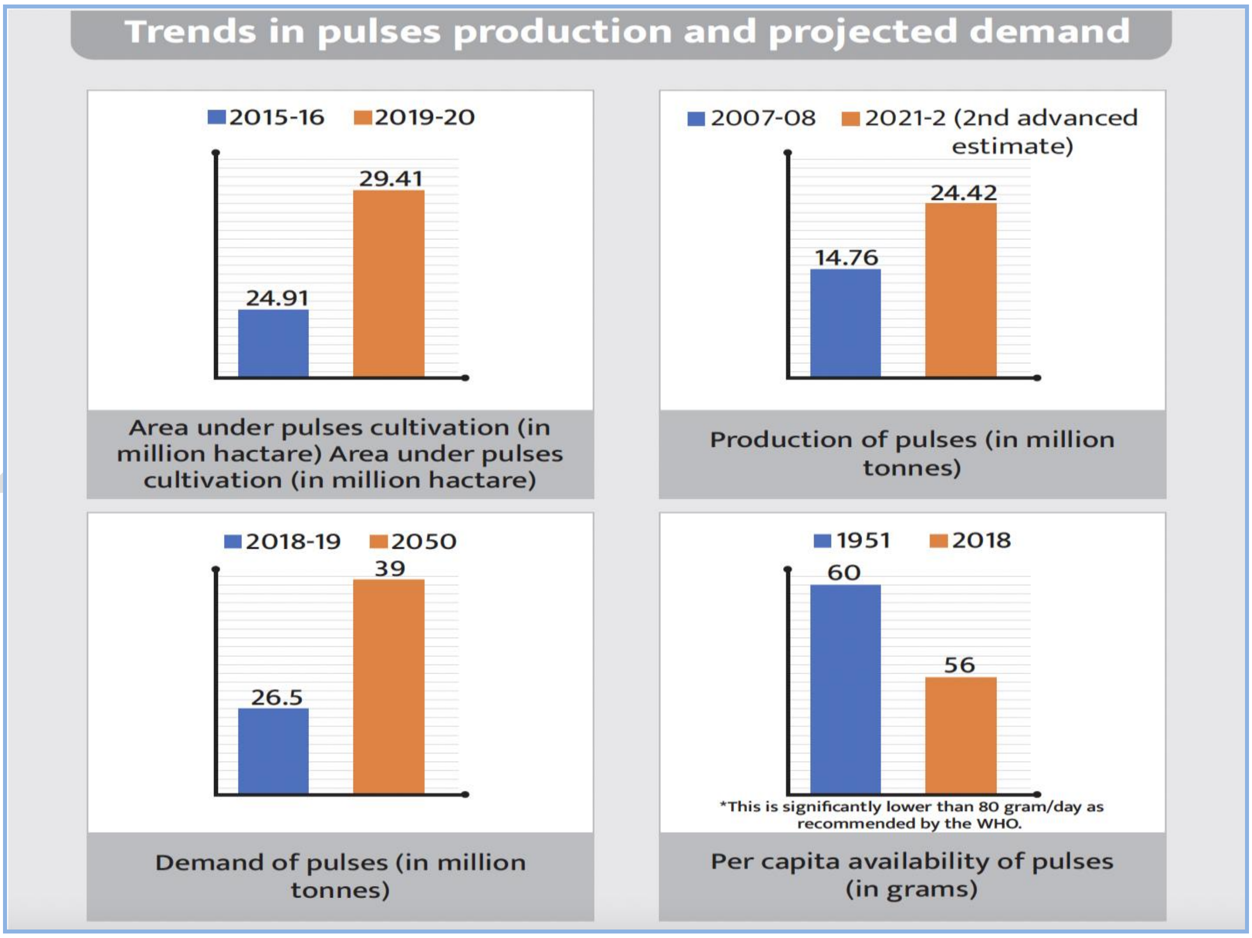

भारत के दलहन उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- **उच्च उपज अंतराल (High Yield Gap):** उपज अंतराल विश्लेषण उस व्यापक क्षमता को दर्शाता है जिसमें किसी के द्वारा फसली भू-क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना भारत में दलहन के समग्र उत्पादन को बढ़ाया जा सकता हो। भारत में अरहर के लिए दलहन उपज अंतराल (प्रयोगशाला की प्रायोगिक दशाओं में प्राप्त उपज की तुलना में खेतों में प्राप्त वास्तविक उपज) लगभग 50 प्रतिशत है। इसके बाद हरा चना (45 प्रतिशत) और अन्य का स्थान आता है।
- **आगत (इनपुट) संबंधी चुनौतियां:** उदाहरण के लिए, सभी स्तरों पर स्थान विशिष्ट/अनुशंसित HYV गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता, नकली और गैर-मानकीकृत बीजों की विद्यमानता, मृदा की ऊपरी परतों में बीजों की बुवाई करने वाले (light seed drills) मशीन, जीरो-टिल मशीन आदि जैसे उपकरणों का अभाव तथा संस्थागत ऋण प्राप्त करने में किसानों की अक्षमता उन्हें गुणवत्तापूर्ण आगतों को खरीदने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए हतोत्साहित करती हैं।
- **उत्पादन संबंधी चुनौतियां:** दलहन फसलें अनेक जैविक और अजैविक दबावों (जैसे- रबी फसल ऋतु की मध्यावधि के दौरान शीतलहर तथा आरंभ और अंत में पड़ने वाली गर्मी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी इत्यादि), मृदा की क्षारीयता, लवणता, जल-भराव इत्यादि के प्रति सुभेद्य होती हैं। फसल का उत्पादन मानसून की अनियमितता और आर्द्रता जैसे तनावपूर्ण कारकों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।
- **सीमांत भूमि पर कृषि:** हरित क्रांति ने दलहन की खेती को सीमांत और उप-सीमांत भूखंडो तक सीमित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप दलहन के उत्पादन में गिरावट आई है।
  - दलहनों के अंतर्गत लगभग 84 प्रतिशत फसली क्षेत्र वर्षा आधारित एवं अपेक्षाकृत निम्न उर्वरता वाली मृदा पर विस्तृत है।
  - विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सूखे और ऊष्मीय दबाव (Heat Stress) के कारण दलहन **बीजों की उपज क्षमता 50% तक कम** हो जाती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices: MSP) की अप्रभाविता:** यद्यपि 23 कृषिगत जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, लेकिन चयनित राज्यों में केवल गेहूं और चावल उत्पादकों को ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं। जबकि इनकी तुलना में दलहन उत्पादकों को प्राय: MSP से भी कम मूल्य प्राप्त होता रहा है। सुनिश्चित बाजार का अभाव अन्य फसलों की तुलना में दलहन उत्पादन को किसानों के लिए कम आकर्षक बनाता है।
- **फसल-कटाई के पश्चात् अवसंरचना का अभाव:** दलहन क्षेत्रक वस्तुतः वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण हेतु आवश्यक अवसंरचना और उससे संबंधित गतिविधियों, जैसे- मानकीकरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बीमा संबंधी सेवाओं के अभाव से ग्रसित है। उदाहरण के लिए, दलहन खाद्यानों हेतु देश में उपलब्ध कुल संगठित भंडारण क्षमता का लगभग 7.5 प्रतिशत (14.10 मिलियन मीट्रिक टन) हिस्सा ही उपयोग किया जाता है, जबकि कुल उत्पादन लगभग 23 मिलियन मीट्रिक टन है।
- **मूल्य संबंधी अस्थिरता:** क्रिसिल (CRISIL) के अनुसार, दलहन संबंधी खाद्यान में मुद्रास्फीति एक चक्रीय पैटर्न का अनुसरण करती है, जहां प्रत्येक 2-3 वर्षों में इनके मूल्यों में वृद्धि होती है। दलहनी फसलें **कॉबवेब/मकड़जाल परिघटना (cobweb phenomenon)** का अनुसरण करती हैं, इसके तहत उत्पादन एक अंतराल के बाद मूल्यों के संबंध में अनुक्रिया करता है जिससे **उत्पादन और मूल्यों में वृद्धि एवं गिरावट का एक आवर्ती चक्र सृजित हो जाता है।** इस परिघटना के लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसमें मूल्य निर्धारण संबंधी नीति, आयात नीति, उत्पादन संबंधी निर्णय और मौसम संबंधी दशाएं शामिल हैं।
- **अन्य चुनौतियों:** इसमें उत्पादन एवं प्रबंधन तकनीक संबंधी वर्तमान प्रगति के बारे में ज्ञान का अभाव, पोषक तत्व उपयोग दक्षता (Nutrient Use Efficiency: NUE) और स्प्रे सलूशन (छिड़काव करने के लिए उचित मात्रा में कीटनाशक के साथ पानी को मिश्रित करके विलयन बनाना) तैयार करने की विधि के बारे में निम्नस्तरीय ज्ञान आधार आदि शामिल हैं।

सरकारी योजनाएं

- **तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम और मक्का के लिए एकीकृत योजना (Integrated Schemes of Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize: ISOPOM):** इसके तहत बाजार अन्वेषण और प्रभावी मूल्य नीति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- **NFSM-दलहन:** चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission: NFSM) पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई है।
- **NFSM + विशेष प्रोत्साहन:** यह एक केंद्र प्रायोजित **त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Programme: A3P) और दलहन विकास योजना है।** इसके तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, जल का कुशल उपयोग करने वाले उपकरणों इत्यादि जैसी पहलों को आरंभ किया गया है।

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** यह **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) नामक छत्रक योजना का एक घटक है,** जिसे किसानों के लिए MSP सुनिश्चित करने हेतु आरंभ किया गया था।
  - राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद की जाती है।
  - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी PSS के अंतर्गत फसलों की खरीद करता है। खरीद में होने वाला व्यय और हानि दोनों का वहन केंद्र द्वारा किया जाता है।

आगे की राह

- **उत्पादन में वृद्धि करना:** वर्ष 1991 और वर्ष 2010 के मध्य **आंध्र प्रदेश** में दो प्रमुख दलहनी फसलों, जैसे- चना (काबुली चना) और अरहर के **उत्पादन में औसतन 81% से 100% तक की उच्च वृद्धि** दर्ज की गई थी, जो औसत राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में अत्यधिक उच्च थी। हालांकि इस उच्च उत्पादन के लिए निम्नलिखित घटक उत्तरदायी रहे हैं-
  - **उच्च-उपज वाली, जल्दी परिपक्व होने वाली तथा सूखा सहन करने वाली किस्मों के बीजों की समय पर उपलब्धता।**
  - **उन्नत किस्मों को अपनाना तथा उत्पादन संबंधी तकनीकों तक सुगम पहुंच।**
  - **कृषि गतिविधियों के मशीनीकरण और कुशल प्रबंधन द्वारा व्यावसायिक कृषि।**
  - **किसानों को स्थानीय स्तर एवं वहनीय लागत पर अनाज भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता।**
- **बफर स्टॉक को बनाए रखना:** उचित प्रबंधन की जवाबदेही के साथ आवश्यकता-आधारित बफर स्टॉक को बनाए रखना चाहिए, ताकि खाद्यान्न की किसी भी प्रकार की क्षति/बर्बादी न हो।
- **दालों तक पहुंच:** वर्षपर्यंत खुले बाजार में दालों की आसान उपलब्धता हेतु एक उचित व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा आवश्यक होने पर सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी दालों का वितरण कराया जाना चाहिए।
- **आयात के प्रावधान:** खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO) द्वारा प्रदत्त सेवाओं और संबंधित देशों में अपने दूतावासों के माध्यम से 30 दलहन-निर्यातक देशों में दलहन फसल की वृद्धि पर कड़ी नजर रखना चाहिए। यह हमें दलहन का आयात आसन्न होने पर अनुकूल शर्तों के अनुसार बातचीत करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत में साइबर सुरक्षा (Cyber Security In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एयर इंडिया ने सूचित किया है कि उसके डेटा सर्वर पर हुए एक साइबर हमले से विश्व के लगभग 4.5 मिलियन उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं।

साइबर सुरक्षा के बारे में

- साइबर सुरक्षा वस्तुतः **सूचना, उपकरण, कंप्यूटर संसाधन एवं संचार उपकरणों की सुरक्षा** संबंधी तथा उनमें संग्रहित सूचना तक अनधिकृत पहुंच, उसके अवैध उपयोग, प्रकटीकरण तथा हेरफेर एवं उनके विकृत या विनष्ट होने से रोकने हेतु किए गए प्रयासों को संदर्भित करती है।
- यह **साइबर स्पेस में निहित सूचना और संपत्ति को सुरक्षित** रखने की एक प्रक्रिया/विधि है।
    - साइबरस्पेस मुख्यतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा विश्वव्यापी नेटवर्क के वितरण द्वारा समर्थित सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के मध्य अंतःक्रिया को प्रतिबिंबित करता है।

साइबर स्पेस के सम्मुख विभिन्न खतरे

- साइबर संबंधी खतरों को अपराधियों और उनके उद्देश्यों के आधार पर **निम्नलिखित भागों में विभाजित** किया जा सकता है:
    - **साइबर अपराध/साइबर हमले:** किसी व्यक्ति या संपूर्ण संगठन द्वारा नियोजित किसी भी प्रकार का हमला करने का कौशल जो लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क या प्रणाली को क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयोजन से कंप्यूटर सूचना प्रणाली, संबंधित अवसंरचना और कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित करता है।
    - **साइबर आतंकवाद:** साइबर स्पेस से संबंधित आतंकवादी गतिविधियों या साइबर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निष्पादित की गई आतंकवादी गतिविधियों को सामान्य रूप से 'साइबर आतंकवाद' के रूप में जाना जाता है। यह आतंकवाद और साइबर स्पेस का अभिसरण की स्थिति है।
    - **साइबर युद्ध:** इसके तहत किसी राज्य या संगठन के, विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों वाली सूचना प्रणाली पर सुविचारित रूप से हमला कर गतिविधियों को बाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
    - **साइबर जासूसी:** इसके तहत सरकार या अन्य संगठनों द्वारा धारित गोपनीय सूचनाओं तक अवैध पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

साइबर सुरक्षा के सामरिक और विशिष्ट महत्व को रेखांकित करने वाले कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विभिन्न राज्य साइबर हमलों के विरुद्ध क्षमताओं के निर्माण हेतु प्रयासरत हैं, जो युद्ध क्षेत्र में परिणामों को परिवर्तित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई रिपोर्टों में मुंबई पावर आउटेज (वर्ष 2020 में हुए) के लिए चीन को दोषी ठहराया गया है।
- **सार्वजनिक नीतियों में साइबर स्पेस का उपयोग:** साइबर स्पेस सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और निष्पादन की दिशा में एक प्रमुख घटक बन गया है।
- **निजी क्षेत्र की सुरक्षा:** भारत में, निजी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से विद्युत, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा में साइबर सुनम्यता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **सुरक्षित सेवा वितरण हेतु:** साइबर स्पेस की उपेक्षा से रेलवे, रक्षा प्रणाली, संचार प्रणाली, बैंकिंग और अन्य वित्तीय प्रणाली आदि जैसी कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
- **डिजिटलीकरण में वृद्धि:** लोगों के मध्य इंटरनेट आधारित सेवाओं के उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। यह स्थिति साइबर अपराधों के प्रति उनकी सुभेद्यता को बढ़ा सकती है, जैसे- ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, निगरानी, प्रोफाइलिंग, गोपनीयता का उल्लंघन आदि।
    - औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 15-20 गीगाबिट डेटा का उपभोग किया जाता है तथा डेटा सृजन में वृद्धि की दर लगभग 35% से अधिक है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) के अधिक समावेशन के साथ, साइबरस्पेस एक जटिल प्रक्षेत्र बन जाएगा।
    - कोविड-19 जनित प्रौद्योगिकी उन्नति और वर्क फ्रॉम होम की प्राथमिकता के कारण साइबर स्पेस पर निर्भरता को अत्यधिक बढ़ावा मिला है।

 ©Vision IAS
VISIONIAS

साइबर सुरक्षा के लिए विद्यमान तंत्र

विधिक ढांचा

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013**
  - 24 घंटें कार्य करने हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना संरक्षण केंद्र **(National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC)** की स्थापना करना तथा आगामी पांच वर्षों में **5,00,000 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों** के कार्यदल का सृजन करना आदि इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2008 में संशोधन)**
  - यह कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क, तथा उनके डेटा के उपयोग को विनियमित करता है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018**
  - यह डिजिटल संचार की संप्रभुता, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है।

संस्थागत ढांचा

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र **(National Cyber Security Coordination Centre: NCCC)**
  - यह भारत की साइबरस्पेस से संबंधित आसूचना एजेंसी है जो सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कार्य करती है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (India's Computer Emergency Response Team: CERT-In)**
  - यह सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत साइबर सुरक्षा की प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेशित है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)**
  - इसे महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र **(Indian Cyber-Crime Coordination Centre: I4C)** और साइबर योद्धा पुलिस बल को इंटरनेट आधारित अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (SWC):** नागरिकों के बीच जागरूकता में वृद्धि करने हेतु।

अन्य उपाय

- **डिजिटल आर्मी कार्यक्रम:** यह भारतीय थल सेना की प्रक्रियाओं और कार्यपद्धतियों तथा सेवाओं को डिजिटल और स्वचालित बनाने हेतु एक समर्पित क्लाउड है, जिसे डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
- सरकारी वेबसाइटों और **एप्लीकेशनों का लेखा परीक्षा।**
- **विभिन्न राज्य सरकारों की पहल: तेलंगाना** (साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना), **केरल** (केरल पुलिस के लिए **साइबरडोम** उत्कृष्टता केंद्र), **महाराष्ट्र** (**'साइबर सुरक्षित महिला'** नामक पहल का शुभारंभ) इत्यादि।

भारत में साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां

संरचनात्मक

- किसी भी तरह के **भौगोलिक अवरोधों की अनुपस्थिति,** हमलावरों को विश्व में कही भी हमला करने में सक्षम बनाती है।
- इंटरनेट तक पहुँच के लिए उपयोग किए जाने वाले **उपकरणों में एकरूपता का अभाव** है।

प्रशासनिक

- साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की संरचना का अभाव है।
- **सुरक्षा ऑडिट आवधिक** रूप से नहीं होता है, न ही यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
- वर्ष 2014 में **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक** की नियुक्ति को राज्यों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला।

मानव संसाधन से संबंधित

- तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के लिए **निवेश, मानवशक्ति** और एक पारितंत्र की आवश्यकता है, जो **वैश्विक विकास पर नजर रखे, प्रतिवाद विकसित करें और प्रतिस्पर्धा में आगे रहे।**
- अधिकांश परिष्कृत साइबर **हमलों में मानवीय तत्व** शामिल है।

प्रक्रियात्मक

- **आई.टी. अधिनियम, 2000** और साइबर अपराधों से संबंधित **IPC** के विभिन्न प्रावधानों के बारे में **स्थानीय पुलिस में जागरूकता का अभाव।**
- विमुद्रीकरण के पश्चात्, सरकार ने उपकरणों या लेन–देन की सुरक्षा के बारे में क्षमता और जागरूकता के बिना ही नागरिकों को **'कैशलेस'** होने के लिए अभिप्रेरित किया, जिससे **सुभेद्यता बढ़** रही है।
- सेवा वितरण और प्रबंधन में आई.टी. के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखते हुए, उत्पन्न **नागरिक डेटा** की मात्रा समय के साथ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान सुरक्षा उपायों में इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है।

आगे की राह

- **सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचनाओं के साझाकरण और समन्वय के लिए एक तंत्र** विकसित किया जाना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा बलों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO), सर्ट-इन

(CERT-In), रॉ (RAW), आई.बी., सी-डैक (C-DAC), मंत्रालयों, एन.आई.सी., नैसकॉम, निजी उद्योग आदि को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

- **साइबर युद्ध के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही के उत्तरदायित्व के साथ** भारत को एक **साइबर कमांड** के निर्माण हेतु प्रयास करने चाहिए।
- सरकार द्वारा **निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक तंत्र** की स्थापना और ऐसे मानदंडों के अनुपालन को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।** चूंकि निजी क्षेत्र समान रूप से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करने के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- आवश्यक कौशल और अवसरों की समझ प्रदान करने के क्रम में **अकादमिक कर्मचारियों और स्नातकों को सहयोग करने के लिए मानव संसाधन** को तैयार करने पर बल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान, आई.टी. आदि पर आधारित पाठ्यक्रम को सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- भारत सरकार को **डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में** नैसकॉमके साथ मिलकर **कार्य करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।**
- **भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम आचरणों का पालन किया जा सकता है, जैसे कि टालिन मैनुअल,** जो कि साइबर अपराधों पर लागू होने वाले कानूनों से संबंधित एक अकादमिक दस्तावेज है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी लागू किया गया है।

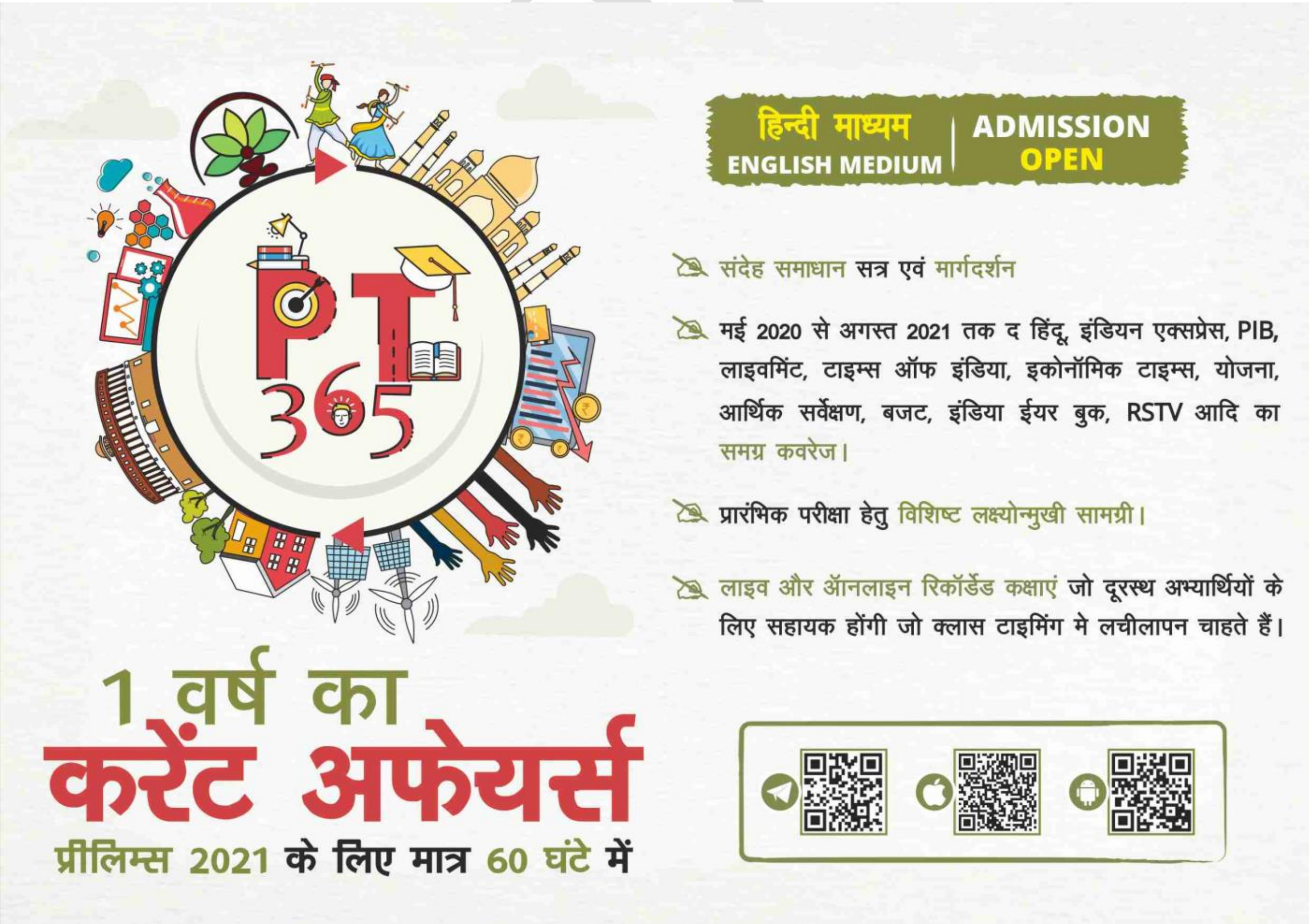

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Climate-Smart Public Private Partnerships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक के अनुसार, **पेरिस जलवायु समझौते** को कार्यान्वित करने और **अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्था** की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जलवायु संबंधी वित्त की आवश्यकता है। ऐसे में जलवायु संबंधी वित्त में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए **क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)** की महत्वपूर्ण भूमिका है।

क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs क्या हैं?

विश्व बैंक के अनुसार, PPP वस्तुतः किसी निजी पक्षकार और सरकारी एजेंसी के मध्य सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवा प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध होता है, जिसके तहत **निजी पक्षकार द्वारा महत्वपूर्ण जोखिम और प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्व का वहन किया जाता है।** इस संदर्भ में, क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

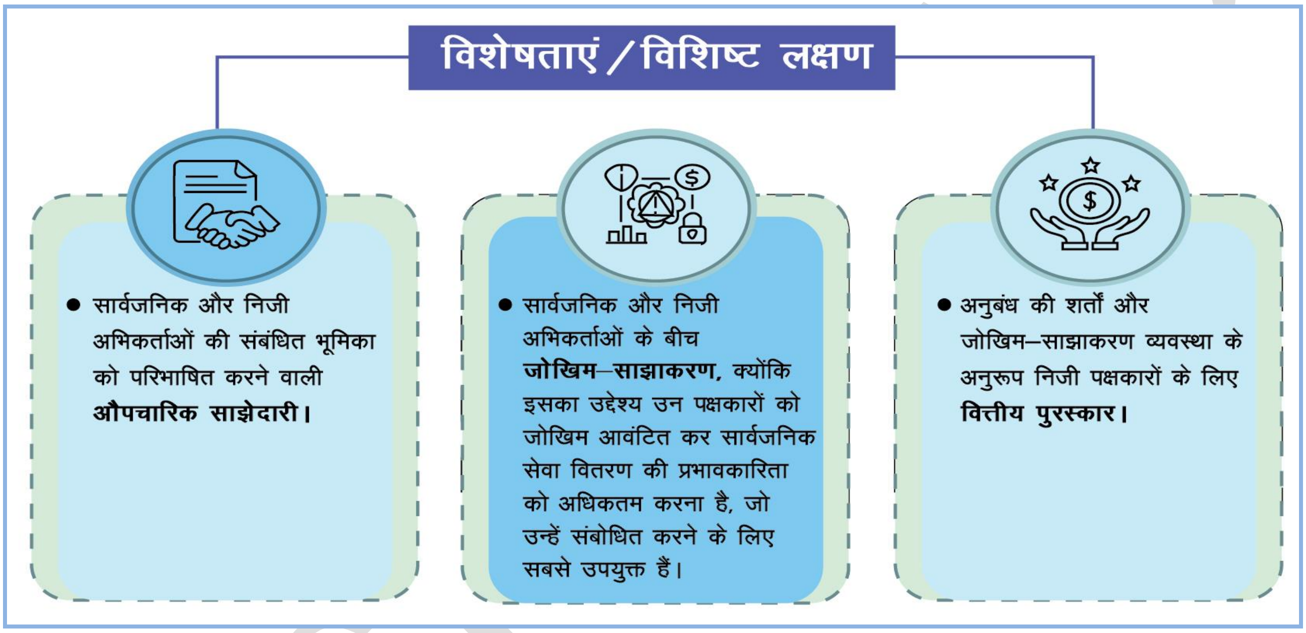

हमें क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs की आवश्यकता क्यों है?

- **पूंजी उपलब्धता:** सार्वजनिक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में **स्थानीय रूप से उपलब्ध वित्त पर दबाव को कम करने** की व्यापक क्षमता होती है। इस प्रकार यह हरित विकास को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
    - यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के संबंध में शमन और अनुकूलन हेतु UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) और अन्य स्रोतों से वित्तपोषण के माध्यम से उपलब्ध होने वाली अधिकतम निधि **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष** है, जो **प्रति वर्ष 275 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की अनुमानित अनिवार्यता से काफी कम है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता:** निजी क्षेत्रक द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों और उससे संबद्ध तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- **समावेशी दृष्टिकोण:** यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में सार्वजनिक क्षेत्रक का नेतृत्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ जलवायु संबंधी वित्त के कुछ घटकों को निजी क्षेत्रक के स्वामित्व में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाकर एक समावेशी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- **कार्य-संचालन की दक्षता में सुधार:** इसके तहत दोनों पक्षकारों को उनकी प्रबंधन संबंधी दक्षता के अनुसार अलग-अलग जोखिम आवंटित किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित परियोजना के जीवन-चक्र के दौरान लागत में कमी आती है।
- **बेहतर कार्यान्वयन और सेवा वितरण:** इसके तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक की विशिष्ट एवं परस्पर-पूरक विशेषताओं से लाभान्वित हुआ जा सकता है।
- **बेहतर वित्तीय प्रभावन क्षमता:** कई प्रकार की नीतिगत और वित्तीय साधनों से युक्त बेहतर वित्तीय प्रभावन क्षमता का उपयोग जलवायु संबंधी वित्त वाले PPPs में किया जा सकता है।

क्लाइमेट-स्मार्ट PPP व्यवस्था के कुछ उदाहरण

- **P4G,** जिसका अर्थ **पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स 2030** है, एक ऐसी वैश्विक पहल है जो **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के माध्यम से जलवायु कार्रवाई और हरित आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करती है। साथ ही, इसका लक्ष्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों** और **पेरिस समझौते** को पूरा करना भी है।
- **कम्युनिटी डेवेलपमेंट कॉर्बन फंड** एक PPP फंड है, जो कॉर्बन बाजारों {जिनका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैसों (GHGs, या 'कार्बन') उत्सर्जन को लागत प्रभावी ढंग से कम करना है} की पारंपरिक सीमाओं के दायरे से परे लघु-पैमाने वाली व निर्धन-समर्थक परियोजनाओं (pro-poor projects) के वित्तपोषण का समर्थन करती है।
- भारत में, **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC)** के तहत नागरिक समाज एवं PPP को शामिल करके समावेशी व संधारणीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

क्लाइमेट स्मार्ट PPPs के सृजन से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं?

- **नीतिगत एवं विनियामक समस्याएं:** असहयोगात्मक पर्यावरण नीतियां वस्तुतः स्वच्छ बनाम प्रदूषणकारी परियोजनाओं के सापेक्षिक मूल्य-निर्धारण को नकारात्मक रूप से प्रभवित करती हैं तथा निजी निवेशकों के लिए **विनियामक संबंधी जोखिम एवं अनिश्चितता** को उत्पन्न करती है।
- **नियतात्मक अनुबंध बनाम अनिश्चित घटनाएँ (Deterministic Contracts vs. Uncertain Events):** सैद्धांतिक रूप में, PPP अनुबंधों के तहत नियतात्मक विशेषताएं वस्तुतः अनिश्चित घटनाओं के प्रबंधन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि PPP अनुबंधों में उच्च अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित रूप से घटित होने वाले जोखिमों (जैसे- जलवायु संबंधी जोखिम) से निपटने के लिए एक लचीले दृष्टिकोण का अभाव होता है।
- **राहत और क्षतिपूर्ति:** इसके तहत सभी प्रकार के जलवायु संबंधी खतरों को शामिल करने वाली एक विस्तृत सूची का अभाव है, जो PPP आधारित परिसंपत्ति को कुछ घटनाओं (जैसे- तूफान, ओलावृष्टि संबंधी क्षति) के लिए राहत या क्षतिपूर्ति पाने की पात्रता संबंधी अक्षमता को उजागर करती है।
- **बीमा:** विकासशील देशों में वाणिज्यिक बीमा बाजारों की सीमित पहुंच संबंधी स्थिति PPP आधारित परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के लिए सुभेद्य बनाती है।
    - बीमा की सीमित पहुंच और वहनीयता वस्तुतः PPP परियोजनाओं में जोखिम को बढ़ाती है और इस प्रकार यह स्थिति निवेशकों को जोखिम के प्रति सुभेद्य बनाकर ऐसे PPPs में निवेश करने से हतोत्साहित करती है।
- **खरीद संबंधी पक्षपात:** जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्रक द्वारा प्रस्तावित नवीन प्रत्यास्थ उपायों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की आवश्यकता हो सकती है (जैसे कि अतिरिक्त अनुकूलन संबंधी लागतों को पूरा करने के लिए)। लेकिन खरीद संबंधी परिदृश्य में "प्रतिस्पर्धी बोली" के तहत अत्यधिक भारांश आर्थिक मूल्यांकन संबंधी मानदंड को दिया जाता है जो निजी क्षेत्रक को ऐसे अभिनव समाधान प्रस्तावित करने से हतोत्साहित कर सकते हैं जिनके लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हो।
- **सिद्धांत-अभिकर्ता संबंधी समस्या (Principal-Agent Problem):** इसके तहत अपरिभाषित और गैर-निर्धारित जलवायु संबंधी जोखिमों के आलोक में PPPs से संबंधित सिद्धांत-अभिकर्ता संबंधी समस्याएं जैसे कि **सूचना संबंधी विषमता** और **नैतिकता संबंधी खतरे** वस्तुतः चिंता का एक प्रमुख विषय हो सकते हैं।

कैसे इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और क्लाइमेट-स्मार्ट PPPs के सृजन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए?

- **निजी पक्षकारों के हितों की सुरक्षा करना:** PPPs फ्रेमवर्क के तहत निजी वित्त से संबंधित जोखिम को कम करके निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता प्रदान करनी चाहिए।
- **PPP सूत्रीकरण:** पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय तंत्र की विद्यमानता को सुनिश्चित करने के लिए PPPs का सहयोगात्मक रूप से विकास करना और आरंभिक स्तर पर निजी क्षेत्रक की भागीदारी आवश्यक तत्व हैं। साथ ही, PPPs को उसमें सम्मिलित सभी पक्षकारों की विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।

- **उचित समन्वय:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के विभिन्न संगठनों के मध्य गतिशीलता संबंधी कार्यक्रमों के तहत निश्चित अवधि के लिए कर्मचारियों का आदान-प्रदान परस्पर समझ और संचार को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
- **जोखिम संबंधी भागीदारी:** विशेषज्ञ तकनीकी सहायता द्वारा समर्थित व संयुक्त रूप से जोखिम लेने में वृद्धि करने से जलवायु संबंधी वित्त की उपलब्धता में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके त्वरित परिनियोजन में भी सहायता मिलेगी।
- **हितधारकों के मध्य परामर्श:** चूँकि PPPs का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना होता है, इसलिए एक सुदृढ़ हितधारक परामर्श प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जलवायु वित्त से संबंधित PPPs द्वारा जमीनी आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करने के लिए अंतिम लाभार्थियों पर भी विधिवत विचार करना चाहिए।
- **मूल्यांकन तंत्र:** PPPs के वास्तविक दृष्टांतों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने से PPPs के उपयोग के लिए अधिक रुचि उत्पन्न करने में योगदान मिलेगा। इसके साथ ही, यह अधिक सफलता विशिष्ट कारकों की पहचान करने में भी सहायता करेगा।

5.2. संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2020 (Protected Planet Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UN Environment World Conservation Monitoring Centre: UNEP-WCMC), अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) और नेशनल जियोग्राफिक सोसायटी द्वारा **संरक्षित ग्रह रिपोर्ट, 2020** जारी की गयी है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

संरक्षित क्षेत्रों और OECMs में वृद्धि

- **लगभग 82% देशों और क्षेत्रों** ने वर्ष 2010 से संरक्षित क्षेत्रों एवं OECM के कवरेज में अपने योगदान में वृद्धि की है।
- वर्ष 2010 से, **लगभग 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर** के संरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक नेटवर्क में जोड़ा गया है।
- इसमें अब तक शामिल किए गए कुल क्षेत्र के **42%** भाग को पिछले दशक में शामिल किया गया था, जिसमें **सर्वाधिक वृद्धि समुद्री और तटीय क्षेत्रों** में हुई है।
- **संरक्षित क्षेत्रों और OECM के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।** यह प्रजातियों की आवाजाही तथा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के अनुरक्षण को सुगमता प्रदान कर रहा है।

चिन्हित चुनौतियाँ

- **संरक्षित क्षेत्रों और OECMs में अभिशासन एवं प्रबंधन** की प्रभावशीलता के बारे में आंकड़ों का अभाव है।
- जैव विविधता की धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए **विभिन्न स्थलीय एवं समुद्री परिदृश्यों, साथ ही विकास संबंधी क्षेत्रक में संरक्षित क्षेत्रों और OECMs को एकीकृत करना** एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
- तटीय जल से परे **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।**

सुझाव

- **प्रभावशीलता के लिए वैश्विक मानक का अधिक से अधिक अनुप्रयोग करना।** इसके लिए IUCN की संरक्षित और परिरक्षित क्षेत्रों की हरित सूची, इन संरक्षित क्षेत्रों और OECMs से संबंधित अभिशासन और प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता करेगी।
- **संरक्षित क्षेत्र और OECMs दोनों में विभिन्न प्रकार की अभिशासन व्यवस्थाएं,** यथा– सरकारी, निजी, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा अभिशासन, या इनमें से किसी भी प्रकार की संयोजन व्यवस्था की जा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रकृति के अनुकूल समाधान के रूप में संरक्षित और परिरक्षित क्षेत्रों की भूमिका को पहचानते हुए अधिक **प्रभावी राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क में निवेश करना।**
- स्थानीय समुदाय, स्वदेशी लोगों और निजी अभिकर्ताओं के मौजूदा प्रयासों को मान्यता और स्वीकृति प्रदान करने से **संरक्षित और परिरक्षित क्षेत्रों का विस्तार** करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- संरक्षित ग्रह रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है। **इसमें विश्व के संरक्षित (protected) और परिरक्षित (conserved) क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है।**
  - **स्थलीय और जलीय क्षेत्रों** में स्थित ऐसे क्षेत्र जिनका लक्ष्य संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना या जो प्रभावी रूप से संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहें हैं, उन सभी क्षेत्रों/स्थानों को सामूहिक रूप से संरक्षित और परिरक्षित क्षेत्र कहा जाता है
  - संरक्षित क्षेत्र प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। साथ ही, इन क्षेत्रों पर अन्य बाहरी क्षेत्रों की तुलना में मनुष्यों से संबंधित गतिविधियों का दबाव भी कम पड़ता है।
- इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण **आईची जैव विविधता लक्ष्य 11** की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है और भविष्य का मूल्यांकन करता है कि विश्व वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे को अपनाने के लिए कहाँ तक तैयार है।
- **संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (Other Effective Area-based Conservation Measure: OECM) पर डेटा को सम्मिलित करने वाली** यह पहली श्रृंखला है।
  - **अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM)** वस्तुतः उन क्षेत्रों के लिए संरक्षण को संदर्भित करते हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का प्रभावी स्व-स्थाने (in-situ) संरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं।
  - यद्यपि संरक्षित क्षेत्रों का प्रमुख उद्देश्य परिरक्षण होना चाहिए, **तथापि OECMs के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है,** बशर्ते कि उन उद्देश्यों से जैवविविधता के लिए प्रभावी दीर्घकालीन परिरक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त हों।

आईची जैवविविधता लक्ष्यों के बारे में (About Aichi Biodiversity Targets)

- वर्ष 2010 में नगोया में जैव विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity: CBD) के पक्षकारों ने **जैवविविधता 2011-20** के लिए एक **रणनीतिक योजना को अंगीकार किया था।** यह एक 10 वर्षीय कार्ययोजना है जिसके तहत सभी देशों और हितधारकों को जैवविविधता की सुरक्षा एवं लोगों को इससे प्राप्त होने वाले लाभों को प्रदान करने के लिए कार्रवाई करना है।
- **इस रणनीतिक योजना के भाग के रूप में** 20 महत्वाकांक्षी लेकिन यथार्थपरक लक्ष्यों को अपनाया गया है। इनको **आईची जैवविविधता लक्ष्य** के नाम से जाना जाता है।
  - **आईची जैव विविधता लक्ष्य क्रमांक 11** का उद्देश्य वर्ष 2020 तक **17% स्थलीय भू-भाग और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र तथा 10% तटीय एवं महासागरीय क्षेत्रों का संरक्षण करना है।**

5.3. वैश्विक मीथेन आकलन (Global Methane Assessment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (Climate and Clean Air Coalition) नामक संस्था के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** द्वारा "वैश्विक मीथेन आकलन: मीथेन उत्सर्जन शमन के लाभ और लागत (Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions)" रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।

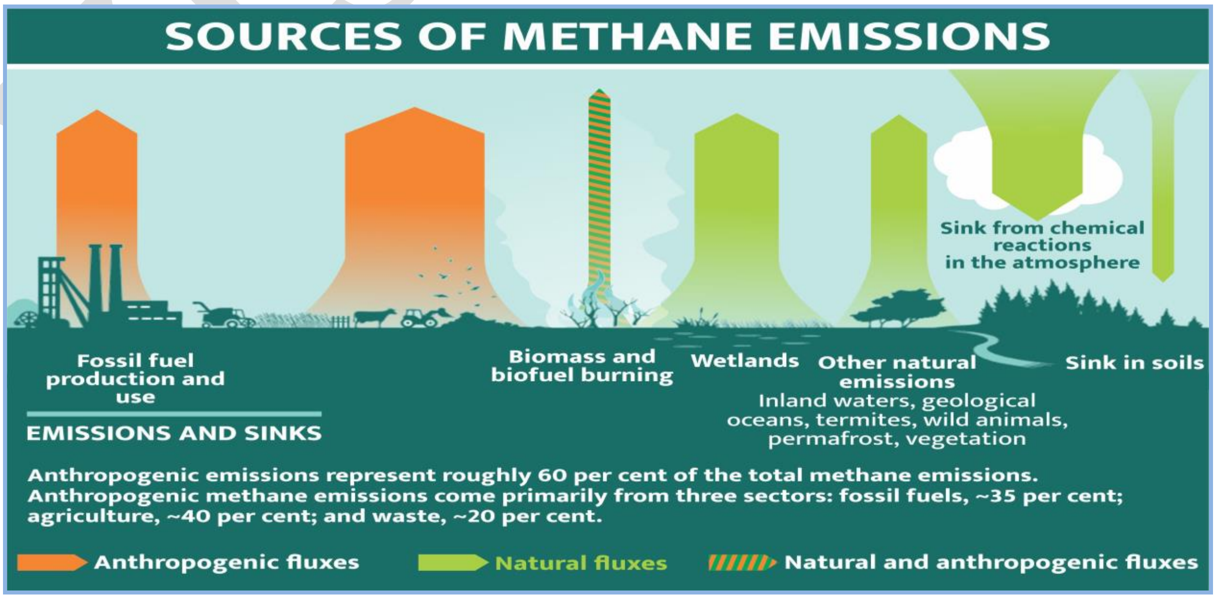

मीथेन के बारे में

- **मीथेन एक लघु अवधि वाला जलवायु प्रदूषक (Short-Lived Climate Pollutant: SLCP) है।** वायुमंडल में इसकी विद्यमानता लगभग एक दशक तक बनी रहती है।
    - **लघु अवधि वाले जलवायु प्रदूषक** वस्तुतः जलवायु को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली प्रदूषक होते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) की तुलना में ये प्रदूषक वायुमंडल में बहुत कम अवधि तक बने रहते हैं, परंतु इनकी वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता CO_2 की तुलना कई गुना अधिक हो सकती है।
- मीथेन द्वारा **धरातलीय-ओजोन के निर्माण** में योगदान दिया जाता है, जो एक खतरनाक वायु प्रदूषक है।
    - मानवजनित मीथेन उत्सर्जन के कारण निर्मित धरातलीय-ओजोन से **विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होती है।** यह पारिस्थितिक तंत्र और फसलों को हानि पहुंचाती है जिसके कारण फसलों का विकास बाधित हो जाता है और उत्पादन में गिरावट आती है।
- मीथेन के संबंध में लघु वायुमंडलीय जीवन अवधि का अर्थ है कि **यथासमय किसी कार्रवाई या संबंधित उपाय के माध्यम से वायुमंडल में इसकी मात्रा/संकेद्रण को तीव्रता से कम किया जा सकता है** जिसके परिणामस्वरूप **जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करने वाले प्रभावी कारकों** (पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में विकिरण संबंधी असंतुलन की स्थिति) और ओजोन संबंधी प्रदूषण में भी तीव्रता से गिरावट आएगी।

इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

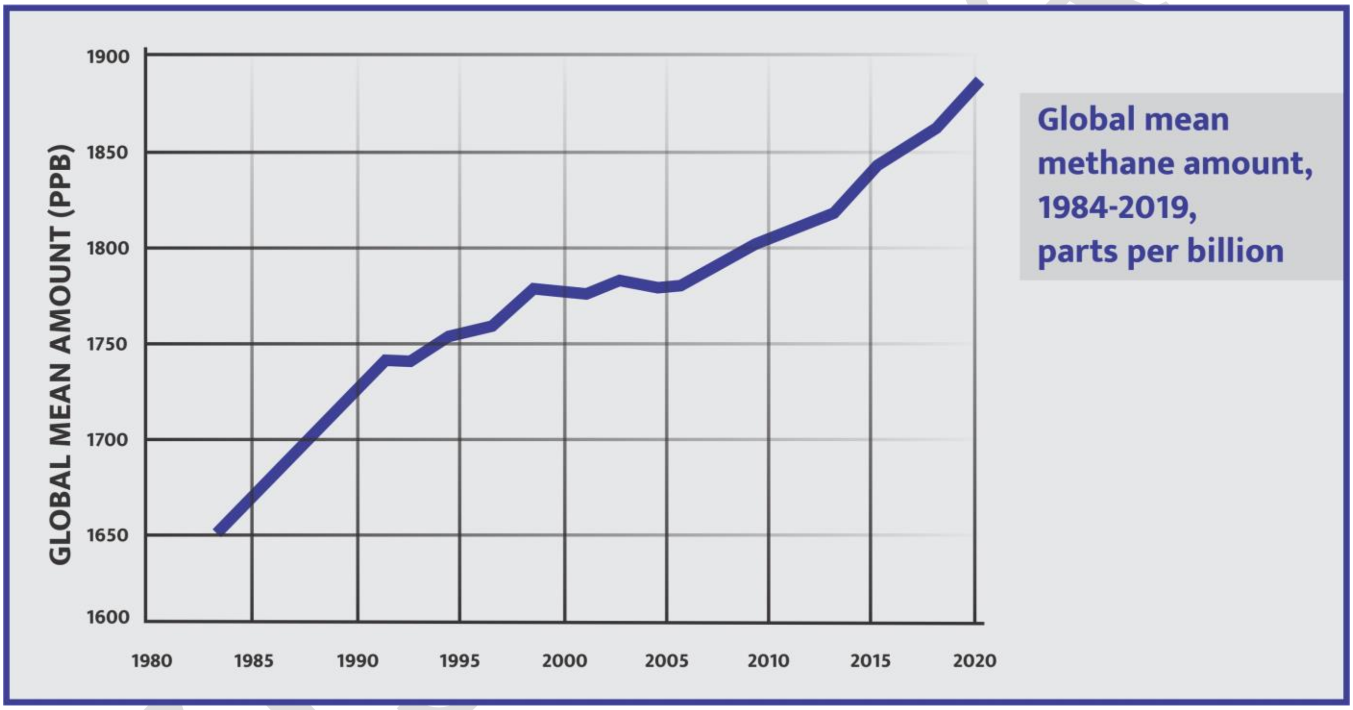

- **बढ़ता मीथेन संकेन्द्रण:** औद्योगिक क्रांति के पूर्व के युग से अब तक वायुमंडल में मीथेन का संकेन्द्रण दोगुना हो गया है।
    - जलवायु परिवर्तन के कारकों में कार्बन डाईऑक्साइड के बाद मीथेन का ही स्थान आता है।
    - पिछले वर्ष वायुमंडल में मीथेन का संकेन्द्रण अभूतपूर्ण स्तर तक पहुंच गया, जबकि वैश्विक महामारी के दौरान CO_2 की मात्रा में गिरावट आई है।
- **मानवजनित उत्सर्जन को कम करना:** मानवजनित उत्सर्जन में 45% तक कमी करने से वर्ष 2045 तक वैश्विक तापमान वृद्धि में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकेगी।
- **शमन संबंधी भिन्न संभाव्यता:** देशों और क्षेत्रों के मध्य शमन संबंधी संभाव्यता भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, चीन की शमन संबंधी संभाव्यता कोयला उत्पादन और पशुधन में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भारत की अपशिष्ट के क्षेत्रक में।
    - जीवाश्म ईंधन उद्योग में कम लागत से मीथेन के उत्सर्जन में कटौती की सर्वाधिक संभावनाएं हैं।

मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी अन्य अनुशंसाएं

- **व्यवहारात्मक परिवर्तन संबंधी उपाय** (कृषि से होने वाले उत्सर्जन को रोकना) जैसे कि:
    - खाद्य पदार्थों की बर्बादी और हानि को कम करना,

 ©Vision IAS

- पशुधन प्रबंधन में सुधार करना,
- स्वास्थ्य के लिए हितकर आहार (शाकाहारी अथवा मांस और दुग्ध उद्योग संबंधी घटकों की कम मात्रा वाला भोजन) ग्रहण करना।

- **अन्य उपाय जैसे कि:**
  - ठोस अपशिष्टों का कुशल उपचार और निस्तारण करना,
  - नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की ओर अग्रसर होना,
  - मीथेन के उत्सर्जन पर वैश्विक करारोपण आरोपित करने का प्रावधान करना।
- **अन्य बाधाओं का समाधान करना जैसे कि:**
  - वित्तीय संसाधन के अभाव का समाधान करना,
  - आवश्यक जागरूकता का प्रसार करना,
  - उत्पादन की विधियों में आवश्यक परिवर्तन करना आदि।
- **मीथेन के शमन हेतु व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक समन्वय स्थापित करना और गवर्नेंस से संबंधी उपायों की व्यवस्था करना:** यद्यपि स्थानीय और राष्ट्रीय विधियों के साथ-साथ स्वैच्छिक कार्यक्रमों की सहायता से तेजी से मीथेन उत्सर्जन में कटौती की जा रही है, परंतु मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझौते की संख्या बहुत कम है।
  - जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (Climate and Clean Air Coalition: CCAC), मीथेन के शमन संबंधी उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को संचालित करने वाली वैश्विक पहलों का नेतृत्व करता है। साथ ही, यह मीथेन के शमन संबंधी उपायों के लिए देशों की कार्रवाइयों, नीतियों, योजनाओं और विनियमों को सुदृढ़ भी करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme: UNEP)

- **मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972)** के परिणामस्वरूप जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी।
- **यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के तत्वाधान में** काम करता है। यह हमारे समय की सर्वाधिक प्रासांगिक पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और समाधान करता है।
- **यह वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को निर्धारित करता है, सतत विकास के पर्यावरणीय पक्षों के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के आधिकारिक समर्थक के रूप में कार्य करता है।**
- UNEP का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है और इसकी अध्यक्षता इसके कार्यकारी निदेशक करते हैं।
- UNEP को अपनी आय का **95% स्वैच्छिक अभिदानों से प्राप्त होती है।**
- यह कई बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और अन्य इकाइयों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है या उन्हें प्रशासित कराता है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

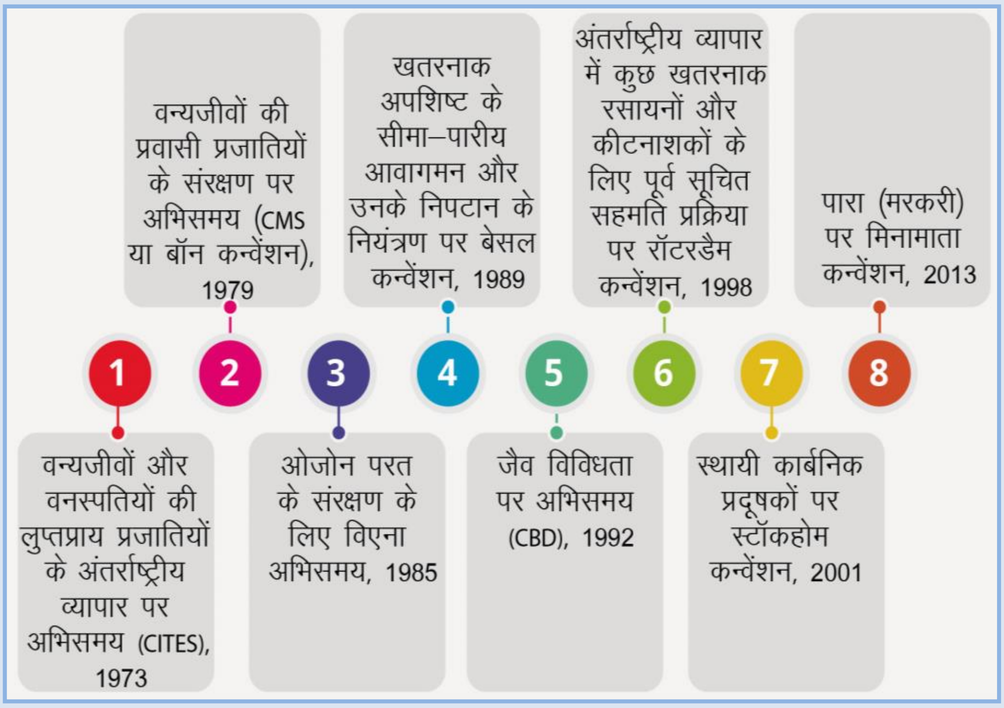

- **इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट:**
  - वैश्विक पर्यावरणीय आउटलुक रिपोर्ट {Global Environment Outlook (GEO) Report};
  - अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट (Adaptation Gap Report);
  - ट्रिपल इमर्जेंसी; तथा
  - शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट (Cooling Emissions And Policy Synthesis Report) {इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) के सहयोग से UNEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है।}।

जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (Climate and Clean Air Coalition)

- इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह जलवायु की रक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रतिबद्ध सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, वैज्ञानिक संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है। भारत इस संघ का सदस्य है। यह **लघु अवधि वाले जलवायु प्रदूषकों की मात्रा को कम करने** वाले उपायों के माध्यम से **जलवायु का संरक्षण** और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.4. कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करने से संबंधित नए नियम (New Fly Ash Utilization Rules For Coal And Lignite Based Thermal Power Plants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करने संबंधी समयसीमा को बढ़ाया गया है। साथ ही, इन नियमों का **अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माने** का भी प्रावधान किया गया है।

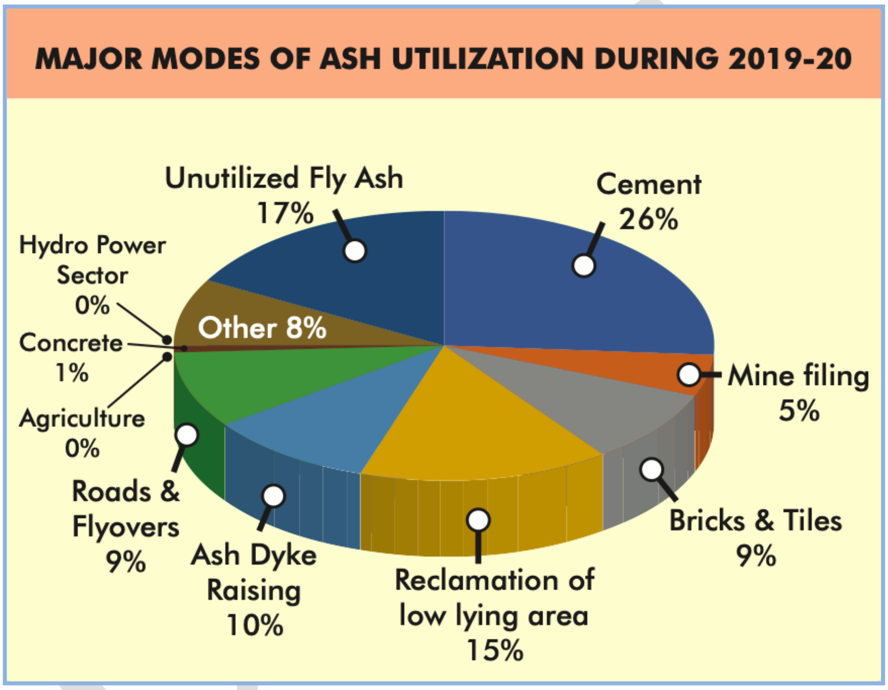

फ्लाई ऐश की संरचना तथा भारत में इसका उत्पादन और उपयोगिता

- फ्लाई ऐश **कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का उपोत्पाद (byproduct)** होता है।
  - यह एक महीन **बारीक चूर्ण के रूप में होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सिलिका, एल्युमिनियम और कैलशियम के ऑक्साइड** पाए जाते हैं।
  - इसमें **आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, सीसा/लेड आदि की मात्रा** भी पाई जाती है। अगर इनका निस्तारण धरातल पर खुले में किया जाता है, तो इससे वायु और जल प्रदूषण होता है।
- भारतीय कोयला निम्न श्रेणी का होता है, इसलिए इसमें राख (Ash) की मात्रा आयातित कोयले की तुलना में अत्यधिक होती है। आयातित कोयले में जहां राख की मात्रा 10-15% होती है, वहीं भारतीय कोयले में राख की मात्रा 30-45% तक होती है।
- चूंकि भारत में कुल विद्युत उत्पादन में से लगभग 55% विद्युत का उत्पादन कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Plant: TPPs) से होता है। इसलिए, भारत में फ्लाई ऐश अत्यधिक मात्रा (वर्ष 2018-19 में 22.6 करोड़ टन) में उत्पन्न होता है।
- हालांकि, 22.6 करोड़ टन में से लगभग 83% फ्लाई ऐश का उपयोग कर लिया जाता है। (विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा फ्लाई ऐश का उपयोग किए जाने के बारे में जानने के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

नई अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष 1999 में प्रथम बार फ्लाई ऐश का उपयोग करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2009 तक भारत में **फ्लाई ऐश के 100% उपयोग** को सुनिश्चित करना था। इसके बाद **वर्ष 2016 में इसी प्रकार की अधिसूचना** जारी की गई। वर्तमान अधिसूचना का **उद्देश्य अगले 3 से 5 वर्षों में फ्लाई ऐश का 100% उपयोग करने संबंधी लक्ष्य** को प्राप्त करना है।

- **फ्लाई ऐश के उपयोग का लघुकालीन चक्र:** वर्तमान प्रावधानों में ताप विद्युत संयंत्रों को चार वर्षों की अवधि के दौरान क्रमबद्ध तरीके से फ्लाई ऐश को पूर्ण रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नई नीति के अंतर्गत फ्लाई ऐश के **100% उपयोग के लिए तीन वर्षों की अवधि** का लक्ष्य रखा गया है। परंतु, पहली बार के लिए लागू 3 वर्षों की अवधि को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों (जहां फ्लाई ऐश का उपयोग 60-80% के बीच होता है) हेतु इस अवधि को 1 वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों (जहां फ्लाई ऐश का उपयोग 60% से कम होता है) हेतु इस अवधि को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- निकट भविष्य में, सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 3 वर्षों की अवधि में फ्लाई ऐश के 100% औसत उपयोगिता के लक्ष्य को पूरा करना होगा।

- **अप्रयुक्त संचित राख (Legacy Fly Ash) का उपयोग:** अप्रयुक्त व संचित फ्लाई ऐश का क्रमिक रूप से उपयोग करने की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
    - अप्रयुक्त व संचित फ्लाई ऐश की वह मात्रा जिसका उपयोग नहीं हो पाता है तथा जिसके परिणामस्वरूप वह विशाल मात्रा में संचित होती रहती है, उसे **लीगेसी ऐश** कहा जाता है।
- **प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle):** नए नियमों के तहत अगर किसी कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र द्वारा वार्षिक आधार पर या तीन वर्षों की अवधि में कम से कम 80% राख का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उस पर अप्रयुक्त राख के संदर्भ में 1,000 रुपये प्रति टन की दर से जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **निर्माण और परिवहन:** इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्रों को 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर निर्माण संबंधी गतिविधियों में संलग्न अभिकरणों को नि:शुल्क राख उपलब्ध करानी होगी और साथ ही, परिवहन संबंधी संपूर्ण व्यय भी ताप विद्युत संयंत्रों को ही वहन करना होगा।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board: CPCB) की भूमिका:** CPCB के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति फ्लाई ऐश के उपयोग के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उपायों का परीक्षण, समीक्षा और अनुशंसा करेगी। **इसके अतिरिक्त, CPCB के पास राख की उपलब्धता से संबंधित वास्तविक समय आधारित डेटा भी होगा।**

कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं

- **लीगेसी ऐश की समस्या संबंधी व्यापकता:** मार्च 2019 तक लीगेसी ऐश का भंडार 1.6 अरब टन था। इसका उपयोग करने के लिए 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि मिलने से राख का व्यापक ढेर संचित हो जाएगा।
- **विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों की तकनीकी सीमा:** अधिकांश कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के पास फ्लाई ऐश के संग्रहण और भंडारण की प्रौद्योगिकी नहीं है।
    - **अनुपालन संबंधी लागत के बढ़ने और जुर्माने के कारण** सृजित राख का **असुरक्षित निस्तारण** और अज्ञात स्थानों पर उसे छिपाने संबंधी खतरों में वृद्धि होने की संभावना है।
- **जुर्माने की राशि का अनुपालन संबंधी व्यय से कम होना:** यह आर्थिक रूप से ताप विद्युत संयंत्रों को हतोत्साहित करेगा, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र अनुपालन संबंधी अतिरिक्त व्यय को वहन नहीं कर सकते हैं।
- **ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सीमित आंकड़े उपलब्ध कराना:** यद्यपि संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या बढ़ी है, परंतु यह अभी भी अपेक्षित स्तर से बहुत कम है।

आगे की राह

- निगरानी करने के नए माध्यमों जैसे कि ड्रोनों और उपग्रहों का उपयोग करने के साथ ही अत्यधिक जुर्माना आरोपित करने की व्यवस्था के माध्यम से अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- फ्लाई ऐश के निस्तारण की वैज्ञानिक विधियों जैसे कि शुष्क फ्लाई ऐश निस्तारण प्रणाली और आर्द्र फ्लाई ऐश निस्तारण प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- फ्लाई ऐश के संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान के साथ उनका मानकीकरण करना और **ऐश-ट्रैक (ASHTRACK)** (फ्लाई ऐश के उपयोगकर्ताओं और विद्युत संयंत्र के कार्यपालकों को जोड़ने वाला एक मोबाइल ऐप्लिकेशन) से उन्हें जोड़ना। इससे फ्लाई ऐश के समग्र उपयोग में वृद्धि होगी।
- उद्योग और शिक्षा जगत के मध्य भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ फ्लाई ऐश के नए उपयोग का पता लगाने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में 'फ्लाई ऐश' को एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपने-अपने ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश के उपयोग के सभी संभावित माध्यमों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

संबंधित सुर्खियां

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन (विद्युत मंत्रालय द्वारा)

- यह एक प्रस्तावित **मिशन** है जिसका उद्देश्य **पराली दहन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान** और ताप विद्युत उत्पादन से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।
- इस मिशन के आरंभ होने से यह निम्नलिखित **उद्देश्यों** को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा:

- **इससे ईंधन के सह-दहन** (एक ही दहन प्रणाली में दो भिन्न-भिन्न ईंधनों का दहन) के वर्तमान स्तर (5% तक) में वृद्धि होगी जो ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कार्बन तटस्थ विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है।
- बायोमास पैलेट्स में उपस्थित सिलिका और क्षारों की अत्यधिक मात्रा का समाधान करने के लिए **बॉयलर के डिजाइन में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।**
- बायोमास पैलेट्स और कृषि संबंधी अवशिष्ट/अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन से संबंधित **बाधाओं का समाधान होगा।**
- **बायोमास के सह-दहन (co-firing) से संबंधित विनियामकीय समस्याओं का समाधान होगा।**

5.5. हिम तेंदुआ (Snow Leopard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हल ही में, **WWF इंडिया** की एक रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी संबंधी अंतराल को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हिम तेंदुओं का संरक्षण करने संबंधी हमारे प्रयासों को अधिक कुशल बनाया जा सके।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- करीब 33 करोड़ लोग ऐसी नदियों के 10 किलोमीटर दायरे में रहते हैं जो हिम तेंदुआ के पर्यावास से उद्गमित (निकलती) होती हैं।
- हिम तेंदुए जिन क्षेत्रों में रहते हैं उनमें से केवल **14-19% क्षेत्र ही संरक्षित हैं।**
- जलवायु परिवर्तन के कारण हिम तेंदुओं के वर्तमान प्राकृतिक पर्यावास में से केवल **35% क्षेत्र का वर्ष 2070 तक बचे रहने** का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- **लगभग 221-450** हिम तेंदुए प्रति वर्ष मारे जाते हैं। इनमें से लगभग **55%** बदले की दुर्भावना (लोगों द्वारा अपने मवेशियों की रक्षा करने के लिए) से मारे जाते हैं।

हिम तेंदुए के बारे में

- हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम **पैंथेरा कुअंसिया (Panthera Uncia)** है। यह सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति अर्थात् **बाघ (पैंथेरा टिग्रिस)** से निकटता से संबंधित है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) की संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में **सुभेद्य (Vulnerable)** प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है।
- ये **ठंडे, शुष्क, बंजर पहाड़ी क्षेत्रों** में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होते हैं। ये **हिमालय** और **तिब्बत के पठार** पर 3,000 से 5,000 मीटर की तुंगता वाले और अल्टाई पर्वतों (रूस एवं मंगोलिया) में 500 मीटर की तुंगता वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावास की **भौगोलिक सीमा** भारत सहित एशिया के 12 देशों के **पर्वतीय/उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों** में विस्तृत है।

हिम तेंदुए का क्षेत्र–विस्तार

- NRANG- {उत्तरी हिम तेंदुआ रेंज (Northern snow leopard range)}: चीन में अल्ताई व तियान शान, मंगोलिया, रूस
- CISWC- {स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल व पश्चिमी चीन (Commonwealth of Independent States and W. China)}: उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, चीन में शिनजियांग प्रांत
- KK/HK- (काराकोरम व हिंदूकुश) पर्वत श्रेणी: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण–पश्चिम चीन
- HIMLY- (हिमालय): दक्षिणी चीन व तिब्बत का पठार, भारत, नेपाल, भूटान

हिम तेंदुओं के समक्ष खतरे

1. **जलवायु परिवर्तन**
जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद तीव्रता से पिघल रहे हैं, जिससे पारितंत्र प्रभावित हो रहा है और हिम तेंदुओं के पर्यावास का विनाश हो रहा है।
2. **मानव संघर्ष**
हिम तेंदुए कई बार ऐसे पशुओं का शिकार करते हैं जो स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका का स्रोत होते हैं। स्थानीय लोग इसके प्रतिशोध में हिम तेंदुओं को मार देते हैं।
3. **शिकार की कमी**
जलवायु परिवर्तन, अतिचारण और वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण हिम तेंदुए के शिकार सीमित हो गए हैं।
4. **अवैध शिकार**
क्षेत्र में अवैध शिकार के विरुद्ध क़ानून होने के बावजूद उनकी चमड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्हें मारा जाता है।

VISION

- हिम तेंदुआ के मुख्य शिकारों में सम्मिलित प्राणियों में **साइबेरिया की आईबेक्स बकरी, हिमालयी ताहर, अरगली भेड़, नीली भेड़ (भरल), शैल-मूषक आदि सम्मिलित हैं।**

भारत द्वारा हिम तेंदुआ के समक्ष व्याप्त खतरों का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

- भारत ने हिम तेंदुए के पर्यावास को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है ताकि उनका कुशलतापूर्वक संरक्षण किया जा सके-
    - लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में **हेमिस-स्पीति क्षेत्र;**
    - उत्तराखंड में **नंदा देवी-गंगोत्री क्षेत्र;** तथा
    - सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में **कंचनजंगा-तवांग क्षेत्र।**
- **वर्ष 2009** में, भारत ने हिम तेंदुआ और उसके पर्यावास के संरक्षण एवं उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए **हिम तेंदुआ परियोजना (Project Snow Leopard)** को आरंभ किया था।
- वर्ष 2019 में, भारत ने कैमरा ट्रैप और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का उपयोग करके प्रथम **राष्ट्रीय हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन (National Snow Leopard Population Assessment)** का कार्य आरंभ किया।
- लोगों को हिम तेंदुआ के संरक्षण में सम्मिलित करने के लिए 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में **हिमाल संरक्षक** (सामुदायिक स्वेच्छा कार्यक्रम) कार्यक्रम को आरंभ किया गया।
- वैश्विक स्तर पर, भारत वर्ष **2013** से **वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी संरक्षण कार्यक्रम (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Programme: GSLEP)** का भागीदार है। साथ ही, भारत ने हिम तेंदुआ एवं इसके पर्यावास का संरक्षण करने संबंधी **बिश्केक घोषणा-पत्र (Bishkek Declaration)** पर वर्ष 2017 में हस्ताक्षर किए हैं।
- **WWF इंडिया** द्वारा हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु **'सेव अवर स्नो लेपर्ड (SOS)'** अभियान संचालित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

साक्ष्य-आधारित संरक्षण दृष्टिकोण, अनुवांशिक आकलन और कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग, रोग के प्रसार से संबंधित ज्ञान में सुधार करके और मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाकर हिम तेंदुओं के परिरक्षण और संरक्षण में सुधार किया जा सकता है।

भारत में हिम तेंदुआ के संरक्षण की स्थिति

- यह **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की **अनुसूची 1** में सूचीबद्ध है जिसके तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।
- यह MoEF&CC की स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम (प्रजाति पुरर्बहाली कार्यक्रम) के अंतर्गत **गंभीर रूप से संकटापन्न (critically endangered)** 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है।

5.6. प्रयुक्त खाद्य तेल आधारित बायोडीजल (Used Cooking Oil Based Biodiesel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रयुक्त खाद्य तेल से निर्मित बायोडीजल के मिश्रण वाले डीजल की आपूर्ति को आरंभ किया है।

प्रयुक्त खाद्य तेल (Used Cooking Oil: UCO) के बारे में

- प्रयुक्त खाद्य तेल (UCOs) अर्थात् उपयोग में लाए जा चुके खाद्य तेल ऐसे तेल तथा वसा होते हैं, जिनका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भोजनालय / रेस्तरां, फास्ट फूड सेंटर्स तथा घरों में उपभोक्ता के स्तर पर खाद्य पदार्थों को पकाने या भूनने या तलने में किया जाता है।
    - UCO में केवल वसा, तेल या ग्रीज/चिकनाई होना चाहिए, **जिनका उपयोग पहले खाद्य पदार्थों को पकाने या भूनने के लिए किया गया हो।**
- UCO, **बायोडीजल का उत्पादन करने हेतु कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है।**
- इसका उपयोग साबुन, प्रसाधन सामग्री, खाद्य तेल तथा पशुओं के आहार इत्यादि को तैयार करने में किया जाता है।

UCO से निर्मित बायोडीजल के लाभ

- **स्वास्थ्य संबंधी:** बायोडीजल विनिर्माण के लिए UCO का उपयोग कर खाद्य श्रृंखला से प्रयुक्त या जले हुए खाद्य तेल को हटाने से **हाइपरटेंशन, ऐथिरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, अल्जाइमर रोग, यकृत रोग जैसे गंभीर रोगों** से लोगों को ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। अत्यधिक वजन तथा मोटापा भी UCO के उपयोग से होने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या है।

- **पर्यावरण संबंधी:** जब UCO को कुशलतापूर्वक उपचार किए बिना ही फेंक दिया जाता है तो यह निकास प्रणाली को जाम कर देता है। इसलिए अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकता है।
- **अर्थव्यवस्था संबंधी:** ज्ञातव्य है कि भारत में लगभग 2,700 करोड़ लीटर खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि इसमें से लगभग 140 करोड़ लीटर UCO को होटल, रेस्तरां तथा कैंटीन जैसे थोक उपयोगकर्ताओं से संग्रहित किया जा सकता है। ऐसे में इनका भलीभांति पुनः उपयोग करने से प्रति वर्ष लगभग 110 करोड़ लीटर बायोडीजल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, इससे हमारा तेल का आयात भी कम होगा।
  - जैव ईंधन के लिए अवशिष्ट तथा अनुपयुक्त खाद्य तेल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं में योगदान देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

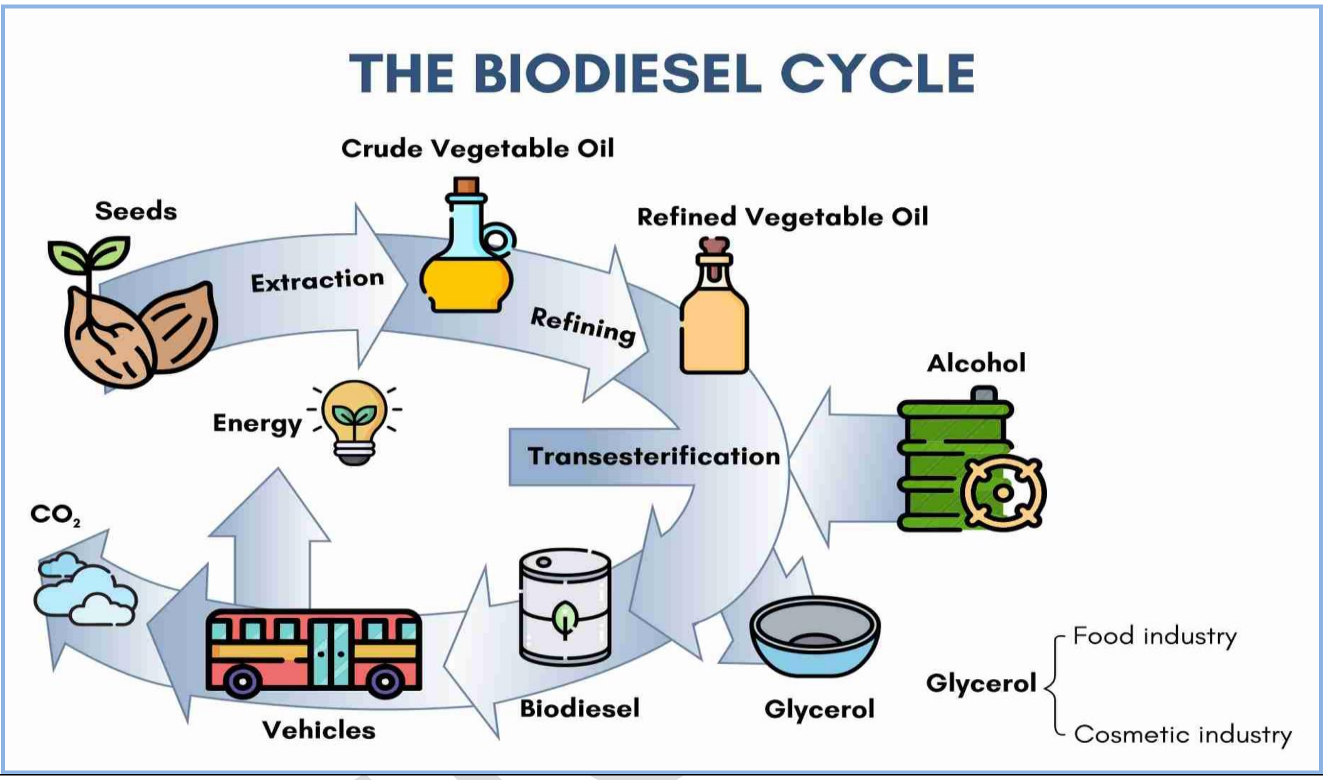

बायोडीजल के बारे में

- यह पारंपरिक या 'जीवाश्म' आधारित डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है।
- इसका उत्पादन वनस्पति तेल, पशु तेल/वसा, चर्बी तथा अपशिष्ट खाद्य तेल से हो सकता है।
- जिस प्रक्रिया का उपयोग करके इन तेलों को बायोडीजल के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे ट्रांस-एस्टरीफिकेशन (Trans-esterification) कहा जाता है।
- बायोडीजल का एक विशिष्ट लाभ इसकी **कार्बन तटस्थता** है। उदाहरण के लिए- तिलहन कार्बन डाई-ऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है, जितना ईंधन का दहन होने पर निकलता है।
- इसके अतिरिक्त, बायोडीजल तेजी से जैव-निम्निकरण होने वाला और पूरी तरह से गैर-विषाक्त है।

UCO से बायोडीजल निर्मित करने के लिए उठाए गए कदम

- वर्ष 2019 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ **"UCO से उत्पादित बायोडीजल की खरीद" के लिए अभिरुचि व्यक्त की थी।**
  - इसका लक्ष्य UCO का संग्रहण करना तथा उसे बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए एक परिवेश तैयार करने के साथ-साथ संबंधित उद्यमशीलता के अवसरों को भी विकसित करना है।
  - इस पहल के अंतर्गत, **तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पांच वर्ष के लिए समय-समय पर वृद्धिशील मूल्य गारंटी (incremental price guarantees) प्रदान करती हैं और संभावित उद्यमियों को 10 वर्ष के लिए ऑफ-टेक गारंटी भी देती हैं।**
- **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018** अखाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाद्य तेल तथा लघु परिपक्वता अवधि वाली फसलों से बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

- **भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने बायो-डीजल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (BDAI) के साथ मिलकर वर्ष 2019 में **'रिपरपज्ड यूज़्ड कुकिंग ऑयल (RUCO) परियोजना'** आरंभ की थी।
  - इस परियोजना का लक्ष्य होटल मालिकों, केटरर, नाश्ता बनाने वालों तथा व्यापारियों से प्रयुक्त तेल को यथोचित मूल्य पर खरीदकर उसे संयंत्र में प्रसंस्कृत कर बायोडीजल में परिवर्तित करना है।
- प्रयुक्त खाद्य तेल (UCO) के संग्रहण के लिए **RUCO स्टिकर** और **मोबाइल फोन ऐप्लिकेशन** का आरंभ किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि UCOs पारितंत्र में पुनः पहुंच न पाएं।

RUCO के समक्ष समस्याएं

- वर्तमान में, **UCO का संग्रहण करने के लिए कोई स्थापित श्रृंखला मौजूद नहीं है।**
- UCO में मुक्त वसा अम्ल जैसी अशुद्धता की विद्यमानता।
- RUCO के लिए बड़े खाद्य व्यवसाय संचालक की आवशयकता होती है जो UCO का पृथक रूप से भंडारण कर सकें और तत्पश्चात उसे अधिकृत UCO एग्रीगेटर या संग्रहण एजेंसियों को बेच सकें।

आगे की राह

- बायोडीजल कंपनियों को UCOs के उत्पादक से सीधे संग्रहण करने की दिशा में डोर-टू-डोर संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
  - इसके तहत एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जहां लोग अपने UCO को संग्रहण केंद्रों तक ले जा सकें तथा बदले में धन का अर्जन भी कर सकें।
- बायोडीजल कंपनियां UCO के "उत्पादकों" को कच्चे वनस्पति तेलों की आपूर्ति कर सकती हैं और उपयोग के बाद उस UCO को पुनःचक्रित करने के लिए भी एकत्र कर सकती हैं।
- सभी UCO संग्रहण एजेंसियां को UCO से संग्रह के दौरान, मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर, खाद्य व्यवसाय संचालकों को तत्काल भुगतान करना चाहिए।

5.7. भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय तटीय क्षेत्र से कुछ ही सप्ताहों की अल्पावधि में दो चक्रवात टकराए, जिनसे जानमाल की अत्यधिक क्षति हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय तटीय क्षेत्र से टकराने वाला पहला चक्रवात **तौकाते (Tauktae या ताउते)** था, जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। इसका नाम **म्यांमार** द्वारा रखा गया था, जिसका अर्थ है- अत्यधिक आवाज निकाले वाली छिपकली 'गेको (gecko)'।
- भारतीय तटीय क्षेत्र से टकराने वाला दूसरा चक्रवात **यास (Yaas)** था, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसका नाम **ओमान** द्वारा अच्छी खुशबू वाली चमेली के पेड़ को संदर्भित करते हुए रखा गया था।
- **इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) / एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) पैनल के 13 सदस्य देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब,**

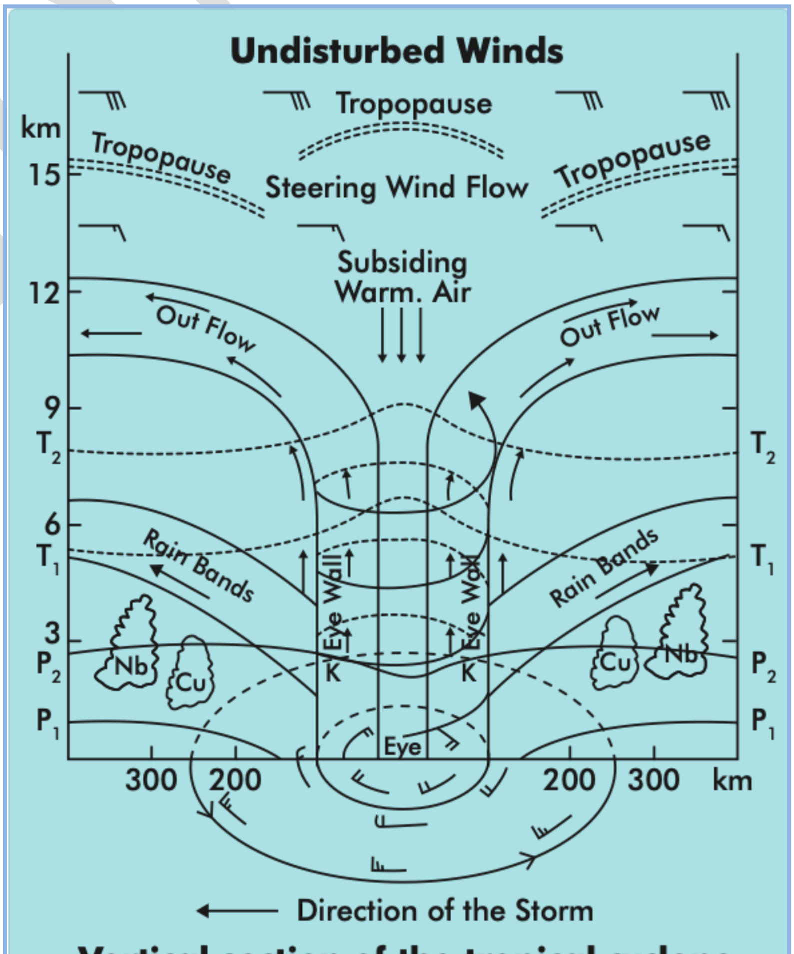

Vertical section of the tropical cyclone

श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन द्वारा सुझाए जाते हैं।

- अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों के नामांकन की प्रणाली वर्ष 2004 में आरंभ हुई थी। यह **WMO/ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 2000** समझौते पर आधारित है, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
  - चक्रवातों की सरल पहचान सुनिश्चित करके संबंधित **भ्रम को दूर करना।**
  - **सरलता से समझ आने वाली** चेतावनी का त्वरित तथा प्रभावी प्रसार करना।
  - लोगों के मध्य **जागरूकता सृजित करना।**

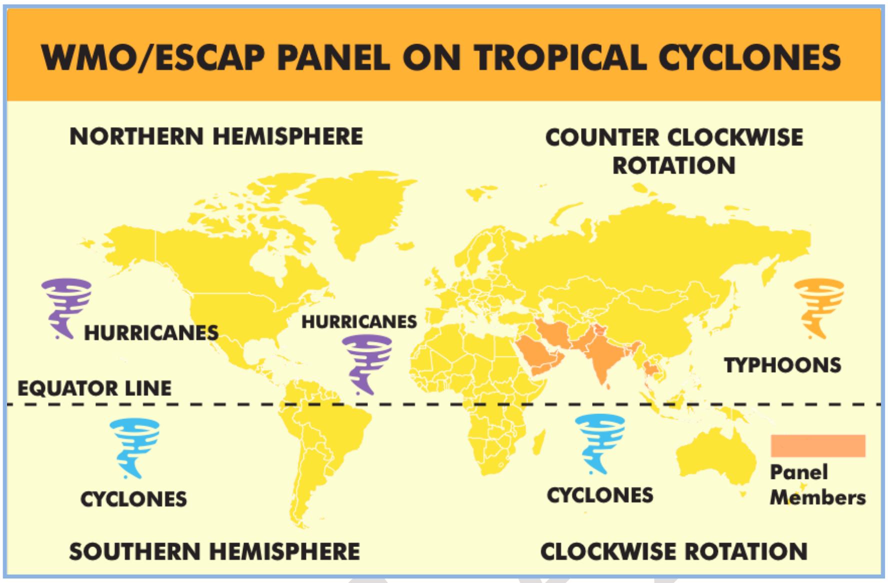

- विश्व में प्रत्येक महासागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नामांकन क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (Regional Specialised Meteorological Centres: RSMC) तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों (Tropical Cyclone Warning Centres: TCWC) द्वारा किया जाता है तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की इस सूची को WMO द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा RSMC (विश्व में विद्यमान 6 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक) के रूप में कार्य किया जाता है।

भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित खतरें

- भारत की **लगभग 7,517 किलोमीटर की तटरेखा** इसे वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लगभग 10 प्रतिशत के लिए सुभेद्य बनाती है।
  - विगत 270 वर्षों में, 23 विशाल चक्रवातों में से 21 ने भारत और बांग्लादेश को क्षति पहुंचाई है।
- **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project: NCRMP)** द्वारा वर्ष 1891-2000 के दौरान आए लगभग 308 चक्रवातों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी (भारत का पूर्वी तट), अरब सागर (भारत का पश्चिम तट) की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक सुभेद्य (लगभग 4:1 के अनुपात में) है।

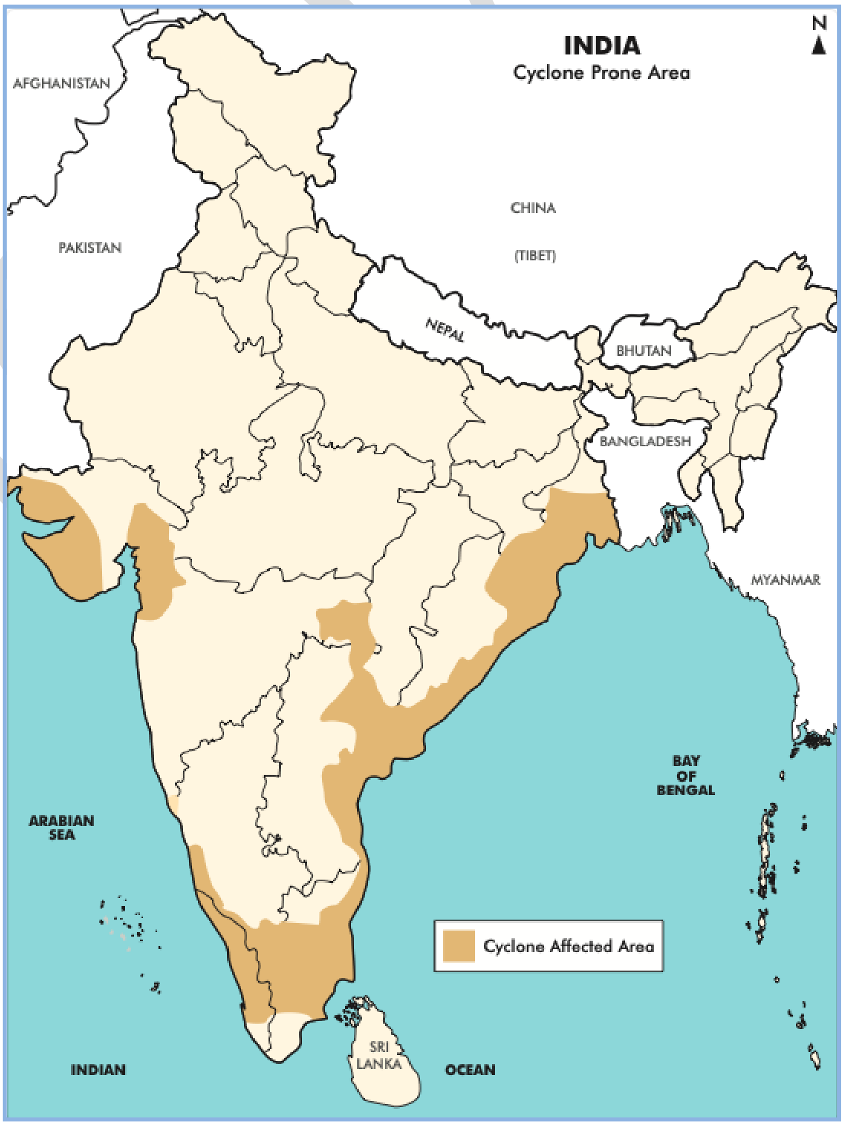

  - बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक दशाएं जैसे कि **समुद्री सतह का उच्च तापमान,** उथला जल तथा पवनों की तीव्र गति का संयोजन इसे चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

इस जोखिम से निपटने के लिए, भारत की चक्रवात प्रबंधन रूपरेखा क्या है?

- विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त गृह मंत्रालय की **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना,** भारत के सभी आपदा प्रबंधन प्रयासों को निम्नलिखित चार घटकों में समावेशित कर एक समग्र रणनीति के रूप में काम करती है, जैसे कि-
    - **घटक A:** IMD और इसरो (ISRO) को शामिल करते हुए बेहतर चक्रवात पूर्वानुमान के माध्यम से अग्रिम चेतावनी प्रसार प्रणाली में सुधार करना।

    - **घटक B:** इसमें चक्रवात जोखिम का शमन करने संबंधी निवेश को शामिल किया गया है:
        - ISO मानकों के आधार पर चक्रवात आश्रयों तथा अवसंरचना का निर्माण करना।
        - तटीय विनियमन क्षेत्रों (Coastal Regulation Zones: CRZs), एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management: ICZM) और मैंग्रोव जैसे जैव सुरक्षा ढाल के संरक्षण के माध्यम से तटीय आर्द्रभूमि का समग्र प्रबंधन और संरक्षण करना।
        - समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना।
    - **घटक C:** सुभेद्यता संबंधी विश्लेषण तथा जोखिम आकलन एवं सामुदायिक क्षमता निर्माण के माध्यम से परिसंकटमय जोखिम प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
    - **घटक D:** राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र तथा समन्वय के माध्यम से परियोजना संबंधी प्रबंधन तथा संस्थागत समर्थन प्रदान करना।

वर्तमान रूपरेखा की क्या सीमाएं हैं?

- **पूर्वानुमान लगाने के संबंध में तकनीकी सीमाएं:** मौसम संबंधी बोयों (buoys) की सीमित संख्या के कारण प्रौद्योगिकी तथा पर्यवेक्षणात्मक सीमाओं से लेकर सीमित विश्लेषणात्मक क्षमता आवश्यक अभिनिर्धारण तथा प्रसार संबंधी प्रक्रिया को धीमा करती हैं।
- **निम्नस्तरीय अवसंरचनात्मक विकास:** अवसंरचना संबंधी उपाय जैसे कि तटबंध, चक्रवात के दौरान बचाव के लिए आश्रय, चक्रवात प्रत्यास्थ महत्वपूर्ण अवसंरचना आदि चक्रवात से संबंधित जोखिमों को सहन करने में दक्ष नहीं हैं।
- **निम्नस्तरीय जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता:** चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के स्थानीय लोगों में चक्रवात के दौरान अपेक्षित गतिविधियों के बारे में बहुत कम जागरूकता है। इसके उदाहरण हमें तौकाते के साथ ही यास चक्रवात के मामले में देखने को मिलता है।
- **हितधारकों के मध्य समन्वय का अभाव:** स्थानीय पंचायत, गैर-सरकारी संगठन, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और तटीय प्राधिकरण जैसे कई हितधारक समन्वय पूर्वक कार्य नहीं करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उनके द्वारा किए गए प्रयासों का दोहराव होता है।
- **अनुक्रिया करने में लगने वाला अधिक समय:** तौकाते तथा यास के तत्काल परिणाम ने आपदा से निपटने के लिए प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य अनुक्रिया करने में लगने वाला अधिक समय को उजागर किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणाली

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवातों की तीव्रता संबंधी आसान पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में चार रंगों (यथा- हरा, पीला, नारंगी और लाल) पर आधारित कूटबद्ध चेतावनियों को शामिल किया है (इन्फोग्रिक देखें)।

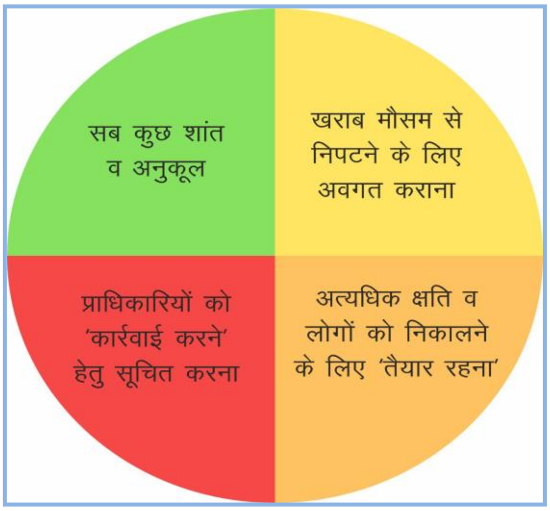

चुनौतियों से निपटने के लिए तथा चक्रवात प्रबंधन/शमन रूपरेखा में और सुधार करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है?

- **चक्रवात के प्रभावों के प्रबंधन पर निर्णय निर्माताओं के लिए अत्याधुनिक चक्रवात संबंधी अग्रिम चेतावनी प्रणाली** (जिसमें अवलोकन, पूर्वानुमान, चेतावनी तथा तदनुकूल स्थानीय-स्तर पर सलाह प्रदान करना शामिल हो) की स्थापना करनी चाहिए।
    - इसके अलावा, भारत के लिए महत्वपूर्ण अवलोकन डेटा संबंधी कमी की प्रभावी रूप से पूर्ति करने के लिए **एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन फैसिलिटी** को स्थापित किया जा सकता है।

VISIONIAS

- **अवसंरचनात्मक उपाय** जैसे कि महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बहु-उद्देश्यीय आधार पर चक्रवात के दौरान बचाव के लिए आश्रयों का विकास करना और सभी मौसम में परिचालनमय सड़क संपर्क इत्यादि को सुनिश्चित करना चाहिए।
    - उपर्युक्त हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विकल्प को वित्त संबंधी उपलब्धता के लिए अन्वेषित किया जा सकता है।
- तटीय क्षेत्रों में तटीय आर्द्रभूमियों, मैंग्रोव क्षेत्रों इत्यादि के मानचित्रण तथा परिसीमन सहित इस क्षेत्र में विकास के लिए पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जाना चाहिए। मैंग्रोव, आश्रय पट्टी (shelterbelts) जैसे क्षेत्र तटीय क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।
- चक्रवात तथा संबंधित तूफान, तीव्र पवनों से संबंधित जोखिम, वर्षा के अपवाह इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत जोखिम शमन रूपरेखा को विकसित किया जाना चाहिए।
- आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को कवर करने वाली एक समग्र चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (Cyclone Disaster Management Information System: CDMIS) को स्थापित करना चाहिए।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों से संबंधित भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों के दोषों को प्रकट किया है।

सामाजिक सुरक्षा और इसका महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization: ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा **मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की मान्यता** पर आधारित है, जो उन सभी मनुष्यों हेतु कानून द्वारा गारंटीकृत है, जो अपने श्रम पर जीवनयापन करते हैं तथा कुछ परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से कार्य करने में अक्षम होते हैं।
- ऐसे में प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां किसी भी प्रतिकूल स्थिति में **आय की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा** की गारंटी प्रदान करती हैं।
- भारत में **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के अनुसार-** "सामाजिक सुरक्षा से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और इस संहिता के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकारों एवं लागू योजनाओं के माध्यम से विशिष्टतया वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता, कार्य-क्षति, प्रसूति या जीविका अर्जक की हानि के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संरक्षण के उपाए अभिप्रेत हैं।"

संवैधानिक प्रावधान

समवर्ती सूची

प्रविष्टि संख्या 23: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी (अर्थात् बेरोजगारी)।

प्रविष्टि संख्या 24: श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 41: राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

भारतीय श्रम बाजार में अनौपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच

- **वर्ष 2018-19** में भारत में **कुल श्रमबल का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक श्रम** में नियोजित था।
  - इसके अतिरिक्त, **लगभग 9.5%** श्रमिकों के औपचारिक क्षेत्र में नियोजित होने के बावजूद उनकी नौकरियों की प्रकृति अनौपचारिक थी।
- सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के संदर्भ में, **केवल 26%** भविष्य निधि, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों में से किसी एक या सभी के लिए पात्र थे।
- कुछ अनुमानों के अनुसार, **संपूर्ण कोविड लॉकडाउन के दौरान 80% कामगारों को उनकी नौकरी की हानि हुई थी।** इनमें से अधिकांश अनौपचारिक श्रम और गैर-कृषि कार्यों में स्व-नियोजित श्रमिक थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार के सामाजिक कल्याण की प्राप्ति में कठिनाइयों का अनभव किया था।

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रावधान

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाए

- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन (PM-SYM)
- व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS–ट्रेडर्स)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY)
- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

निर्धन परिवारों को सामाजिक–आर्थिक संकट से बचाने वाली योजनाएं

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (IGNDPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWP)
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

अनौपचारिक श्रमिकों के समक्ष सामाजिक सुरक्षा लाभ की प्राप्ति में चुनौतियां

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में निहित दोष:**
    - **राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम लाभ नीति का अभाव:** सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में वर्तमान में भिन्न-भिन्न सीमाएं हैं तथा ये अन्य विषयों के अतिरिक्त, कामगारों द्वारा अर्जित वेतन और उद्यम में उनकी कुल संख्या पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ केवल न्यूनतम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों (जैसे कि 10 या 20 कर्मचारी) के लिए अनिवार्य हैं। इसके परिणामस्वरूप, वृहद संख्या में अनौपचारिक कार्यबल सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे से बाहर हैं।
    - **जवाबदेही का अभाव:** असंगठित कामगारों के पंजीयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, परन्तु विलंब से पंजीयन के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने का प्रावधान नहीं है।
    - **अधीनस्थ विधान:** इस संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों को विभिन्न हितधारकों या संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्था की भागीदारी के बिना, कार्यपालिका द्वारा केवाल अपने विवेक के आधार पर परिभाषित और पुनः संरचित किया जा सकता है।
    - **परिभाषाओं का अतिव्यापन (Overlapping):** संहिता में दी गई परिभाषाओं के अनुसार, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए कार्य करने वाला एक ड्राइवर एक ही समय में एक गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित कामगार होता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **योजनाओं में अन्य त्रुटियां:**
    - **खंडित प्रशासनिक तंत्र:** सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संघ और राज्य स्तर पर कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं। ऐसी प्रत्येक योजना के तहत पृथक-पृथक लाभार्थी डेटाबेस निर्मित किए जाते हैं, जिसके लिए एक कामगार को प्रत्येक योजना के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया बोझिल हो जाती है।
    - **अपवर्जन या बहिष्करण संबंधी त्रुटियां:** प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का प्रचलन, लोक कल्याण के सभी कार्यों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड दर्ज करने में मानवीय त्रुटियां और कुछ क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कई पात्र लाभार्थी भी वंचित रह जाते हैं। एक हालिया सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच, आधार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS) के माध्यम से उनके लिए खाद्य आपूर्ति और पेंशन भुगतान को बाधित कर दिया है।
    - **पात्रता राशियों के नियमित संशोधन का अभाव:** उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAP) योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को अंतिम बार वर्ष 2011 में केवल 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों हेतु संशोधित

किया गया था। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, इसे अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। ऐसे में नियमित संशोधनों के अभाव में वास्तविक योजनाओं से मिलने वाले लाभ कम होने लगते हैं।

 - **लाभार्थियों के मध्य निम्न जागरूकता:** अधिकांश अनौपचारिक कामगार निरक्षर होते हैं और इस प्रकार वे उन्हें मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे पेंशन या बीमा योजनाओं के संभावित लाभ का मूल्यांकन करने में भी विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका स्व-बहिष्करण हो जाता है।

- **कोविड के कारण प्रकट हुई चुनौतियां:**
  - **लचर वित्तीय समावेशन अवसंरचना:** कई ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ स्थानों में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT) का कार्य व्यवसाय प्रतिनिधि या बैंक मित्रों पर निर्भर करता है। हालांकि, महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण, उनका कामकाज अत्यंत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। बैंक मित्रों की कम उपस्थिति के कारण जिन लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है (जैसे कि वृद्ध या दिव्यांगजन) उनके लिए नकद प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  - **सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी (सुवाह्यता):** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऐसे प्रावधान जिसमें प्रथम दृष्टया प्रवासी भी शामिल होते हैं (जैसे- वृद्धावस्था पेंशन और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं), उनका प्रशासनिक ढांचा प्रवासियों के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं करता है। इस प्रकार, श्रमिकों के अंतर-राज्य प्रवास के मामले में, यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस राज्य को प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए भुगतान करना होगा- "स्रोत" राज्य या "गंतव्य" राज्य।
  - **व्युत्क्रमित (या उल्टा) प्रवास के बीच स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना:** उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने महामारी के दौरान उच्च स्तर के व्युत्क्रमित प्रवास का अनुभव किया है। इनमें से कई राज्य पहले से ही घटती उत्पादकता, जल के अभाव और कम होती मांग के साथ कृषि संकट का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार, ये राज्य श्रम बल में इतनी तीव्र वृद्धि को बनाए रखने और कामगारों को स्थायी आजीविका सुनिश्चित कराने हेतु तैयार नहीं हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख उपबंध

- असंगठित कामगारों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के **पंजीकरण का प्रावधान।**
- यह **संघ और राज्य सरकारों** को इन तीनों श्रेणियों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु **कल्याणकारी योजनाओं को अभिकल्पित करने पर विचार करने का निर्देश** देती है।
- श्रमिकों के लिए **योजनाओं की अनुशंसा करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन** को निर्धारित करती है।
- ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को शामिल करने हेतु कर्मचारियों और दूसरे राज्य के स्व-नियोजित कर्मकारों को सम्मिलित करने हेतु **"अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों" की परिभाषा का विस्तार** करती है।
- विवादों पर निर्णय लेने के लिए **निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ताओं (Inspector- cum-Facilitators)** और एक **अर्ध-न्यायिक अपीलीय प्राधिकारी** की नियुक्ति का प्रावधान करती है।
- यह जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और आम आदमी बीमा योजना (AABY) जैसी योजनाओं को **अपने अंतर्गत शामिल करती** है।
- सरकार से वस्तु रूप में या नकद में लाभ प्राप्त करने के लिए सभी श्रमिकों हेतु आधार आधारित पंजीकरण अनिवार्य करती है।

आगे की राह

वर्तमान में भारत में अनौपचारिक कामगारों के लिए सीमित पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को संबोधित करने हेतु बहुआयामी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। **इनमें शामिल हैं:**

- **वेतन, उद्यम के आकार और मूल स्थान पर ध्यान दिए बिना सभी कामगारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:** यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs) का **लक्ष्य 1.3** राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा आधार के कार्यान्वयन का उपबंध करता है। इसी प्रकार, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अनुशंसा 204 (ILO Recommendation 204)** अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा गारंटी के कार्यान्वयन का सुझाव देती है।
- श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **एक मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है।**
- **अनौपचारिक कामगारों का एक सामान्य डेटाबेस तैयार करना:** इससे न केवल लाभों की इष्टतम प्रदायगी में मदद मिलेगी, बल्कि विभिन्न योजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों की पहचान को भी कारगर बनाया जा सकेगा।
- **अनौपचारिक कामगारों की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** पंजीकरण और सेवा-वितरण की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के नामांकन में सुधार कर सकती है।
- **अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करना:** श्रमिक संगठन और अन्य नागरिक समाज संगठन अपने नेटवर्क की सहायता से इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- कर्मचारी-नियोक्ता के स्थायी संबंधों पर निर्भर **कार्य की पारंपरिक धारणाओं से आगे बढ़ना चाहिए।** उदाहरण के लिए, पथविक्रेताओं (street vendors) के मामले में, जहाँ उनके श्रम बाजार लेन-देन और कार्य के स्थान को नियंत्रित करने के लिए कोई नियोक्ता नहीं है, ऐसे में कार्यात्मक प्राधिकरण जैसे कि नगरपालिका (जिसके कार्य क्षेत्र में वे जीविका अर्जित करते हैं), एक संभावित विकल्प हो सकता है।

6.2. मध्याह्न भोजन योजना {Mid-Day Meal (MDM) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने एकमुश्त कोविड-19 राहत के रूप में **कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना में खाना पकाने के लागत घटक के अपने हिस्से को प्रत्यक्षत: उनके बैंक खातों में स्थानांतरित** करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोविड-19 के कारण, देश भर में कई सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय विगत कई महीनों से बंद हैं। इससे **विद्यालयी छात्र मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उनके दैनिक गर्म व पके भोजन से वंचित** हो गए हैं।
- यह निर्णय **बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित** रखने में मदद करेगा और चुनौतीपूर्ण महामारी के इस दौर में उनकी **प्रतिरक्षा (immunity) बढ़ाने** में भी सहायता करेगा।
- **लगभग 118 मिलियन बच्चे एकमुश्त राहत पाने के पात्र होंगे,** जिस पर केंद्र का लगभग **1,200 करोड़ रुपये** का व्यय होगा।
  - यह भारत सरकार की **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY)** के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा के **अतिरिक्त** है।

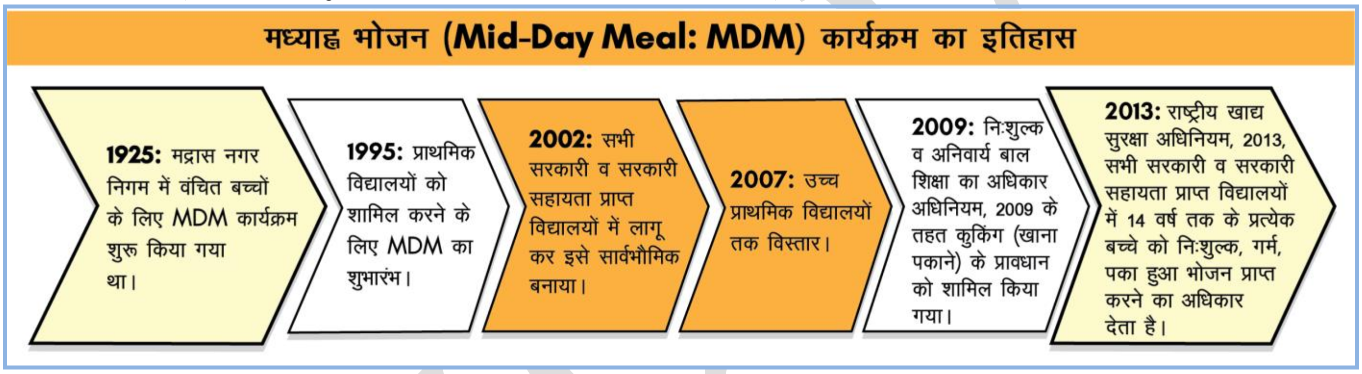

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम **शिक्षा मंत्रालय** की एक **केंद्र प्रायोजित योजना** (Centrally Sponsored Scheme: CSS) है।

  इस योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण (अर्थात् विद्यालयों में उनके बने रहने) और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण में सुधार के प्रयोजनार्थ सभी स्तरों पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध करवाना है।
  - यह विश्व का **सबसे बड़ा विद्यालय में भोजन कार्यक्रम** है।
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत आने वाले बच्चे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत भी खाद्य के हकदार हैं।
- ज्ञातव्य है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों प्रतिदिन भोजन की लागत को साझा करती हैं। यह सहभाजन इस प्रकार है- गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर विधान-मंडल वाले सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 60:40 तथा अन्यों के लिए 90:10 (अर्थात् शेष राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के लिए)।

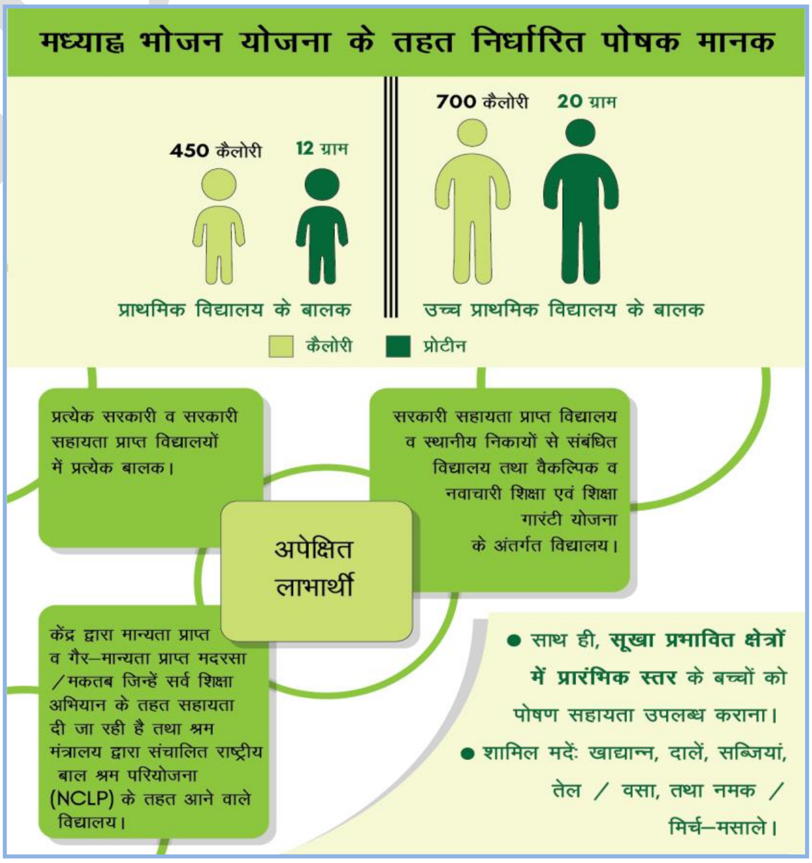

चुनौतियां

- **निम्नस्तरीय अवसंरचना:** मध्याह्न भोजन योजना **भोजन की गुणवत्ता या अपर्याप्त पोषण सामग्री, खराब अवसंरचना और समुदाय में सामुदायिक स्वामित्व के अभाव** से ग्रस्त है।
- **सामाजिक भेदभाव:** उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ दलित स्टडीज (IIDS) द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि दलित बच्चों को उच्च जाति के बच्चों की तुलना में अल्प मात्रा में भोजन दिया जा रहा है। उन्हें उच्च जाति के बच्चों को भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अलग स्थान पर भोजन परोसा जा रहा था।
- **भोजन की गुणवत्ता:** यह सूचना प्राप्त हो रही है कि मध्याह्न भोजन निम्नस्तरीय किस्म का रहता है। इससे खाद्य विषाक्तता हो जाती है, जिससे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। **ऐसी भी सूचनाएं हैं कि बच्चों को निम्न गुणवत्तापूर्ण या मिलावटी भोजन दिया जा रहा है।**
- **अनुचित मौद्रिक तंत्र:** नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण, क्षेत्र के दौरे और निरीक्षण के प्रावधान किए गए हैं, परन्तु ये सभी कार्य संभवत: ही कभी संपन्न किए जाते हैं। यदि कहीं-कहीं समितियां हैं तो वे भी क्रियाशील नहीं हैं।
- **भ्रष्टाचार और रिसाव:** वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है। धन गबन करने के लिए फर्जी नामांकन किए जा रहे हैं। साथ ही, भोजन के लिए स्वीकृत राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है।
- **संसाधनों का अल्प आवंटन:** विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष नकद अंतरण राशि बहुत कम है और वर्तमान दर पर, यह प्रति बालक **केवल 100 रुपये के एकमुश्त प्रत्यक्ष अंतरण** में ही परिवर्तित होती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं

- **आंध्र प्रदेश:** 82 प्रतिशत बच्चे मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य अपने संसाधनों का उपयोग करके **बच्चों को सप्ताह में दो बार अंडे/केले** उपलब्ध कराता है।
- **महाराष्ट्र:** 82 प्रतिशत के मध्याह्न भोजन योजना कवरेज के साथ **महाराष्ट्र** में राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के जन्मदिन के अवसर पर **बच्चों को 'स्नेह-भोजन' (विशेष दावत जिसमें मिठाई और स्नैक्स शामिल हैं) परोसने की एक अनूठी प्रथा अपनाई** गई है।

आगे की राह

- **सामुदायिक भागीदारी:** सरकार के निरंतर प्रयासों के साथ ही सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। मध्याह्न भोजन परोसने की प्रक्रिया में माता-पिता और स्थानीय समुदाय को शामिल करने से इसके कार्यान्वयन में सुधार होगा।
    - लोगों को विद्यालय के प्रबंधकों से परोसे जा रहे भोजन, प्राप्त धन और मध्याह्न भोजन योजना के लिए खरीदे गए खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता:** विशेषज्ञों ने योजना में पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन की सुरक्षा पर **सभी हितधारकों के मध्य जागरूकता** सृजित करने का सुझाव दिया है।
- **कुशल वितरण:** विशेषज्ञ इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि **योजना को जमीनी स्तर पर निष्पादित करने और परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने में शामिल कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने** से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। सरकार केवल सूखा प्रभावित

क्षेत्रों तक ही सीमित न रहकर **वैधानिक अवकाशों और अवकाश (vacation) की अवधि के दौरान भी अनुपूरक भोजन प्रदान करने** का प्रयास कर सकती है।

- **डेटा संग्रह:** योजना की भलीभांति निगरानी हेतु **उचित डेटा प्रणाली निर्मित** करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन परोसे गए भोजन, शामिल किए गए आहार और गुणवत्ता संबंधी आंकड़ें संग्रहित किए जाने चाहिए।

6.3. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस ने 'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' जारी की है।

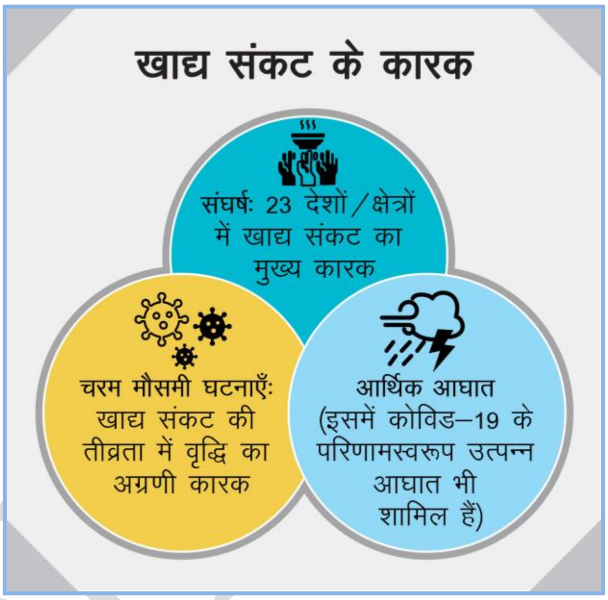

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (Integrated Food Security Phase Classification: IPC) और कैडर हार्मोनाईज़ (Cadre Harmonise: CH) या तुलनीय स्रोतों के आधार पर देशों / राज्यक्षेत्रों में आबादियों के लिए खाद्य संकट का अनुमान प्रदान करती है।
    - कैडर हार्मोनाईज़ वस्तुतः वर्तमान इकोवास (ECOWAS) / साहेल क्षेत्र में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा है।
- यह रिपोर्ट **55 देशों** पर केंद्रित है, जो **97% मानवीय सहायता प्राप्त करते हैं।**

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **बुर्किना फासो, साउथ सूडान** और **यमन** में लगभग **1.3 लाख लोग सर्वाधिक गंभीर खाद्य संकट (या विनाश)** की स्थिति में हैं। इन देशों में वृहद पैमाने पर मृत्युओं और आजीविकाओं की समग्र क्षति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
    - **वर्ष 2021 के पूर्वानुमान** में यह आंकड़ा लगभग **1.5 लाख लोगों का है।**
- वर्ष 2020 में खाद्य संकट से प्रभावित 55 देशों में रहने वाले **5 वर्ष से कम आयु के 15.8 मिलियन से अधिक बच्चे दुबलेपन (wasting) से पीड़ित थे।**
    - **नाइजीरिया, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो और सूडान** दुबलेपन से प्रभावित एक तिहाई से अधिक बच्चों के लिए जिम्मेदार थे।

ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस

- इसकी स्थापना **यूरोपीय संघ, खाद्य और कृषि संगठन** (Food and Agriculture Organization: FAO) **तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम** (World Food Programme: WFP) द्वारा **वर्ष 2016 में विश्व मानवता शिखर सम्मेलन** (World Humanitarian Summit) के दौरान की गई थी।
- **इसके निम्नलिखित प्रयोजन हैं:**
    - तीव्र भुखमरी से संबंधित सुभेद्यताओं को कम करना।
    - खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण की स्थिति प्राप्त करना।
    - '3x3 दृष्टिकोण' (इन्फोग्राफिक देखें) का उपयोग करके संधारणीय कृषि और खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) के बारे में

- यह **खाद्य सुरक्षा और पोषण विश्लेषण** तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में **सुधार के लिए नवोन्मेषों तथा अनेक भागीदारों को शामिल करने वाली पहल है।**
- इसे मूल रूप से **सोमालिया** में उपयोग करने के लिए FAO की खाद्य सुरक्षा और पोषण विश्लेषण इकाई द्वारा वर्ष 2004 में विकसित किया था।

कैडर हार्मोनाईज़ के बारे में

- यह एक एकीकृत साधन है, जो **वर्तमान और अनुमानित खाद्य एवं पोषण स्थितियों का विश्लेषण** करने में मदद करता है।

संबंधित सुर्खियां: विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक (World Food Price Index)

अप्रैल माह में लगातार 11वें महीने **विश्व खाद्य कीमतों** में वृद्धि हुई है, जिससे ये **वर्ष 2014 से अपने उच्चतम स्तर पर** पहुंच गई।

विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में

- इसे **खाद्य और कृषि संगठन** द्वारा जारी किया जाता है।
- यह खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का माप है।

इसमें **औसतन 5 जिंस समूह के मूल्य सूचकांक, यथा- खाद्यान्न, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी** शामिल हैं, जो प्रत्येक समूह के **औसत निर्यात शेयरों** द्वारा भारित होते हैं।

6.4. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों (PwDs) के पुनर्वास पर **6 माह के लिए समुदाय आधारित समावेशी विकास (Community Based Inclusive Development: CBID) कार्यक्रम** आरंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **सामुदायिक स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का एक समूह सृजित करना है, जो जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्य से जुड़े हों।** ये कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार की निःशक्तता के मामलों के प्रबंधन तथा समाज में दिव्यांगजनों के समावेशन हेतु आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- इस कार्यक्रम को **इन कार्यकर्ताओं के मध्य योग्यता-आधारित ज्ञान और कौशल सृजन करने के लिए** अभिकल्पित किया गया है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की क्षमता बढ़ा सकें।
- मौजूदा कोविड परिदृश्य को देखते हुए **इस पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण का तरीका ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों होगा।**
- समुदाय आधारित समावेशी विकास (CBID) पाठ्यक्रम को **भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय** द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगजन

- "दिव्यांग व्यक्ति" का अर्थ है, लंबे समय तक रहने वाली ऐसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति, जो बाधाओं का सामना होने पर अन्य लोगों के साथ समान रूप से समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में असमर्थ होता है।
- **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ हैं,** जो कुल जनसंख्या का **2.21%** हैं।
- दिव्यांग जनसंख्या में **56% (1.5 करोड़) पुरुष** हैं और **44% (1.18 करोड़) महिलाएं** हैं।

- अधिकांश (69%) दिव्यांग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- बहु-दिव्यांगता से ग्रसित 54 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों ने **कभी शिक्षण संस्थानों में भाग नहीं लिया।**
  - साथ ही, मानसिक रोग से ग्रस्त 50% बच्चों ने कभी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया।

दिव्यांगजनों (PwDs) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं:** मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं के उदाहरणों में शामिल हैं:
  - **रूढ़िबद्धता:** लोग कभी-कभी दिव्यांगजनों को यह मानते हुए उनके प्रति रूढ़िबद्ध होते हैं कि उनके जीवन की गुणवत्ता निम्नस्तरीय है या वे अपनी दुर्बलताओं के कारण अस्वस्थ हैं।
  - **कलंक, पूर्वाग्रह और भेदभाव:** कई लोग दिव्यांगता को ऐसे लक्षण के रूप में देखते हैं, जिसे उपचारित करने या रोकने की आवश्यकता है, जो कुकर्मों के परिणामस्वरूप मिला नैसर्गिक दंड है, या समाज में अपेक्षित व्यवहार करने की क्षमता में कमी का संकेत है।
- **सामाजिक बाधाएं:** यह उन परिस्थितियों से संबंधित है, जिनमें लोग पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, रहते हैं, सीखते हैं, कार्य करते हैं और वृद्ध होते हैं।
  - कुल दिव्यांग आबादी में से **केवल 55% (1.46 करोड़) ही साक्षर हैं।**
  - अखिल भारतीय स्तर पर **कुल दिव्यांगजनों में से केवल 36 प्रतिशत ही कामगार हैं।** उन्हें जिन प्रमुख मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है उनमें कार्यस्थल तक पहुंच का अभाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं भेदभाव तथा इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी शामिल हैं।
  - गैर-दिव्यांग बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों के साथ **हिंसा होने की संभावना लगभग चार गुना अधिक** होती है।
- **निर्धनता और दिव्यांगता एक-दूसरे को सुदृढ़ करती हैं:** यदि निर्धनता में जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों या उनके परिवारों को खराब स्वास्थ्य और पोषण, अधिवास की निम्नस्तरीय स्थितियाँ, स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है, तो ये कारक दिव्यांगता का कारण बन सकते हैं।
  - समान रूप से, दिव्यांग हो जाने से शिक्षा, रोजगार एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है तथा जीवनयापन की लागत बढ़ सकती है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति निर्धनता के जाल में फंस सकता है।
- **नीतिगत बाधाएं:** ये विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों तक दिव्यांगजनों की पहुंच को अनिवार्य करने वाले मौजूदा कानूनों और विनियमों के प्रति जागरूकता या उनके प्रवर्तन की कमी से संबंधित हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल और सहायक प्रौद्योगिकी के समक्ष बाधाएं:** इनमें निषेधात्मक लागत, सेवाओं की सीमित उपलब्धता, शारीरिक बाधा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल और ज्ञान की अपर्याप्तता आदि शामिल हैं।
  - कुछ अनुमानों के अनुसार, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता वाले केवल 5-15% लोगों के पास ही उन तक पहुँच होती है।
- **पहुँच संबंधी बाधाएं:** इनडोर और आउटडोर सुविधाओं का डिजाइन और निर्माण उन्हें विद्यालयों एवं अस्पतालों में जाने, खरीदारी करने, सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने तथा नौकरी खोजने या नौकरी में बने रहने से रोक सकता है। ऐसे में फुटपाथ, पार्क और सार्वजनिक परिवहन भी उनके लिए दुर्गम हो सकते हैं।
- **संचार संबंधी बाधाएं:** ये ऐसे दिव्यांगजनों द्वारा अनुभव की जाती हैं, जिनकी दिव्यांगता सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और/या समझने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं।

आगे की राह

- **मनोवृत्ति परिवर्तन:** दिव्यांगता को व्यक्तिगत कमी या कमजोरी न मानना, बल्कि इसे एक ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझना जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्र और पूर्ण जीवनयापन के लिए सहयोग-समर्थन प्राप्त हो सके।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार:** दिव्यांगता-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त, दिव्यांगजनों की अन्य कार्यक्रमों तक भी पहुंच होनी चाहिए। इनमें बच्चों और परिवार के लिए भत्ते, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक में दिव्यांगता का समावेशन:** इसमें प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा और जल, सफाई एवं स्वास्थ्यपरक-स्वच्छता सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रकों को समाहित करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों तक पहुंच शामिल है।
- **प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र:** यह प्राथमिक रोकथाम (दिव्यांगता के लक्षणों के प्रकटन की रोकथाम) और द्वितीयक रोकथाम (दिव्यांगता की अवधि या गंभीरता को कम करने) में मदद कर सकता है।
- **सहायक प्रौद्योगिकियां:** ये कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ा सकती हैं और ऐसे सहायक उपकरणों के उपयोग से दैनिक जीवन के कार्य सुगम बन सकते हैं, जो व्यक्ति को यात्रा करने, दूसरों के साथ संवाद करने, सीखने, कार्य करने तथा सामाजिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने में मदद करते हैं।

VISIONIAS

- **पहुंच में सुधार:** विशेष रूप से दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर विचार करना तथा ऐसे उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं का निर्माण या संशोधन करना, ताकि उनका उपयोग सभी प्रकार की नि:शक्तता वाले लोगों द्वारा किया जा सके।
- **शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार:** सुगम्य (accessible) कक्षाओं का निर्माण, दिव्यांगों के अनुकूल अध्ययन सामग्री, उचित शिक्षक प्रशिक्षण, दिव्यांगजनों द्वारा किए जा सकने वाले कार्य तथा भूमिकाओं की पहचान करना, दिव्यांग कामगारों को रोजगार देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना आदि।

भारत में की गई पहलें		
अधिनियम	**नीति / नियम**	**योजनाएं**
• **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** ○ **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:** ▪ सरकारी नौकरियों में आरक्षण **3% से बढ़ाकर 4% किया गया।** ▪ **संदर्भित दिव्यांगता (benchmark disability) वाले प्रत्येक बच्चे** (6 से 18 वर्ष की आयु) **को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार।** ▪ **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण।** • राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999) • **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992** (Rehabilitation Council of India Act, 1992)	• नि:शक्तजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 • भारत ने **नि:शक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD), 2006** की अभिपुष्टि (अक्टूबर 2007 में) की है। • एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्तजनों के "अधिकारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने" पर **इंचियोन रणनीति** का अंगीकरण। • भारत निम्नलिखित का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है: ○ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्तजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा-पत्र। ○ बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, जो समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज की दिशा में कार्य कर रहा है।	• **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष।** • जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक व मानक सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिए, **सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना** {Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP Scheme)}। • **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** {Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995} **के कार्यान्वयन के लिए योजना** जिसमें निम्नलिखित **प्रावधान शामिल हैं:** ○ **सुगम्य भारत अभियान:** निर्मित परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए। ○ दिव्यांगजनों के लिए **कौशल विकास कार्यक्रम।** ○ जिला मुख्यालयों/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों वाले अन्य स्थानों पर **शीघ्र निदान एवं हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना करना।** • **"दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई.डी." परियोजना को दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मित करने** और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (Unique Disability Identity Card: UDID) जारी करने की **दृष्टि से कार्यान्वित** किया जा रहा है। ○ हाल ही में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) ने **सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए UDID पोर्टल का उपयोग करके केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।** ○ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, क्योंकि वे दस्तावेज़ प्रस्तुत करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेंगे।

6.5. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने स्पष्ट किया है कि अनाथ हुए बच्चों का केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही दत्तक ग्रहण (अर्थात् गोद लेना) किया जा सकता है।
    - MoWCD ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अस्पताल में भर्ती होने के फॉर्म में एक कॉलम जोड़ने का भी आग्रह किया है। इस कॉलम में रोगियों से यह निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया है कि किसी संभाव्य दुर्घटना की स्थिति में उनके बच्चों को किसके संरक्षण (custody) में छोड़ा जा सकता है।

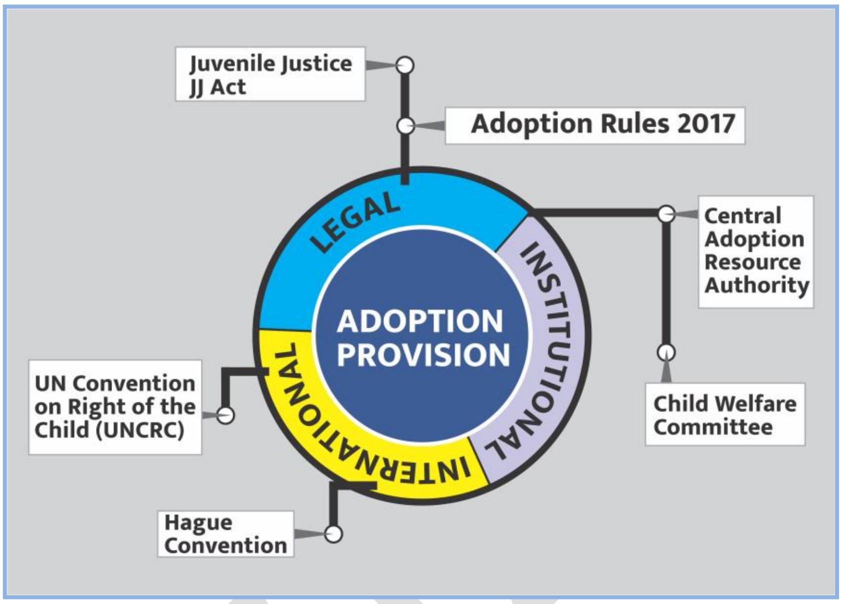

भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान

- जब बच्चा परिवार के बिना होता है, तो राज्य उसका संरक्षक बन जाता है। यदि दत्तक ग्रहण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार बच्चे को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में ले सकती है।
    - **विधिक ढांचा:**
        - **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015}:** यह देश में दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया को शासित करता है। यह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के बाहर बच्चे को गोद देने या गोद लेने और साथ-साथ उनकी बिक्री एवं खरीद को भी प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार का कृत्य एक दंडनीय अपराध है, जिसमें **तीन से पांच वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना** हो सकता है।

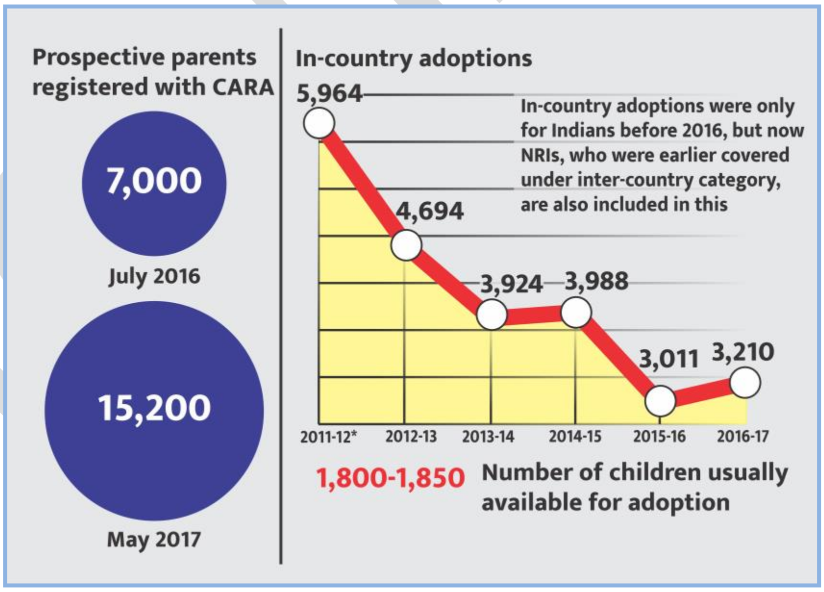

        - **दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (Adoption Regulations, 2017):** यह विनियमन परिवार के भीतर दत्तक ग्रहण की आवश्यकता, दत्तक ग्रहण उपरांत समर्थन, बाल-केंद्रित प्रावधानों, न्यायालय के लिए दत्तक ग्रहण के मामलों के निस्तारण की समय-सीमा, वरीयता सूची का समेकन तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मूल स्थान की खोज करने की सुविधा आदि से संबंधित है।
    - **संस्थाएं:**
        - **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA):** यह MoWCD के अधीन **एक वैधानिक निकाय** (किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत) है। यह मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित किए जाने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण {अंतर्देशीय (inter-country) दत्तक ग्रहण सहित} से संबंधित है।
        - **जिला बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee: CWC):** यह **किशोर न्याय अधिनियम** के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने व कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है। CWC को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले **बच्चों की आवासीय सुविधाओं का प्रति माह कम से कम दो बार निरीक्षण**

दौरा करना अनिवार्य है। साथ ही, इसे किसी भी प्रकार के सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को अनुशंसा करने का भी अधिकार है।

- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child: UNCRC), 1992:** यह बालक के सर्वोत्तम हित को संरक्षित करने के लिए सभी पक्षकार देशों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है। यह न्यायिक कार्रवाई का आश्रय लिए बिना बाल पीड़ितों के समाज में समेकन पर बल देता है।
  - **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय, 1993** अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

बाल दत्तक ग्रहण में आने वाली चुनौतियां: CARA में पंजीकृत भारतीय वयस्कों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, तथापि दत्तक ग्रहण की संख्या में कमोबेश लगातार गिरावट आई है (इंफोग्राफिक्स देखें)।

- **दत्तक ग्रहण से संबद्ध कलंक या लांछन:** कई संभावित अभिभावक सामान्यतया बहुत सहज नहीं होते हैं, क्योंकि वे "अपने बच्चे में अपना जीन, रक्त और वंश" चाहते हैं। ऐसे में, कई लोग अभिभावक होने का आनंद लेने के लिए दत्तक ग्रहण को अंतिम उपाय समझते हैं।
- **संभावित अभिभावकों की अधिमान्यता:** विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चे के चयन को प्रभावित करती हैं।
  - सामान्यतया **भावी अभिभावक विशेष आवश्यकता वाले बच्चो को गोद नहीं लेना चाहते हैं।**
  - इनमें से अधिकतर बड़े बालकों की अपेक्षा शिशुओं की इच्छा व्यक्त करते हैं। वर्ष 2017-18 में देश में दत्तक ग्रहण किए गए लगभग 80% बच्चे दो वर्ष से कम आयु के थे।
- **दत्तक ग्रहण के भेदभावपूर्ण नियम:** दत्तक ग्रहण के ऑनलाइन फॉर्म में पुरुष और महिला के अतिरिक्त कोई तीसरा लैंगिक विकल्प नहीं होता है। **ये नियम लैंगिक अल्पसंख्यकों (sexual minorities) को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं।** इसके परिणामस्वरूप, ट्रांसजेंडर समुदाय में अवैध रूप से बाल दत्तक ग्रहण सामान्य हो गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **अविवाहित पुरुष एक बालिका को गोद नहीं ले सकता है।** ज्ञातव्य है कि यह उपबंध भावी अभिभावकों की संख्या को सीमित करता है।
- **दत्तक ग्रहण के नियमों की कठोरता:** दत्तक ग्रहण का अखिल भारतीय प्लेटफॉर्म **CARINGS {(केयरिंग्स अर्थात् बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (Child Adoption Resource Information and Guidance System)} अभिभावकों को अपने ही राज्य से बच्चों के दत्तक ग्रहण के अधिक विकल्प प्रदान नहीं करता है।** संभावित अभिभावक सांस्कृतिक समानता, बच्चे को घर लाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा से बचने आदि जैसे कारकों के कारण अपने ही गृह राज्य से बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। इसके कारण लोग प्रक्रिया का उल्लंघन करने के इच्छुक रहते हैं, जिससे कदाचार बढ़ रहा है।
- **प्रशासनिक चुनौतियां:** कई जिलों में अधिकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की अनुपस्थिति है, भले ही उन्हें कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई बाल देखभाल केंद्र बाल कल्याण समितियों (CWC) के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इन केंद्रों से बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता है।
  - **दुर्व्यापार, अवैध दत्तक ग्रहण तथा कानूनी विकल्प** भी समान समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, **वर्ष 1956 का हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम** (Hindu Adoption and Maintenance Law of 1956) हिंदुओं को दत्तक ग्रहण एजेंसियों की भागीदारी के बिना निजी तौर पर एक बालक को गोद देने या गोद लेने की अनुमति प्रदान करता है।
- **कई अभिभावक अपने दत्तक बच्चे को लौटा देते हैं:** वर्ष 2017-19 के बीच भारतीय परिवारों द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए 6,650 बच्चों में से 4 प्रतिशत अर्थात् 278 बच्चों को लौटा दिया गया था।
  - **कई अभिभावक अनुभव करते हैं कि वे तैयार नहीं थे और अपने दत्तक बच्चे के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर सके थे।** बड़े बच्चों के लिए भी नए परिवेश के साथ तालमेल स्थापित करना अधिक कठिन होता है, जिससे 'व्यवधान' उत्पन्न होता है।
  - **कई बार बच्चों को इस बारे में परामर्श नहीं दिया जाता है** कि उन्हें परिवार के साथ कैसे रहना होगा।
    - जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (State Adoption Resource Agency: SARA) अभिभावक सहित बच्चे के साथ भी परामर्श सत्र आयोजित करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि समस्या का मूल कहां है। इसके निष्कर्षों के आधार पर बालक या दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावक को तब तक अस्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाता है, जब तक कि वे पुन: अपनी तैयारी सिद्ध नहीं कर देते हैं।
  - सबसे बढ़कर, कई अन्य देशों के विपरीत, **भारत में दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावकों और बच्चों के लिए एक उत्तम सहायता प्रणाली विद्यमान नहीं है।** उदाहरण के लिए, बड़े बच्चों का स्कूलों में प्रवेश एक समस्या बन जाता है, यदि वे आवश्यक आयु से अधिक आयु के हो गए हैं।

बाल दत्तक ग्रहण में सुगमता हेतु उठाए गए कदम

- **CARA ने प्रतीक्षा अवधि कम की है:** पूर्व में अभिभावक को उपलब्धता के आधार पर एक बार में ही एक से तीन दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चों के बारे में सूचित किया जाता था। जो अभिभावक अपने विकल्प को अस्वीकार कर देते थे, उन्हें प्राथमिकता क्रम से हटा दिया जाता था। अब उनके लिए 9 माह की अवधि के दौरान प्रत्येक तीन महीने पर एक विकल्प सुनिश्चित किया जा रहा है।
- **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल CARINGS: केयरिंग्स** के माध्यम से सभी संभावित अभिभावक राज्यों में दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों की एक सूची तक पहुंच सकते हैं। इस पोर्टल ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है।
- **बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services: CPS) योजना:** CPS योजना (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण सेवा) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक छत्रक योजना **समेकित बाल विकास सेवा योजना** के अंतर्गत MoWCD द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ताकि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों की सहायता की जा सके। यह योजना जिले में अनाथ, परित्यक्त, और अध्यर्पित किए गए बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने हेतु एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना करती है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु वर्ष 2021 का विधेयक:** यह जिलाधीशों (DM) और अतिरिक्त जिलाधीशों को दत्तक ग्रहण के आदेशों को अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, यह उपबंध करता है कि दत्तक ग्रहण के आदेश पर अपील मंडल आयुक्त को संदर्भित की जाएगी।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

- **दत्तक ग्रहण आदेश:** न्यायालय द्वारा जारी दत्तक ग्रहण आदेश स्थापित करता है कि बच्चा, गोद लेने वाले अभिभावक का है। हालांकि, इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के स्थान पर जिलाधीश (अतिरिक्त जिलाधीश सहित) ऐसे दत्तक ग्रहण आदेश जारी करेंगे।
- **आदेश के विरुद्ध अपील:** जिलाधीश द्वारा पारित दत्तक ग्रहण आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के आदेश के पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मंडल आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ऐसी अपीलों का निस्तारण अपील दायर करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
- **जिलाधीश के अतिरिक्त कृत्य:** इसमें सम्मिलित हैं- जिला बाल संरक्षण इकाई का निरीक्षण करना, और बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।
- **यह विधेयक कुछ व्यक्तियों को CWC के सदस्य के रूप में नियुक्त होने से रोकता है:** इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति CWC का सदस्य बनने का पात्र नहीं है, यदि (i) उसका मानवाधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड हो, (ii) यदि उसे नैतिक अधमता (भ्रष्टता) से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उस आरोप को न्यायालय द्वारा ख़ारिज न किया गया हो, (iii) उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले किसी उपक्रम से हटाया या बर्खास्त किया गया हो या (iv) वह जिले के बाल देखभाल संस्थान में प्रबंधन का एक हिस्सा हो।
- **'गंभीर अपराध' के दायरे को बढ़ाया गया है:** वर्ष 2015 के अधिनियम के अंतर्गत 'गंभीर अपराध' वे हैं, जिनके लिए दंड तीन से सात वर्ष के बीच का कारावास है। इस विधेयक में गंभीर अपराधों में वे अपराध भी सम्मिलित हैं, जिनके लिए अधिकतम दंड सात वर्ष से अधिक का कारावास है और न्यूनतम दंड निर्धारित नहीं किया गया है या सात वर्ष से कम है।
    - जो अपराध तीन से सात वर्ष के बीच कारावास से दंडनीय हैं वे **गैर-संज्ञेय** और **गैर-जमानती** होंगे {वर्ष 2015 के अधिनियम में यह संज्ञेय (जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति नहीं है) और गैर-जमानती था}।
- **निर्दिष्ट न्यायालय:** अधिनियम के अंतर्गत (बच्चे के द्वारा) सभी अपराधों पर बाल न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।

आगे की राह

- **संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना:** आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में सहानुभूति का समावेश करना:** प्रत्येक बच्चे का एक पृथक व्यक्तित्व होता है और उसे घरों में रखते समय इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। संभावित परिवारों के साथ कुछ समय के लिए संवाद करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें इस व्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके कि एक बच्चे के साथ रहना (विशेषकर एक बड़े बच्चे के साथ) कैसा होता है। इसके अतिरिक्त, बड़े बच्चों को उन परिवारों को गोद लेने के लिए दिया जाना चाहिए जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, जिनसे वे कुछ परिचित होते हैं।
- **संस्थागत परिवर्तन:** भारत में सड़क पर बच्चों का होना सबसे सामान्य दृश्य है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा इन बच्चों को बाल देखभाल केंद्र में ले जाया जाना चाहिए और यदि उनके माता-पिता नहीं मिलें तो उन्हें दत्तक ग्रहण हेतु सूचीबद्ध करना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त, लगभग **28% बाल देखभाल केंद्र CWC के साथ पंजीकृत नहीं** हैं। इन केंद्रों का समयबद्ध तरीके से स्वयं को **पंजीकृत कराना अनिवार्य करना चाहिए।** ऐसा नहीं करने पर ऐसे केंद्रों को बंद कर देना चाहिए।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को विशेष सहायता** देनी होगी, जो वैध दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं या कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के अनिच्छुक होते हैं। ऐसे लोगों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।
- साथ ही, **दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है।**

- **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication: IEC) अभियान:** इससे दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

6.6. भारत में तंबाकू का सेवन (Tobacco Use in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मृत्युओं की आर्थिक लागत" (Economic Costs of Diseases and Deaths Attributable to Tobacco Use in India) नामक शीर्षक से प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मृत्यु का आर्थिक बोझ इसके **सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत के बराबर है।**

भारत में तंबाकू का सेवन: संबंधित तथ्य

- तंबाकू वर्तमान विश्व में समय से पूर्व रोके जा सकने वाले मृत्यु और रोग का सबसे प्रमुख कारण है। इसका सेवन करने वाले लगभग आधे लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है।
- **ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-इंडिया (GATS2)** के अनुसार, भारत में **27 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं** तथा विश्व स्तर पर यह तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है।
  - हालांकि, वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान तंबाकू के सेवन की व्यापकता **34.6% से घटकर 28.6%** रह गई है।
- वर्तमान में **महिलाओं में 14.2%** की तुलना में **पुरुषों में** तंबाकू के सेवन की व्यापकता **42.4%** है।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों में, **शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू के सेवन की व्यापकता अधिक** है।

भारत में उठाए गए कदम

- भारत वर्ष 2005 में **WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC)** का एक पक्षकार बना था।
  - FCTC वस्तुतः WHO के तत्वावधान में वार्ता के माध्यम से निर्मित की गई प्रथम **अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। इसे तंबाकू जनित महामारी के वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हेतु विकसित किया गया है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन का FCTC व्यसनकारी पदार्थों (addictive substances) के मुद्दों का समाधान करने के लिए **मांग में कमी से संबद्ध रणनीतियों के साथ-साथ आपूर्ति के मुद्दों** दोनों के महत्व पर बल देता है।

- भारत में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने या इसपर लगाम लगाने के लिए **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003** {Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade, Commerce, Production, Supply and Distribution) Act (COTPA), 2003}, अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करना तथा तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध आरोपित करना है।
- वर्ष 2007-08 में **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacco Control Programme: NTCP)** आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना था। साथ ही, COTPA, 2003 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** बच्चों को तंबाकू उत्पाद देने या बेचने के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने वर्ष 2025 तक तंबाकू के सेवन को 30% तक कम करने** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- टोल फ्री नंबर के माध्यम से समुदाय को तंबाकू त्यागने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय स्तर की तंबाकू निषेध क्विट-लाइन जारी की गई है।**
- तंबाकू उत्पाद पैकेज के **आगे और पीछे के पैनल के 85% हिस्से को कवर करने के लिए सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी जारी करना अनिवार्य किया गया है।**
- **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019** ई-सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।

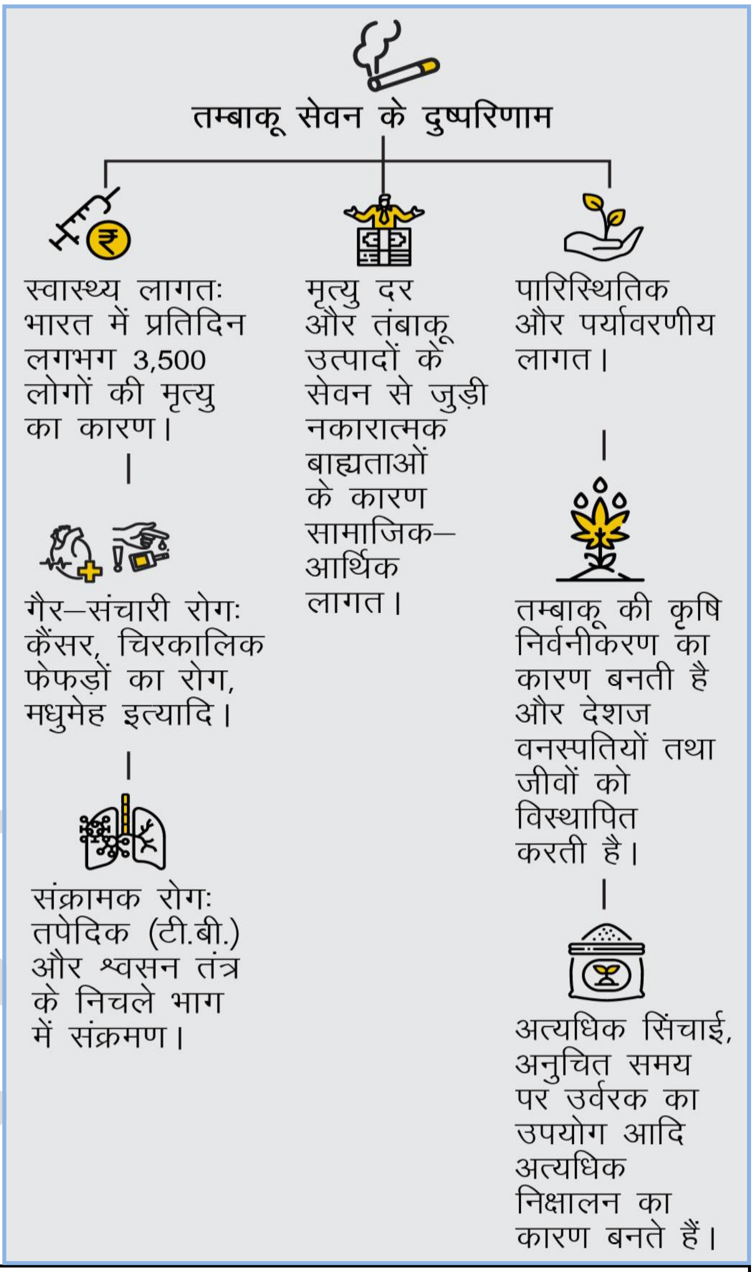

भारत में तंबाकू की कृषि

- भारत में, 750 मिलियन किलोग्राम उत्पादन के साथ **0.45 मिलियन हेक्टेयर भूमि** (देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 0.31%) पर ही तंबाकू उगाया जाता है।
  - भारत **तंबाकू के उत्पादन और निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान** पर है।
- यह एक **सूखा सहिष्णु, कठोर और कम अवधि वाली फसल** है। इसे उस मृदा में उगाया जा सकता है, जहां अन्य फसलों की खेती लाभकारी रूप से नहीं की जा सकती है।
- देश के **लगभग 15 राज्यों में तंबाकू की दस भिन्न-भिन्न किस्में उगाई जाती हैं।** इनमें सिगरेट {FCV (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया), बर्ली, ओरिएंटल} और गैर-सिगरेट {बीड़ी, च्यूइंग, हुक्का, नाटू, चेरूट, सिगार एवं HDBRG (हार्वेल डी बैक्सो रियो ग्रांडे)} प्रकार सम्मिलित हैं।
- **तम्बाकू के प्रकार और प्रमुख उत्पादक राज्य:**
  - **FCV (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू:** आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
  - **बीड़ी:** गुजरात और कर्नाटक।

- ○ **सिगार एवं चेरूट:** तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल।
- ○ **हुक्का तंबाकू:** असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश।
- ○ **च्यूइंग एवं स्नफ (चबाना एवं सूंघना):** तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश।
- ○ **नाटू, बर्ली, लंका, हारवेल डी बौक्सो रियो ग्रांडे (HDBRG):** आंध्र प्रदेश।

आगे की राह

- **लक्षित दृष्टिकोण**: भारत में तंबाकू नियंत्रण नीतियों को **देश में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एक लक्षित एवं जनसंख्या आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।**
- **मूल्य और कर उपाय:** सभी तंबाकू उत्पादों पर कर वृद्धि को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है और एकत्र किए गए करों का स्वास्थ्य संवर्धन तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों के समर्थन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- **जन स्वास्थ्य जागरूकता:** तंबाकू के विरुद्ध एक जन आंदोलन आरंभ करना, सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को तंबाकू नियंत्रण के प्रति संवेदनशील बनाना और शिक्षित करना आदि।
- **तंबाकू की कृषि और आजीविका:** तंबाकू उत्पादकों के लिए वैकल्पिक फसलों पर अनुसंधान को बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के मध्य अधिक अभिसरण (या सामंजस्य) की आवश्यकता है।
- **ब्रांड स्ट्रेचिंग** (नए उत्पादों या सेवाओं के लिए मौजूदा ब्रांड नाम का उपयोग करने की प्रक्रिया, जो उससे संबंधित प्रतीत नहीं होते हैं) या तंबाकू उत्पादों के ब्रांड साझाकरण **को प्रतिबंधित करना चाहिए।**
- तंबाकू या निकोटिन उत्पादों में एक घटक के रूप में **किसी भी योजक, सुगंध, मिठास या स्वाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे और सामाजिक योजनाओं** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Nuclear Technology in Space Missions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के **यू. आर. राव उपग्रह केंद्र (URSC)** ने एक 100 वाट के **रेडियो-आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG)** के तीन-चरणीय विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यू. आर. राव उपग्रह केंद्र (UR Rao Satellite Centre: URSC) द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयासों का मूल उद्देश्य इसरो के गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए (विद्युत उत्पादन और ऊष्मीय प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु) **RTG** को विकसित करना है।
- RTG परमाणु आधारित ऊर्जा प्रणाली का एक प्रकार है जिसका उपयोग सामान्यतः अंतरिक्ष मिशनों में विद्युत उत्पादन और ऊष्मीय प्रबंधन के लिए किया जाता है।

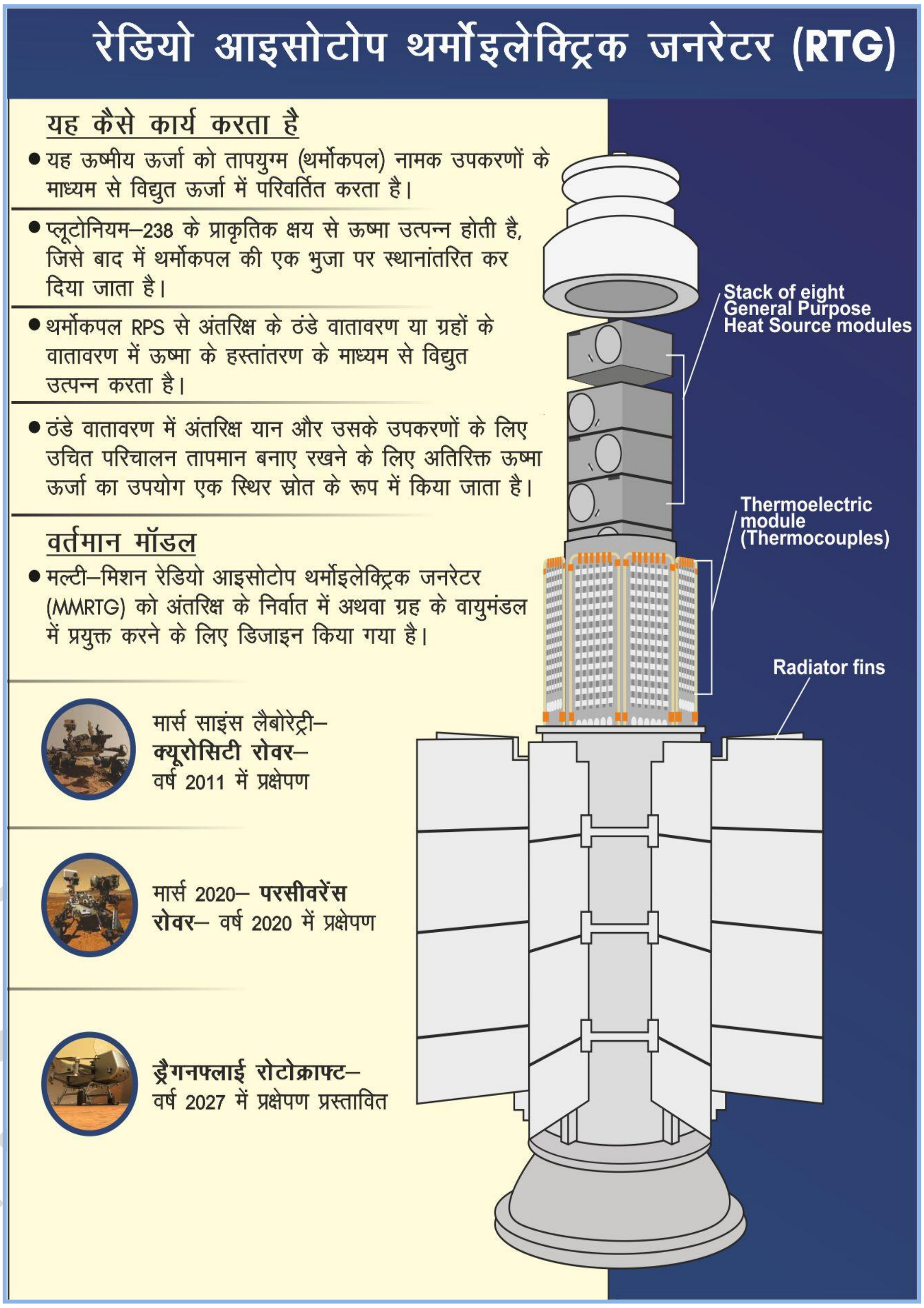

अंतरिक्ष मिशनों हेतु उपयोगी परमाणु ऊर्जा प्रणालियों (Nuclear Power Systems: NPS) के प्रकार

- **रेडियो आइसोटोप ऊर्जा प्रणालियां (Radioisotope Power Systems: RPSs):** ये परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रकार हैं जो अंतरिक्ष यान प्रणालियों और वैज्ञानिक यंत्रों के संचालन के क्रम में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु ऊष्मा (प्लूटोनियम-238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय के कारण सृजित) का प्रयोग करते हैं। रेडियो आइसोटोप ऊर्जा प्रणालियां मुख्यतः **दो प्रकार** की होती हैं:
    - **रेडियो-आइसोटोप हीटर यूनिट (RHU):** ये छोटे उपकरण होते हैं जो हमारे सौर मंडल के अत्यंत कम तापमान की स्थिति में भी अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और मैकेनिकल प्रणालियों के संचालन हेतु आवश्यक ऊष्मा प्रदान करते हैं। यह ऊष्मा अंतरिक्ष यान के ढांचे, प्रणालियों और यंत्रों तक प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित हो जाती है। इस ऊष्मा को वहां तक स्थानांतरित होने के लिए विभिन्न भागों के मध्य या मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के बीच घूमना नहीं पड़ता है।
    - **रेडियो-आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG):** ये ऐसी प्रणालियां हैं जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। इन्हें फ्लाइट प्रूवन (Flight-proven) भी कहा जाता है। ये प्रणालियां अंतरिक्ष यान को **ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान** करती हैं **(इन्फोग्राफिक देखें)**। वर्ष 1961 में शीत-युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के **ट्रांजिट-4A मिशन** के लिए पहली बार RTGs का प्रयोग किया गया था।

- **परमाणु प्रणोदन प्रणालियां (Nuclear Propulsion Systems):** रॉकेट प्रणोदन प्रणाली के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान दौर में नासा परमाणु ऊष्मा प्रणोदन (Nuclear Thermal Propulsion: NTP) प्रणालियों के विकास पर कार्य कर रहा है। ये प्रणालियां नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा संचालित होती हैं।
    - NTP प्रणालियां वस्तुतः नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भाग तक एक तरल प्रणोदक (मुख्यतः हाइड्रोजन) को प्रवाहित करने का कार्य करती हैं। रिएक्टर के भीतर यूरेनियम के परमाणु विखंडित होते हैं और विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है।
    - यह भौतिक प्रक्रिया प्रणोदक को गर्म कर उसे गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसे एक नोजल (नली) के माध्यम से विस्तारित किया जाता है ताकि प्रणोद उत्पन्न हो सके।
    - NTP प्रणालियों को इस प्रकार से तैयार नहीं किया गया है कि वे पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक प्रणोद की मात्रा को उत्पन्न कर सकें। इसकी जगह, संचालित किए जाने से पूर्व उन्हें रासायनिक रॉकेटों की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है।

अंतरिक्ष में परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित लाभ

- **RTGs अत्यधिक भरोसेमंद और रखरखाव दायित्वों से मुक्त हैं:** थर्मोकपल्स (thermocouples) में घूमने वाले कलपुर्जों की अनुपस्थिति इनके असफल होने और क्षरण की संभावना को बहुत कम कर देती है।

- **गहन अंतरिक्ष की और अंतरग्रहीय यात्रा को सुगम बनाना (Enable deep space and interplanetary travel):** परमाणु प्रणोदन प्रणाली युक्त रॉकेटों में ईंधन की खपत कम होती है और वे रासायनिक रॉकेटों की तुलना में हल्के होते हैं। इसलिए, वे अधिक दूरी तय कर सकने में सक्षम होंगे, साथ ही इनकी गति तीव्र होने के कारण, इनके निर्धारित स्थान तक प्रक्षेपण में भी कम समय लगेगा।
    - यह **मनुष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी लाभप्रद** सिद्ध होगा क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरणों के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाएगा। इसके कारण मिशन संबंधी जोखिम में कमी आएगी।
    - इसके अतिरिक्त, **यह अंतरग्रहीय यात्रा को भी आसान बनाएगा।** पहली पीढ़ी की NTP प्रणालियों के कारण मिशन पर लगने वाला समय घटकर आधा हो सकता है। इससे मंगल ग्रह की सतह के अन्वेषण के लिए भी पर्याप्त समय मिल पाएगा।
- **सौर ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में RTGs:** सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उन उपकरणों के लिए एक अव्यवहार्य विकल्प हो सकता है जिन्हें आकाशीय पिंडों की छाया वाले क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश का पहुंच पाना कठिन होता है। यह उनके लिए भी एक अव्यवहार्य विकल्प हो सकता है जिन्हें सूर्य से सुदूर स्थित मिशन पर भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, शनि ग्रह की सूर्य से दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग दस गुना अधिक है और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की जितनी मात्रा प्राप्त होती है, शनि ग्रह पर उसका केवल एक प्रतिशत ही उपलब्ध हो पाता है।
- **लचीला लॉन्च विंडो:** RTGs को सौर निकटता और ग्रह संरेखण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे ऐसी आवश्यकताओं से मुक्त हैं। इससे 'लॉन्च विंडो' (एक निश्चित समयावधि जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा रॉकेट को लॉन्च करना होता है) से संबंधित बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
- **लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के सतत संचालन हेतु:** रेडियो-आइसोटोप ऊर्जा प्रणाली (RPS) की कार्यप्रणाली पर सूर्य के प्रकाश, तापमान, आवेशित कण विकिरण में होने वाले परिवर्तन या धरातलीय स्थितियों, जैसे- घने बादलों या धूल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रणाली स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है।

आगे की राह

- **सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना:** मनुष्य और पर्यावरण, दोनों को ध्यान में रखते हुए संदूषण के जोखिमों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सिएटल से संचालित होने वाली एक कंपनी अल्ट्रा सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज

(USNC-टेक) ने एक ऐसे NTP इंजन बनाने का दावा किया है जो चालक दल के सदस्यों को उड़ान के दौरान रेडियोधर्मी कणों के संपर्क में आने से बचाएगा।

- ईंधन उत्पादन, ईंधन के तत्वों के विनिर्माण और परीक्षण से संबंधित **व्यापक प्रयोग वाली उपयोगी प्रौद्योगिकियों में दक्षता प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।** नासा वर्तमान में कम संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करने वाली प्रणाली के निर्माण पर विचार कर रहा है क्योंकि कम संवर्धित यूरेनियम के उपयोग से बजट और शेड्यूल के प्रभावित होने की संभावना में कमी आएगी। साथ ही उनका प्रबंधन करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित विनियमों की आवश्यकता में भी कमी आएगी।
- **विभिन्न प्रकार के अध्ययनों को जारी रखना:** ताकि परियोजना पर होने वाले व्यय के विस्तृत विश्लेषण के साथ NTP उड़ान के संचालन से संबंधित परियोजना (Flight Demonstration Project) को निष्पादित करने में होने वाले व्यय/लाभों और मार्ग का मूल्यांकन किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना:** अंतरिक्ष नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए एक उपयुक्त उपाय यह है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी की जाए जिसमें प्रतिभागी देशों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का उपयोग किया जा सके।
  - संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयासों में सौर मंडल के बाह्य ग्रहों में मिशनों के लिए नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होने वाले अंतरिक्ष यान प्रेषित करना और मंगल ग्रह के मिशन पर मनुष्यों को भेजना सम्मिलित है।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना तथा भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान'; पहली भारतीय सौर वेधशाला, आदित्य एल-1; दूसरे भारतीय अंतरिक्ष दूरदर्शी एक्सपोसैट; मंगल ग्रह हेतु मंगलयान-2; चंद्रमा पर लैंडिंग के पुनः प्रयास के लिए चंद्रयान-3 और शुक्र ग्रह की कक्षा के किए मिशन शुक्रयान को लॉन्च करने की योजना के साथ, इसरो सूदूर स्थित और चुनौतीपूर्ण ग्रहों के पर्यावरण का अन्वेषण करने की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा को प्रारंभ कर चुका है। इस परिदृश्य में, RTG और परमाणु ऊष्मा प्रणोदन (Nuclear Thermal Propulsion: NTP) प्रणालियों में निवेश करना अपरिहार्य विकल्प हो सकता है।

7.2. आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है।

संबंधित तथ्य

आर्टेमिस कार्यक्रम

- मानव को अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए भेजने हेतु यह नासा द्वारा संचालित एक नवीन पहल है।
- वर्ष 2024 में इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहले किसी महिला को और उसके बाद पुरुष को भेजा जाएगा।

चंद्रमा के अन्वेषण पर लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- **वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (The Outer Space Treaty 1967):** इसके अंतर्गत मानव को अंतरिक्ष में भेजने के संबंध में बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सभी देशों को अंतरिक्ष के अन्वेषण, विज्ञान और वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत ने वर्ष 1982 में इस संधि की पुष्टि की थी।
- **चंद्रमा संबंधी करार, 1979 (The Moon Agreement of 1979)** में बाह्य अंतरिक्ष के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। भारत और फ्रांस समेत केवल 18 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** ने अब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

आर्टेमिस समझौते के बारे में

- इसकी घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका की सिविल स्पेस एजेंसी **नासा** (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ने वर्ष 2020 में की थी।
- यह चंद्रमा अन्वेषण मिशन पर मानवों को प्रेषित करने (अर्थात् भेजने) हेतु **आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देशों का संग्रह है। यह चंद्रमा और अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए किया गया एक समझौता है** जिसमें विश्व के अन्य देश और निजी क्षेत्रक शामिल हैं।
- इस समझौते में सुरक्षित और पारदर्शी माहौल तैयार करने हेतु सिद्धांतों के लिए **(जो वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में निहित हैं)** एक साझा दृष्टिकोण को निर्दिष्ट किया गया है।

- **हस्ताक्षर करने वाले देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन।
- अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देशों, जैसे- **भारत, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency: ESA) ने भी एक संगठन के तौर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, परंतु ESA के कई सदस्य राष्ट्रों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

वे कारक जो भारत को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए प्रेरित कर सकते हैं

- **क्वाड देशों के मध्य बढ़ा हुआ अंतरिक्ष सहयोग:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसलिए, इस समझौते को क्वाड की उभरती हुई और प्रमुख प्रौद्योगिकियों के कार्य समूह का स्वाभाविक विस्तार माना जा सकता है। इस समझौते में भारत के सम्मिलित होने से क्वाड देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग संबंधी ढांचे को स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
  - भारत भविष्य में चंद्रमा पर प्रेषित किए जाने वाले लुपेक्स (LUPEX) नामक एक मिशन के लिए जापान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर प्रेषित किया जाना है।
- **अधिक निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में:** समझौते में शामिल होने से, भारत की अंतरिक्ष कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएंगी। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय स्टार्ट-अप्स को पूंजी निवेश प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **अंतरग्रहीय मिशन और मानव की अंतरिक्ष उड़ान के बारे में सीखने का अवसर:** 1960 और 1970 के दशक में भारत ने साउंडिंग रॉकेट और उपग्रह प्रौद्योगिकियों को भलीभांति समझने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम जैसे पश्चिमी देशों के अनुभवों का लाभ उठाया था। इसी प्रकार से आर्टेमिस समझौता, अंतरग्रहीय मिशनों और मानव की अंतरिक्ष उड़ान के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करेगा।

आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व को समर्थन:** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के "सामान्य" माध्यमों से हटकर **समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना** कुछ देशों के मध्य संशय का कारण है।
- **अंतरिक्ष अभिशासन में परिवर्तन का वाहक:** यह समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह प्रकृति में गैर-बाध्यकारी है। परंतु, इस क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यविधि स्थापित करने से उनका मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर मानव बस्तियों के लिए बाद के किसी शासन संबंधित ढांचे पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- **कूटनीतिक चुनौतियां:** भारत पहले से ही रूस का एक परस्पर भागीदार रहा है। हाल ही में, रूस ने चीन के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र (International Lunar Research Station: ILRS) पहल के लिए भी भागीदारी की है। रूस इसमें सम्मिलित होने के लिए भारत को आमंत्रित कर सकता है, परंतु दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण यह संभावना जताई गई है कि भारत ILRS का प्रासंगिक लाभ प्राप्त करने से वंचित हो सकता है।
- **स्वदेशी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के विचार को त्यागना पड़ सकता है:** इस बात का भय है कि यदि भारत आर्टेमिस समझौते में सम्मिलित होता है, तो फिर भारत के स्वदेशी कार्यक्रमों का संचालन बाधित हो सकता है।

आगे की राह

आर्टेमिस समझौते या इस प्रकार के विषय से संबंधित किसी अन्य द्विपक्षीय अंतरिक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर करने का भारत का निर्णय, पूरी तरह से प्रस्ताव की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि क्या प्रस्ताव से भारत की आकांक्षाएं पूरी होंगी या नहीं। इस प्रकार के सभी निर्णय निम्नलिखित पहलों के पूरक हो सकते हैं:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विश्वास बहाली:** चंद्रयान-1 और नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार (NISAR) मिशनों के लिए साथ कार्य करने से एक-दूसरे के प्रति विश्वास बहाल करने में सहायता मिल सकती है। यह भारत के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रेरक हो सकता है।
- **रूस के साथ रणनीतिक संतुलन:** समझौते पर भारतीय हस्ताक्षर को रूस के साथ संबंधों के खराब होने की संभावना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत ने अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ रूस से भी संतुलित संबंध बनाए रखा है और ऐसे ही संतुलित संबंध अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी देखे (समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद भी) जा सकते हैं।
- **स्वदेशी कार्यक्रमों को जारी रखना:** इसके लिए भारत, निजी क्षेत्रक की सहायता ले सकता है। साथ ही, उन्हें संचार और पृथ्वी के अवलोकन वाले उपग्रहों के निर्माण तथा प्रक्षेपण के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत को अंतरग्रहीय और मानव की अंतरिक्ष उड़ान के मिशनों हेतु अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए तथा सक्रिय रूप से उनको पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए।

7.3. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases: NTDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के 74वें सत्र में, 30 जनवरी को 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (World Neglected Tropical Diseases: NTDs) दिवस' के रूप में घोषित करने के संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के उन्मूलन के लिए की गई पहलें

- **वर्ष 2021-2030 की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए रोडमैप में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के उन्मूलन हेतु तीन रणनीतिक बदलावों का आह्वान किया गया है:**
  - **प्रक्रिया को मापने** की जगह **प्रभाव को मापा जाएगा।**
  - रोग विशिष्ट योजना और कार्यक्रम के निर्माण के स्थान पर **सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।**
  - बाह्य रूप से संचालित एजेंडा के स्थान पर **देश के स्वामित्व वाले और देश द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा।**
- **NTDs की रोकथाम और नियंत्रण** के लिए WHO के प्रथम **रोडमैप** को वर्ष 2012 में प्रकाशित किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा NTDs की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन और समाप्ति संबंधी प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए **पांच लोक-स्वास्थ्य हस्तक्षेपों** की अनुशंसा की गई है:
  - **निवारक कीमोथेरेपी:** कुछ चयनित रोगों के उपचार के लिए नियमित अंतराल पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को मुफ्त और सुरक्षित रूप से बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही, इन दवाओं को एकल या किन्हीं अन्य दवाओं के साथ दिया जा सकता है।
  - **रोगों के रोकथाम प्रबंधन हेतु नए और सघन उपाय:** ऐसे रोगों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिनका निदान और उपचार कठिन है तथा जो अधिकांश स्थितियों में गंभीर नैदानिक लक्षण एवं जटिलताएं उत्पन्न करते हैं।
  - **वाहक नियंत्रण और कीटनाशकों का प्रबंधन:** एकीकृत वाहक प्रबंधन के माध्यम से वाहक नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक-स्वास्थ्य कीटनाशकों (सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए) के सुरक्षित और विवेकपूर्ण प्रबंधन पर बल दिया जाना चाहिए।
  - **सुरक्षित पेय जल, मूलभूत सफाई और स्वच्छता सेवाएं एवं शिक्षा:** इस प्रकार के अनेक रोगों (NTD से संबंधित) की रोकथाम के लिए साफ-सफाई को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निवारक उपाय किए जाने चाहिए और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा एवं जागरुकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - **पशुजन्य रोगों का प्रबंधन:** मानव स्वास्थ्य की रक्षा और उसमें सुधार के लिए पशुचिकित्सा विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों पर तथा रोकथाम से जुड़े उपायों के अनुप्रयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- **END7 एक अंतर्राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान है।** इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक सात उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को पूर्णतः समाप्त करना है।
  - ये सात NTDs हैं- लसीका फाइलेरिया (हाथीपांव रोग), रिवर ब्लाइंडनेस (आंकोसर्कायसिस), स्नेल फीवर (सिस्टोसोमियासिस), ट्रेकोमा, हुकवर्म, विपवर्म (ट्राइचुअरिएसिस) और गोलकृमि (एसकेरिएसिस)। ये विश्व में 90% NTDs रोगों के लिए जिम्मेदार हैं।
- **बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने वर्ष 2005 में कालाजार के उन्मूलन हेतु एक पहल को आरंभ किया था।** इस पहल का उद्देश्य एक लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार का अंत करना है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के बारे में

- NTDs संचारी रोग (communicable diseases) हैं जो **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाए जाते हैं।** इनसे प्रतिवर्ष एक अरब से अधिक लोग प्रभावित होते हैं।
- पर्याप्त स्वच्छता के बिना निर्धनता की स्थिति में जीवन यापन कर रहे लोग तथा संक्रामक वाहकों और घरेलू पशुओं एवं पशुधन के संपर्क में रहने वाले लोग इससे सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।
    - विश्व स्तर पर, 149 देश और क्षेत्र कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी से प्रभावित हैं।
- यद्यपि भारत ने **गिनी कृमि रोग, याज़ (Yaws), ट्रेकोमा (Trachoma) समेत विभिन्न NTDs का उन्मूलन कर लिया है,** तथापि यह विश्व के **11 प्रमुख NTDs (वर्ष 2018 तक, WHO द्वारा पहचाने गए NTDs की सूची में शामिल) के बोझ से प्रभावित है।**

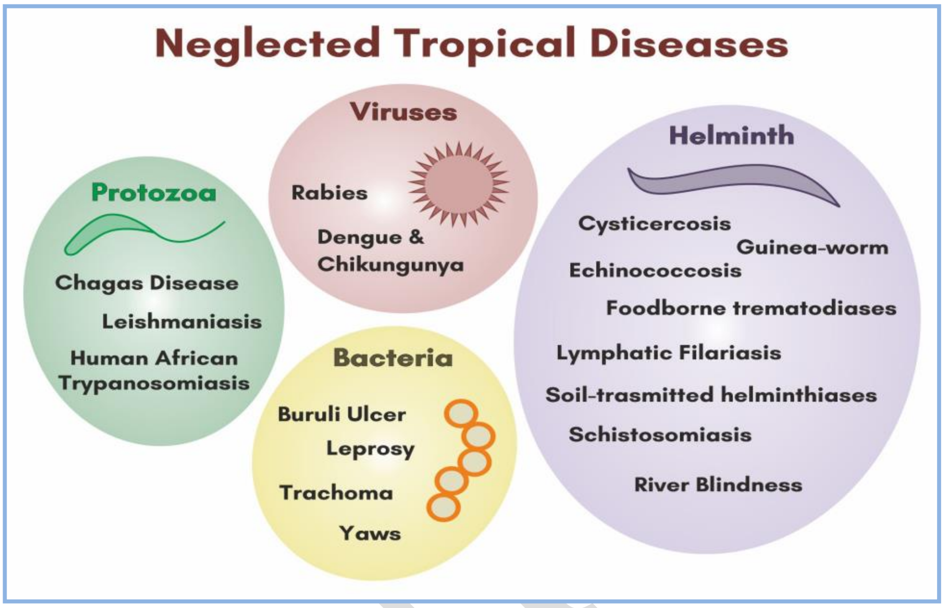

NTDs के प्रभाव

- **विश्व के सर्वाधिक निर्धन लोगों पर प्रभाव:** NTDs ने विकासशील देशों की पहले से बोझग्रस्त स्वास्थ्य प्रणाली पर और अधिक दबाव उत्पन्न किया है। उनमें से कुछ रोग आकस्मिक स्वास्थ्य घटनाओं से संबंधित व्यय को बढ़ावा दे सकते हैं और इनसे व्यक्तिगत उत्पादकता भी कम हो सकती है।
- **बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव:** कुछ रोग बच्चों में भौतिक और चलने-फिरने, श्रवण आदि से संबंधित विकार उत्पन्न कर देते हैं। इससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है तथा वे स्कूल से वंचित रह जाते हैं।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव:** कुछ रोगों से विशेष रूप से महिलाओं को **त्वचा संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो शरीर को बेडौल बना देती है।** इसका कारण महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के उपाचर और निदान में विलंब करना है।
    - ऐसे रोग महिलाओं के अपवर्जन एवं सामाजिक लांछन को बढ़ावा देते हैं। इससे उनका **सामाजिक स्वास्थ्य** प्रभावित होता है। साथ ही इससे उनके काम करने की योग्यता भी प्रभावित होती है जिससे **महिलाओं का आर्थिक स्वास्थ्य भी प्रभावित** होता है।

क्या आप जानते हैं?

- **30 जनवरी** को भारत में **कुष्ठ रोग दिवस** मनाया जाता है। यह दिन **महात्मा गांधी का शहीदी दिवस** भी है।
- **वैश्विक स्तर पर कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार** को मनाया जाता है।

NTDs से निपटने में चुनौतियां

- **प्राथमिकता वाले प्रयासों का अभाव:** NTDs को "उपेक्षित" इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन पर **नीति-निर्माताओं का ध्यान बहुत कम जाता है तथा स्वास्थ्य रणनीतियों में उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है।** साथ ही, ये रोग **अनुसंधान की अपर्याप्तता,** सीमित संसाधन के आवंटन आदि चुनौतियों से ग्रसित होते हैं और इसकी रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं।
    - तपेदिक, एच.आई.वी.-एड्स और मलेरिया जैसे रोगों की तुलना में इस प्रकार की रोगों के लिए सामान्यतः **अनुसंधान हेतु अत्यंत कम वित्तीय सहायता मिलती है।**
- **उपचार उपलब्ध नहीं होना:** विभिन्न NTDs के लिए **टीका उपलब्ध नहीं है। उनके समय पर निदान तथा उपचार के लिए जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है।** उनका उपचार अस्वास्थ्यकर, अप्रभावी और महंगा हो सकता है।
- **सामाजिक लांछन के रूप में संदर्भित किया जाना:** इनसे संबद्ध लांछन और भेदभाव पर रोक लगाना अब तक एक चुनौती बना हुआ है। साथ ही, NTDs से प्रभावित लोगों का सामाजिक विस्थापन भी एक चिंता का विषय बना हुआ है।

आगे की राह

- **संसाधनों की लामबंदी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सामुदायिक लामबंदी** इसके लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - यदि वैश्विक समुदाय भारत की NTD समस्या पर ध्यान और इस दिशा में योगदान देता है, तो NTD के बोझ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।
- **प्रभावी निगरानी और निरीक्षण** अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, नियमित अंतराल पर ट्रैकिंग संबंधी प्रगति के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली का भी होना आवश्यक है।
- **इसके बारे में मीडिया में नियमित सूचना प्रदान करने से** बीमारी के उन्मूलन कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लांछन और भेदभाव को भी कम करने में मदद मिलेगी।
- **दिव्यांगजनों के पुनर्वास** और समुदाय में उनके फिर से एकीकरण के लिए समुदाय आधारित **कार्यक्रम** तैयार किए जाने चाहिए।

7.4. म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए, कुछ राज्यों ने इसे महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत **महामारी** घोषित कर दिया है।

म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में

- जैसा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research: ICMR) द्वारा परिभाषित किया गया है, **म्यूकोरमाइकोसिस एक कवकीय संक्रमण (fungal infection)** है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पूर्णतः दवा अथवा चिकित्सकीय उपचार पर आश्रित हैं (म्यूकोरमाइकोसिस कम प्रतिरोधकता और मधुमेह से पीड़ित लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है)। इससे प्रभावित व्यक्ति की रोगजनकों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
- इसे **आमतौर पर ब्लैक फंगस कहा जाता है** क्योंकि इससे प्रभावित ऊतक का परिगलन (अर्थात् गल जाना) होना प्रारंभ हो जाता है और वह काला पड़ जाता है। यहाँ तक कि इससे कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है।
- पूर्व में जाइगोमाइकोसिस कहा जाने वाला यह रोग एक **गंभीर लेकिन दुर्लभ कवकीय संक्रमण** है जो **म्यूकोरमाइसिटेस** नामक फफूँद समूह के कारण उत्पन्न होता है।
  - यह फफूँद संपूर्ण वातावरण में, विशेष रूप से **मृदा और पत्तियों, खाद के ढेर, या सड़ी हुई लकड़ी जैसे क्षयशील कार्बनिक पदार्थों में उत्पन्न होता है।**
- आमतौर पर म्यूकोरमाइकोसिस की उत्पत्ति हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी **कवको के उदाहरण** में राइजोपस प्रजातियां, म्यूकोर प्रजातियां, राइजोम्यूकोर प्रजातियां, सिंसेफलास्ट्रम प्रजातियां आदि शामिल हैं।
- **अधिकांश लोग प्रतिदिन सूक्ष्म कवक बीजाणुओं के संपर्क में आते हैं** लेकिन यह मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों को प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति कवक बीजाणुओं के **अंतःश्वसन, निवेशन या अंतर्ग्रहण** से संक्रमित हो सकता है।
- म्यूकोरमाइकोसिस **संक्रामक नहीं है,** इसलिए संक्रमित व्यक्ति से इसके संक्रमण की संभावना न्यून है। ये **लोगों और जंतुओं के बीच** प्रसारित नहीं होते हैं।
- **लक्षण:** कोविड-19, मधुमेह के रोगियों या प्रतिरक्षा-दमित लोगों (कीमोथेरेपी या अंग प्रत्यारोपण के बाद) में इसके लक्षण देखे जा सकते हैं; जिनमें शामिल हैं:
  - वायुविवरशोथ या साइनसाइटिस, नाक का बंद होना, नाक से काला या रक्तिम तरल निकलना और गाल की हड्डी के समीप दर्द;
  - चेहरे पर एकतरफ दर्द, सुन्नता या सूजन का होना;
  - नाक या तालु के मध्य कालापन;
  - थ्रोमबाउसिस और परिगलन, धुंधली दृष्टि, दांत दर्द, सीने में दर्द आदि।
- **रोकथाम:**
  - **व्यक्तिगत स्वच्छता** को बनाए रखने पर (विशेषकर मौखिक स्वच्छता और मधुमेह रोगियों के मामले में **शरीर के अंगों को साफ और सूखा रखना**) विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
  - **ब्लड सुगर या रक्त शर्करा की विशिष्ट निगरानी** इस हेतु एक अन्य निवारक उपाय हो सकता है।
- **उपचार:** म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित व्यक्ति को **प्रति-कवकीय दवा,** आमतौर पर एम्फोटेरिसिन बी, पॉसाकोनाज़ोल या इसावुकोनाज़ोल से उपचार किया जाना चाहिए। अक्सर, म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों में संक्रमित ऊतक काटने के लिए शल्यचिकित्सा की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

अन्य प्रकार के कवकीय संक्रमण

कवकीय संक्रमण
• **श्वेत कवक/व्हाइट फंगस या कैंडिडिआसिस (कैंडिडा** नामक कवक के कारण उत्पन्न होता है)। • जब कवक गुप्तांगों को प्रभावित करता है, तो **श्वेत रंग के तरल पदार्थ का स्राव** होता है, **इस कारण इसका नाम श्वेत कवक दिया गया है।**
• **पीला कवक/ यलो फंगस** {यह पर्यावरण में एक फफूंद (एक प्रकार के कवक) के कारण उत्पन्न होता है}। • कवक से संक्रमित स्थानों में **पीले रंग का मवाद** बनने के कारण इसे **पीला कवक** कहा जाता है।
• **एस्परगिलोसिस** (सामान्य फफूंद, एस्परगिलस के कारण उत्पन्न होता है)।

कवक

- कवक **सुकेंद्रक (eukaryotes)** होते हैं और पर्यावरण में अपघटन तथा पोषकतत्व चक्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं।
  - **सुकेंद्रक** सामान्यतः ऐसे एकल-कोशिकीय या बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, जिनकी कोशिका एक **पृथक, झिल्ली से घिरे एक नाभिक** से निर्मित होती है।
  - कवक को अन्य सुकेंद्रकी जगत जैसे कि पादप, जंतु और प्रोटिस्टा के साथ **एक अलग जगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है** (इन्फोग्राफिक देखें)।

Characteristics of the Five Kingdoms

Characteristics	Five Kingdoms				
	Monera	**Protista**	**Fungi**	**Plantae**	**Animalia**
Cell Type	Prokaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic
Cell wall	Noncellulosic (Polysaccharide + amino acid)	Present is some	Present with chitin	Present (cellulose)	Absent
Nuclear Membrane	Absent	Present	Present	Present	Present
Body organisation	Cellular	Cellular	Multiceullar/ loose tissue	Tissue/ organ	Tissue/organ/ organ system
Mode of nutrition	Autotrophic (chemosynthetic and photosynthetic) and Heterotrophic (saprophytic/ parasitic)	Autotrophic (photosynthetic) Heterotrophic	Heterotrophic (Saprophytic Parasitic)	Autotrophic (Photosynthetic)	Heterotrophic (Holozoic/ Saprophytic etc.)

- कवक के **सामान्य उदाहरण** हैं: यीस्ट, रस्ट, ट्रफल, फफूंद, आसिता और मशरूम।

पोषण	• अधिकांश कवक मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और इसलिए उन्हें **मृतजीवी (saprophyte)** कहा जाता है। • यदि कोई कवक किसी जीवित परपोषी को बिना हानि पहुंचाए **उपजीविका/भरण–पोषण प्राप्त** करता है, तो उसे सहजीवी या परस्परवादी कहा जाता है। उदाहरण के लिए– लाइकेन और माइकोराइजा। • कुछ कवक परजीवी होते हैं, जो पादपों या जंतुओं को संक्रमित करते हैं।
प्रजनन / पुनरुत्पादन	• कवक, अलैंगिक रूप से विखंडन, मुकुलन (Budding), या बीजाणु उत्पन्न करके, अथवा **समजालिक (Homothallic) या विषमजालिक (Heterothallic) मायसेलिया (Mycelia) के साथ लैंगिक प्रजनन** कर सकता है। • जब दोनों प्रजनन प्रक्रियाएं एक ही मायसेलियम (mycelium) में मौजूद होती हैं, तो इसे **समजालिक या स्व–प्रजननक्षम (Self-Fertile)** कहा जाता है। **विषमजालिक मायसेलिया** को लैंगिक प्रजनन के लिए दो अलग–अलग, किंतु संगत, मायसेलिया की आवश्यकता होती है।
अनुप्रयोग	• **खाद्य उद्योग:** बेकिंग, मदिरा–निर्माण, पनीर और वाइन बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है। • **औषधि:** प्रतिजैविक (antibiotics) पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन (cephalosporin), के साथ–साथ साइक्लोस्पोरिन (cyclosporine) नामक दवा कवक द्वारा निर्मित होती है। • **कीट नियंत्रण:** कुछ कवक का उपयोग पौधों के हानिकारक रोगजनकों, जैसे कि कीट, घुन, खरपतवार आदि की वृद्धि को नियंत्रित करने या उन्हें समाप्त करने के लिए किया जा सकता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

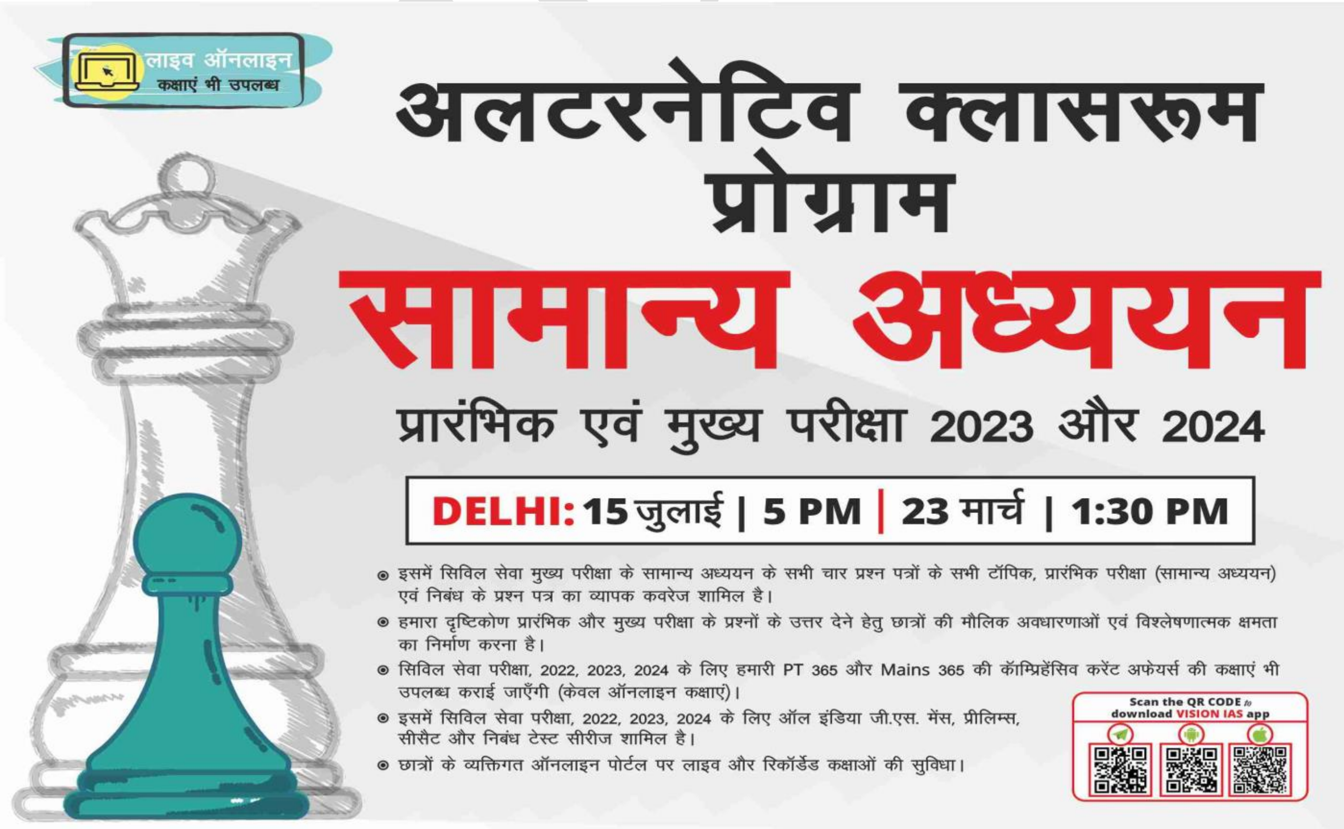

8. संस्कृति (Culture)

8.1. यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची (Tentative List of UNESCO World Heritage Sites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI) द्वारा प्रस्तुत **छह** स्थलों को **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO)** द्वारा संभावित सूची में शामिल करने के लिए स्वीकार किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह किसी भी स्थल के अंतिम नामांकन से पूर्व एक आवश्यकता है।

विश्व विरासत स्थलों के बारे में

- एक विश्व विरासत स्थल **"उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य"** वाला स्थान है। यह उस "सांस्कृतिक और / या प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ही सीमित नहीं है। साथ ही, वह स्थल मानवता की सभी वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामान्य महत्व का है।"
  - इन स्थलों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई **'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)'** नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित के रूप में नामित किया गया है।
- **नामांकन प्रक्रिया:**
  - **संभावित सूची (Tentative List):** यह प्रथम कदम है। इसके अंतर्गत किसी देश को उसकी सीमाओं के भीतर स्थित उसके **महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की एक सूची निर्मित करना आवश्यक होता है।**
  - **नामांकन दायर करना (The Nomination File):** यूनेस्को द्वारा किसी देश के विरासत स्थल को संभावित सूची में शामिल करने के उपरांत, संबंधित देश को आवश्यक दस्तावेज और मानचित्र के साथ एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है। इसे मूल्यांकन के लिए सलाहकार निकायों को प्रेषित किया जाता है।
  - **अंतिम अभिलेखन (The Nomination File):** एक बार किसी स्थल का नामांकन और मूल्यांकन करने के उपरांत, यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है कि वह विश्व विरासत सूची में उस स्थल के अभिलेखन के बारे में अंतिम निर्णय करे।
- **भारत में विश्व विरासत स्थल:** यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 38 स्थल समाविष्ट हैं (30 सांस्कृतिक + 7 प्राकृतिक + 1 मिश्रित)।
- इटली और चीन के स्थलों की संख्या सबसे अधिक है (प्रत्येक के 55)।

छह स्थलों के बारे में:

ऐतिहासिक शहर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के प्रतिष्ठित घाट	• यहाँ गंगा नदी के किनारे 6.5 कि.मी. लंबाई में विस्तृत रिवरफ्रंट (तटाग्र या घाट) भव्य इमारतों, पवित्र स्थलों और घाटों की रमणीय स्थापत्य पंक्ति का दृश्य प्रस्तुत करता है। ○ **84 सीढ़ीदार घाट** हैं, जो भूमि के साथ नदी के स्थापत्य अंतरफलक का एक अद्वितीय भारतीय प्रारूप विज्ञान का उदाहरण है। ○ **पंचतीर्थ** नामक निम्नलिखित पांच घाटों का प्राचीन ग्रंथ **मत्स्य पुराण** में उल्लेख किया गया है: ▪ असीघाट, ▪ दशाश्वमेध, ▪ मणिकर्णिका, ▪ पंचगंगा (पांच नदियों, यथा- गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा का संगम बिंदु माना जाता है), तथा ▪ आदि केशव। • हिंदू धर्म के अतिरिक्त, वाराणसी अन्य प्रमुख धर्मों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं से भी संबद्ध है: ○ **भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश** "धर्मचक्र परिवर्तन" 528 ई. पू. में वाराणसी के निकट सारनाथ में ही दिया था। ○ जैन परंपरा के अनुसार, यह **4 जैन तीर्थंकरों, यथा- सुपार्श्वनाथ (7वें), चंद्रप्रभु (8वें), श्रेयांसनाथ (11वें) और पार्श्वनाथ (23वें) का जन्मस्थान** है।

	○ 16वीं शताब्दी में **गुरु नानक ने दो बार वाराणसी की यात्रा की थी।** ○ पंचगंगा घाट पर **आलमगीर मस्जिद** का निर्माण मुगल बादशाह **औरंगजेब** ने करवाया था। • यहां प्रचलित अन्य परंपराओं में लकड़ी के खिलौने बनाना, साड़ी बनाना, रेशम की बुनाई, धातु, काष्ठ और टेराकोटा हस्तशिल्प, चित्रकारी, संस्कृत भाषा का उपयोग और वैदिक मंत्रोच्चार शामिल हैं।
कांचीपुरम के मंदिर (तमिलनाडु)	• **वेगावती नदी** के तट पर स्थित, ऐतिहासिक मंदिर शहर **कांचीपुरम** में कभी 1,000 मंदिर थे। वर्तमान में इनमें से केवल 126 (108 शैव और 18 वैष्णव) ही शेष रह गए हैं। • कांचीपुरम छठी से नौवीं शताब्दी ईस्वी तक **पल्लव राजवंश की राजधानी** रहा था। इस राजवंश के संरक्षण में **मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली** आरंभ और विकसित हुई थी। • **इस नामांकन के तहत अभिनिर्धारित 11 मंदिरों में से कुछ महत्वपूर्ण मंदिर निम्नलिखित हैं:** ○ **कैलाशनाथ मंदिर:** पल्लव शासक **राजसिंह प्रथम (नरसिंहवर्मन II)** द्वारा निर्मित, यह कांचीपुरम की सबसे प्राचीन संरचना है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से निर्मित एक अद्वितीय 16-पक्षीय शिवलिंग है। ○ **एकंबरेश्वर मंदिर:** यह **पंचभूत स्थलम्** (प्रत्येक एक प्राकृतिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है) के **पांच प्रमुख शिव मंदिरों** में से एक है। पंचभूत- अर्थात् तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। यह मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ▪ मंदिर का **राजा गोपुरम** दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे (57 मीटर) गोपुरम में से एक है और इसे **विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय** ने बनवाया था। ▪ एक उल्लेखनीय विशेषता **आयराम काल मंडपम**, या **"एक हजार स्तंभों वाला गलियारा"** है। ○ **वरदराज पेरुमल मंदिर:** भगवान विष्णु को समर्पित, यह **सभी 12 अलवार संतों द्वारा भ्रमण** किए गए 108 दिव्य देशम् मंदिरों में से एक है। इसमें विजयनगर के राजाओं द्वारा निर्मित एक **'सौ स्तंभ' मंडपम** है। ○ **उलगलंदा पेरुमल मंदिर:** इस मंदिर में **एक ही परिसर में चार दिव्य देशम्** होने की एक अनूठी विशेषता है, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। • कांचीपुरम **रेशम की बुनाई के लिए भी प्रसिद्ध** है। गोपुरम, मोर, कोकिला, रुद्राक्ष की माला और पुष्पीय अलंकरणों जैसे मंदिर रूपांकन कांचीपुरम साड़ियों पर की जाने वाली जटिल बुनाई का हिस्सा हैं।
कर्नाटक में अवस्थित "हायर बेंकल" नामक महापाषाण स्थल	• हायर बेंकल स्थल में 2500 से अधिक वर्षों से एक ग्रेनाइट शिखर पर स्थित लगभग **1,000 महापाषाण शवाधान संरचनाएं मौजूद** हैं। यहां से डॉल्मेन, केयर्न्स, गमन कक्ष, पाषाण वृत्त, मेनहीर, ग्रेनाइट से उकेरी गई मानवाकृतीय प्रतिमाएं आदि प्रमुख वास्तुशिल्पीय किस्में प्राप्त हुई हैं। ○ **मेगालिथ दो ग्रीक शब्दों से बना है- 'मेगास'** का अर्थ है बड़ा और **'लिथोस'** का अर्थ है पत्थर। उनका निर्माण या तो शवाधान स्थलों या संस्मारकों के रूप में किया गया है। • हायर बेंकल की एक और अनूठी विशेषता **प्रागैतिहासिक युगीन शैल चित्रकला** है। मानव आकृतियों, फरसा धारण किए हुए घुड़सवार, मृगों की पंक्ति, लंबे श्रृंग वाले बैल, मोर आदि जैसे रूपांकनों के साथ 11 शैलाश्रयों की खोज की गई है। • यह स्थल **भारतीय प्रागैतिहासिक लौह युगीन महापाषाण संस्कृति** की अंत्येष्टि और अनुष्ठान प्रथाओं से संबंधित एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है । • भारत में, महापाषाण स्थल प्राय: **भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग, दक्कन के पठार, विंध्य और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र** में देखे जाते हैं।
मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट- लम्हेटा घाट	• **भेड़ाघाट नर्मदा नदी** के प्रवाह में एकमात्र स्थान है, जहाँ यह 30 मीटर गहरे महाखड्ड (gorge) में गिरती है और **धुंआधार प्रपात** का निर्माण करती है। साथ ही, संकरे महाखड्डों से होकर भी प्रवाहित होती है। ○ यहां विशाल ऊँची संगमरमर की चट्टानें दोनों ओर लंबवत आकृति में पाई जाती हैं, जिससे एक शोभायमान दृश्य निर्मित होता है। इसे **'भारत का ग्रैंड कैनियन'** कहा जाता है। • भेड़ाघाट क्षेत्र विश्व में 2 से 3 कि.मी. की छोटी दूरी के भीतर **चूना पत्थर में क्षेत्रीय रूपांतरण** का एकमात्र उदाहरण है।

	• इसके अतिरिक्त, नर्मदा घाटी में विशेष रूप से इस क्षेत्र में **डायनासोर के जीवाश्म** भी पाए गए हैं। • नर्मदा **अमरकंटक** से उद्गमित होती है तथा सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है।
सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व (मध्य प्रदेश)	• होशंगाबाद में स्थित, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व (STR) **मध्य भारतीय उच्चभूमि पारिस्थितिकी तंत्र** का एक प्रमुख उदाहरण है। • यह भारत की **17% बाघ आबादी को आश्रय** प्रदान करता है। साथ ही, यहां **भारत के 12% बाघ पर्यावास अवस्थित हैं।** • STR को वर्ष 1999 में **मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिज़र्व** घोषित किया गया था। इसमें **तीन संरक्षित क्षेत्र** शामिल हैं, यथा- सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य। • **पुरातात्विक महत्व:** यहां पर 55 शैल आश्रय हैं, जो 1500 से 10000 वर्ष प्राचीन हैं। इनमें हाथी, बाघ, मृग और साही जैसे जानवरों को गुहा भित्तियों पर चित्रित किया गया है।
महाराष्ट्र में मराठा सैन्य स्थापत्य कला	• इसमें 17वीं शताब्दी के **मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के काल में निर्मित 14 किले** शामिल हैं। उनमें से महत्वपूर्ण किलों में शामिल हैं: ○ **शिवनेरी किला:** 1630 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था। ○ **अलीबाग/कुलाबा किला:** इसे छत्रपति शिवाजी द्वारा **नौसैनिक अड्डे** के रूप में तैयार किए जाने वाले किलों में से एक के रूप में चुना गया था। ○ **राजगढ़ किला:** जब शिवाजी ने पुरंदर की संधि (1655 ई.) पर हस्ताक्षर किए थे, तब यह मुगलों की अधीनता से बाहर रखे गए किलों में से एक था। इस पर उन्होंने सबसे लंबे समय तक (26 वर्ष) नियंत्रण रखा था। • पहाड़ियों, भूमि और समुद्र तट पर बने किलों के नेटवर्क इस तथ्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि **शिवाजी और मराठा सेना द्वारा भूमि पर मुग़लों से और समुद्र में यूरोपीय तटीय शक्तियों से निपटने हेतु गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित करने के लिए** मौजूदा अंचलों/भूखंडों का किस प्रकार उपयोग किया जाता था।

नोट: मानचित्र पर इन स्थानों को 'सुर्ख़ियों में रहे स्थल' अनुभाग के अंतर्गत दर्शाया गया है।

8.2. शयनावस्था में बुद्ध (Reclining Buddha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बोधगया में **बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर** में भारत की सबसे बड़ी **शयनावस्था में बुद्ध की प्रतिमा** प्रतिष्ठापित की जा रही है।

शयनावस्था में बुद्ध के बारे में

- शयनावस्था में बुद्ध की प्रतिमा उनके रोगी काया के अंतिम क्षणों के दौरान की अवस्था का चित्रण करती है। इसे **परिनिर्वाण** चरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि परिनिर्वाण मृत्यु उपरांत चरम मोक्ष का वह चरण है, जिसे केवल प्रबुद्ध बौद्ध मनीषियों द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है।

- शयनावस्था में बुद्ध की मूर्तियां उन्हें अपनी **दाहिनी ओर लेटे हुए** दिखाती हैं, उनका सिर एक तकिए पर या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। यह प्रतिमा दर्शाती है कि **सभी प्राणियों में जागृत होने तथा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की क्षमता** विद्यमान है।
- शयनावस्था में बुद्ध को **पहली बार गांधार कला में चित्रित** किया गया था। यह कला 50 ई. पू. और 75 ईस्वी के मध्य आरंभ हुई थी तथा कुषाण काल के दौरान प्रथम से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अपने चरमोत्कर्ष पर थी।

भारत में शयनावस्था में बुद्ध

- अजंता की **गुफा संख्या 26 में 24 फीट लंबी और नौ फीट ऊंची शयनावस्था में बुद्ध की मूर्ति** है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित किया गया था।
- **कुशीनगर** (वर्तमान उत्तर प्रदेश - जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था) में परिनिर्वाण स्तूप के भीतर 6 मीटर लंबी लाल बलुआ पत्थर की एक एकाश्म शयनावस्था में बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठापित है।

भारत के बाहर शयनावस्था में बुद्ध

- **श्रीलंका और भारत में बुद्ध को अधिकतर आसन मुद्रा** में ही चित्रित किया जाता है, जबकि थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में **शयनावस्था मुद्राएं** अधिक प्रचलित हैं।
- विश्व में सबसे बड़ी शयनावस्था में बुद्ध की प्रतिमा **600 फुट ऊँची विंसिन ताव्या बुद्ध प्रतिमा** है। इसे वर्ष 1992 में **म्यांमार के मौलामियायन** में निर्मित किया गया था।
- पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित **भामला बुद्ध परिनिर्वाण** को विश्व में अपनी तरह की सबसे पुरानी मूर्ति माना जाता है। यह 1800 वर्ष से अधिक प्राचीन है।
- 15वीं शताब्दी के अंत में, **कंबोडिया के अंगकोर में बाफून के हिंदू मंदिर स्थल पर शयनावस्था में बुद्ध की 70-मीटर उंची मूर्ति** निर्मित की गई थी।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता (International Ethics)

परिचय

मौजूदा दौर में कोविड-19 के प्रकोप ने संसाधनों की उपलब्धता और राष्ट्रों के मध्य अंतःक्रिया (या बातचीत) से संबंधित वैश्विक वास्तविकताओं को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। महामारी जनित आघात ने अनेक भावी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दुविधाओं को उजागर किया है, जैसे कि टीकों तक पहुँच पर राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय बहस अथवा देशों के अधिकार और अन्य देशों के प्रति विकसित देशों के उत्तरदायित्व।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है?

जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता **राष्ट्रों के मध्य नैतिक अंतःक्रिया (ethics of interaction)** को संदर्भित करती है। यह अंतःक्रिया प्रत्यक्ष भी हो सकती है, जैसे कि व्यापार, पूंजी प्रवाह और लोगों के आवागमन या युद्ध के रूप में। हालांकि, यह अंतःक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है, जैसे कि वैश्विक मामलों के भागीदार के रूप में। उदाहरण के लिए, अनेक दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ भारत के लिए प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर पाना कठिन हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ अंतःक्रिया कर पाना सरल हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता इस संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कोई **राष्ट्र और अन्य संस्थाएं कैसे अन्य राष्ट्रों एवं उनके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं**। साथ ही यह हमें अच्छाई और बुराई, सही और गलत के आकलन की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता **"वैश्विक मामलों में न्याय, वैधता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नीतिगत व्यवहार को बनाए रखने" पर बल देती है।**

किसी राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता **एक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करने और ऐसे समुदायों को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है।**

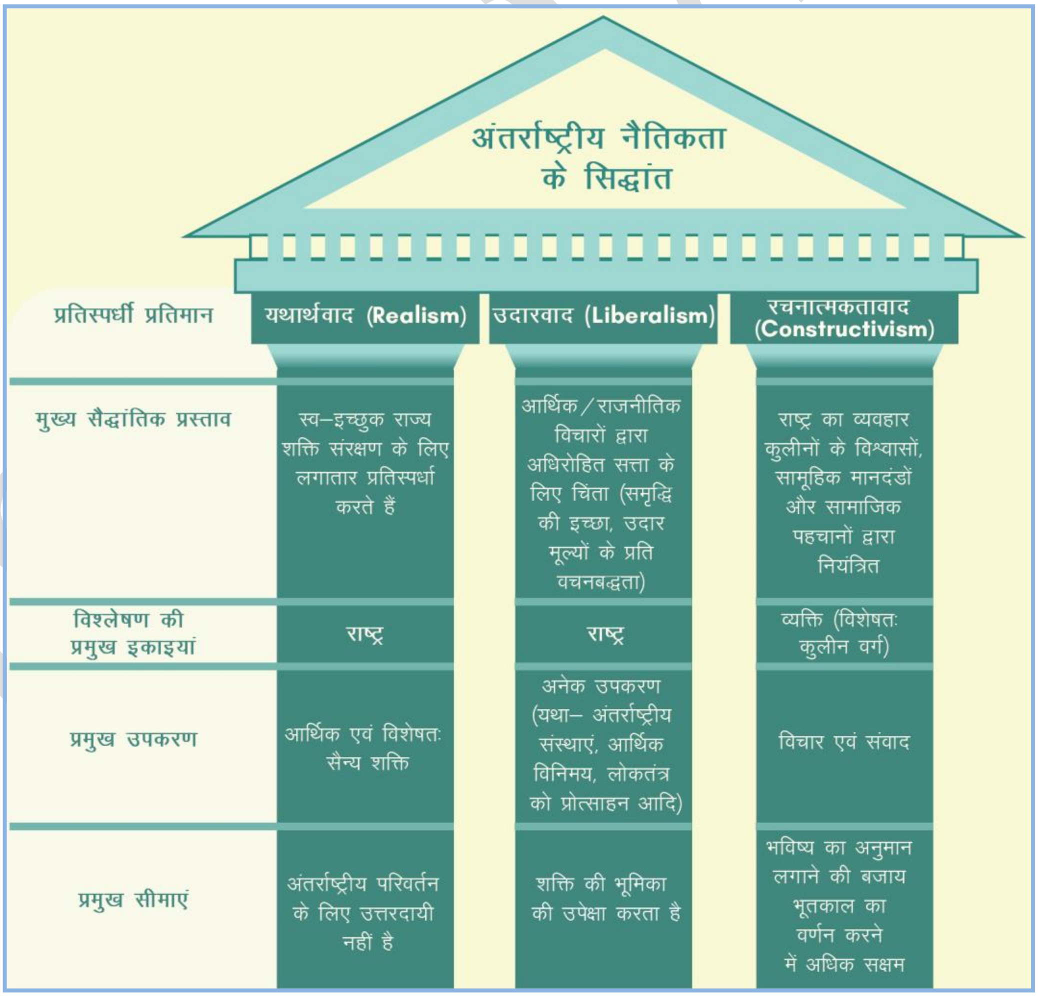

यूक्रेन संकट, यूरोप को नैतिक रूप से प्रभावित करने वाला शरणार्थी संकट, सीरिया में गृह-युद्ध, दक्षिण चीन सागर में अनसुलझे समुद्री क्षेत्रीय विवाद आदि को मौलिक रूप से नैतिक एवं निर्देशात्मक चुनौतियों के रूप में निरूपित किया जा सकता है।

वैश्विक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या भूमिका निभाती है?

- **बढ़ता वैश्वीकरण:** इसके परिणामस्वरुप परस्पर निर्भरता और अधिक से अधिक साझा उत्तरदायित्वों को बढ़ावा मिला है। अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रों और अन्य बहुराष्ट्रीय संगठनों की परस्पर भागीदारी में कार्य करने की आवश्यकता को बल मिला है।
    - आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहुँच के संदर्भ में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों) की बढ़ती शक्ति के कारण, उनके नैतिक विकल्पों को प्रश्नगत करना आवश्यक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान:** संयुक्त राष्ट्र मुख्यतः सभी सदस्य देशों को मैत्रीपूर्ण और सहकारी एवं शांति संबंधी मानवीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के विभिन्न सिद्धांतों के अनुपालन तथा उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में देशों को प्रेरित करता है।

"यदि कोई चीज गलत है जब दूसरे इसे करते हैं, तो वह चीज गलत है जब हम उसे करते हैं।" - नोम चॉम्स्की

- **पर्यावरण संरक्षण:** अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ओजोन क्षरण, वैश्विक तापन आदि के विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग प्रदान करती है। हालांकि ये सामान्य साझा चुनौतियाँ हैं और इनके लिए सभी राष्ट्रों द्वारा कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रबंधन:** कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों के प्रति अनुक्रिया वस्तुतः टीका विकास की प्रक्रिया में सुभेद्य समूहों के नैतिक समावेशन को सुनिश्चित करने और सभी के लिए सुरक्षित व प्रभावी टीका सुलभ बनाने की माँग करती है।
- **मानवाधिकारों की रक्षा:** वर्तमान दौर में भी, मानवाधिकारों का अतिक्रमण और अनादर जारी है, जिसमें लंबे संघर्ष एवं विस्थापन की स्थितियाँ मुख्यतः सार्वभौमिक मानवाधिकारों के कार्यान्वयन और वास्तविकता के मध्य अंतराल को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। वैश्विक नैतिकता संभवतः वैचारिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर इन चुनौतियों का समाधान कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रति किसी देश के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले घटक क्या हैं?

- **राष्ट्र और अर्थव्यवस्था का आकार एवं प्रकृति:** यह राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए किसी राष्ट्र के स्थान को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, ऐसे राष्ट्र जो निर्यात/आयात हेतु अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।
- **राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा:** (प्राकृतिक) संसाधनों, बाजारों, निवेश, प्रतिभाओं, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले राष्ट्रों के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़े नैतिक मुद्दों को समझना सरल है।
  - उदाहरण के लिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था (अमेरिका प्रथम दृष्टिकोण) को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहयोगियों पर उच्च प्रशुल्क आरोपित करने के प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अनैतिक करार दिया गया है।
- **शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता:** अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न दर्शनों/सिद्धांतों और इन शक्तियों के प्रयोग से प्रभावित होती है। कुछ अवसरों पर यह माना गया है कि शक्ति किसी नियम का पालन नहीं करती है और यह तर्क (जो कि अपने आप में एक दोषपूर्ण विचार है) शक्तिशाली राष्ट्रों एवं संस्थाओं के पक्ष में वैश्विक संतुलन को प्रभावित करता है तथा कम शक्तिशाली राष्ट्रों और संस्थाओं के संदर्भ में प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए, मानवाधिकार संबंधी मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून गैर-पश्चिमी देशों से संबंधित मानवाधिकार के मुद्दों पर अधिक केंद्रित हैं।
- **रक्षा और सैन्य उद्यम:** अपने वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध शक्ति के उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के रूप में न्यायसंगत ठहराया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, 9/11 के बाद, पश्चिमी शक्तियों द्वारा अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण को घरेलू सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराया गया था।
- **हमारे विकल्पों के दायरे को परिभाषित करने वाली प्रणालियाँ, सामाजिक व्यवस्थाएं और स्थितियां:** ये प्रणालियां और सामाजिक व्यवस्थाएं किसी राष्ट्र में जनमत का निर्माण करती हैं। ये एक देश का अन्य देशों के साथ जुड़ाव के स्तर और प्रकृति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, किसी देश में वाक् की स्वतंत्रता और संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मूल्यांकन कभी-कभी राष्ट्रों के बीच संबंधों को मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **निर्णय लेने वाले या विकल्पों का चयन करने वाले अभिकर्ता:** इस संदर्भ में सभी व्यक्ति (राष्ट्रपति, मंत्री, आधिकारिक प्रतिनिधि, CEO, सामुदायिक नेता, उपभोक्ता आदि) एक नैतिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये सभी स्वायत्त अभिकर्ता के रूप में भी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं।

महाभारत के शांति पर्व में भी मानव अंतःक्रिया पर एक श्लोक का उल्लेख मिलता है जिसमें विदुर युधिष्ठिर से कहते हैं कि: ***"आत्म-संयम और धर्म (सदाचरण) पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, हम सभी को अन्य के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करते हैं।"***

- **परस्पर निर्भरता, सहयोग और सहकार्यता:** ऐसा व्यवहार जो एक देश या समूह किसी अन्य देश या समूह के साथ करता है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को सामान्य आधार प्रदान करने में मदद कर सकता है।
  - वर्ष 1961 के बर्लिन संकट के दौरान, सोवियत संघ ने पश्चिम जर्मनी और बर्लिन में भोजन, जल और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच को अवरुद्ध करके अंतर्ध्वंस करने का प्रयास किया था। हालांकि, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा बर्लिन में आपूर्ति को एयरलिफ्ट करके पहुचाया गया था।
- **राजनयिक संबंध:** राजनयिक प्रयास मतभेदों को सुलझाने, लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लोगों के अधिकारों एवं हितों को आगे बढ़ाने और साथ ही कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को साझा करने में सहायक होते हैं।
  - नैतिक आचरण, जैसे कि मानव जीवन और लोकतंत्र के प्रति सम्मान स्थिर राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता है और ये शक्ति, विश्वसनीयता एवं स्थिरता के महत्व को प्रतिबिंबित करते हैं।

"नैतिक संस्कृति के बिना, मानवता की प्रासंगिकता असंभव है" - अल्बर्ट आइंस्टीन

नैतिक आचरण का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

जहाँ लोगों के संबंधों पर आधारित नैतिकता सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से घनिष्ठता से अंतर्संबंधित है, वहां वैश्विक संदर्भ में नैतिकता को निर्धारित कर पाना निम्नलिखित कारणों से चुनौतीपूर्ण हो सकता है:

- **वैश्विक नैतिकता को परिभाषित करना:** राष्ट्रों के लिए सदैव इस तथ्य पर सहमत हो पाना कठिन होगा कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। राष्ट्र संघ को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, वह यह था कि नैतिकता और आक्रामकता पर विभिन्न देशों के अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं।
    - परस्पर सुनिश्चित विध्वंस (Mutually Assured Destruction: MAD) संबंधी परमाणु हथियारों के सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए। संपूर्ण रणनीतिक ढांचा पारस्परिक जोखिम के विचार पर आधारित है।

"युद्ध के लिए तैयार रहना शांति बनाए रखने के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक है।" - जॉर्ज वाशिंगटन

- **स्थानीय और वैश्विक प्रयासों के मध्य ध्रुवीकरण:** वैश्विक प्रयासों का समर्थन करना शायद साम्राज्यवादी निर्देशात्मक ढांचे के पुनरुत्पादन का प्रयास (पश्चिमी साम्राज्यवाद की वैश्विक और नैतिक स्वीकार्यता बढ़ाने वाले एक मॉडल के रूप में) माना जा सकता है।
- **कुछ वैश्विक जनता का वर्चस्व:** केवल कुछ वैश्विक जनता के मूल्यों के संदर्भ में वैश्विक नैतिक ढांचा को अपनाना न्यायोचित नहीं होगा। वैश्विक संदर्भ में नैतिकता के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने के दौरान वैश्विक समावेशिता (अर्थात् सभी के मूल्यों और नैतिक चिंतन पर विचार करना) तथा वैश्विक एकजुटता (अर्थात् सभी की भलाई के लिए समान चिंता दिखाना) पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक मानदंडों को परिभाषित करने की प्रक्रिया में पश्चिमी प्रभुत्व:** स्पष्ट मुद्दों की मौजूदगी के बावजूद पश्चिमी मानदंडों को सार्वभौमिक विचारों के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए- प्रतिबंध, जिसे युद्ध का मानवीय विकल्प माना जाता है, मुख्य रूप से नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को क्षति पहुंचा सकता है और 'संरचनात्मक हिंसा' (भुखमरी, कुपोषण एवं बीमारी) के माध्यम से बड़े पैमाने पर मृत्यु और क्षति का कारण बन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिक ढांचे को कैसे अपनाया जा सकता है?

दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की धारणा अलग-अलग है। यह अपनी स्थिति और नीतियों के तत्वों/घटकों पर निर्भर है। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद, वैश्विक अंतःक्रिया और सहयोग की आवश्यकता ने कुछ बुनियादी सिद्धांतों की सार्वभौमिक स्वीकृति की मांग को उत्पन्न किया है:

- **बहुलवाद:** यह विचार कहता है कि देर-सबेर सभी देशों को किसी न किसी स्तर पर सहयोग करना होगा क्योंकि मानवीय अस्तित्व मुख्यतः सामान्य अनुभवों में समान साझा प्रयासों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, मानवीय अस्तित्व जलवायु परिवर्तन की रोकथाम करने के लिए सभी देशों की सहयोग करने की सामूहिक क्षमता पर निर्भर है।
- **अधिकार और उत्तरदायित्व:** यह विचार इस बात पर बल देता है कि अपने सभी वैश्विक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सभी देशों (विशेषकर परिपक्व और विकसित देशों) की जिम्मेदारी है। इस वास्तविकता से विमुख होना नागरिक संघर्ष, युद्ध, प्रवासी संकट और मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे परिदृश्यों को जन्म दे सकता है। इस तरह के मुद्दे न केवल संबंधित राष्ट्र बल्कि संबद्ध राष्ट्रों की स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं।

- **निष्पक्षता:** किसी न किसी रूप में निष्पक्षता की उपस्थिति को विश्व भर में नैतिक प्रणालियों के लिए आवश्यक माना जाता है। परिणामस्वरूप, यह स्वाभाविक रूप से वैश्विक अंतःक्रिया में प्रतिबिंबित होता है। ये विचार पारस्परिकता के कृत्यों, राष्ट्रों के समान व्यवहार आदि के रूप में देखे जा सकते हैं।

ये सिद्धांत उन आधारों या मूल विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक ढांचे के सृजन को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। इस तरह की रूपरेखा के तौर-तरीके समय, तकनीकी विकास या सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन इस रूपरेखा की प्रासंगिकता उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुपालन पर निर्भर करेगा।

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News)

10.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पी.एम.-किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और समुचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए तथा कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आदानों (इनपुट्स) की खरीद के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं हेतु **सभी भूमि धारक पात्र किसानों के परिवारों (जोत के आकार के निरपेक्ष) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।**

प्रमुख विशेषताएं

- यह भारत सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण के साथ **एक केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है। **वर्ष 2018** में इस योजना को प्रारंभ किया गया था।
- **वित्तीय लाभ:** इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा **प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता** प्रदान की जाती है।

  प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: कुछ अपवर्जनों के अधीन, इस राशि को पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाता है।
- **किसान परिवार की परिभाषा:** एक किसान के परिवार को "पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे से युक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त है।"
- **अपवर्जन (Exclusion):**
  - सभी संस्थागत भूमि धारक;
  - ऐसे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:

संवैधानिक पदों के धारक	सांसद, विधायक आदि	सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी	कार्यरत पेशेवर	पेंशनभोगी
○ संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक	○ वर्तमान एवं भूतपूर्व मंत्री ○ राज्य सभा / लोक सभा / राज्य विधान सभाओं / विधान परिषदों के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य ○ नगर निगमों के वर्तमान एवं भूतपूर्व महापौर एवं जिला पंचायतों के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष	○ केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य इकाइयों के कर्मचारी ○ केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी ○ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी–टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)।	○ चिकित्सक ○ इंजीनियर ○ वकील ○ पेशेवर निकायों में पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि ○ वे व्यक्ति, जिन्होंने विगत आकलन वर्ष में कर भुगतान किया है	○ वर्णित श्रेणी के सभी वृद्ध / सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (मल्टी–टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)।

- **आधार की अनिवार्यता**
  - इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। **केवल लाभार्थियों के आधार कार्ड से संबद्ध सूचना के अनुसार ही भुगतान किया जाता है।**
    - मार्च, 2021 तक असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में कुछ छूट दी गयी है।
  - पी.एम.-किसान योजना के तहत **धन का आवंटन और अनुमोदन राज्यवार नहीं किया जाता है।**

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **निम्न आय वर्गीय परिवारों** के लिए **10 मिलियन अतिरिक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG या रसोई गैस) कनेक्शन** वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• यह योजना **निर्धनता रेखा से नीचे स्थित (BPL) परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए** वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी (अब इसके अंतर्गत **देश के सभी निर्धन परिवारों को शामिल करने के लिए इसका दायरे को विस्तृत** किया गया है)। • महिलाओं को **स्वच्छ ईंधन** उपलब्ध कराना। • जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण लाखों ग्रामीण परिवारों में होने वाले **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की रोकथाम करना।** • **महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना।**	• **इससे स्वास्थ्य संबंधी विकारों, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में मदद** मिलेगी। साथ ही, **चिरकालिक श्वसन संबंधी रोगों (सांस की पुरानी बीमारियों) के कारण बच्चों एवं महिलाओं में होने वाली मौतों की संख्या को भी कम करने में सहायता प्राप्त होगी।** • इससे **'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा मिला** है, क्योंकि सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर और गैस होज़ के सभी निर्माता स्वदेशी हैं।	• इस योजना को **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है। • इसके अंतर्गत, **नए लाभार्थियों का चयन राशन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा, जो स्व-घोषित माध्यम से अपनी पहचान को निर्धन के रूप में निर्धारित करेंगे।** ○ प्रारंभ में, इसके अंतर्गत केवल उन **BPL परिवारों को ही शामिल किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई जिला BPL सूची में थे।** • **सब्सिडी की राशि प्राप्त करने** के लिए महिला आवेदक का देश के किसी भी **राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य** है। • LPG कनेक्शन BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद नहीं है। • केंद्र सरकार द्वारा **प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए 1600** रुपये की

		वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • उपभोक्ताओं के पास लाभार्थी द्वारा प्राप्त LPG सब्सिडी के माध्यम से वसूल की गई **इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट (EMI) (शून्य ब्याज) पर गैस स्टोव और रिफिल खरीदने** का विकल्प होगा।

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

11.1. पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्य में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Proposal for Creation of Legislative Council in West Bengal)

- विधान परिषद के सृजन के उपरांत **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक** के पश्चात् **पश्चिम बंगाल** विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली वाला **सातवां भारतीय राज्य** बन जाएगा।
  - संविधान के **अनुच्छेद 169** के तहत, **संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन** कर सकती है, यदि **उस राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव** पारित करती है।
- **विधान परिषद और विधानसभा के मध्य विभेद:**

तुलना का आधार	विधान परिषद	विधान सभा
स्थिति	भारतीय राज्यों का उच्च सदन, जिसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामनिर्दिष्ट होते हैं।	राज्य विधायिका का निम्न सदन, जिसके सदस्य प्रत्यक्षत: जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं।
पीठासीन अधिकारी	सभापति।	अध्यक्ष।
सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु	30 वर्ष।	25 वर्ष।
सदस्य	विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम एक तिहाई और न्यूनतम 40।	अधिकतम 500 और न्यूनतम 60।
धन विधेयक	यह इसे प्रस्तुत/संशोधित/अस्वीकार नहीं कर सकती।	यह इसे प्रस्तुत/संशोधित/अस्वीकार कर सकती है।
बजट	चर्चा कर सकती है, परन्तु अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती।	मांगों पर मतदान विधान सभा का विशेषाधिकार है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव	इसके सदस्य भाग नहीं ले सकते।	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं।

11.2. नए जिलों का गठन (Formation of New Districts)

- हाल ही में, **पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला** घोषित किया है।
- **नए जिलों का गठन**
  - **नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों में परिवर्तन या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास** है। यह कार्य संपादन या तो कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा के माध्यम से किया जाता है।
  - हालांकि, **जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का इच्छुक होता है, तो उसे कई अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों** जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग आदि से **अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता** होती है।

11.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख का चयन (Selection of CBI Chief)

- हाल ही में, **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता** में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के नए निदेशक का चयन करने के लिए बैठक की।
  - समिति के अन्य दो सदस्यों में **लोकसभा में विपक्ष के नेता** और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे।
- CBI **देश में अत्यंत गंभीर मामलों की जांच** करती है।
  - यह संगठन **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।
  - यह **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946** के तहत स्थापित किया गया है।

11.4. नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत जिले (Districts Empowered to Grant Citizenship)

- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा **नागरिकता अधिनियम, 1955** के **नागरिकता नियम, 2009** के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** से संबंधित **गैर-मुस्लिमों को** (जो पांच राज्यों, यथा- गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के **13 जिलों में** अधिवासित हैं) **भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार** प्रदान किया गया है।
  - ध्यातव्य है कि गैर-मुस्लिमों में **हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध** समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है।
- **इस अधिसूचना का उद्देश्य** पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन **वैध प्रवासियों (जिन्होंने पासपोर्ट/वीजा** के आधार पर प्रवेश किया है) को लाभान्वित करना है, जिन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 5 (रजिस्ट्रीकरण द्वारा)** तथा **धारा 6 (देशीयकरण)** के तहत नागरिकता के लिए पहले से ही आवेदन किया हुआ है।
- नागरिकता, **संघ सूची** का एक विषय है। गृह मंत्रालय आवधिक रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 16 के तहत** राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से **राज्यों को शक्तियां प्रदान करता है।**
  - नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता के अर्जन का प्रावधान **जन्म द्वारा (धारा 3), अवजनन द्वारा (धारा 4), रजिस्ट्रीकरण द्वारा (धारा 5) और देशीयकरण द्वारा (धारा 6)** करता है।
  - नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के पर्यवसान के तीन विकल्प, यथा- **नागरिकता का त्यजन, नागरिकता का पर्यवसान और नागरिकता से वंचित किया जाना** निर्धारित किए गए हैं।
- यह अधिसूचना **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम {Citizenship (Amendment) Act: CAA}, 2020** से संबंधित नहीं है, जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है।

11.5. प्रदर्शनी केंद्रों और सभागारों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया गया (Infrastructure Status for Exhibition and Convention Centres)

- इसके तहत **'अवसंरचना'** संबंधी परियोजनाओं के रूप में उपलब्ध लाभ केवल उन परियोजनाओं को प्राप्त होंगे, जिनका **विशिष्ट प्रदर्शनी स्थल या सभागार (convention space) या संयुक्त रूप से दोनों का न्यूनतम निर्मित तल-क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग मीटर का होगा।**
- **'अवसंरचना' के दर्जे का महत्व:**
  - यह दर्जा उद्योगों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी (external commercial borrowing) मार्ग के माध्यम से कम ब्याज दर वाले विदेशी मुद्रा वित्त-पोषण तक पहुंच प्रदान करता है।
  - ऐसे क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर अधिक ऋण प्राप्त होता है।
- हालांकि, **अवसंरचना के दर्जे** में अब महत्वपूर्ण कर लाभ शामिल नहीं हैं।

11.6. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के उपायों की घोषणा की (RBI Governor Announces Measures to Tackle 2nd COVID Wave)

- **वर्तमान आर्थिक स्थिति पर RBI का आकलन:**
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
  - कृषि क्षेत्र वर्ष 2020-21 में **रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन (303.34 मिलियन टन)** के साथ लचीला बना हुआ है, जो अन्य क्षेत्रों को **खाद्य सुरक्षा और सहायता प्रदान** करता है।
  - **स्थानीयकृत और लक्षित रोकथाम संबंधी उपाय,** व्यवसायों और परिवारों को अनुकूलन में सक्षम बना रहे हैं। इसलिए, **समग्र मांग पर प्रभाव विगत वर्ष की तुलना में मध्यम** रहने की अपेक्षा है।
- **निम्नलिखित प्रमुख उपायों की घोषणा की गई है:**
  - **RBI ने सभी हितधारकों,** विशेष रूप से उन लघु व्यवसायों और MSMEs के लिए **ऋण तथा पुनर्गठन मानदंडों को सरल बनाया है,** जो दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं।
  - **आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं** तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए **50,000 करोड़ रुपये की सावधि चलनिधि सुविधा घोषित की गई है।**
  - महामारी के दौरान अस्पतालों को प्रमुख चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने में संलग्न **टीका निर्माताओं और कंपनियों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त उधार सुविधाओं (Priority Lending Facilities)** की घोषणा की गई है।
  - मुख्य रूप से सूक्ष्म, असंगठित और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाले **लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks: SFBs)** के लिए तीन वर्षीय अवधि हेतु **विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (Special Long Term Repo Operations: SLTRO)** की सुविधा घोषित की गई है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, फरवरी 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे नए MSME उधारकर्ताओं को दिए ऋण को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की गणना करते समय अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (NDTL) से घटा सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली में बैंक रहित MSME को शामिल करने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, यह छूट वर्तमान में ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध है और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक दिये गए उधार के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा रही है।
- KYC अनुपालन आवश्यकताओं को **तर्कसंगत बनाया जाएगा।**

11.7. उच्चतम न्यायालय के अनुसार व्यक्तिगत गारंटीकर्ता कॉर्पोरेट ऋण के लिए उत्तरदायी हैं (SC: Personal Guarantors Liable for Corporate Debt)

- उच्चतम न्यायालय ने **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता {Indian Bankruptcy and Insolvency Code (IBC)} के तहत** सरकार की वर्ष 2019 की अधिसूचना को यथावत रखा है।
    - इस अधिसूचना ने ऋणदाताओं को उन व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध दिवालिया कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है, जो सामान्यतया बड़े व्यापारिक घरानों के प्रमोटर होते हैं तथा **साथ ही, उन तनावग्रस्त कॉर्पोरेट संस्थाओं के भी,** जिनकी उन्होंने गारंटी दी थी।
- अब, **गारंटीकर्ता** एक त्वरित निर्वहन प्राप्त करने के लिए ऋणदाता बैंक के **ऋण के भुगतान की "व्यवस्था" करेगा।**
- इससे **बैंकों की वसूली के प्रयासों को बढ़ावा** मिलेगा, जिसमें **अशोध्य ऋण** (Bad Loan) भी शामिल होंगे। साथ ही, **आस्ति के मूल्य में भी वृद्धि** होगी।

11.8. वित्त मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के तहत कोविड-19 राहत उपायों की घोषणा की है {MoF and Ministry of Labour & Employment (MoLE) Announced COVID-19 Relief Measures Under Various Schemes}

- वित्त मंत्रालय ने **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना** (Emergency Credit Line Guarantee Scheme: ECLGS) का विस्तार किया है।
- ECLGS का उद्देश्य **बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और अन्य उधारदाताओं को शत-प्रतिशत गारंटीकृत कवरेज प्रदान** करना है। इससे ये संस्थाएं **कोविड-19 महामारी से प्रभावित** तथा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संघर्षरत **व्यवसायों/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकेंगी।**
    - ECLGS के तहत, पात्र MSMEs और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को **गारंटीकृत आपातकालीन ऋण योजना** (Guaranteed Emergency Credit Line: GECL) के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण के लिए **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी** (NCGTC) द्वारा शत-प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

इस प्रस्ताव से लाभ

- 500 करोड़ के बकाया ऋण की सीमा हटाई गई; अधिकतम 40% या <200 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाएगी।
- अस्पतालों, नर्सिंग होम / क्लीनिकों को ऑन साइट ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।
- ECLGS योजना के पिछले संस्करण का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं को 29 फरवरी 2020 तक बकाया के अतिरिक्त 10% सहायता।
- RBI द्वारा प्रस्तुत **पुनर्गठन 2.0** के लिए पात्र उधारकर्ता पूर्व के 4 वर्ष की तुलना में अब 5 वर्ष की अवधि का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना की वैधता 30 सितंबर तक या 3 लाख करोड़ रुपये जारी होने तक बढ़ाई गई है।

- सरकार ने MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवधिक रूप से **ECLGS 1.0, ECLGS 2.0 और ECLGS 3.0 और अब ECLGS 4.0** (इन्फोग्राफिक देखें) की घोषणा की है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (Employees' State Insurance Corporation: ESIC) **और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** (Employees' Provident Fund Organisation: EPFO) योजना के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों की भी घोषणा की है:

- EPFO की **कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (Employees' Deposit Linked Insurance: EDLI)** के तहत **मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों** के लिए अधिकतम बीमा लाभ की **राशि को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।**
- आश्रित बीमित व्यक्ति ESIC योजना के तहत पेंशन के पात्र होंगे।

11.9. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (Network for Greening the Financial System)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम'** में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है।
- **NGFS के बारे में:**
    - NGFS उन केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो वित्तीय क्षेत्र में **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** तथा **पर्यावरण एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान** करने हेतु प्रयासरत हैं।
    - एक सतत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का समर्थन करने के लिए मुख्यधारा के वित्त को संघटित करना भी इसका उद्देश्य है।
    - इस व्यवस्था को दिसंबर 2017 में **'पेरिस वन प्लैनेट समिट'** के दौरान प्रारंभ किया गया था।
- RBI को **हरित वित्त पर वैश्विक प्रयासों से सीख लेकर और योगदान करके** NGFS की सदस्यता से लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है। विदित है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित वित्त का महत्व बढ़ गया है।

11.10. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 प्रभावी हो गए हैं {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 come into effect}

- इन नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था तथा सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए **तीन माह का समय** दिया गया था।
    - केंद्र सरकार द्वारा **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2)** के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को तैयार किया है। ज्ञातव्य है कि इन नियमों को पूर्ववर्ती **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियमावली 2011** के स्थान पर लाया गया है।

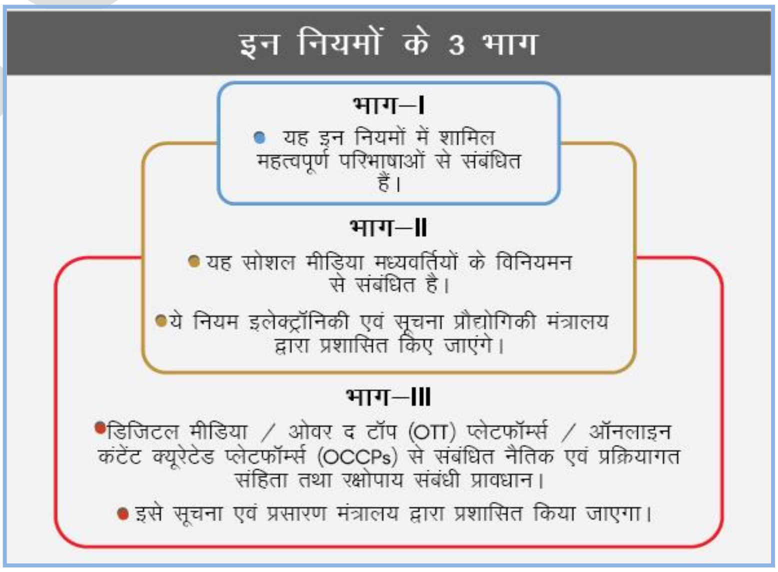

- **नए नियमों के निर्माण की आवश्यकता वाले कारक**
    - **अपराधियों व राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग** की बढ़ती घटनाओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं।
    - **फेक न्यूज़ और मिथ्या सूचनाओं** के लगातार प्रसार से निपटने हेतु आवश्यक हैं।
    - **अवैध और अनुचित सामग्री से निपटने** के लिए आंतरिक तंत्र होने के बावजूद **स्व-नियमन की विफलता।**
- **संबंधित चिंताएं**
    - सूचना, मिथ्या सूचना या दोषपूर्ण सूचना, जैसा भी मामला हो, के **प्रथम प्रवर्तक की पहचान** करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की प्रतिबद्धता को भंग करना।**
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किए गए **राज्यक्षेत्रातीत मानदंडों से संबंधित विवाद।**
        - नए नियमों के अनुसार **भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले संदेश के विरुद्ध भी कार्रवाई** की जा सकती है।

- **डेटा सुरक्षा कानून** के अभाव में **सत्यापन डेटा के दुरुपयोग की संभावना।**
- भारत में **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या** नए नियमों को लागू करना कठिन बनाती है।

11.11. भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया (India Participates in the 3rd Arctic Science Ministerial: ASM3)

- ASM3 संयुक्त रूप से **आइसलैंड और जापान द्वारा आयोजित** किया गया है। यह **एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक** है। यह गैर-आर्कटिक राष्ट्रों द्वारा संचालित **आर्कटिक विज्ञान अनुसंधान** के मूल्य को रेखांकित करती है।
  - ASM1 और ASM2 को क्रमशः वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका और वर्ष 2018 में जर्मनी द्वारा आयोजित किया गया था।
- **उद्देश्य-** बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने और पर्यवेक्षणों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ इसकी निरंतर निगरानी पर बल देते हुए शिक्षाविदों, स्वदेशी समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। इस वर्ष का विषय **'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक'** है।

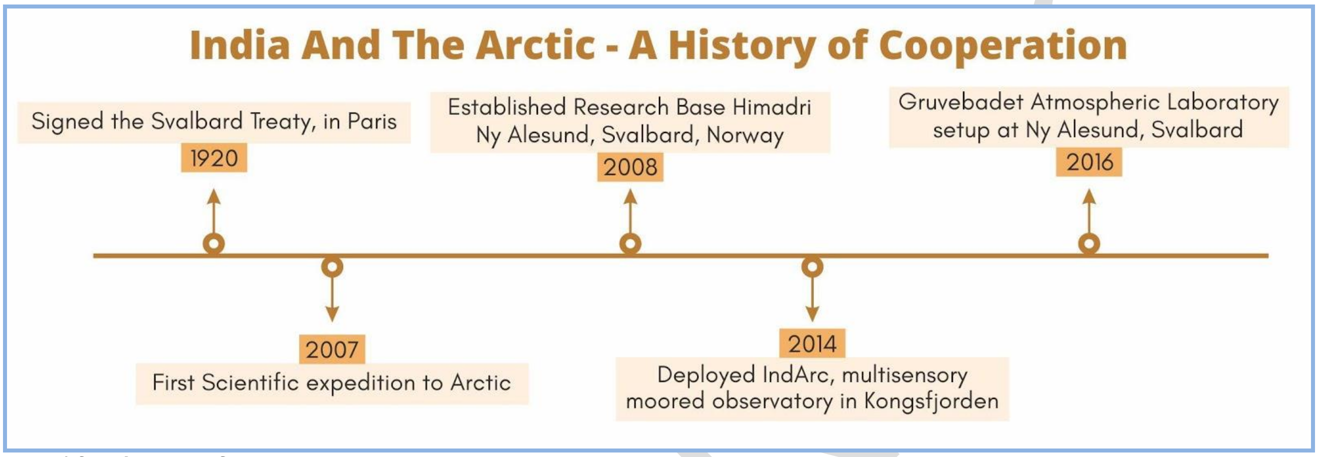

- **आर्कटिक में भारत की संलग्नता**
  - भारत को वर्ष 2013 से **आर्कटिक परिषद** में **'पर्यवेक्षक'** का दर्जा प्राप्त है।
    - **आर्कटिक परिषद** आर्कटिक सहयोग के लिए एक **उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी मंच** है। इसे **पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास** के दोहरे अधिदेश के साथ स्थापित किया गया था।
    - **सदस्य राष्ट्र:** कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन।
- हाल ही में, एक **प्रारूप आर्कटिक नीति दस्तावेज** जारी किया गया है। यह **भारत की आर्कटिक नीति के पांच स्तंभों की रूपरेखा** प्रदान करता है। **ये पांच स्तंभ हैं:** वैज्ञानिक अनुसंधान, अर्थशास्त्र और मानव विकास; संयोजकता; वैश्विक अभिशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा भारतीय मानव संसाधन क्षमताओं का विकास।

11.12. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) परिदृश्य {Global Electric Vehicles (EV) Outlook}

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी **(International Energy Agency: IEA)** और **इलेक्ट्रिक वाहन पहल** (Electric Vehicles Initiative: **EVI)** ने वार्षिक **वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) परिदृश्य 2021** जारी किया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2020 के अंत तक विश्व की सड़कों पर **10 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें** थीं, जो वर्तमान बाजार हिस्सेदारी के 2.5 प्रतिशत के निकट है।
- यदि सरकारें **सतत विकास परिदृश्य** की ओर तीव्रता से अग्रसर होती हैं, तो वैश्विक स्तर पर EV **की बाजार हिस्सेदारी 12 प्रतिशत** तक पहुंच जाएगी। सतत विकास परिदृश्य में शामिल हैं-
  - वर्ष 2030 तक सभी के लिए **सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना।**
  - वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में तीव्रता से कमी लाने के प्रयास करना।
  - पेरिस समझौते के अनुरूप **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति करना।**
- EVs के विक्रय का समर्थन करने वाले कारक:
  - **सहायक विनियामक ढांचे।**
  - EV के विक्रय को आर्थिक अस्थिरता से संरक्षित करने के लिए **अतिरिक्त प्रोत्साहन।**
  - **बैटरी की लागत में निरंतर गिरावट के साथ EV मॉडल्स की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है।**
- EV's को अपनाने के सम्मुख पांच प्रमुख बाधाएं हैं-

- चार्जिंग के लिए सीमित अवसंरचना।
- वर्तमान किस्में/प्रतिरूप बाजार की मांग को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं।
- **EVs से संबद्ध प्रारंभिक लागत।**
- परिचालन संबंधी मुद्दे जैसे- चार्जिंग में लगने वाला अधिक समय।
- नीतिगत परिदृश्य की अनिश्चित/अल्पविकसित स्थिति।

इलेक्ट्रिक वाहन पहल (EVI) के बारे में

- यह क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रीयल (Clean Energy Ministerial: CEM) के तहत वर्ष 2010 में स्थापित **एक बहु-सरकारी नीति मंच** है।
- वर्तमान में भारत सहित पंद्रह देश EVI में भाग ले रहे हैं, जिसमें IEA समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है।
- यह विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रस्तुति और स्वीकार्यता में तीव्रता लाने की दिशा में कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित अभियान और कार्यक्रम शामिल हैं यथा-
  - **EV30@30-** इसके तहत वर्ष 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य तय किया गया है।
  - **EVI ग्लोबल EV पायलट सिटी प्रोग्राम ((EVI-PCP)-** वैश्विक शहरों के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता/मोबिलिटी में वृद्धि करने हेतु संवाद और सहयोग स्थापित करने के लिए एक मंच है।

11.13. अंटार्कटिका में विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का विखंडन हुआ (World's Largest Iceberg Breaks Off in Antarctica)

- वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम **A-76** रखा है। यह आकार में लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमखंड अंटार्कटिका में **रॉन आइस सेल्फ** (Ronne Ice Shelf) के पश्चिमी हिस्से से पृथक हुआ है और अब **वेडेल सागर (Weddell Sea)** में तैर रहा है।
  - **पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में अंटार्कटिका का हिमावरण तेजी से गर्म हो रहा है,** जिससे विशेषतः वेडेल सागर के आसपास के हिम और हिमावरण पिघल रहे हैं तथा साथ ही हिमनदों का आकार भी संकुचित हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त, नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि यदि उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो **वर्ष 2060 तक अंटार्कटिका, क्लाइमेट टिप्पिंग पॉइंट बन जाएगा।**
  - **टिपिंग पॉइंट** वह सीमा है, जिससे परे एक छोटा-सा परिवर्तन भी किसी प्रणाली को पूरी तरह से नई अवस्था की ओर धकेल सकता है।
    - **विश्व स्तर पर, नौ "टिपिंग पॉइंट्स" हैं,** जहां परिवर्तनशील जलवायु पृथ्वी की प्रणाली के कुछ हिस्सों को अचानक या अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकती है।
    - ये नौ टिपिंग पॉइंट्स हैं- अमेज़न वर्षावन, आर्कटिक समुद्री हिमावरण; अटलांटिक परिसंचरण; बोरियल वन; प्रवाल भित्तियाँ; ग्रीनलैंड का हिमावरण; पर्माफ्रॉस्ट; पश्चिम अंटार्कटिका हिमावरण; पूर्वी अंटार्कटिका का कुछ भाग।

- **अंटार्कटिका के पिघलने के कारण:** मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रेरित पवन प्रतिरूप में बदलाव आदि।
- **प्रभाव:** पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण हिम का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अंटार्कटिका में विद्यमान है, जो पिघलने पर वैश्विक रूप से समुद्री जल-स्तर में 200 फीट तक वृद्धि करने के लिए पर्याप्त है।

- **अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयास:**
  - **अंटार्कटिका** के सभी **स्टेशनों** पर ऊर्जा दक्षता अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है। साथ ही, नए केंद्रों के बारे में परिवहन और लॉजिस्टिक्स संबंधी रणनीतिक योजना के समन्वय से क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ लागत संबंधी बचत भी हो सकती है।

- **अंटार्कटिक संधि** (वर्ष 1959) के पर्यावरण प्रोटोकॉल के तहत, भारत ने अंटार्कटिका में अब तक तीन अनुसंधान केंद्र, यथा- **दक्षिण गंगोत्री** (वर्ष 1983-84); **मैत्री** (वर्ष 1988); **भारती** (वर्ष 2015) स्थापित किए हैं।

- **अंटार्कटिक संधि** में शामिल पक्षकारों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
- जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के कार्यान्वयन में **अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधन संरक्षण आयोग** (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) के **पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी कार्यक्रम** (Ecosystem Monitoring Program: CEMP) के विस्तार और सुधार के माध्यम से ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना शामिल है, जिनमें बदलाव की संभावना कम है, जैसे- रॉस सागर। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित अन्य जैव सुरक्षा संबंधी उपाय भी किए गए हैं। साथ ही, एक **सदर्न ओशन सेन्टीनल प्रोग्राम** को भी आरंभ किया गया

11.14. फाइव डीप्स एक्सपीडिशन (Five Deeps Expedition)

- 'द फाइव डीप्स एक्सपीडिशन' विश्व के पांच महासागरों में से प्रत्येक में सर्वाधिक गहरे बिंदुओं तक पहुंचने के लिए लक्षित प्रथम मानव अभियान है।
- इस अभियान का नेतृत्व अन्वेषक और निजी इक्विटी निवेशक विक्टर वेस्कोवो कर रहे हैं।

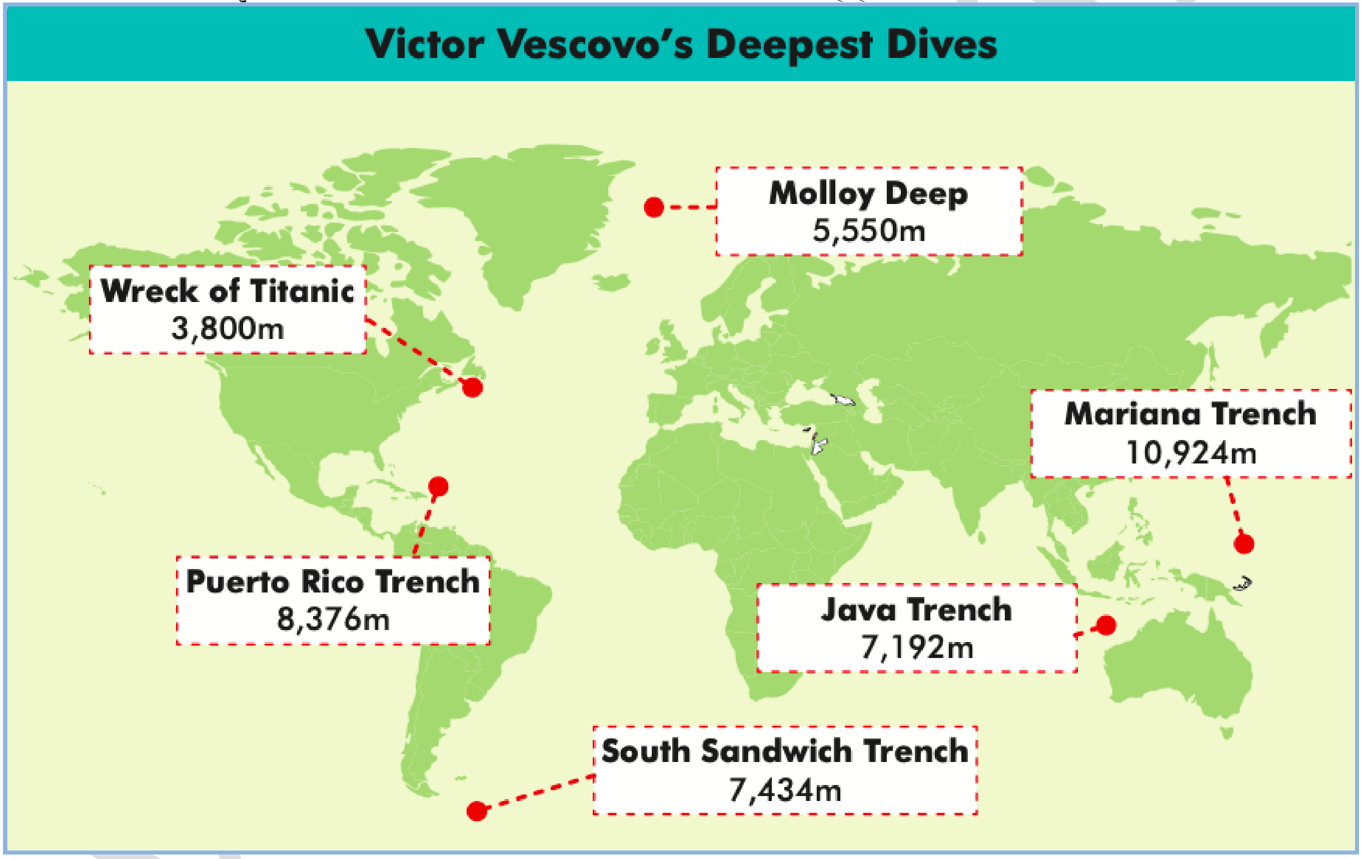

11.15. ए.आई.एम.-आई.सी.डी.के. वाटर इनोवेशन चैलेंज (AIM-ICDK Water Innovation Challenge)

- नीति आयोग के **अटल नवप्रवर्तन मिशन** (Atal Innovation Mission: AIM) ने **इनोवेशन सेंटर डेनमार्क** (ICDK) के साथ साझेदारी में **नेक्स्ट जेनरेशन वाटर एक्शन** (NGWA) **- वाटर इनोवेशन चैलेंज** के वैश्विक फाइनल का समापन किया।
- निम्नलिखित क्षेत्रों की चुनौतियों को दूर करने के लिए नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया था:
  - **डिजिटल जल प्रबंधन** समाधान,
  - शहर की जलापूर्ति में **रिसाव की निगरानी और रोकथाम** के उपाय,
  - ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में **अपशिष्ट जल प्रबंधन,**
  - ग्रामीण और शहरी बस्तियों में **वर्षा जल संचयन**, और
  - सुरक्षित एवं सतत पेयजल।

 ©Vision IAS

11.16. बन्नी ग्रासलैंड रिज़र्व (Banni Grassland Reserve)

* बन्नी ग्रासलैंड रिज़र्व **गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।**
  * बन्नी क्षेत्र विवर्तनिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप **समुद्र से व्युत्पन्न हुआ है।** इस क्षेत्र में **भुज मुख्य भूमि से प्रवाहित होने वाली नदियों ने उर्वर मृदा** निक्षेपित की है। इस मृदा से यहां विविध पोषक घास प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं।
* **मालधारी जनजाति** विगत कई हजार वर्षों से **बन्नी ग्रासलैंड रिज़र्व क्षेत्र में** निवास कर रही है।
  * मालधारी समुदाय **गुजरात में चरवाहों की एक जनजाति** है। वे बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें 'नेस' कहा जाता है। वे अपनी भैंसों का दूध विक्रय कर जीवन यापन करते हैं।

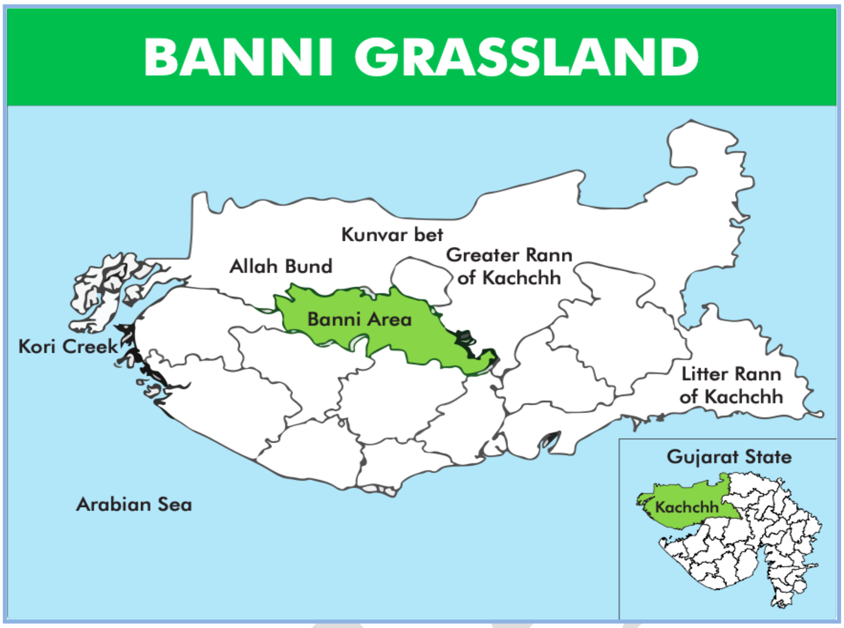

11.17. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां (Tribes in News)

जनजाति	विवरण
वन गुर्जर घुमंतू खानाबदोश जनजाति (Van Gujjars Nomadic Tribe)	• नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में **गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान** के भीतर स्थित **बुग्याल (हिमालयी अल्पाइन घास के मैदान) में वन गुर्जरों के अपने ग्रीष्मकालीन वासभूमि में प्रवास करने के अधिकार** को बरकरार रखते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। • वन गुर्जर **उत्तराखंड हिमालय में खानाबदोश घुमंतू समुदाय** हैं, जो ग्रीष्मकाल में तराई-भाबर और शिवालिक क्षेत्र से उच्च बुग्याल तक तथा शीत ऋतु में इसके विपरीत घास के मैदानों / चरागाहों तक अपने पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए प्रवास करते हैं।
हक्की पिक्की जनजाति (Hakki Pikki Tribe)	• हक्की पिक्की एक **यायावर जनजाति** है, जो उत्तर भारत से पलायन करके वर्तमान में मुख्य रूप से **कर्नाटक क्षेत्र** और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिवासित हो गई है। • उन्हें **पक्षी पकड़ने वाले** (कन्नड़ भाषा में हक्की का अर्थ पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ने वाला) कहा जाता है • वे हिन्द-आर्य भाषा बोलते हैं, जिन्हें विद्वानों ने **'वागरी'** नाम दिया है। ○ **यूनेस्को (UNESCO) ने हक्की पीक्की को लुप्तप्राय भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।** • वर्तमान में, वे मुख्य रूप से हर्बल तेलों जैसे **हर्बल उत्पादों** की बिक्री में संलग्न हैं।
दर्द (Dard)	• **आर्यन घाटी में दर्द: यह लद्दाख में एक बौद्ध आदिवासी समूह है।** ○ दर्द आर्यन लोग लेह और कारगिल जिलों के धा, हनु, बीमा, दारचिक और गरकोन गांवों में निवास करते हैं। 5 गांवों को एक साथ आर्यन घाटी कहा जाता है। ○ उनकी संस्कृति आर्य संस्कृति है। ○ **दर्द आर्यन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं** है।

11.18. घोलवड सपोटा (चीकू) {Gholvad Sapota (chikoo)}

* महाराष्ट्र के पालघर जिले से घोलवड सपोटा (चीकू) एक **भौगोलिक संकेतक** (Geographical Indication: GI) प्रमाणित उत्पाद है। हाल ही में, इसका **यूनाइटेड किंगडम** को निर्यात आरंभ किया गया है।

- GI उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है तथा उनमें उस **मूल के कारण विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा** होती है।
    - एक **भौगोलिक संकेतक** उन लोगों को सक्षम बनाता है, जिनके पास उन **तृतीय पक्ष द्वारा इसके उपयोग को रोकने** के लिए GI का उपयोग करने का अधिकार होता है, **जिनके उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप नहीं** होते हैं।

11.19. स्वामी कोष (SWAMIH Fund)

- हाल ही में, **भारत सरकार की सस्ती एवं मध्यम आय वाले आवास (स्वामी) की विशेष खिड़की कोष द्वारा अपनी प्रथम आवासीय परियोजना रिवाली पार्क (मुंबई, महाराष्ट्र) में पूर्ण की है।**
- वित्त मंत्रालय के **किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (Special Window for Affordable & Mid-Income Housing: SWAMIH), स्वामी कोष** ने अपनी **उपनगरीय मुंबई में प्रथम आवासीय परियोजना, रिवाली पार्क को पूर्ण कर लिया है।**
- **स्वामी (SWAMIH) के बारे में:**
    - भारत सरकार द्वारा नवंबर 2019 में अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस कोष की स्थापना की गई थी।
    - यह एक वैकल्पिक निवेश कोष **(Alternative Investment Fund: AIF)** है, जो अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूर्ण करने , ब्राउनफील्ड, स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण **(RERA)** के अंतर्गत पंजीकृत आवासीय विकास योजनाओं (जो किफायती आवास / मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में शामिल हैं) के लिए प्राथमिकता ऋण आधारित वित्तपोषण प्रदान करता है।
        - यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष- II है।
    - यह रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ उन हजारों मकान- खरीदारों और दिवालिया डेवलपर्स को समाधान प्रदान करता है, जिनकी आवास परियोजनाएं वित्त की कमी के कारण बाधित हैं। ध्यातव्य है कि यह वित्त के किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हुए बिना मकान उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में

- AIF का आशय भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से है, जो एक निजी रूप से संचित किया गया निवेश साधन है। यह निवेशकों से धन एकत्र करता है (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी) तथा अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार इस धन का निवेश करता है। **AIF की विभिन्न श्रेणियां हैं:**
    - **AIF I:** AIF स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उद्यमों या सामाजिक उद्यमों या लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) या अवसंरचना या अन्य खंडों या ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जो सरकार या विनियामक निकायों की दृष्टि में सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय हैं।
    - **AIF II:** इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंड जैसे रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड (PE Fund), संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड आदि शामिल हैं।
    - **AIF III:** इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंड जैसे हेज फंड, निजी निवेश सार्वजनिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि शामिल हैं।

11.20. माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (Migration and Development Brief)

- हाल ही में, **विश्व बैंक** ने अपनी रिपोर्ट **'माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ'** जारी की है। यह रिपोर्ट प्रवासन और विप्रेषण प्रवाह (Migration and Remittance Flows) के क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रमों पर एक अपडेट प्रदान करती है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
    - वर्ष 2020 में 83 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक प्राप्त करने के साथ ही भारत विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ध्यातव्य है कि भारत वर्ष 2008 के पश्चात् से सबसे बड़ा विप्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है।
    - वर्ष 2020 में भारत के विप्रेषण में **0.2 प्रतिशत की गिरावट** आई थी। इसमें भारतीय श्रमिकों के अपने मूल स्थानों पर पुनः प्रवास के कारण संयुक्त अरब अमीरात से विप्रेषण में **17 प्रतिशत** की कमी होने के फलस्वरूप अत्यधिक गिरावट आयी है।
    - भारत के पश्चात् **चीन, मेक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश** का स्थान है।
    - कोविड-19 के बावजूद, विप्रेषण प्रवाह 2020 में लोचशील बना रहा, जो पूर्व के अनुमान की तुलना में सूक्ष्म गिरावट दर्ज करता है।
    - विप्रेषण प्रवाह लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में वृद्धिशील रहा है। हालांकि, इसमें पूर्वी एशिया और प्रशांत, यूरोप व मध्य एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका में कमी दर्ज की गई है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका से विप्रेषण का बहिर्वाह सर्वाधिक था। इसके पश्चात् संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान रहा है।
- वर्ष 2019 में 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2020 में भारत से विप्रेषण का बहिर्वाह **7 बिलियन अमरीकी डॉलर था।**

11.21. फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के साथ ई-वे बिल प्रणाली का एकीकरण (E-Way Bill Integrated with FASTag, RFID)

राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों की वास्तविक समय (real time) आधारित डेटा की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु, वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्राधिकारियों ने फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के साथ ई-वे बिल (EWB) प्रणाली को एकीकृत किया है।

ई-वे बिल के बारे में

- यह किसी **राज्य के भीतर** वस्तुओं की आवाजाही तथा वस्तुओं के **अन्तर्राज्यीय परिवहन** हेतु माल और सेवा कर (Goods and Services Tax: GST) व्यवस्था के अंतर्गत अधिदेशित **एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। इसे 50,000 रुपये से अधिक** के माल/वस्तुओं की आवाजाही से संबंध विशेष खेप के लिए सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

फास्टैग और RFID के बारे में

- फास्टैग वस्तुतः **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक के उपयोग पर आधारित एक** उपकरण है। यह टोल प्लाजा पर **वाहन के बिना रुके, प्रत्यक्ष रूप से टोल भुगतान** करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - RFID एक **वायरलेस तकनीक** है जो एक रीडर के माध्यम से **वाहन की पहचान और ट्रैक करने** हेतु वाहन की विंडस्क्रीन पर लगे इलेक्ट्रॉनिक टैग ('RFID टैग' नामक) से डेटा को एकत्रित एवं रीड करने के लिए **रेडियो तरंगों का उपयोग** करता है।

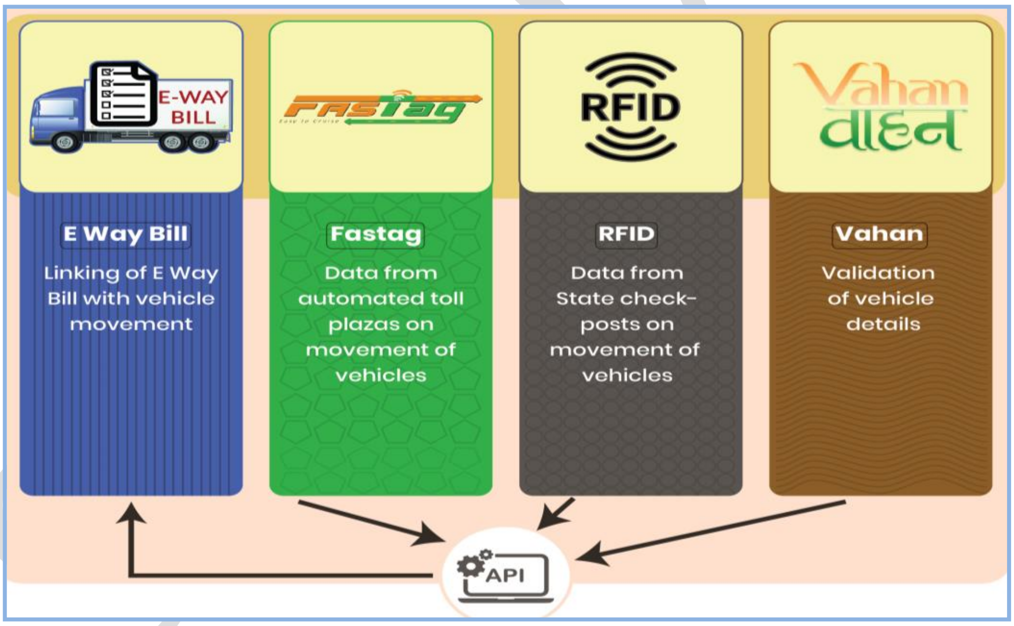

  - RFID टैग पर **13 अंकों की विशिष्ट संख्या** वाले एक **इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड (EPC)** को कूटलिखित (Encoded) किया जाता है। इसके माध्यम से **प्रत्येक वाहन की विशिष्ट रूप से पहचान की** जा सकती है।
- **फास्टैग में RFID प्रौद्योगिकी के लाभ:**
  - **इसके सहयोग से नकदी रहित/कैशलेस टोल भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सकती है।**
  - यह मानवीय-हस्तक्षेप के बिना **स्वचालित स्कैनिंग और डेटा लॉगिंग** की भी सुविधा **प्रदान कर सकता है।**
  - **Offers a high degree of security, making it more difficult to counterfeit.**
  - यह उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे डेटा में कोई भी हेरफेर करना **अधिक जटिल** हो जाता है।
- फास्टैग को **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित** किया गया है तथा इसे भारतीय **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित** किया जाता है।

वाहन (VAHAN) के बारे में:

- यह **वाहनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे कि पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के लिए एक केंद्रीय डेटा भंडार के रूप में** कार्य करता है।
- वर्ष 2020 में ई-वे बिल पोर्टल को **वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत** कर दिया गया है।

11.22. सूर्य प्रभामंडल (Sun Halo)

- हाल ही में कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में सूर्य प्रभामंडल एक परिघटना दृष्टिगोचर हुई है।
- सूर्य प्रभामंडल एक प्रकाशीय परिघटना (optical phenomenon) है, जो वायुमंडल में निलंबित **षट्कोणीय हिम-क्रिस्टल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न** होती है।
- इसे **'22-डिग्री प्रभामंडल'** (22 degree Halo) के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस परिघटना के दौरान प्रकाश अपनी मूल दिशा से 22 डिग्री तक अपवर्तित हो जाता है।
- **वृत्ताकार प्रभामंडल (Circular Halo),** विशेष रूप से 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित **पक्षाभ मेघों** द्वारा निर्मित होते हैं।
- सौर प्रभामंडल **वर्षा के भी सूचक** होते हैं, क्योंकि पक्षाभ मेघ आमतौर पर **चक्रवाती उष्ण वाताग्र के विकास** की ओर संकेत करते हैं।

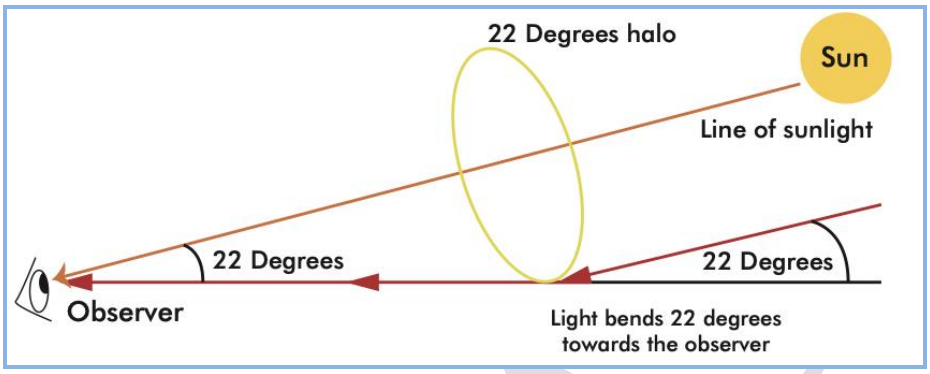

11.23. पृथ्वी की अक्षीय स्थिति में परिवर्तन (Shifting of Earth Axis)

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल के एक लेख में प्रकाशित हालिया अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन की दर को तीव्र कर दिया है।

पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के बारे में

- पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन एक **काल्पनिक रेखा** है, जो पृथ्वी के **द्रव्यमान के केंद्र, या अधिकेन्द्र से** होकर गुजरती है। यह रेखा **23.5 डिग्री (जिसे अक्षीय झुकाव या वक्रता** के रूप में भी जाना जाता है) के कोण पर स्थित है।
- जिन बिंदुओं पर अक्ष पृथ्वी की सतह को प्रतिच्छेदित करता है, वे भौगोलिक रूप से **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं।**
- ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है। इसलिए, अक्षों के गति करने पर ध्रुव भी गति करते हैं और इस गति को **"ध्रुवीय गति"** (Polar Motion) कहा जाता है।

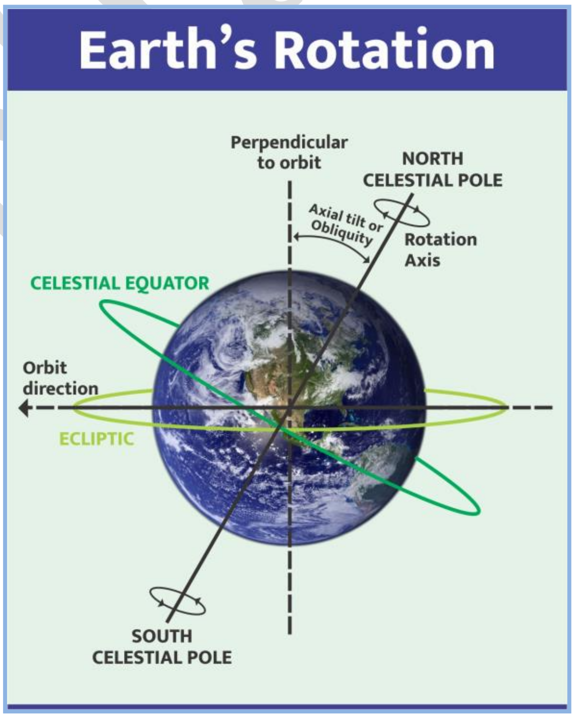

अध्ययन के बारे में

- **प्रमुख निष्कर्ष:** वर्ष 1995 से वर्ष 2020 तक, पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन की औसत गति वर्ष 1981 से वर्ष 1995 के मध्य रही औसत गति की तुलना में **17 गुना तीव्र** रही है।
- **संभावित कारण:** वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने की दर में वृद्धि।
    - अन्य संभावित कारकों में जलवायु परिवर्तन के कारण गैर-हिमनद क्षेत्रों में परिवर्तन, सिंचाई के लिए भूजल की निरंतर खपत और अन्य मानव जनित गतिविधियां शामिल हैं।

संभावित प्रभाव: हालांकि ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन दर में हुई यह वृद्धि दैनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं (अत्यधिक वृहद् स्तर पर न होने के कारण) है, परन्तु इससे **दिन की अवधि में कुछ मिलीसेकंड का परिवर्तन** आ सकता है।

11.24. नासा के ओसिरिस-रेक्स ने पृथ्वी पर वापसी की यात्रा प्रारंभ की (NASA's OSIRIS-REx Begins Journey Back to Earth)

- ओसिरिस-रेक्स- द ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर (OSIRIS-REx) पृथ्वी के निकट **क्षुद्रग्रह का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का प्रथम मिशन है।**
- अक्टूबर 2020 में OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेन्नू (Bennu) से धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए थे।

- क्षुद्रग्रह **ऐसे चट्टानी पिंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।** वे 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित सौर मंडल के अवशेष हैं।
- इन्हें **लघु ग्रह** भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रहों से बहुत अधिक छोटे होते हैं।

- **मिशन का महत्व**
  - बेन्नू एक B-प्रकार का क्षुद्रग्रह है अर्थात् यह **महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और कई अन्य खनिज** धारित करता है। इसलिए, यह इस पर **आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4 प्रतिशत ही परावर्तित** करता है (पृथ्वी लगभग 30% परावर्तित करती है)।
  - यह सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती 10 मिलियन वर्षों में निर्मित हुआ था और **अरबों वर्षों के दौरान इसमें अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं।**
  - इसका तात्पर्य है कि इसकी सतह के नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के रसायन और चट्टानें हैं।
  - इस प्रकार, बेन्नू के अध्ययन से **वैज्ञानिकों को सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है।**

11.25. चीन ने मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग पूर्ण की (China Completes Historic Mars Spacecraft Landing)

- एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान, **तियानवेन -1**, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर अवतरित हुआ है। इसी के साथ चीन **संयुक्त राज्य अमेरिका के उपरांत यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला दूसरा राष्ट्र** बन गया है।
- **ज़ूरोंग रोवर (तियानवेन -1 मिशन का भाग)** एक विशाल मैदानी सतह पर अवतरित हुआ, जिसे **यूटोपिया प्लैनिटिया** के नाम से जाना जाता है। यह **जेज़ेरो क्रेटर** से 2,000 कि.मी. से अधिक दूरी पर है। ज्ञातव्य है कि इस क्रेटर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के **पर्सीवरेंस रोवर** ने लैंड किया था।
  - सौर पैनलों द्वारा संचालित **ज़ूरोंग रोवर**, ग्रह की सतह और उपसतह की जांच करेगा। यह मृदा की संरचना का स्व-स्थाने रासायनिक विश्लेषण भी संपन्न करेगा।

11.26. विश्व का सबसे बड़ा सैटेलाइट इमेज डेटाबेस (World's Largest Satellite Image Database)

- अंतरिक्ष से वस्तुओं की पहचान के दौरान होने वाली **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जनित त्रुटियों को कम करने के लिए चीन** में दस लाख से अधिक स्थानों की विस्तृत सूचना से युक्त एक उपग्रह इमेजिंग डेटाबेस को लॉन्च किया गया है।
  "'हाई रिज़ॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी" पर आधारित 'फाइन-ग्रेन ऑब्जेक्ट रिकग्निशन' (FAIR1M) नामक डेटाबेस के अन्य देशों में उपयोग किए जाने वाले समतुल्य डेटा सेट की तुलना में दस या सौ गुना बड़ा होने की संभावना है।
- छवियों से संबंधित अधिक जानकारी के साथ **डेटाबेस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को** विभिन्न वस्तुओं के मध्य अंतर करने और सुदूर स्थित कक्षा से उनकी सटीक पहचान के लिए **स्मार्ट (सक्षम/दक्ष) बनाने के लिए प्रशिक्षित** करेगा। **उदाहरण के लिए:** यह न केवल विमान बल्कि उसके मॉडल नंबर, जैसे बोइंग 777 में भी अंतर और पहचान करने में सक्षम होगा।
- संपूर्ण चीनी डेटाबेस **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उपलब्ध रहेगा।**
- इसके **वास्तविक जीवन आधारित अनुप्रयोगों** में शहरी विस्तार की गति, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्य जीवों की गतिविधियों आदि पर निगरानी रखना शामिल है।

11.27. सार्स-सीओवी-2 के वेरिएंट और स्ट्रेन (Variants and Strains of SARS-CoV-2)

- प्रतिकृति के दौरान वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन **म्यूटेशन** (उत्परिवर्तन) के रूप में जाना जाता है। **नए म्यूटेशन वाले वायरस को वेरिएंट (संस्करण) कहा जाता है।** वेरिएंट्स में एक या विभिन्न म्यूटेशन की भिन्नता हो सकती है।
- जब कोई नया वेरिएंट मूल वायरस से भिन्न कार्यात्मक लक्षण दर्शाता है और आबादी में स्थापित हो जाता है, तो इसे वायरस का एक **नया स्ट्रेन** कहा जाता है। एक स्ट्रेन अपने मूल वायरस की तुलना में अलग प्रकार से व्यवहार करता है।
  - **सभी स्ट्रेन (उपभेद)** वेरिएंट होते हैं, परन्तु **सभी वेरिएंट** स्ट्रेन नहीं होते हैं।

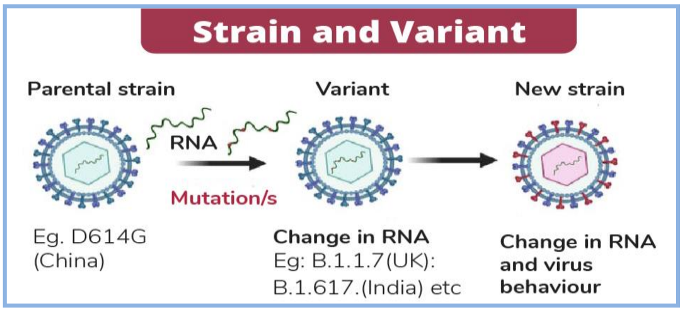

वैश्विक निगरानी और अनुसंधान को प्राथमिकता देने के लिए सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) का वेरिएंट वर्गीकरण:

वेरिएंट वर्गीकरण	विशेषताएं
वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट (VoI)	• संचरणशीलता और रोग की गंभीरता में अनुमानित वृद्धि। • पूर्व संक्रमण या टीकाकरण के विरुद्ध उत्पन्न हुई एंटीबॉडी द्वारा कम तटस्थता।

	• उपचार या संभावित नैदानिक प्रभाव की क्षीण प्रभावकारिता।
वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न (VoC)	• संचरणशीलता और रोग की गंभीरता में **वृद्धि के साक्ष्य।** • पूर्व संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न हुई एंटीबॉडी द्वारा तटस्थता प्रदान करने में **महत्वपूर्ण कमी।** • उपचार या टीकों की **क्षीण प्रभावशीलता** या नैदानिक पहचान में विफलता।
वैरिएंट ऑफ़ हाई कान्सक्वन्स (VoHC)	• इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हैं कि रोकथाम के उपायों या चिकित्सा प्रति-उपायों (Medical Countermeasures: MCMs) ने पूर्व परिसंचारी रूपों के सापेक्ष प्रभावशीलता को काफी क्षीण कर दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सार्स-सीओवी-2 वेरिएंट्स के लेबल की घोषणा की:

- WHO ने ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करते हुए सार्स-सीओवी-2 के प्रमुख वेरिएंट्स के लिए सरल, स्मरणीय और गैर-कलंकित लेबल निर्दिष्ट किए हैं।

सार्स-सीओवी-2 वेरिएंट्स	WHO लेबल	प्रारंभिक प्रलेखित नमूने
B.1.1.7	अल्फा	यूनाइटेड किंगडम
B.1.351	बीटा	दक्षिण अफ्रीका
P.1	गामा	ब्राज़ील
B.1.617.2	डेल्टा	भारत

11.28. राइबोन्यूक्लिक एसिड हस्तक्षेप (Ribonucleic Acid Interference: RNAi)

- हाल ही में, कीटनाशकों के निर्माण के लिए **RNA हस्तक्षेप (RNAi) तकनीक** के उपयोग का सुझाव दिया गया है।
- **RNAi** वस्तुतः एक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग कर अवांछित कोशिका अथवा हानिकारक जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है।
- **कीटनाशकों में RNAi के उपयोग की प्रक्रिया:**
  - वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कोशिकीय स्तर पर कीटों के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता का पता लगाया है।
  - RNAi तकनीक का उपयोग कर, वैज्ञानिकों ने उन प्रोटीनों को कीट में सृजित होने से रोकने हेतु एक विशिष्ट **RNA** को विकसित किया है।
  - यह केवल **विशिष्ट कीटों को लक्षित** करने तथा मधुमक्खियों, केंचुओं आदि जैसे अनुकूल कीटों को पहुंचने वाली क्षति को कम करने में मदद कर सकता है।
  - RNA अणुओं को **स्प्रे, स्टेम इंजेक्शन, रूट ड्रेंचिंग या बीज उपचार** जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से बाह्य रूप से पौधों तक पहुंचाया जा सकता है।
  - इस प्रकार, पौधों का "टीकाकरण" करके, अर्थात् पौधों से कीटों तक विशिष्ट RNA अणु को स्थानांतरित कर, पौधों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है।

RNA हस्तक्षेप (RNAi) के बारे में

- कोशिका में उत्पादित अणुओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) में आलेखित आनुवंशिक कूट के पठन हेतु एक विधि की आवश्यकता होती है। इस विधि को **जीन अभिव्यक्ति** के रूप में जाना जाता है।
- RNA हस्तक्षेप विशिष्ट **संदेशवाहक RNA (mRNA) के उत्पादन को कम** करके या प्रोटीन में इसके अंतरण को अवरुद्ध करके **अनुक्रम-निर्देशित जीन साइलेंसिंग** नामक अत्यधिक सटीक तंत्र द्वारा जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है।
  - **mRNA एक एकल-स्ट्रैंडेड अणु** होता है, जो कोशिका के नाभिक में DNA से अनुवांशिक कूट को **राइबोसोम (कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण तंत्र)** तक ले जाता है।

- RNAi के तहत, **'डिसर' के रूप में ज्ञात** विशेष एंजाइमों का उपयोग **'डबल स्ट्रैंडेड RNA'** (dsRNA) को सूक्ष्म खंडों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसे **'स्मॉल इंटरफेरिंग RNA' (siRNA)** के रूप में जाना जाता है।
- siRNA को जीन अभिव्यक्ति में **'हस्तक्षेप' करने** और **जीन के कार्य में हेरफेर** करने के लिए नियोजित किया जाता है।
- RNAi लगभग सभी यूकैरियोटिकों (जीव जिनकी कोशिकाओं में एकल नाभिक और अन्य झिल्ली-बद्ध अंग होते हैं), जैसे कि- जानवरों, कीटों, कवक आदि में स्वाभाविक रूप से होता है।

11.29. डोपिंग के लिए ड्राइड ब्लड स्पॉट परीक्षण (Dried Blood Spot Testing for Doping)

- **विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी** (World Anti-Doping Agency: WADA) ने **टोक्यो ओलंपिक** के लिए **'ड्राइड ब्लड स्पॉट' (DBS) परीक्षण तकनीक** को स्वीकृति प्रदान की है।
- DBS प्रतिबंधित पदार्थों के लिए अनुवीक्षण का एक अभिनव मार्ग है। इसमें रक्त की कुछ बूंदें ली जाती हैं और एक प्रकार के ब्लोटिंग पेपर (ड्राई मैट्रिक्स) पर डाल दी जाती हैं।
- नमूने का विश्लेषण एक उपयुक्त विलायक का उपयोग करके किया जाता है जो परीक्षण के लिए आवश्यक जैविक सामग्री को स्रावित करता है।
- यह वर्तमान में मूत्र और रक्त संग्रह की तुलना में कमतर हस्तक्षेपकारी पद्धति है। इसलिए, यह एथलीट के लिए एक बेहतर अनुभव होगा।

डोपिंग के बारे में

- यह प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रतिबंधित पदार्थों/ प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (Performance Enhancing Drugs: PEDs) के उपयोग को संदर्भित करता है।
- एथलीटों द्वारा अपने **एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार के लिए** इन दवाओं का उपयोग किया जाता है।
- इनमें से विभिन्न पदार्थों के **हानिकारक दुष्प्रभाव** होते हैं जो एथलीटों के जीवन काल को प्रभावी रूप से कम कर देते हैं। इसमें शामिल है:
  - **कार्डियोवैस्कुलर:** अनियमित हृदय गति, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, आकस्मिक मृत्यु।
  - **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र:** अनिद्रा, चिंता, आक्रामक व्यवहार, कंपकंपी, चक्कर आना, स्ट्रोक आदि।
  - **श्वसन से संबंधित:** नासिका से रक्त आना, साइनसाइटिस आदि।
  - **हार्मोन से संबंधित:** बांझपन, गाइनेकोमास्टिया (पुरुषों के स्तनों में उभार आना), एक्रोमेगाली (मुख, हाथ और पैरों में अपरिष्कृत अस्थियों का उभर आना), कैंसर आदि।

विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency: WADA)

- WADA को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। यह **खेल गतिशीलता** और **विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से निर्मित एवं वित्त पोषित है।**
- **इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं-**
  - वैज्ञानिक अनुसंधान;
  - शिक्षा;
  - डोपिंग-रोधी क्षमताओं का विकास; और
  - **विश्व डोपिंग-रोधी संहिता की निगरानी:** यह सभी खेलों और सभी देशों में डोपिंग-रोधी नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने वाला दस्तावेज है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में **स्विट्जरलैंड में लॉज़ेन घोषणा** के तहत की गई थी।

11.30. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए वैश्विक सोडियम मानदंड जारी किए (World Health Organization Global Sodium Benchmarks for Different Food Categories)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए **खाद्य पदार्थों में सोडियम के स्तर हेतु वैश्विक मानदंड** जारी किए हैं।
  - WHO ने नमक या सोडियम का **दैनिक सेवन 5 ग्राम** करने की संस्तुति की है। परन्तु विश्व भर में अधिकतर लोग इससे **दोगुनी मात्रा से अधिक का उपभोग** करते हैं।
- **सोडियम के बारे में**
  - सोडियम सामान्य **कोशिकीय चयापचय व स्वस्थ प्लाज्मा** को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही, यह **तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में भी सुधार** करता है।
  - यह प्राकृतिक रूप से **मांस और डेयरी जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों** में विद्यमान होता है।

- हालांकि, यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जैसे कि स्नैक्स, ब्रेड, या चटनी अथवा आचार आदि में।
- आहार में अतिरिक्त सोडियम के सेवन से **रक्तचाप** बढ़ता है और परिणामस्वरूप **हृदय रोगों का जोखिम** बढ़ जाता है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि यदि नमक की खपत को अनुशंसित स्तरों तक घटा दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर 2.5 मिलियन मृत्युओं को रोका जा सकता है।

- **उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण (Dietary Approaches to Stop Hypertension: DASH)**
  - यह **उच्च रक्तचाप को कम करने या नियंत्रित करने** के लिए संतुलित भोजन करने की एक योजना है।
  - DASH आहार उन खाद्य पदार्थों पर बल देता है, जिनमें सोडियम की मात्रा कम होती है तथा जो **पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम** से समृद्ध होते हैं (ये पोषक तत्व रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं)।

11.31. WHO बायोहब पहल (WHO BioHub Initiative)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और स्विट्जरलैंड ने बायोहब सुविधा आरंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। **इसके द्वारा प्रयोगशालाओं और भागीदारों के मध्य रोगजनकों को तीव्रता से साझा किया जा सकेगा।** इससे इनके **सुरक्षित भंडारण, बेहतर विश्लेषण, अनुक्रमण और उनके विरुद्ध तैयारी** में सहायता प्राप्त होगी।
- वर्तमान में, **रोगजनकों को देशों के मध्य द्विपक्षीय रूप से साझा किया जाता है।**
- यह पहल सदस्य देशों को जैव सुरक्षा (Biosafety), जैव रक्षा (Biosecurity) और अन्य लागू विनियमों सहित पूर्व-सहमत शर्तों के अधीन बायोहब के साथ तथा इसके माध्यम से **जैविक सामग्री साझा करने में सक्षम** बनाएगी।
- यह कदम आगे नोवल कोरोनावायरस सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) और अन्य उभरते रोगजनकों (pathogens) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रणाली की स्थापना में योगदान करेगा।

11.32. ग्लोबल हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस (Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के भाग के रूप में WHO और जर्मनी द्वारा वैश्विक महामारी (Pandemic) और संक्रामक रोग (Epidemic) आसूचना हेतु एक नया वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा।

महत्व

- हब महत्वपूर्ण बहु-क्षेत्रीय डेटा के लिए **एक साझा नेटवर्क पहुंच** का सृजन करेगा, जो विश्व भर में स्वास्थ्य **जोखिमों की भविष्यवाणी, निवारण, पता लगाने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया** देने के लिए डेटा एनालिटिक्स में नवाचारों को संचालित करेगा।
  - यह वैश्विक महामारी (Pandemic) और महामारी (Epidemic) से संबंधित जोखिमों की पहचान करने के लिए **वैश्विक प्रारंभिक चेतावनी निगरानी प्रणाली** को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
- यह **जोखिम विश्लेषण** और **रोग नियंत्रण उपायों** तथा **सूचना विज्ञान** की निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों और मॉडल को विकसित करने में मदद करेगा।
  - इन्फोडेमिक्स अर्थात् **'सूचना'** और **'महामारी'** दो शब्दों से निर्मित एक पद है, जो सामान्यतः किसी रोग के बारे में सटीक और त्रुटिपूर्ण दोनों प्रकार की सूचनाओं के तीव्र प्रसार को संदर्भित करता है।
- ज्ञातव्य है कि बर्लिन स्थित यह हब **सरकारी, शैक्षणिक और निजी क्षेत्र** के संस्थानों को एक साथ लाने वाले **एक वैश्विक मंच की भूमिका** का निष्पादन करेगा।

WHO के वैश्विक आपात कार्यक्रम के बारे में

- इस कार्यक्रम की स्थापना **वर्ष 2016 में WHO द्वारा** रोग के प्रकोप, आपदाओं और संघर्षों से संबंधित **आपातकालीन स्वास्थ्य आवश्यकताओं से निपटने के क्रम में समन्वय सहायता, दवाओं की आपूर्ति और टीके आदि वितरित करने** के लिए की गई थी।

11.33. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी (Monoclonal Antibody Therapy)

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी विशेष रूप से कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (प्रतिरक्षी) के उपयोग की एक विधि है। **इसका उपयोग कोविड-19 के 'उच्च जोखिम' वाले रोगियों** के उपचार के लिए किया जा सकता है।
- यह **कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित एक** एंटीबॉडी है तथा यह मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित किये जाने वाले एंटीबॉडी के समान होती है।

- एंटीबॉडी, जिसे **इम्युनोग्लोबुलिन** भी कहा जाता है, **एक रक्षात्मक प्रोटीन होता है।** यह एक बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, जिसे एंटीजन (प्रतिजन) कहा जाता है।

- कासिरिविमाब **(Casirivimab)** और इम्डेविमाब **(Imdevimab)** मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं जो विशेष रूप से सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) के स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध निर्मित किए गए हैं। इसे वायरस के **मानव कोशिकाओं में प्रवेश को अवरुद्ध** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग **इबोला और एच.आई.वी.** जैसे अन्य वायरल संक्रमणों के उपचार के लिए किया जा चुका है।

11.34. 2-डी ऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-deoxy-D-glucose: 2-DG)

- ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया **(DCGI)** ने हैदराबाद में **डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (DRL)** के सहयोग से **रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (DRDO)** की एक प्रमुख प्रयोगशाला, नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान **(INMAS)** द्वारा विकसित एंटी-कोविड ओरल ड्रग 2-DG को मंजूरी प्रदान कर दी है।
    - यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संचित हो जाता है और वायरल संश्लेषण एवं ऊर्जा उत्पादन को बाधित कर वायरस के विकास को अवरुद्ध कर देता है। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में इसका **चयनात्मक संचय इस दवा को विशिष्टता प्रदान करता है।**
    - यह अस्पताल में भर्ती मरीजों के शीघ्र रिकवरी में मदद करता है तथा अतिरिक्त **ऑक्सीजन निर्भरता को कम** करता है।

11.35. स्पॉट (स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग) (SPOT: Scalable and Portable Testing)

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने **लार के नमूनों से आसानी से कोविड-19 का पता लगाने** के लिए एक नई स्पॉट (SPOT) प्रणाली विकसित की है।
- यह रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस-लूप मेडियेटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन **(RT-LAMP)**, का उपयोग करता है। यह एकल-चरण पर आधारित **न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन हेतु प्रयोग की जाने वाली एक विधि** है।
    - इसके संचालन के लिए किसी जटिल मशीनरी या विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है।
    - इस परीक्षण को अधिक शीघ्रता से पूर्ण किया जा सकता है। साथ ही, इसके निष्कर्ष अधिकांश एंटीजन परीक्षणों की तुलना में अत्यंत सटीक हैं।
    - RT-PCR और RT-LAMP के मध्य एकमात्र अंतर यह है कि RT-LAMP चार LAMP प्राइमरों (ये न्यूक्लिक एसिड के सूक्ष्म खंड होते हैं) का उपयोग करता है।

11.36. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम (Sick-building syndrome: SBS)

- SBS एक ऐसी स्थिति है, जिसमें **भवन में रहने वाले लोग गंभीर स्वास्थ्य और कम्फर्ट प्रभावों का अनुभव करते हैं,** जो एक इमारत में व्यतीत किए गए समय से संबंधित प्रतीत होते हैं। हालांकि, किसी विशिष्ट बीमारी या कारण की पहचान नहीं की जा सकी है।
- भारत की नई इमारतों में निम्नस्तरीय भवन निर्माण योजना के कारण पर्याप्त वायुसंचार उपलब्ध नहीं होता है।
    - हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी की गई एक सरकारी परामर्शिका में सुझाव दिया गया है कि **एरोसोल वायु में 10 मीटर दूर तक जा सकते हैं** तथा इनडोर स्पेस के वायुसंचार (वेंटिलेशन) में सुधार के साथ इन ऐरोसोल्स के संचरण का खतरा कम हो जाएगा।

11.37. मेफ्लावर 400 (Mayflower 400)

- हाल ही में, **मेफ्लावर 400** यूनाइटेड किंगडम स्थित प्लायमाउथ से मैसाचुसेट्स स्थित प्लायमाउथ तक ट्रांस-अटलांटिक यात्रा करने वाला **विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित पोत** बन गया है।
- **यह एक सौर ऊर्जा संचालित** और **स्वायत्त समुद्री अनुसंधान पोत** है। इसे आई.बी.एम. के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा निर्मित किया गया है।

11.38. जलवायु परिवर्तन विश्व की प्राचीनतम गुफा कला को प्रभावित कर रही है (Climate Change Affecting World's Oldest Cave Art)

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने निर्दिष्ट किया है कि **इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप** पर 45,000-20,000 वर्ष पूर्व के **प्लाइस्टोसीन-युग के शैल-चित्रों** (Rock Painting) का **अत्यधिक तीव्र दर** से **अपक्षय** हो रहा है।
- शोधकर्ताओं ने इन गुफा की सतहों से पृथक होने वाली पपड़ियों की खोज की है। रंगों/वर्णको के माध्यम से निर्मित की गई कलाकृति **हेलोक्लास्टी नामक एक प्रक्रिया के कारण क्षीण** हो रही है। यह प्रक्रिया क्षेत्र में **एकांतर आर्द्र और शुष्क मौसम के कारण** तापमान एवं आर्द्रता में बार-बार परिवर्तन के परिणामस्वरूप लवणीय क्रिस्टल के विकास से आरम्भ होती है।

क्या आप जानते हैं ?

- सुलावेसी का गुफा चित्र **यूरोप** की प्रागैतिहासिक गुफा चित्र से काफी पुरानी है।
- भारत में भीमबेटका शैलाश्रयों में पाए जाने वाले पाषाण काल के कुछ शैल चित्र लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं।

....

शुद्धि-पत्र (Errata)

1. करेंट अफेयर्स- अप्रैल 2021- अनुभाग 2.6: *ईरान परमाणु समझौता (इन्फोग्राफिक- यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया)*

(a) एक मुद्रण त्रुटि के कारण, U-235 और U-238 के आलेख आपस में बदल गए थे।

2. करेंट अफेयर्स- फरवरी 2021- अनुभाग 5.2: *जल जीवन मिशन शहरी {इन्फोग्राफिक- जल जीवन मिशन शहरी (JJM (U)के उद्देश्य}*

- *मुद्रण त्रुटि के कारण, मिशन का चौथा उद्देश्य त्रुटिपूर्ण उल्लिखित कर दिया गया था।*
- ***मिशन का चौथा उद्देश्य:*** *JJM (U) उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।*

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: भारत

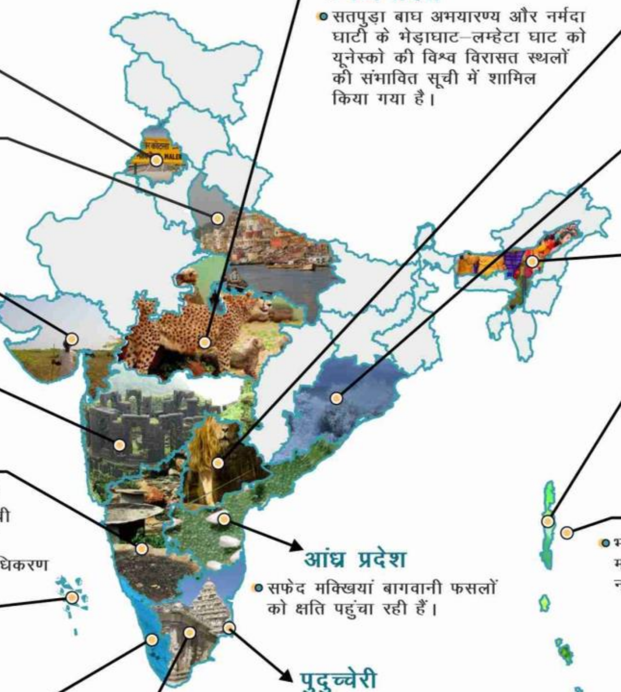

पंजाब
- मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश
- वाराणसी में गंगा घाट को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

गुजरात
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बन्नी घास भूमियों में चरवाहों के अधिकारों को यथावत रखा है।

महाराष्ट्र
- मराठा सैन्य स्थापत्य कला को यूनेस्को विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

कर्नाटक
- हायर बेंकल महापाषाण स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।
- मेकेदातु बांध के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक समिति का गठन किया है।

लक्षद्वीप
- प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया देखी गई है।

केरल
- मानसून के दौरान ट्रॉलिंग संचालन (मत्स्यन की एक विधि) पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है।

तमिलनाडु
- कांचीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश
- सतपुड़ा बाघ अभयारण्य और नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट–लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

तेलंगना
- हैदराबाद के चिड़ियाघर में आठ एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

ओडिशा
- ओलिव रिडले कछुए इस वर्ष रुशिकुल्या नदी के मुहाने पर नेस्टिंग हेतु नहीं पहुंचे।
- चक्रवात यास के कारण भितरकनिका में सैकड़ों वृक्ष धराशायी हो गए।

असम
- सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बोडोलैंड विभाग की स्थापना की है।

अंडमान और निकोबार
- हाल ही में, सरकार ने अनेक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है।

बैरन द्वीप
- भारतीय तटरक्षक बल ने अवैध रूप से मछली पकड़ने आए म्यांमार के चार नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

आंध्र प्रदेश
- सफेद मक्खियां बागवानी फसलों को क्षति पहुंचा रही हैं।

पुदुच्चेरी
- जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शत–प्रतिशत पाइप आधारित जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: विश्व

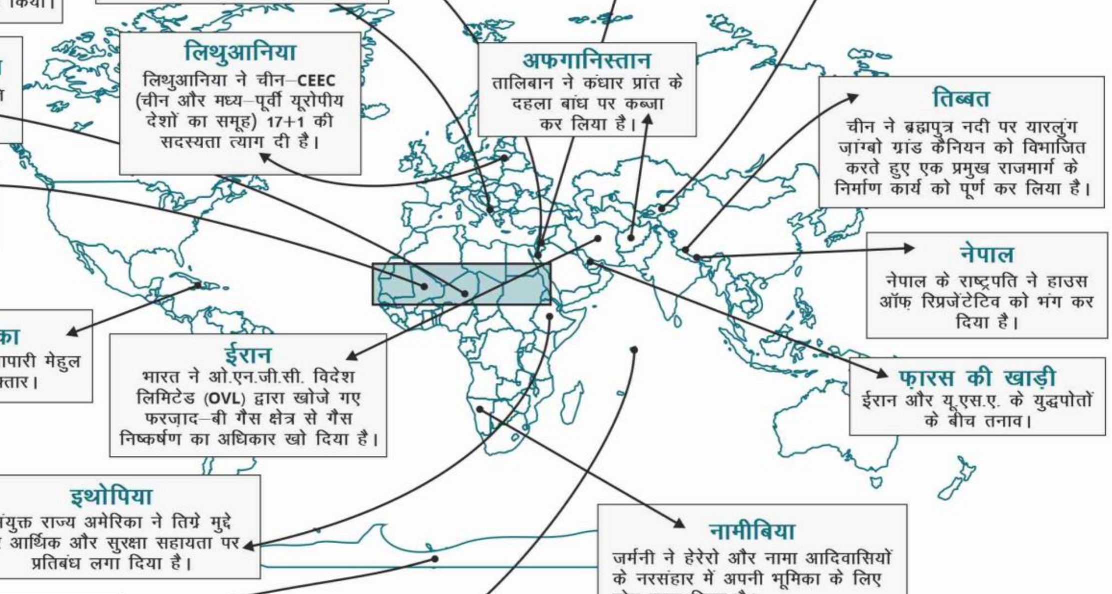

अल्बानिया
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने संयुक्त सैन्य अभ्यास (डिफेंडर–यूरोप 21) आरंभ किया।

इज़रायल
- धार्मिक उत्सव (लाग बाओमर) में भगदड़।
- अल–अक्सा मस्जिद में हिंसक झड़प की घटना हुई है।

लेबनान
लेबनान की सबसे लंबी नदी, लितानी पर कारून झील के तट पर बड़ी संख्या में मृत मछलियाँ पायी गयीं।

किर्गिस्तान
किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम हो गया है।

सूडान–साहेल क्षेत्र
जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य।

लिथुआनिया
लिथुआनिया ने चीन–CEEC (चीन और मध्य–पूर्वी यूरोपीय देशों का समूह) 17+1 की सदस्यता त्याग दी है।

अफगानिस्तान
तालिबान ने कंधार प्रांत के दहला बांध पर कब्जा कर लिया है।

तिब्बत
चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांग्बो ग्रांड कैनियन को विभाजित करते हुए एक प्रमुख राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया है।

माली
हाल ही में, यहाँ सैन्य तख्तापलट हुआ है।

नेपाल
नेपाल के राष्ट्रपति ने हाउस ऑफ़ रिप्रजेंटेटिव को भंग कर दिया है।

डोमिनिका
भगोड़ा भारतीय व्यापारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार।

ईरान
भारत ने ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (OVL) द्वारा खोजे गए फरज़ाद–बी गैस क्षेत्र से गैस निष्कर्षण का अधिकार खो दिया है।

फ़ारस की खाड़ी
ईरान और यू.एस.ए. के युद्धपोतों के बीच तनाव।

इथोपिया
संयुक्त राज्य अमेरिका ने तिग्रे मुद्दे पर आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नामीबिया
जर्मनी ने हेरेरो और नामा आदिवासियों के नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए खेद व्यक्त किया है।

अंटार्कटिका
विश्व का सबसे बड़ा हिमशैल (A - 76) विखंडित हुआ।

मालदीव
मालदीव के निकट हिंद महासागर में चीनी रॉकेट का मलबा गिरा।

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्ति / व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 गौतम बुद्ध	• वैशाख (वेसाक) पूर्णिमा को **तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, प्रबोधन और महापरि–निर्वाण (मृत्यु) के दिवस के रूप में त्रिपक्षीय पवित्र दिवस** माना जाता है। • भगवान बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में पूर्णिमा तिथि (पूर्ण चन्द्र दिवस) को **563 ई. पू. में लुंबिनी (आधुनिक नेपाल)** में हुआ था। • उन्होंने **बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान** प्राप्त किया था। उन्होंने **सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश** दिया था। कालांतर में उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत बौद्ध धर्म का आधार बने। • हिंदू धर्म में, **बुद्ध को भगवान विष्णु के नौवें अवतार** के रूप में माना जाता है।	• **व्यक्ति को सत्य और समावेशी करुणामय जीवन जीना चाहिए:** ▸ उन्होंने दुखों और ज्ञान के वास्तविक **सत्य की ख़ोज** के लिए अपने **राजशाही जीवन का परित्याग** कर दिया। ▸ उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना के महत्व को रेखांकित करने के लिए **'धम्म' अर्थात् प्रकृति के नियम की अवधारणा** प्रदान की।
 बसव जयंती	• यह एक हिंदू त्यौहार है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में **लिंगायत समुदाय के लोगों द्वारा भगवान बसवन्ना (12वीं शताब्दी के कवि–दार्शनिक और समाज सुधारक) के जन्म दिवस** के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ▫ विभिन्न कृतियों की रचना का श्रेय बसवन्ना को दिया जाता है, जैसे– **वचनः शत–स्थल–वचन** (मुक्ति के छह चरणों के प्रवचन), **काल–ज्ञान–वचन** (भविष्य के पूर्वानुमान), **मंत्र–गोप्य, घटना चक्र–वचन** और राज–योग–वचन। ▫ उन्होंने **अनुभव मंटप** की संकल्पना की, जो कि **सामान्य मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर विचारों के स्रोत** के रूप में कार्य करने वाली संस्था है।	• **समतावाद और श्रम की गरिमा:** ▸ उन्होंने **प्रस्थिति/पद और धन के पदानुक्रम** के आधार पर अपने समय की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को प्रश्नगत करने के लिए **काव्य–रचना** की। ▸ अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने **शारीरिक श्रम की गरिमा** और इसे मान्यता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया।
 गुरु तेग बहादुर	• हाल ही में, गुरु तेग बहादुर की **400वीं जयंती** मनाई गई। • वे छठे सिख गुरु, **गुरु हरगोबिंद साहिब** के सबसे छोटे पुत्र थे। वह 10 सिख गुरुओं में से 9वें गुरु थे। • उनके द्वारा रचित **115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब** में संकलित हैं। • वर्ष 1675 में, गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया था।	• **प्रतिबद्धता और सार्वभौमिक बंधुत्व:** ▸ उन्होंने एक दमनकारी शासक से समुदाय की रक्षा के लिए स्वयं का जीवन समर्पित कर दिया। ▸ **उनके द्वारा रचित पद्य बंधुत्व के विचार** पर आधारित हैं अर्थात् उन्होंने बंधुत्व को समाज के विभिन्न सदस्यों को **एकजुट रखने वाली शक्ति** के रूप में रेखांकित किया।
 महाराणा प्रताप	• वह राजस्थान के **मेवाड़ के शासक** थे। • वह **उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय** के ज्येष्ठ पुत्र थे। • **चेतक महाराणा प्रताप का निष्ठावान घोड़ा** था, जिसके साथ उनका गहरा लगाव था। • **हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी सेना मुगलों से** पराजित हो गई थी।	• **दृढ़ता/धैर्य और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना:** ▸ उन्होंने अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिपक्षी की उन्नत सैन्य शक्ति का **बहादुरी से प्रतिरोध** किया और **बिना किसी समझौते** के युद्ध लड़ा। ▸ उन्होंने **महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं** होने दिया, यहाँ तक कि अपनी सेना द्वारा बंदी बनाई गईं महिलाओं की भी गरिमा की रक्षा की।
 राजा राममोहन राय (22 मई 1772 – 27 सितंबर 1833)	• **राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक** माना जाता है। • वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी तथा सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारक थे। वह **सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी कुप्रथाओं का विरोध** करने तथा शिक्षा का प्रबल समर्थन करने में अपनी **अग्रणी भूमिका** के लिए प्रसिद्ध हैं। • उन्होंने एक सुधार संघ की स्थापना की थी, जिसे **ब्रह्म सभा (वर्ष 1928)** के नाम से जाना जाता है। • **साहित्यिक कृतियां:** वर्ष 1803 में प्रकाशित **तुहफ़ात–उल–मुवाहिद्दीन (एकेश्व–रवादियों को उपहार)**; इन प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820); वर्ष 1822 में **फ़ारसी में मिरात–उल–अख़बार पत्रिका और समाचार पत्र संवाद कौमुदी** की स्थापना की।	• **न्याय और विश्वबंधुत्व:** ▸ उन्होंने **सती प्रथा के विरुद्ध प्रथम भारतीय नैतिक धर्मयुद्ध** आरम्भ किया, जिसने अंग्रेजों को प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए आश्वस्त कर लिया। ▸ वे स्वयं को **विश्व का नागरिक** मानते थे और वे **विश्व बंधुत्व** की अवधारणा के प्रबल प्रचारक थे।
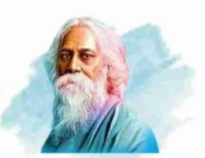 **रवीन्द्रनाथ टेगोर**	• उनकी जयंती बंगाल में **पच्चीस बैशाख** के रूप में मनाई जाती है। • वह एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, दार्शनिक और संगीतकार थे। • वह **दो राष्ट्रों – भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। माना जाता है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनका प्रभाव है।** • उन्हें वर्ष 1913 में **साहित्य** (गीतांजलि: कविताओं के संग्रह) **के लिए नोबेल पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। साथ ही, वे इसे प्राप्त करने वाले **प्रथम गैर–यूरोपीय** थे। • उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज के एक नेतृत्वकर्ता थे। • टेगोर ने ही **वर्ष 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया था।** • **विश्व–भारती विश्वविद्यालय** की स्थापना टैगोर ने की थी।	• **कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिवाद और प्रकृति के प्रति सम्मान:** ▸ एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने **अमृतसर के जलियांवाला बाग** में सरकारी सैनिकों द्वारा किए गए क्रूर नरसंहार के विरोधस्वरूप **नाइटहुड की उपाधि त्याग** दी थी। ▸ उनकी कविताएँ **दृश्य प्रतिरूपण से परे, प्रकृति और उसकी सुंदरता के महत्व** का वर्णन करती हैं।
 गोपाल कृष्ण गोखले	• वर्ष 1905 में बनारस सत्र में गोखले **कांग्रेस के अध्यक्ष** नियुक्त किए गए। • राजनीति में आने से पहले, **गोखले ने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया।** उन्होंने **वर्ष 1905 में सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी** की स्थापना की, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए। • गोखले **कांग्रेस के 'नरमदल' के नेता थे, और महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे।** • वे वर्ष 1903 में भारत के **'गवर्नर जनरल की परिषद' के लिए चुने** गए। • उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र, 'द हितवाद' शुरू किया। • गांधीजी ने गुजराती में एक पुस्तक लिखी जो गोखले को समर्पित थी, जिसका नाम **'धर्मात्मा गोखले'** था।	• **जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में निस्वार्थता:** ▸ उन्होंने एक समूह **'द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी'** की स्थापना की, जिसने लोगों को निस्वार्थ कार्यकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित किया, ताकि वे अन्य लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। ▸ उन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने के लिए **अंग्रेजों को समझाने का अत्यधिक प्रयास** किया।
 विनायक दामोदर सावरकर (18 मई 1883 – 26 फ़रवरी 1966)	• उनका जन्म महाराष्ट्र के **नासिक** में हुआ था व उन्हें **वीर सावरकर** के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान नेता, वकील और लेखक थे। • उन्होंने **हिंदू महासभा के अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया तथा **"हिंदुत्व"** के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। • वे **"अभिनव भारत सोसाइटी"** नामक छात्र संगठन के **सह–संस्थापक** थे। वह यूनाइटेड किंगडम में विधि का अध्ययन करते हुए 'इंडिया हाउस' और **'फ्री इंडिया सोसाइटी'** जैसी संस्थाओं से भी संबद्ध थे। • उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इनसाइड द एनेमी कैंप आदि कृतियों की रचना की थी।	• **देशभक्ति और आत्म–निर्भरता:** ▸ उन्हें उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए **कठोर दंड दिया गया था।** ▸ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया और **विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार** किया।

सत्यजीत रे (2 मई 1921 – 1992)	• वे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर और संगीतकार थे। • उनकी पहली फिल्म **'पाथेर पांचाली'** ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। • उन्हें वर्ष 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'भारत रत्न'** से सम्मानित किया गया। • इस वर्ष **'सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा'** का शुभारंभ किया गया है, जिसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (**IFFI**) के दौरान प्रदान किया गया।	• **रचनात्मकता और दृष्टिकोणः** ▸ वह वर्ष 1991 में **लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर** प्राप्त करने वाले सबसे प्रभावशाली और **एकमात्र भारतीय फिल्म निर्माता** हैं। ▸ फिल्मांकन के मामले में वह अपने **समकालीन फिल्म निर्माताओं से बहुत आगे थे।**
सुंदरलाल बहुगुणा (9 जनवरी 1927 – 21 मई 2021)	• वे एक महान पर्यावरणविद् थे, जिन्हें वन ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई के विरुद्ध वर्ष 1973 में उत्तराखंड में **चिपको आंदोलन (एक अहिंसक आंदोलन) आरंभ करने** के लिए जाना जाता है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के गांधीवादी दर्शन का पालन किया था। • उनकी अपील के परिणामस्वरूप वर्ष 1980 में **हरित वृक्षों को काटने पर 15 वर्ष का प्रतिबंध** लगा दिया गया था। • उन्होंने **1980 के दशक में टिहरी बांध विरोधी आंदोलन** का भी नेतृत्व किया था। वर्ष 2009 में उन्हें **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।	• **पारिस्थितिकी – संवेदनशीलता और पर्यावरणीय न्यायः** ▸ अपने संपूर्ण जीवनकाल में, उन्होंने **हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिक अक्षुण्णता पर बल** दिया। ▸ उन्होंने बड़ी परियोजनाओं के विरुद्ध **सामुदायिक अधिकारों की रक्षा** के लिए कई **पदयात्राएं की और प्रतिरोध आंदोलनों का** नेतृत्व किया।
प्रो. सी. एन. आर. राव	• **भारत रत्न प्रोफेसर सी. एन. आर. राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020** से सम्मानित किया गया है। इसे **एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड** भी कहा जाता है। • एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार उन्हें ऊर्जा अनुप्रयोगों और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए **धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब (CNTs) एवं अन्य सामग्री और ग्रैफीन, बोरॉन–नाइट्रोजन–कार्बन हाइब्रिड सामग्री सहित द्वि–आयामी तंत्र और मोलिब्डेनम सल्फाइड (Molybdenite & MoS2)** पर उनके शोध कार्य के लिए प्रदान किया गया है।	• **वैज्ञानिक अभिवृति और ज्ञानः** ▸ उन्होंने अपने शोध के माध्यम से **संरचनात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र** में सतत योगदान दिया। ▸ **वर्ष 1989 में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हेतु उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की।**

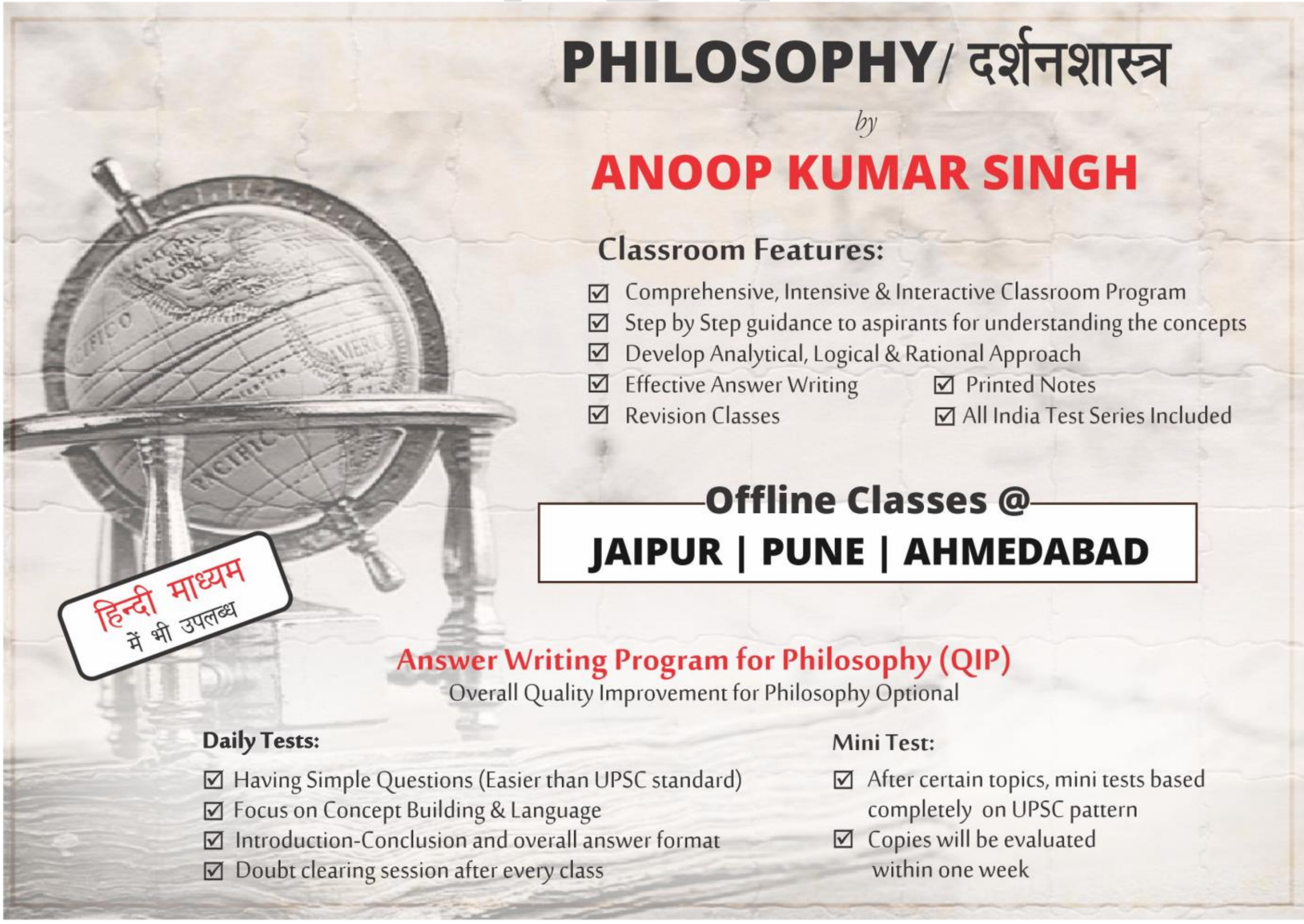

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली: न्याय वितरण के लिए संस्थानों में सुधार	व्यवस्थित समाज का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक न्याय प्रणाली की मजबूती और कुशलता पर निर्भर करता है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास और विभिन्न घटकों को समझते हुए, इस लेख में उन विभिन्न विकृतियों और दोषों का परीक्षण किया गया है, जिनसे मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावित होती है। यह आगे देश में समानता और न्याय के त्वरित वितरण को प्राप्त करने के लिए प्रणाली को मजबूत करने हेतु विभिन्न विकल्पों और सुझावों को रेखांकित करता है।	
सार्वभौमिक टीकाकरण: स्वस्थ और सुरक्षित विश्व की ओर प्रयास	हाल ही में शुरू किए गए वैश्विक टीकाकरण (या प्रतिरक्षण) एजेंडा का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहां सभी व्यक्ति, सभी जगह, सभी आयु वर्ग में, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए टीकों से पूरी तरह लाभान्वित हों। यह लेख इस संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे एक टीका हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और घातक रोगों से हमारी रक्षा करता है। आगे यह चर्चा करता है कि विश्व भर में सार्वभौमिक टीकाकरण वर्तमान समय की आवश्यकता क्यों है? साथ ही, यह इस दिशा में भारत की प्रगति का भी आकलन करता है।	
चिकित्सकीय नीतिशास्त्र	प्रत्येक नैदानिक मामले का एक नैतिक आयाम होता है और अधिकांश स्थितियों में, जहां रोगियों और चिकित्सकों के साझा लक्ष्य हैं, वहाँ समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। किंतु कुछ स्थितियां अधिक प्रतिकूल हो सकती हैं, जैसे कि जब दो पक्षों (रोगी बनाम चिकित्सक) के "अधिकारों" या दो अलग-अलग मूल्य प्रणालियों के बीच निर्णय लेना हो। इस लेख में चिकित्सकीय नीतिशास्त्र के अर्थ और अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या की गयी है। साथ ही, यह लेख विश्लेषण करता है कि कैसे उभरते मुद्दे नैतिक चिकित्सा पद्धतियों के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। यह उनसे निपटने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव प्रस्तुत करता है।	
क्षेत्रीय संपर्क: इस महत्वपूर्ण क्षेत्र (ग्रेट गेम) में भारत की भूमिका	राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने से लेकर लाभकारी आर्थिक संघों को बढ़ावा देने तक, हाल के वर्षों में **'कनेक्टिविटी' (या संपर्क)** एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, कोई अन्य क्षेत्रीय शक्ति भारत की भांति अपने निकटतम पड़ोस से असंबद्ध नहीं है। भारत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा करते हुए, इस लेख में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हेतु भारत के नवीन दृष्टिकोण के प्रमुख चालकों और अब तक प्राप्त की गई प्रगति की समीक्षा की गयी है। इसमें व्याप्त चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तुकार के रूप में रूपांतरित होने की आवश्यकता होगी।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
Stay in touch with Your Preparation
FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA
/c/VisionIASdelhi
/VisionIAS_UPSC
/vision_ias
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019
FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS
2 AIR
JATIN KISHORE
3 AIR
PRATIBHA VERMA
6 AIR
VISHAKHA YADAV
7 AIR
GANESH KUMAR BASKAR
8 AIR
ABHISHEK SARAF
9 AIR
RAVI JAIN
10 AIR
SANJITA MOHAPATRA
YOU CAN BE NEXT
DELHI
HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
JAIPUR 9001949244
HYDERABAD 9000104133
PUNE 8007500096
AHMEDABAD 9909447040
LUCKNOW 8468022022
CHANDIGARH 8468022022
GUWAHATI 8468022022
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC